राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] चतुर्थ विधान सभा के पंचम सत्र, १९६९ का सोलहवां दिवस [संख्या १६

मंगलवार, दिनांक २६ अगस्त, १९६९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.४ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[अकाल सहायता, भाषा, वन, परिवार नियोजन, समाज कल्याण, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, पंचायत, सिंचाई, चिकित्सा एवं खाद्य विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री रामनारायण चौधरी।

ग्राम पंचायत पहाड़सर में कुआ बनाने की स्वीकृति

३८१. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ग्राम पहाड़सर, जिला झुंझुनू में एक सार्वजनिक नया कुआ बनाने की स्वीकृति इस वर्ष दी थी ?

(२) यदि हां, तो क्या कार्य पूरा, हो चुका है ?

(३) क्या यह सही है कि इस कुए के निर्माण के लिये जिलाधीश झुंझुनू ने ३,००० (तीन हजार रुपये) स्वीकार किये थे ?

(४) क्या यह भी सही है कि सहायता के अभाव में कुए का काम अधूरा पड़ा है और जिन मजदूरों ने काम किया था उन्हें अभी तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ?

(५) यदि हां, तो काम कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

(६) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश, झुंझुनू ने कुओं की मरम्मत हेतु भी प्रत्येक कुए के लिये तीन हजार रुपये की राशि स्वीकार की है ? यदि हां, तो कितने कुओं के लिये ?

(७) क्या यह सही नहीं है कि झुंझुनू तहसील में तीन हजार रुपये में नये कुए का निर्माण नहीं हो सकता ? यदि हां, तो तीन हजार रुपये ही स्वीकार करने के क्या कारण और आधार थे जबकि राज्य सरकार के आदेश नया कुआ बना देने के हेतु थे ? क्या यह राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार कदम था ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी हां।

Page No 2

(श्री गंगाराम चौधरी)

(२) जी हां, कुआ ६५ हाथ बन गया तथ पानी आ गया है केवल पानी गहरा कराना तथा ऊपर बाहर का कुछ कार्य शेष है।

(३) जी हां।

(४) जी हां। तकनीकी अनुमान नहीं होने के कारण प्रथम बार ३,०००) रु० ही स्वीकृत किये गये बाद में और रकम स्वीकृत नहीं होने से कार्य कुछ अधूरा रह गया तथापि जिन मजदूरों ने काम किया है, उन्हें मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है।

(५) अब सहायता कार्य समाप्त किये जा चुके हैं इसलिये काम चालू रखना सम्भव नहीं होगा।

(६) जी हां, जिलाधीश झुंझुनूं द्वारा तहसील झुंझुनूं में अन्य कुओं की मरम्मत के लिये भी एस्टीमेट के अनुसार १०००) रु० से ३०००) रु० तक की मंजूरी दी गई है, ऐसे कुओं की संख्या ९५ हैं।

(७) जी हां, झुंझुनूं तहसील में ३००) से नये कुए का निर्माण नहीं हो सकता तकनीकी अनुमान तैयार होने तक ३०००) रुपये स्वीकृत करने का कारण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करवाना था ताकि तकनीकी अनुमान के अभाव में कार्य रुका न रहे।

श्री रामनारायण चौधरी : इस वर्ष अकाल पीड़ित गांवों में कितने कुए नये बनाये गये हैं और कितने पुरानों को डीपन कराया गया है ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : पूरे राजस्थान भर में फैमीन के इस पीरियड में राहत कार्य के तौर पर जो पानी के कुओं की उपलब्धि है दो हजार के आसपास नये कुए या गहरे कराये।

श्री रामनारायण चौधरी : कितने कुए नये कराये गये ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सूचना अभी मेरे पास नहीं है। इस प्रश्न से सम्बन्धित भी नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : नम्बर ४ में बताया गया कि मजदूरों का भुगतान कर दिया लेकिन लोगों की आज तक मजदूरी बाकी है, मेटिरियल का पैसा बाकी है।

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी जानकारी के अनुसार मजदूरों की कोई राशि बकाया नहीं है, पूरी चुका दी गई है।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या आप इसकी जानकारी करेंगे कि दो हजार तो मजदूरी के और चार हजार मेटिरियल के बाकी हैं ? लोग चिल्ला रहे हैं और जिलाधीश को कई प्रार्थना पत्र दिये हैं आपके पास टेलीग्राम दिये हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : इस विषय में जानकारी करा ली जावेगी ?

श्री रामनारायण चौधरी : जानकारी करके भुगतान कर दिया जावेगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : अवश्य करा देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री रामनारायण चौधरी : और भी कुए अधूरे रह गये हैं, उनका क्या होगा ?

Page No 3

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। दूसरा प्रश्न ले लिया गया है।

सरकारी कामकाज में हिन्दी भाषा का प्रयोग

३८२. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सरकार ने हिन्दी भाषा राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार कर सरकारी काम-काज के लिये समस्त विभागों में हिन्दी का प्रयोग किये जाने की घोषणा कब की थी ?

(२) जब से यह घोषणा की गई है जिलास्तरीय, न्यायाधीशों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा निर्णीत मामलात के फैसले कितने प्रतिशत हिन्दी भाषा में एवं कितने प्रतिशत अंग्रेजी भाषा में लिये गये ?

(३) उपरोक्त घोषणा के पश्चात् न्यायालयों एवं विभागों में कितनी कानूनी पुस्तकें हिन्दी भाषा की खरीदी गईं ? तथा उनका अंग्रेजी की कानून की पुस्तकों की खरीद की तुलना में क्या अनुपात है ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त में घोषणा की पालना न्यायालयों व विभागों में पूर्ण रूप से नहीं हो रही है ? अगर हां, तो सरकार ने उसे सही मार्ग पर लाने हेतु कौनसी नीति अपनाई है ?

भाषा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : यह बड़ा सवाल है। इसकी सूची प्राप्त नहीं हुई है। इसको स्थगित कर दिया जावे।

श्री लाभचन्द वैद : इसको गत सत्र में भी रखा गया था।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस प्रश्न के भाग २ में पूछा है कि जब से यह घोषणा की गई है जिलास्तरीय न्यायाधीशों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा निर्णीत मामलात के फैसले कितने प्रतिशत हिन्दी भाषा में एवं कितने प्रतिशत अंग्रेजी भाषा में लिये गये ? विस्तार का सवाल है। इसलिये सूची प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री लाभचन्द वैद : कब तक जवाब मिल जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : शीघ्रातिशीघ्र। जल्दी मिलेगा।

श्री लाभचन्द वैद : जल्दी कब ? इस सत्र में ?

श्री अध्यक्ष : इस सत्र का अभी पता नहीं।

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३८३

श्री रामप्रसाद बोहरा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट। श्री गंगासहाय।

अलवर के जनाना अस्पताल में महिला की मृत्यु

३८४. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तारीख १३-६-६८ को अलवर के जनाना अस्पताल

Page No 4

(श्री गंगासहाय)
में श्रीमती प्रभा पत्नी श्री प्रभुदयाल, अलवर का बच्चे बन्द कराने का ऑपरेशन लेडी डॉ. द्वारा किया गया था और तारीख २३-९-६८ को इस महिला की अस्पताल में मृत्यु हो गयी ?

(२) उपरोक्त महिला की मृत्यु की शिकायत परिवार नियोजन विभाग को कब प्राप्त हुई और महिला के ऑपरेशन का रेकॉर्ड अलवर से कब मंगाया गया ? अब तक इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि ऑपरेशन के पांच दिन बाद तारीख १८-९-६८ को डा. ओ. पी. माथुर ने जनाना अस्पताल के इन्चार्ज की मौजूदगी में इस ऑपरेशन को दुबारा खोला उसमें से रुई का गौज निकला जिसका इन्द्राज सरकारी रिकार्ड में मौजूद है ?

(४) क्या यह सही है कि सरकार को इस सम्बन्ध में और भी शिकायतें की गई मगर उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(५) क्या यह सही है कि ऑपरेशन करने वाली महिला डाक्टर के खिलाफ बहुत शिकायतें हैं और उसने पचास साठ हजार की लागत की कोठी अलवर शहर में बनवाई है ?

राज्य मंत्री परिवार नियोजन (श्रीमती सुमित्रा) : (१) जी हां। किन्तु ऑपरेशन दिनांक ९-९-'६८ को नहीं किन्तु १२-९-१९६८ को किया गया था।

(२) इस महिला की मृत्यु के सम्बन्ध में परिवार नियोजन विभाग को दिनांक अक्टूबर ३, १९६८ को ज्ञात हुआ और उसी दिनांक को टेलीफोन द्वारा प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को इस महिला के ऑपरेशन का रिकार्ड भेजने के लिये कहा गया और वह रिकार्ड दिनांक अक्टूबर ८, १९६८ को प्राप्त हो गया। लिखित में शिकायत प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य महोदय द्वारा दिनांक नवम्बर ७, १९६८ को प्राप्त हुई। शिकायत की प्रारम्भिक जांच संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कराई गई और इस पर सम्बन्धित लेडी डा. के विरुद्ध नियमित विभागीय जांच करने एवं स्थानान्तर करने के आदेश दिये गये किन्तु मामले के तकनीकी पहलू को ध्यान में रख कर फिर यह उचित समझा गया कि इस मामले की प्रारम्भिक जांच किसी उप-निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से कराई जावे। इस सम्बन्ध के आदेश चिकित्सा निदेशालय को भेज दिये गये हैं। इनका स्थानान्तरण अलवर से कर दिया गया है।

(३) जी हां।

(४) प्रश्न के भाग (२) में वर्णित शिकायत के अलावा और कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(५) परिवार नियोजन विभाग में अन्य कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के साथ जो निजी सम्पत्ति का उल्लेख किया गया है उसके अनुसार सम्बन्धित महिला डाक्टर ने अलवर में अपना मकान बनाया है जिसका अनुमानित मूल्य लगभग पैंतीस हजार रुपये अंकित किया गया है।

Page No 5

श्री गंगासहाय : क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में जांच के लिये डिप्टी डाइरेक्टर को आदेश दे दिये गये हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : जी हां । दे दिये गये हैं।

श्री गंगासहाय : यह जांच कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

श्रीमती सुमित्रा : शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करा दी जावेगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : प्रश्न (३) के उत्तर में कहा गया है कि जी हां । ऐसी स्थिति में क्या स्थानान्तरण करना ही पर्याप्त है ? निलम्बित किया जाना आवश्यक नहीं ?

श्रीमती सुमित्रा : नियमित जांच चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न के भाग ३ में है कि क्या यह सही है कि ऑपरेशन के पांच दिन बाद तारीख १८-६-६८ को डा. ओ. पी. माथुर ने जनाना अस्पताल के इन्चार्ज की मौजूदगी में इस ऑपरेशन को दुबारा खोला तो उसमें से रुई का गोज निकला जिसका इन्द्राज सरकारी रिकार्ड में मौजूद है ? इसके लिये आपने हां कहा । मैं समझता हूं उसका केवल स्थानान्तरण कर देना पर्याप्त नहीं होगा । इस अपराध के लिये उसको तुरन्त निलम्बित क्यों नहीं किया गया है ?

श्रीमती सुमित्रा : तब ही तो नियमित जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : जांच किस बात की ? एक बात सही है कि इस ऑपरेशन के कारण उसकी मृत्यु हुई है। और उस ऑपरेशन में रूई अन्दर मिली है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उस महिला की जान चली गई और आप जांच ही करवा रही हैं। इससे यह स्पष्ट है कि ऑपरेशन में कमी रही है।

श्री अध्यक्ष : उस महिला की मृत्यु हुई उसके काज ऑफ डेथ का पता लगा है ?

श्रीमती सुमित्रा : सेप्टिक हो गया था।

श्री अध्यक्ष : रूई के कारण ?

श्रीमती सुमित्रा : यह मैं नहीं कह सकती मौत सेप्टिक की वजह से हुई है।

श्री भैरोंसिंह : उसका पोस्टमार्टम हुआ है ?

श्रीमती सुमित्रा : पोस्ट मार्टम के बारे में मैं नहीं कह सकती।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर काज ऑफ डेथ के रीजन्स बता रही हैं अपनी तरफ से बता रही हैं, या डाक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर ? मृत्यु का कारण आपने जो बताया है जब कि आपके पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है नहीं तो आप काज ऑफ डेथ किस आधार पर बता रही हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : प्रीलिमिनरी जांच हो गई थी जिसमें गाज का टुकड़ा अन्दर मिला। इस टेक्निकल पहलू पर डिप्टी डाइरेक्टर से जांच करवाने का फैसला किया । जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : मृत्यु का कारण प्रमुख था यह आपने किस आधार पर डिटैक्ट किया ?

Page No 6

श्री अध्यक्ष : आप पता लगा लीजिये काज ऑफ डेथ क्या था ? पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं ।

श्री नत्थीसिंह : मृत्यु से पहले आपको डेथ ऑफ कॉज पता चल गया था ?

श्रीमती सुमित्रा : दुबारा तब ऑपरेशन किया गया जब कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी तो दुबारा ऑपरेशन किया गया। पांच दिन बाद रूई का टुकड़ा निकाला । उस गाज के अन्दर रहने से सेप्टिक हो गया था ।

श्री भैरोंसिंह : क्या हम यह मानकर चलें कि गाज मिलने के कारण उसकी डेथ हुई ? यह मान लें डिफेन्स वाले डिफेन्स लेते रहेंगे ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : क्या लेडी डाक्टर को सस्पेण्ड किया गया जब कि उसको तत्काल सस्पेण्ड कर देना चाहिये था ?

श्री अध्यक्ष : एक परटीनेन्ट क्वेश्चन का उत्तर आने दीजिये ।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्यों की जो व्यग्रता है उसे देखते हुए उनके सस्पेन्शन के बारे में भी विचार किया जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : हाउस इस बात को गवर्नमेन्ट पर नहीं छोड़ेगा । आपने कहा कि हम उसके सस्पेन्शन के बारे में विचार करेंगे अब तक आपने सस्पेण्ड क्यों नहीं किया ? उसका तो प्रोसीक्यूशन किया जाना चाहिये था उस पर मर्डर का केस चलाना चाहिये था । डॉक्टर की असावधानी से महिला की मृत्यु हो जाय और आप उसको सस्पेण्ड कर हमें ओब्लाइज कर रही हैं। सदन सस्पेन्शन के लिये आपका ओब्लीगेशन नहीं चाहता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : महिला की मृत्यु होने के बाद तीन दिन बाद डिपार्टमेन्ट को मैंने सूचना दे दी थी । आज उसको एक साल हो गया सरकार उसकी जांच पूरी नहीं कर पाई है । इस बारे में पर्सनली मैंने विभाग को सूचना दी थी उसका रेकार्ड मंगा लिया गया । एक साल होने आया अभी तक जांच ही पूरी नहीं हुई इसके अलावा मैंने एक लिख कर कम्प्लेण्ट की है शिक्षा मंत्रीजी को जिसके बारे में कल ही पत्र मिला कि प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी हो रही है ।

श्रीमती सुमित्रा : मैं इसके लिये खेद प्रकट करती हूं इसमें इतनी देरी नहीं होनी चाहिये थी । सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूं १५ दिन के भीतर डिप्टी डाइरेक्टर की रिपोर्ट आने के बाद निश्चित तौर पर आगे कार्यवाही की जायगी ।

श्री नत्थीसिंह : साल भर पहले ही सस्पेण्ड किया जाना चाहिये था ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा खेद का विषय है कि एक महिला की ऑपरेशन के पश्चात् पांच दिन में ही मृत्यु हो जाय । इस चीज को महिला मंत्री खुद दबाना चाहती हैं । यह बड़ा सीरियस मामला है हम आज ही चाहेंगे मंत्री महोदय घोषणा करें डाक्टर को सस्पेण्ड किया जाकर उस केस को पुलिस में दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, दो प्रश्न इसमें हैं । पहला प्रश्न यह है कि उस महिला

Page No 7

(श्री अध्यक्ष)

के पेट से रूई निकली जिसको आपने स्वीकार किया है उसके कारण सेप्टिक हो गया। अब इस प्रश्न की दो जिम्मेदारियां रह जाती हैं। एक तो रूई के कारण सेप्टिक का होना और दूसरा उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाना। जब सेप्टिक हो गया था तो पोस्टमार्टम का दायित्व आता है ?

सेप्टिक हो गया ऑपरेशन के कारण यह क्रिमीनल नेगलीजेन्स है। इन दोनों प्रश्नों के आधार पर सदन में व्यग्रता है। उस डॉक्टर का सस्पेन्शन क्यों नहीं हुआ ? यह प्रश्न भी इसके साथ है। इसके बारे में उत्तर आना चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा : सस्पेन्शन कर दिया जायगा और १५ दिन के बाद रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायगी।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) उस लेडी डॉक्टर की क्वालिफिकेशन्स क्या हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : एम० बी. बी. एस।

श्री अध्यक्ष : ३८५। (श्री परसराम गंगाराम)

महात्मा गांधी छात्रावास नागौर, जायल आदि का रजिस्ट्रेशन

३८५. **श्री परसराम गंगाराम (परबतसर-सु०) :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या महात्मा गांधी छात्रावास नागौर, जायल, डीडवाना और परबतसर कम्पनी एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि नागौर जिले में राजकीय छात्रावास में नियमित छात्रों को दिनांक ५-९-६९ को भोजन व्यवस्था दी गई जब कि उनकी १-९-६९ से भोजन व्यवस्था प्रारम्भ करना था ?

(३) महात्मा गांधी छात्रावास की नागौर जिले में कितनी ब्रांन्चें हैं ? और कहां-कहां पर हैं और उनके कार्यकारिणी के कौन-कौन सदस्य हैं और किस जाति के हैं ? लिस्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) महात्मा गांधी छात्रावास नागौर कितने महीने बन्द रहा और इसके बन्द रहने का क्या कारण है ?

(५) महात्मा गांधी छात्रावास नागौर, जायल, डीडवाना, परबतसर में कितने लड़के किस-किस जाति के हैं और भोजन की क्या व्यवस्था है ?

(६) महात्मा गांधी छात्रावास नागौर, जायल, परबतसर, डीडवाना, लाडनूं में किस-किस जाति के छात्रावास अधीक्षक हैं और उनकी क्या योग्यता है और उनको क्या वेतन दिया जाता है ?

(७) महात्मा गांधी छात्रावास नागौर, परबतसर, जायल, डीडवाना छात्रावास की कार्यकारिणी की १९६७-६८ में कितनी बैठकें हुई और क्या बैठकों में क्षेत्रीय एम० एल० ए० को निमन्त्रित किया जाता है ?

राज्य मंत्री समाज कल्याण (श्री विशंभरनाथ जोशी) : (१) जी हां। महात्मा गांधी

Page No 8

(श्री विशम्बरनाथ जोशी)

छात्रावास संस्था रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटीज एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है, इसका रजिस्ट्रेशन नं. ९८ है। रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। जायल व परबतसर छात्रावास इसी की शाखायें हैं। डीडवाना छात्रावास अलग संस्था है और रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी है जिसका नं. ४१ है।

(२) यह सही नहीं है।

(३) नागौर छात्रावास के अलावा इसकी जायल व परबतसर में शाखायें हैं।

(४) छात्रावास ग्रीष्मावकाश के अलावा कभी बन्द नहीं रहा।

(५) सूची सदन की मेज पर रख दी है। भोजन व्यवस्था नियमानुसार है।

(६) सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(७) बैठकों की सूचना सहकारिता विभाग से प्राप्त कर प्रेषित की जा सकती है क्योंकि इसका सम्बन्ध इस विभाग से न होकर उस विभाग से है। बैठक में कार्यकारिणी के सदस्यों को ही निमंत्रित किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री परसराम गंगाराम : मैंने नं. ६ में पूछा है सुपारण्टेण्डेण्ट की क्या योग्यता है? और उनको क्या वेतन दिया जाता है?

विशम्बरनाथ जोशी : मैंने सूची दे रखी है उसमें सुपरिण्टेण्डेण्ट्स के नाम और उनको क्या तनख्वाह दी जाती है सब बताया गया है।

एक मा० सदस्य : मंत्रीजी से ज्यादा योग्य है?

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : प्रत्येक छात्र के हिसाब से कितना अनुदान दिया जाता है ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : आठवीं तक के छात्रों को ४० रुपये प्रति माह और आंठवीं से ११वीं तक के छात्रों को ४५ रु० प्रतिमाह।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या सरकार जो ४०.४५ रुपया प्रति छात्र प्रति माह देती है, मौजूदा हालत में यह काफी समझती है या इसको रिवाइज करने का इरादा है ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : ऐसा है यह अनुदानित संस्था है दस प्रतिशत जो कम पड़ता है निजी साधनों से इकट्ठा करके लगायेंगे। मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चहता हूं महंगाई को ध्यान में रखते हुए पुरानी दरों को रिवाइज करने के लिये विशिष्ट समिति का गठन किया है।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : रिवाइज करने का इरादा है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : प्रश्नकर्ता ने खण्ड छः में पूछा है कि महात्मा-गांधी छात्रावास नागोर, जायल, परबतसर, डीडवाना, लाडनूं में किस-किस जाति के छात्रावास अधीक्षक हैं और उनकी क्या योग्यता है और उनको क्या वेतन दिया जाता है ?

मन्त्री महोदय ने अपनी तालिका में यह सूचना नहीं दी है, इस कारण से प्रश्नकर्ता

Page No 9

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह) ने अधिक सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन पूछे थे। क्या मन्त्री महोदय, अब इस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : महात्मा गांधी छात्रावास नागौर में मेहाराम जाति मेघवाल, योग्यता मैट्रिक अवैतनिक काम कर रहे हैं।

जायल में प्रहलादराम, अधीक्षक मेघवाल जाति के हैं, साधारण हिन्दी का ज्ञान है। १०) प्रति मास उनको दिया जाता है।

परबतसर में नन्दलालजी, जाति मेघवाल-मिडिल पास हैं। ६५) रुपये माहवार देते हैं।

डीडवाना में लक्ष्मणरामजी हैं, मेघवाल जाति के हैं, नॉन मेट्रिक हैं, अवैतनिक काम करते हैं।

लाडनूं में नाथूरामजी भट्ट, मेघवाल जाति के हैं, नॉन मेट्रिक हैं। ७५) माहवार मिलता है। दूसरे में कमलेशकुमार वर्मा मैट्रिक ७५) माहवार मिलता है।

श्री परसराम गंगाराम : यह लाडनूं में आपने कमलेशकुमार वर्मा बताया। यह वर्मा कौन जाति के हैं ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : मेघवाल हैं। इनको यह वेतन अनुदानी संस्थायें देती हैं।

श्री परसराम गंगाराम : मन्त्री महोदय ने जो बताया है वह साफ झूठ है। वे अंगूठा छाप हैं। उनका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। हजारों रुपया उन पर खर्च हो रहा है ऐसी हालत होती है कि बच्चे एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो फिर बहुत से तो देते ही नहीं हैं। परबतसर, नागौर, डीडवाना में रिजल्ट एक परसेन्ट ही रहा है। एक पर्सेन्ट भी नहीं आया। इसलिये निवेदन है कि इन छात्रावासों में पढ़े-लिखे सुपरिण्टेण्डेण्ट हों जैसे जोधपुर में हैं।

श्री अध्यक्ष : योग्यता वाले होने चाहिये इस पर विचार करेंगे आप ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): क्या अंगूठा छाप अध्यापक रखना उचित है ?

श्री अध्यक्ष : अंगूठा इट सेल्फ इज ए क्वालिफिकेशन।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: फिर तो वे सब को अंगूठा ही बताते रहेंगे।

श्री विजयसिंह (मकराना : परबतसर में सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं, उनके खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था करने के लिये वहां से रखा है क्योंकि कांग्रेस का उनको समर्थन है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर!

नेक्स्ट।

फियेट कार का अलॉटमेंट

३८६. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) वर्ष १९६५-६६ में किन-किन व्यक्तियों को सरकार द्वारा फियेट कार एलॉट की गई थी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(२) क्या यह सत्य है कि तीन वर्ष होने से पूर्व दूसरी गाड़ी सरकार द्वारा अलॉट नहीं की जाती है ?

(३) वर्ष १९६६-६७ व १९६७-६८ एवं १९६८-६९ में किन-किन व्यक्तियों को फियेट कारें एलॉट की गई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या यह सही है कि कई व्यक्तियों को तीन वर्ष पूर्ण नहीं होने पर भी फिर दूसरी फिटए कार एलॉट की गई है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री समरथलाल): (१) सूची संलग्न हैं।

(२) साधारणतया चार वर्ष पूर्व नई कार अलॉट नहीं की जाती परन्तु विशेष परिस्थिति में ऐसा किया जा सकता है।

(३) सूची संलग्न है।

(४) आम तौर पर चार वर्ष पूर्व दुबारा गाड़ी अलॉट नहीं की जाती है। परन्तु मैकेनिकल डिफेक्ट के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो जाने पर कभी-कभी चार वर्ष पूर्व भी दुबारा गाड़ी अलॉट की जा सकती है।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : इसको वापिस बोल दीजिये।

श्री समरथलाल : (१) सूची संलग्न है।

(२) साधारणतया चार वर्ष पूर्व नई कार अलॉट नहीं की जाती।

(३) सूची संलग्न है।

(४) आमतौर पर चार वर्ष पूर्व दुबारा गाड़ी एलॉट नहीं की जाती है परन्तु मैकेनिकल डिफेक्ट के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो जाने पर कभी-कभी चार वर्ष पूर्व भी दुबारा अलॉट की जा सकती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री दिग्विजयसिंह : यह जो विशेष परिस्थितियां बताई हैं इसकी परिभाषा क्या है ?

श्री समरथलाल : किसी में मैकेनिकल डिफेक्ट हो तो उस बारे में सन्तोष होने पर की जा सकती है।

श्री दिग्विजयसिंह : ऐसी सूची में विशेष परिस्थिति के कारण चार सालों के भीतर-भीतर दुबारा अलॉट किसी को किया है ?

श्री समरथलाल : यह तो जो सूची है, उसमें है। आप पढ़ सकते हैं।

श्री भरोंसिंह (किशनपोल) : इस प्रश्न के बारे में कुछ भी सुन नहीं पाये हैं।

श्री अध्यक्ष : यहां तक तो सुनाई दिया है कि सूची संलग्न है।

श्री समरथलाल : आगे यह है (२) साधारणतया चार वर्ष पूर्व नई कार अलॉट नहीं की जाती परन्तु विशेष परिस्थिति में ऐसा किया जा सकता है।

(३) सूची संलग्न है।

(४) आमतौर पर चार वर्ष पूर्व दुबारा गाड़ी अलॉट नहीं की जाती है।

(श्री समरथलाल)

परन्तु मैकेनिकल डिफेक्ट के सम्बन्ध में सन्तुष्ट होने पर कभी-कभी चार वर्ष पूर्व भी दुबारा गाड़ी अलॉट की जा सकती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

इस पर प्रश्न हो रहा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : चार वर्ष पूर्व मैकेनिकल डिफेक्ट के कारण किस-किस को दी गई। इसका उत्तर वे नहीं देना चाहते हैं।

यातायात मंत्री (रामप्रसाद लड्ढा): कई सालों के, अध्यक्ष महोदय, ये मामले हैं। उनको कनेक्ट करके सूची बनाने में काफी समय लगता है इसलिये नहीं दिया है। हमें ऐसे नाम पूरी सूची में से निकालना पड़ता है। पिछले वर्ष से तो मेरी जानकारी में हैं। वह सूची इस समय तैयार नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या इस सूची के अतिरिक्त भी अन्य सूची है जिसको तलाश करना है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सूचियों में है उसमें से ही नाम कम्पेअर करके निकालेंगे तभी तो होगा। ६३ से ६९ तक छः सात सालों की सारी सूची को इकजाई करके दुबारा किस-किस को अलॉट हुई है और किस कारण से हुई है यह तलाश करके लिस्ट बनानी पड़ती है, वह इस समय नहीं है तैयार। इसलिये इस बारे में जल्दी इस समय जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वेरीफिकेशन का प्रोसीजर क्या है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैकेनिकल इन्सपेक्टर्स होते हैं वे डिफेक्ट को देख लेते हैं कि यह डिफेक्ट इस प्रकार का है कि इसके रेस्टोरेशन की पोसिबिलिटी है या काफी खर्चा होने पर भी यह ठीक नहीं हो सकती। तो ऐसे सर्टिफिकेट के आधार पर अपने डिस्क्रिशन का उपयोग करते हुए डाइरेक्टर सन्तुष्ट हो जाता है तो रिकमण्ड कर देता है। तो कार के अलॉटमेन्ट के वक्त ऐसे मामलों को देखकर अलॉट कर देते हैं। नहीं करना होता है तो नहीं करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपके ध्यान में ऐसे केस तो नहीं हैं कि जिनमें मैकेनिकल इन्सपेक्टर की रिपोर्ट डाइरेक्टर को नहीं मिली हो, और फिर भी गाडी अलॉट करदी गई हो?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है। पुराने अलॉटमेन्ट की हिस्ट्री देखकर जानकारी करने में इतना समय नहीं मिला कि सारी जानकारी की जा सके।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस प्रकार का रिकार्ड मेन्टेन कर रखा है जिससे पता लग सके कि अमुक की गाड़ी खराब हो गई थी फलां तारीख को, सर्टिफिकेट दिया गया और उसके आधार पर डाइरेक्टर ने परमिशन दे दी हो?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आमतौर पर ऐसे मामलों में जो एप्लीकेशन्स होती हैं उसमें मैकेनिकल इन्सपेक्टर की फिटनैस वाली बात होती है तो इस पर इन्दराज किया जाता है और इसके आधार पर रिपोर्ट वगैरह को देखकर अलॉटमेन्ट के वक्त विचार करके फिर अलॉटमेन्ट होता है।

मेजर श्री फतहसिंह (ब्यावर) : क्या ऐसे भी उदाहरण हैं कि किसी एक व्यक्ति को एक ही वर्ष में दो कारें अलॉट करदी हों ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा उदाहरण मेरी जानकारी में नहीं है।

मेजर श्री फतहसिंह : मैं उदाहरण देता हूं। आपकी दी हुई सूची के अनुसार १६६७ में सीरियल नम्बर १८ पर पी. सी. बिश्नोई को फियेट कार अलॉट हुई फिर उसी १६६७ में सीरियल नम्बर ६१ पर एक कार और उन्हीं के नाम अलॉट हुई है एक ही वर्ष में दो कारें एक ही आदमी को अलॉट हुई हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्षजी, यह ऐसा होता है जैसे माननीय बाढ़दारजी हैं। उनको तीन महीने पहले भी अलॉट हुई और अब भी अलॉट हुई पर इसमें होता क्या है कि वे अवेल नहीं कर पाते हैं तो दूसरी बार अलॉट कर देते हैं।

मेजर श्री फतहसिंह : आप तो हां या ना में जवाब दीजिये कि यह अलॉटमेन्ट हुआ है या नहीं हुआ है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सात साल से इन्तजार कर रहा हूं।

मेजर श्री फतहसिंह : आप यह बताइये कि क्या परिस्थितियां थीं कि जिसकी वजह से आपने दो बार अलॉटमेन्ट किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं कह रहा हूं एक साल में दो बार नहीं हुई। पहले अलॉटमेन्ट को अवेल नहीं किया दुबारा अलॉटमेन्ट कर दिया।

यह भूल से नाम ऊपर लिखा रह गया है और नीचे भी रह गया।

श्री अध्यक्ष : वह भूल से है, कह रहे हैं। नेक्स्ट श्री कृष्णकुमार गोयल।

मेजर श्री फतहसिंह : अभी अध्यक्ष महोदय और प्रश्न है सन् १६६७ में श्री खेतसिंहजी को दो बार कार अलॉट हुई। एक सिरियल नं० ४१ पर है और उसके बाद एक कार और अलॉट हुई है। यह आप बताइये इसका क्या कारण है। एक ही साल में एक ही व्यक्ति को दो-दो कारें क्यों अलॉट हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया ऐसे केसेज हैं, एक बार अलॉट हुई और उस क्वाटर में नहीं उठाई और दूसरे क्वाटर में उठाई

मेजर श्री फतहसिंह : ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये सारे घोटाले हैं, पक्षपात है इसके अलावा और कोई बात नहीं है। क्या सूचना जो सदन को दी गई है वह गलत है क्या ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हो सकता है टाइप होने में रह गया हो, करेक्शन लिस्ट में नहीं हुआ हो इसलिये ऐसा सम्भव है फिर भी माननीय सदस्य इस पर इनसिस्ट करते हैं तो मैं इस मामले को देखूंगा कि जो मैं कह रहा हूं वह सही है या आप फरमा रहे हैं वह सही है।

मेजर श्री फतहसिंह : नहीं यह गलत है। सन् १६६६ में सीरीयल नं० ५१ पर श्री अमृतलालजी को एक कार अलॉट हुई है

(मेजर श्री फतहसिंह)

और ६८ में सीरियल नं० १३ पर एक कार फिर अलॉट हुई है। क्या यह अलग-अलग दो कारें हैं या एक ही कार है, यह बतायें ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : यह पुराना मामला होने से....

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जिससे हमारा निदान हो जायगा। क्या मंत्रीजी की जानकारी है प्रश्न में पूछा गया है। एक अवधि के अन्दर मंत्री मण्डल के किन्हीं सदस्यों और विधायकों को आप द्वारा निर्धारित कोटा में कई बार एक से अधिक कार अलॉट हुई है और उन्होंने आपकी विना परमिशन के उसे बेची है ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : एक से अधिक कार ६३ से ६९ में अलॉट किया जाना सम्भव है, की गई है इसको मैं इन्कार नहीं करता। लेकिन जिन आधारों पर की गई है वह मैकेनिकल इन्सपैक्टर की रिपोर्ट पर यानि डिफैक्ट्स के आधारों पर की गई है। अब हर एक की हिस्ट्री आज मेरे पास है नहीं।

श्री रामकिशन (वैर) : प्रश्न आया है तो आपको तैयार होकर आना चाहिये था।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : किस आधार पर की गई है, उस बात को आप देखिये।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न पूछने का मतलब कार अलॉट करके उनको एडवान्टेज देना ही तो है, कारों में ब्लेक चलता है। मैकेनिकल इन्सपैक्टर की डिफैक्ट्स की बात बताकर उसको बेच दी जाती है, जिसमें उनको अच्छा मुनाफा मिलता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न पूछने का मकसद यही है और उसकी जानकारी आपके पास नहीं है। मंत्रिमण्डल के किन-किन सदस्यों को एक से अधिक बार कार दी गई है ?

मेजर श्री फतहसिंह : दुबारा किसी व्यक्ति को कार अलॉट की जाती है तो क्या सरकार और अधिकारी गण यह देखेंगे कि एप्लीकेशन्स पेन्डिंग कितनी हैं और उसको देखते हुये ही अलॉटमेन्ट करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : आम तौर पर ऐसा ही करते हैं। आगे भी ध्यान रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष : (माननीय सदस्यों के एक साथ उठने पर) ऑर्डर, ऑर्डर !

मेजर श्री फतेहसिंह : १९६७ में श्री अमृतलाल जी को एक कार अलॉट हुई और ६८ में एक कार फिर अलॉट हो गई। उस समय कोई एप्लीकेशन पैन्डिग थी या नहीं-यह बताइये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

मेजर श्री फतहसिंह : आपको मालूम है बिना एप्लीकेशन के कार अलॉट हुई है। मैंने एक पत्र भी लिखा था और मैंने स्कूटर भी इसलिये लौटा दिया। यह भ्रष्टाचार फैल रहा है, पक्षपात हो रहा है।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : यह पक्षपात नहीं किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम बहुत ध्यानपूर्वक सारी बातों को कन्सीडर करते हुये अलॉटमेंट की कार्य-

Page No 14

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

वाही करने की कोशिश करते हैं और आगे भी करेंगे।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है, राज्य सरकार ने इसी सदन में जानकारी दी थी कि कोई आदमी अलॉटमेन्ट के बाद दूसरी गाड़ी लेना चाहता है तो पहली को सरेण्डर करना पड़ेगा। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि मैकेनिकल इन्सपैक्टर की रिपोर्ट और डायरेक्टर का जो फैसला होता है वह रेकार्ड रखने की बात है, क्या यह रेकार्ड कान्फीडेन्सियल है? और क्या इस रेकार्ड को माननीय सदस्य देख सकते हैं और अगर नहीं दिखाया जा सकता है तो क्या माननीय अध्यक्ष महोदय को यह रेकार्ड दिखाया जा सकता है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: वह इस बात पर आधारित है जब हम मीटिंग में डिसकस करते हैं।

श्री भैरोंसिंह: मैं पूछ रहा उसका जवाब दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: ट्रान्सपोर्ट के दफ्तर में क्या रेकार्ड रहता है इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: रेकार्ड रहता है या नहीं?

श्री अध्यक्षः जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: बिलकुल मसला यही है ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट में मैकेनिकल इन्सपैक्टर रिपोर्ट देता है। उस आधार पर डिसिजन जाता है और अलॉटमेन्ट कमेटी के सामने मामला रखा जाता है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं रेकार्ड मैन्टेन किया जाता है या नहीं। मैं स्वयं अध्यक्ष महोदय, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट में गया हूं और मेरी जानकारी है कि इस प्रकार का रेकार्ड मेन्टेन नहीं किया जाता है। मुझे मत दिखाइये, आप अध्यक्ष को दिखा दें जिन लोगों को गाड़ियां दी गई हैं किस प्रकार अलॉटमेंट कमेटी ने डिसिजन लिया है और दूसरा गाड़ियां सरेण्डर करने का।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: आम तौर पर..

श्री भैरोंसिंह: आम तौर से, खास तौर से ... सरकार के नहीं होते हैं। मिनिस्टर मालूम करें यह किया जाता है या नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: आम तौर पर किया जाता है जो बात गाड़ी को सरेण्डर करने की फरमा रहे हैं, जब परमिशन मांगते हैं बेचने की वह परमिशन कोई मिनिस्टर नहीं देता है। वह परमिशन मिल जाती है तो उसके बाद वह खरीद सकता है चार साल के बाद। चार साल के पहले उसको मैकेनिकल फिटनेस का जो तरीका है जिसके आधार पर या ऐक्सीडेन्ट के आधार पर वह डेमेज हो जाती है तो देते हैं।

श्री भैरोंसिंह: सरेण्डर का?

श्री रामकिशन (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह अलॉटमेन्ट में गड़बड़ी होती है। क्या राज्य सरकार समाजवाद की नीति के अनुसार कार्य करेगी। १००-१५० आदमियों को १५ साल में लगातार घूम-घूम कर अलॉट करते जा रहे हैं, एक बार अलॉट करने के बाद उस व्यक्ति को दुबारा अलाट न किया जाय ऐसा डिसिजन लेगी? यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है। उन्हीं १००-१५० आदमियों को बार-बार क्यों लाभ पहुंचाया जाता है?

Page No 15

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस तरह का ब्लैंक उत्तर दे देना सम्भव नहीं है। इस बात का जरूर प्रयत्न किया जायगा जिसको गाड़ी मिल जाती है और जब तक उसके पास यथेष्ट कारण न हों तबतक दुबारा न दी जाय। स्कूटर दुबारा देने का प्रश्न है ही नहीं। फियेट दुबारा न दी जाय इसका पालन करेंगे, इस बात का मैं आश्वासन देता हूं।

श्री रामकिशन : मैंने यह पूछा है कि १००-१५० आदमियों को आप निरन्तर यह कार देते रहते हैं, १५ वर्ष से बराबर यही हो रहा है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १५ वर्ष तो नहीं हुये हैं।

श्री रामकिशन : १५ वर्ष हैं, आप देखिये। आप लिस्ट देखिये तो आपको मालूम हो जायगा...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं तो डेढ़ साल से आया हूं। वैसे १९६४ से है, पांच साल हुये हैं। पांच साल की बात है, १५ साल की बात गलत है। पांच साल हुये हैं दूसरे माननीय सदस्य को भी यह दी है।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न हर सेशन में आता है। यही क्वेश्चन बार-बार सदन में रिपीट होता है। हम यह चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय, यह आदेश देदें व्हिकल के सम्बन्ध में मैकेनिकल इन्सपैक्टर का सर्टिफिकेट या रिपोर्ट जो भी है यह कम से कम अध्यक्ष महोदय को दिखा दें तो हमको तसल्ली हो जायगी कि इस प्रकार के कागज मेन्टेन किये जाते हैं और मिनिस्टर गड़बड़ नहीं करते हैं।

श्रीरामप्रसाद लड्ढा : I will be more cautious in this respect.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह पेश क्या कर देंगे जब यह कह रहे हैं मेन्टेन ही नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय विश्वास दिला दें कि आगे ऐसा रेकार्ड मेन्टेन होगा या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं अंग्रेजी में बोल गया था इस सम्बन्ध में। अब अधिक सतर्क रहूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, स्वास्थ्य मन्त्रीजी।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर) ऑर्डर प्लीज !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। क्या यह सही है कि ८० प्रतिशत से अधिक उच्च कर्मचारियों और वरिष्ट कांग्रेसी नेताओं को इस कोटे में से मोटरों का अलॉटमेन्ट होता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बिल्कुल गलत है।

श्री नत्थीसिंह : यह कितने प्रतिशत तक सही है ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या सरकार उचित नहीं समझती कि वह कम्पनी के खिलाफ सीरियस एक्शन ले जो इस प्रकार की गाड़ियां आती हैं जिसकी वजह से वापिस उनको लेनी पड़ती हैं ?

श्री भैरोंसिंह : कोई गाड़ियां खराब नहीं होतीं। ज्यादा कीमत पर बेची जाती हैं। एक भी रेकर्ड में बता दें कि जो गाड़ियां

(श्री भैरोंसिंह)

खराब हो गई हों और सैल वैल्यु से कम बिकी हों। सब ब्लैक मार्केट में बिक रही हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रश्न को कई बार उठा चुके हैं। मैं निवेदन कर चुका हूं कि मैं इस सम्बन्ध में काफी सतर्क रहूंगा कि जिससे बार-बार ऐसा न हो।

श्री भैरोंसिंह : अब तो आप सतर्क रहेंगे लेकिन पिछले घोटालों के लिये कौन सतर्क रहेगा ?

श्री दौलतराम सारण : क्या राज्य सरकार अब भविष्य में प्राथमिकता के हिसाब से रेकर्ड मेन्टेन करेगी और प्राथमिकता के हिसाब से ही अलॉटमेन्ट किया जायेगा ? मैकेनिकल इन्सपैक्टर के बहाने से एक-एक आदमी को कई-कई बार गाड़ियां देने की नीति पर पुनर्विचार करके ऐसी स्थिति नहीं आने दी जायेगी, क्या यह आश्वासन देने के लिये तैयार हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नीति तो अच्छी है और उसको हम पालना करेंगे।

श्री अध्यक्ष : (श्री श्रवणलाल, प्रेमसिंह एवं विजयसिंह के बोलते रहने पर) ऑर्डर। माननीय सदस्य, केवल ५ प्रश्न हो पाये हैं। नैक्स्ट, स्वास्थ्य मन्त्रीजी !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय ..

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लिया गया है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माननीय मन्त्रीजी ने....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। स्वास्थ्य मन्त्रीजी !

मेडिकल कॉलेज के रीडर और लेक्चरार पद पर चयन के नियम

३८७. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मेडिकल कॉलेजों में रीडर और लेक्चरार के पद पर चयन किन नियमों के अन्तर्गत किया जाता है ? नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(२) पिछले दो वर्षों में ज्यूरिस-प्रोडेन्स विभाग के लिये उक्त पदों पर किन-किन का चयन किया गया ? चयन किये गये डॉक्टरों को योग्यता के अभाव में भी चुन लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या उक्त डॉक्टर की योग्यता के विषय में छूट देने के लिये राजस्थान विश्व विद्यालय पर गलत तथ्यों के आधार पर दबाव डाला जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या उक्त डॉक्टर की विदेश से प्राप्त कथित योग्यता के प्रमाण-पत्र को इण्डियन मेडिकल कौन्सिल ने मान्यता दे दी है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त डॉक्टर के प्रभावशाली सम्पर्क के कारण उससे अधिक योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की अवहेलना नहीं की जा रही है, उन्हें कई एक झूंठे मामलों में फंसाने का भी कुचक्र किया जा रहा है ?

(५) क्या राज्य सरकार उक्त चयन पर पुनर्विचार करेगी ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

Page No 17

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) राजस्थान मेडिकल कॉलेजों में रीडर और लेक्चरार के पदों पर चयन राजस्थान मेडिकल सर्विस (कोलेजिएट ब्रांच) रूल्स, १९६२ और राजस्थान युनिवर्सिटी रूल्स के अन्तर्गत किया जाता है। इन नियमों की एक-एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने के लिए संलग्न है।

(२) पिछले दो वर्षों में ज्यूरिस-प्रोडेन्स विभाग के लिये उक्त पदों पर निम्नलिखित डॉक्टरों का चयन किया गया है:—

(i) डॉ० एस. एम. दुग्गड़, अस्थायी रीडर आदेश संख्या १७ (४०) एम. पी. एम./६६, दिनांक ११-७-६८ द्वारा।

(ii) डॉ० एच. पी. माथुर, लेक्चरार, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर आदेश संख्या एफ. १७ (५) एम. पी. एच./६७, दिनांक २१-७-६७ द्वारा।

चयन किये गये डॉक्टरों को योग्यता के अभाव में नहीं चुना गया है। केवल डा० एस० एम० दुग्गड़ राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित योग्यता नहीं रखते परन्तु उनके १९ वर्ष के अनुभव और इंग्लैंड की शिक्षा को देखते हुए उनके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डी० एम० जे० (लंदन) को लेक्चरार के पद के लिए यूनिवर्सिटी ने पर्याप्त मान लिया है, परन्तु रीडर के पद के लिये यूनिवर्सिटी ने मान्यता नहीं दी है। अतः डाक्टर दुग्गड़ को लेक्चरार के पद पर नियुक्त किया गया है। ज्यूरिस-प्रोडेन्स में पोस्ट ग्रेजुएट और अनुभवी डाक्टरों का सर्वत्र अभाव है और शिक्षण कार्य के लिये डॉक्टर दुग्गड़ से अधिक योग्य और अनुभवी डाक्टर उपलब्ध नहीं था। अतः शिक्षण कार्य के हित में डाक्टर दुग्गड़ को लेक्चरार के पद पर नियुक्त करना आवश्यक था और राजस्थान यूनिवर्सिटी को इनकी इस नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है।

(३) जी नहीं, यह सर्व विदित है कि इंग्लैंड का डी० एम० जे० डिप्लोमा ज्यूरिस-प्रोडेन्स का फोरेन्सिक मेडिसन में लेक्चरार के पद के लिए अच्छी योग्यता माना जाता है और राजस्थान यूनिवर्सिटी इस डिप्लोमा को लेक्चरार, फोरेन्सिक मेडिसन के पद के लिये पर्याप्त योग्यता मानती है।

(४) जी नहीं, किसी भी अधिक योग्य डाक्टर की अवहेलना का और उनको किसी कुचक्र में फंसाने का प्रश्न नहीं उठता। ज्ञातव्य है कि डा० जगमोहन शर्मा, जो पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता प्राप्त हैं, को राज्य सरकार ने गोआ में राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति की जाने की अनुमति दे दी है और उनको यहां से कार्य मुक्त कर दिया गया है।

(५) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजस्थान यूनिवर्सिटी को योग्यता में रिलेक्सेशन करने के लिए पत्र लिखा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : डॉ० दुग्गड़ के बारे में लिखा था कि इनका डिप्लोमा लेक्चरार के पद के लिए मान्यता रखता है। यह यूनिवर्सिटी से राज्य सरकार ने जरूर पूछा था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जो यूनिवर्सिटी से

Page No 18

(श्री कृष्ण कुमार गोयल) योग्यता को रिलेक्स करने के लिए डॉ० दुगाड़ के बारे में जो उनका अनुभव और योग्यता बताई है वह गलत तथ्यों के आधार पर है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो उन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया है डी० एम० जे० (लंदन) का उसी के आधार पर लिखा गया कि यह डी० एम० जे० का डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट है या नहीं या उनको लेक्चरार बनाया जा सकता है या नहीं। कोई गलत तथ्य नहीं दिए गए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अभी तक डी० एम० जे० के बारे में लन्दन से यह जानकारी प्राप्त नहीं की है कि इसको मान्यता दी जा सकती है या नहीं ? आज तक राज्य सरकार ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं की ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब राज्य सरकार के ध्यान में यह नहीं है कि जो डी० एम० जे० की क्वालीफिकेशन को आपने हाइएस्ट मानकर यूनिवर्सिटी को लिखा है और आज तक राज्य सरकार ने लन्दन से जानकारी नहीं की तो क्या सरकार कह सकती है कि यह सबसे अच्छी योग्यता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी को लिखा कि इनको १९ वर्ष का अनुभव है और डी० एम० जे० की क्वालीफिकेशन रखते हैं तो लंदन की क्वालीफिकेशन है और यूनिवर्सिटी ने कहा कि लेक्चरार के लिए ठीक है बाकी रीडर के लिए उन्होंने नहीं मानी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि डी० एम० जे० की क्वालीफिकेशन लन्दन में रिकग्नाइज्ड नहीं है और इसके लिए अध्यक्ष महोदय मैं आपके सामने एक तो ब्रिटिश मेडिकल इन्स्टीट्यूशन के द्वारा और जनरल मेडिकल कौंसिल (लन्दन) के द्वारा जो मेरे पास जानकारी आई है उसके अनुसार बताता हूँ :

We don't think that the D. M. J. is recognised for registration purposes and the same diploma of medical jurisprudence etc.

यह सूचना मैं दे रहा हूँ और राज्य सरकार के पास कोई दूसरी सूचना नहीं है कि जिसके आधार पर वह कह सके कि डी० एम० जे० की योग्यता बहुत अच्छी है।

श्री अध्यक्ष : यह सूचना किस के नाम पर आई ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह मंगाई थी। जिस समय डॉ० दुगाड़ को रीडर बनाना चाहा और लेक्चरार बताकर यूनिवर्सिटी को उनकी क्वालीफिकेशन जिसको वे फुलफिल नहीं करते उस पोस्ट के लिए उसको रिलेक्स करने के लिए लिखा था तो उसकी जानकारी मंगाई थी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह सूचना माननीय सदस्य मुझे दे दें। इस आधार पर और विस्तृत जानकारी करके यूनिवर्सिटी को लिख दिया जायगा और इसके बारे में निर्णय लिया जा सकता है।

Page No 19

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि डॉ. दुग्गड़ का एजए लेक्चरार का अनुभव जितना आपने बताया उतना नहीं है और जितना होना चाहिए उतना अनुभव नहीं है और राज्य सरकार ने गलत सूचना यूनिवर्सिटी को इस प्रकार से दी है ? राज्य सरकार ने जो सूचना दी है उसमें बताया है कि कैमिकल एग्जामिनर द्वारा आफिशियेटिंग लेक्चरार फ्रौम २७-९-६६ टू १०-७-६७ जब कि २७-९-६६ को यह लेक्चरार भी नियुक्त नहीं हुए थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सदस्य मुझको सारी सूचना दे दें तो इससे सारे कागजात को वैरीफाई कराके मैं स्वयं इसके बारे में जानकारी करके आपसे और बात कर लूंगा कि क्या स्थिति है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मुझको जानकारी है वह मैंने मंत्री महोदय को दी है उस संबंध में जो जानकारी मैं दे रहा हूं वह सदन के सामने दे रहा हूं । इसमें योग्यता बताई है यूनिवर्सिटी को वह २७-९-६६ से अनुभव बताया है जब कि फैक्ट यह है कि पहला अपाइन्टमेन्ट २५ अक्टूबर, ६६ को हुआ है और इसके बाद एक साल के लिए इनका ब्रेक हुआ है जब कि गोआ जाने वाले डॉ. शर्मा जिनको वहां हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट बताया है उनकी जगह अपोइन्ट किया था, इनके एक्सपीरीयेन्स में एक साल का ब्रेक आया है और आपने कहा है कि इस पीरियड में लेक्चरार का अनुभव है तो मेरा कहना है कि उस पीरियड में तो लेक्चरार भी अपाइन्ट नहीं हुए थे।

श्री अध्यक्ष : आप यह तथ्य मंत्री महोदय को सप्लाई कर दें वे उस पर री-कन्सीडर करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रश्न केवल यह कह देना कि मुझे तथ्य दिये जायें और मैं जानकारी करूंगा यह सारे तथ्य राज्य सरकार को जानकारी में हैं और केवल डॉ. दुग्गड़ को एडवान्टेज देने के लिए किया गया है और यह डॉ. दुग्गड़ वही हैं जिन्होंने बेरो कमीशन में आउट ऑफ दी वे जाकर हैल्प की है और मिस्टर शर्मा जो गोआ गये हैं इसी सरकार ने उनके अधिकारों को मारा है।

श्री अध्यक्ष : और क्या निराकरण का उपाय है ? जितने तथ्य दे रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी को उनके संदर्भ में वे उनको री-कन्सीडर करेंगे। यही उत्तर हो सकता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह विश्वास दिलाया जाये कि जो जानकारी मैंने दी है, उस आधार पर यह राज्य सरकार विचार करके निर्णय लेगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने खुद ही कहा है तथ्यों की जानकारी करके, विचार करके कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न । समय के पश्चात् जो बच जायेंगे वह ले ये जायेंगे खाद्य मन्त्री महोदय।

श्री लादूराम सुलाणिया (फागी-सु.) : सारे प्रश्नों में मेरे प्रश्न पीछे की तरफ छूटते

Page No 20

(श्री लादूराम सुलानिया)

हूँ और एक भी प्रश्न आज तक नहीं आया है। मैं नम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे प्रश्नों को लेने का अवसर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : जितने प्रश्न अवशेष रहेंगे, उनको समय के पश्चात् लेने का प्रयास करूंगा अभी स्थगित प्रश्न ले रहा हूं। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। मन्त्री महोदय।

तहसील परबतसर के ग्रामों में चीनी का वितरण

१३१. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु.) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम हरनावा रावडियावास, दौलिया व पीलवा, रुडहडी तहसील परबतसर, जिला नागोर के लिये जो शक्कर का कोटा निर्धारित है वह जनता को वितरित नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? जो शक्कर वितरित नहीं की गई है वह किस-किस माह में उठायी गई थी ?

(२) क्या इन शक्कर वितरण करने वालों के खिलाफ जनता की शिकायत है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-मन्त्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह) :

(१) ग्राम हरनावा, रावडियावास, दौलिया व पीलवा, रुडहडी में जून, जुलाई तथा अगस्त की चीनी मिलों से प्राप्त नहीं होने के कारण वितरित नहीं कराई जा सकी है ?

(२) ग्राम पीलवा के अतिरिक्त अन्य ग्राम के विक्रेताओं के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है ? जांच के परिणामस्वरूप ग्राम हरनावा, रावडियावास एवं धोलिया के विक्रेताओं को हटा दिया गया है। ग्राम रोहिन्डी के विक्रेता के विरुद्ध अभी जांच चल रही है।

श्री परसराम गंगाराम : ग्राम रोहिंडा में जो शक्कर पकड़ी गयी है, तहसीलदार द्वारा वह तहसीलदार के कब्जे में कितने दिन रही और उसको कब गिरफ्तार किया और उसके कागजात कब एस. डी. ओ. को पेश किये गये ?

श्री रामदेवसिंह : २७-६-६९ को हुई है। तहसीलदार को रिपोर्ट प्राप्त हुई है शिकायत के बारे में और जांच का परिणाम आने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री फूलचन्द बाफना।

श्री परसराम गंगाराम : वो वापिस क्यों ?

श्री अध्यक्ष : अब मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

मन्त्री महोदय !

एक्सप्रेस बसों का किराया

१३२. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तखतगढ़, जिला पाली की एक सार्वजनिक संस्था जागृति संघ ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,

Page No 21

(श्री फूलचन्द बाफना)

जोधपुर को तारीख २४-२-६९ को एक्सप्रेस बसों द्वारा निषिद्ध गांवों में स्टाफ के विषय में एक प्रार्थना पत्र जागृति संघ के क्रमांक ५९ तारीख १-२-६९ के क्रम में भेजा? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

(२) क्या यह सही है कि एक्सप्रेस बस एवं लोकल (साधारण) बस के किराये में फर्क है? यदि हां तो फर्क कितना और क्यों है?

(३) एक्सप्रेस बस एवं लोकल बस में अन्य किस-किस बात का फर्क है?

(४) क्या राज्य परिवहन की बसों में एक्सप्रेस व साधारण बसों की व्यवस्था है और उनके किराये में भी फर्क है? यदि नहीं, तो प्राइवेट बसों में ऐसी व्यवस्था का कारण क्या?

(५) क्या यह सही है कि फालना, जालोर एवं सुमेरपुर-जालोर रूटों पर एक्सप्रेस बसें वास्तव में लोकल बसों की तरह चलती हैं परन्तु किराया चार पैसे प्रति किलोमीटर वसूल किया है? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री मुलकराज चिंद):

(पहली बार पढ़ा, धीमी आवाज में बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : वापस बोल दें। आपका मुंह माइक से दूर है। उसको पास लेकर वापिस बोल दें।

(१) जी हां। जांच की जा रही है।

(२ व ३) साधारण बसों में ३ पैसे प्रति किलो मीटर प्रति यात्री की दर से व एक्सप्रेस बसों में ४ पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री की दर से प्रथम १२० किलो मीटर तक किराया लिया जाता है। जिससे अधिक दूरी के लिए दोनों दशाओं में समान किराया लिया जाता है। इस प्रकार १०० कि० मी० तक एक्सप्रेस बसों में १ पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री अधिक किराया लिया जाता है, क्योंकि ये बसें रास्ते को सवारियां नहीं उठा पाती हैं।

(४) जी हां फर्क है।

(५) जी नहीं। एक्सप्रेस बसें वास्तव में एक्सप्रेस की तरह ही चलती हैं इसलिए किराया ४ पैसे प्रति किलो मीटर है। यदि कोई शिकायत हो तो जांच की जा सकती है।

श्री फूलचंद बाफना : एक प्रश्न का उत्तर बाकी है। सरकारी बसें जो अजमेर से जयपुर आती हैं उनमें साधारण बसों में और एक्सप्रेस बसों में कोई फर्क नहीं रहता है तो प्राइवेट बसों को क्यों इजाजत है कि वे फर्क रखें?

यातायात मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): माननीय अध्यक्षजी, जहां तक किराये का प्रश्न है, गवर्नमेन्ट ने उसे निर्धारित कर दिया है, चाहे साधारण बस हो, चाहे एक्सप्रेस गाड़ियां हों। जो भी निर्धारित किया है उसमें प्राइवेट और रोडवेज की बसों के किराये में अन्तर नहीं है कानून की दृष्टि से। यदि कहीं कोई इस निर्धारित किराये से अधिक वसूली करता है या लेता

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है तो उसकी जानकारी होने पर या प्राप्त करने पर या शिकायत आने पर उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। जहां तक किराये के भिन्न का सवाल है, एक्सप्रेस या जिन-जिन गाड़ियों का वर्णन इस प्रश्न के सम्बन्ध में आता है, उसमें अगर आप देखें तो साधारण बसेज का स्टापेज कितना है और एक्सप्रेस गाड़ियों का स्टापेज कितना है। एक्सप्रेस बसेज का स्टापेज जैसा जालोर से चलती है १३ स्टापेज हैं और दूसरी साधारण गाड़ी का जो जालोर से एरिनपुरा चलती है १५ स्टापेज हैं साधारण गाड़ियों का। इसी तरह से जालोर-एरिनपुरा के ८ स्टापेज हैं एक्सप्रेस गाड़ी का और १२ स्टापेज हैं इसी तरह की साधारण गाडियों का। ये बसेज हर स्टापेज पर ठहरतीं है और मुसाफिर को देरी से पहुँचना पड़ता है। एक्सप्रेस कम जगहों पर ठहरती है। कई जगह मुसाफिर वह सुविधा प्राप्त नहीं कर सकता और इस सुविधा का लाभ जिनको मिलता है, वह उनको नहीं मिल पाता है, इस दृष्टि से १०० किलोमीटर तक यह डिस्टींक्शन कानून के अन्तर्गत रूल्स में कर दिया है। इसके विपरीत कोई करता है, या अधिक ठहरता है या निर्धारित स्थान पर नहीं जाता तो शिकायत आने पर उसके खिलाफी कार्यवाही हुई है।

एक माननीय सदस्य : Reply should be short and sweet.

श्री अध्यक्ष : Sweet but not short.

श्री फूलचंद बाफना : जयपुर को अजमेर से जो बसें आती हैं, सरकारी, उनमें कोई फर्क नहीं है। साधारण और एक्सप्रेस एक समान हैं। जब एक्सप्रेस का किराया और साधारण बस का किराया एक है, सरकारी बसों का तो जहां तक इस रूट में फालना-जालोर-सुमेरपुर में ४ पैसा प्रति किलोमीटर एक्सप्रेस को किराया देंगे और साधारण बस में भी वहीं देंगे तो साधारण और एक्सप्रेस में क्या फर्क है। बार-बार शिकायत करना जनता के लिये सम्भव नहीं है। इसलिये सरकारी बसों का जैसा इन्तजाम चलता है उसी प्रकार वहां पर भी चले और इस फर्क को मिटा दें। साधारण और एक्सप्रेस में सिर्फ गति का ही फर्क है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कानून की दृष्टि से लिखा गया है लेकिन कानून का उल्लघंन करने पर, यह जो फर्क रखा गया है उसकी जांच की जा सकती है और इसकी व्यवस्था की जरूरत है।

श्री विजयसिंह मकराना : माननीय सदस्य फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं और ये जो गाड़ियां हैं, ये थर्ड क्लास से भी गई गुजरी हैं, इसलिये यह माननीय सदस्यों की सुविधा का प्रश्न है ..

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य।

नैक्स्ट। श्री जुझारसिंह।

ग्राम सलोनियां के सरपंच के विरुद्ध जांच

१३३. **श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) :** क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सलोनिया पंचायत समिति, पिड़ावा, जिला

(श्री जुझारसिंह)

झालावाड़ के सरपंच के विरुद्ध घोर अनियमितता के चार्जेज जांच हेतु विचाराधीन हैं ? यदि हां तो कब से ? और क्या कार्यवाही की गई है ?

(२) क्या यह सही है कि सलोनियां के सरपंच राज्य मन्त्रिमण्डल में उप-मन्त्री बन गये हैं और बहैसियत मन्त्री पिछले डेढ़ साल से पचायत की मीटिंगों में भाग लेते आ रहे हैं ? कृपया इनके मन्त्री बनने के बाद से इन्होंने कब-कब कितनी मीटिंगों में भाग लिया व कितनों में कोरम पूरा हुआ ? तारीखवार बताने की कृपा करें ।

(३) क्या यह सही है कि उप-मन्त्री ने पंचायत की मीटिंगों में भाग लेने के समय का व उनमें आने-जाने का मन्त्री की दर से भत्ता उठाया है ? यदि हां, तो कब-कब और कितना ?

(४) क्या एक सरपंच मन्त्री बन जाने के बाद भी सरपंच रह सकता है ? यदि हां, तो नियमों के अधीन वह पंचायत की मीटिंगों में भाग लेने के समय किन नियमों से भत्ता उठावेगा ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) सरपंच के विरुद्ध अनियमितता के मामले में वस्तुस्थिति की जांच की जा रही है ।

(२) जी हां किन्तु बहैसियत मन्त्री पंचायत की किसी मीटिंग में भाग नहीं लिया ।

(३) जी नहीं ।

(४) इस सम्बन्ध में विधि विभाग से राय मांगी जा रही है ।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पूछा गया था कि सरपंच मीटिंग अटेन्ड करने कब-कब वहां गये और कितनी मीटिंगें अटेन्ड कीं ?

पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : उप-मन्त्री बनने के बाद एक भी पंचायत की मीटिंग में भाग नहीं लिया ।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो मीटिंग अटेन्ड की है वह बहैसियत मन्त्री अटेन्ड नहीं की है ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार को बी. डी. ओ. और विकास अधिकारी के जरिये जो सूचना प्राप्त हुई है, उसी के आधार पर मैं यह कह रहा हूं । उसमें यह है कि एक भी मीटिंग में डिप्टी मिनिस्टर बनने के बाद भाग नहीं लिया है ।

श्री जुझारसिंह : अभी सरपंच हैं सलोनियां पंचायत के ? नहीं तो कौन है ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे ऐसी सूचना मिली है कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है ।

श्री जुझारसिंह : कब दिया है ? कौनसी तारीख को ?

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी मैं नहीं दे सकूंगा । मुझे उप-मन्त्रीजी ने बताया है कि उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है । जो पंचायत को दिया था, वह ग्राम पंचायत में पहुंचा या नहीं, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है । लेकिन उन्होंने रेजिग्नेशन डिप्टी मिनिस्टर बनने के बाद दे दिया और डिप्टी

Page No 24

(श्री परसराम मदेरणा)

मिनिस्टर बनने के बाद एक भी मीटिंग में भाग नहीं लिया। पंचायत के रजिस्टर, कार्यवाही या उसकी प्रोसीडिंग्स में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है।

(१२.०० मध्याह्न)

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा में गलत जवाब दिया जा रहा है। इस प्रकार का एक प्रश्न मैंने एक साल पहले पूछा था और उसके जवाब में इन्होंने उनके मीटिंग अटेन्ड करने की सूचना दी है वे डेट्स इस विधान सभा में आ चुकी हैं। जब मैंने पिछले टाइम प्रश्न किया था तब भी मैंने डेट्स दी थीं कि इन तारीखों में मन्त्री महोदय ने वहां पर मीटिंग्स अटेन्ड की थीं और उनमें ८ मीटिंगों में तो कोरम था और ७ मीटिंगों में कोरम नहीं था। इस प्रकार की डिटेल्ड इन्फार्मेशन विधान सभा में विभाग द्वारा मुझे दी जा चुकी है और साल भर पहले की मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी तो उसके जबाब में आप कहते हैं कि बिल्कुल ही मीटिंग्स अटेन्ड नहीं की गई हैं, यह कहां तक सही है ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वह गांव गये या नहीं तो गांव गये हैं यह बात सही है।

श्री जुझारसिंह : विधान सभा में पिछले साल जो आपने मुझे जवाब दिया था वह सुनाया था कि इन्होंने १३-२-६८ को मीटिंग अटेन्ड की है, फिर २८-२-६८ को अटेन्ड की है, २७-२-६८ को, १६-२-६८ को, २-४-६८, ६-४-६८, ४-६-६८, ८-६-६८, १०-६-६८, ४-७-६८ को इस तरह से १५ मीटिंग्स अटेन्ड की हैं, १६-८-६८ तक। इस प्रकार की सूचना आपके विभाग द्वारा दी गई है। आज यह प्रश्न पूछा जाता है कि उसमें इस प्रकार की डेट्स मांगी थीं कि कितनी मीटिंग्स अटेन्ड की हैं तो आप कहते हैं कि मन्त्री बनने के बाद में मीटिंग ही अटेन्ड नहीं की। यह आपका जवाब गलत है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : ये जो मीटिंग्स अटेन्ड की हैं वे एज ए सरपंच की हैं या उनको सिखलाने के बतौर पर किया करते थे ?

श्री परसराम मदेरणा : १३-२-६८ से २६-८-६८ तक ग्राम पंचायत सलोनियां की १६ बैठकें हुई हैं। जो डेट्स आप बता रहे हैं वे १६ बैठकें इनमें आ जायेंगी। यह जानकारी मुझे कल मिली है। आगे क्या जानकारी दी यह मुझे याद नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि वह जानकारी इस सम्बन्ध में हो कि वह अपने गांव कब-कब गये हैं तो गांव तो कई दफा गये हैं।

श्री जुझारसिंह : इसी जवाब में यह मन्जूर किया गया है। मैंने यह पूछा था कि क्या वे मन्त्री बनने के बाद भी सरपंच का काम करते रहे। इस पर उन्होंने जवाब दिया है 'जी हां' लेकिन साथ ही साथ यह लिखा है कि इन्होंने बहैसियत सरपंच के मीटिंग्स अटेन्ड की हैं और मन्त्री की हैसियत से मीटिंग्स अटेन्ड नहीं की हैं। जवाब से यह साफ है कि मन्त्री और सरपंच दोनों साथ साथ चले आ रहे हैं। हालांकि मीटिंग अटेन्ड की है, लेकिन वह बहैसियत मन्त्री के अटेन्ड नहीं की है। इसलिये आपने जो जवाब में यह बताया है वह कहां तक सही है कि वे आज सरपंच नहीं हैं।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि पंचायत कानून के अनुसार यदि निरन्तर ५ मीटिंगों में सरपंच उपस्थित नहीं हो तो वह डिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है ?

श्री परसराम मदेरणा : कुछ मीटिंगें अटेण्ड नहीं करें तो। मुझे इस वक्त याद नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : पांच मीटिंगें।

श्री भैरोंसिह : निरन्तर ५ मीटिंगें।

श्री परसराम मदेरणा : पांच मीटिंगें लगातार वह अटेण्ड नहीं करें और लगातार अटेण्ड नहीं करने के कोई ऐसे कारण हों...

श्री रामकिशन (वैर) : कारण की कोई बात नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : जिनको वह एक्स्प्लेन कर सके। आप देख लें।

श्री रामकिशन : हमारा तो रात-दिन काम पड़ता है।

श्री परसराम मदेरणा : लॉ ऑफ लिमिटेशन्स के अन्दर भी यदि अपील नहीं करता है और दावा नहीं करता है, लेकिन ऐसे कारण हैं कि जिन कारणों की वजह से अपील नहीं की गई हो या रिवीजन नहीं किया हो, या रिव्यू नहीं किया गया हो तो कोर्ट लिमिटेशन्स के पीरियड को भी रिलेक्स करती है। कोई आदमी बीमार है या दूसरे कारण हैं...

श्री नत्थीसिंह : क्या यह तथ्य है कि उन्होंने मीटिंग से गैर हाजिर होने की इजाजत मांगी थी और मांगी थी तो किस स्थिति में मांगी है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सवाल तो यह है, अध्यक्ष महोदय, कि १७-२-६८ के बारे में जो आपने जवाब दिया है कि ब हैसियत सरपंच के उन्होंने ये तमाम मीटिंगें अटेन्ड की हैं और अब आप उत्तर दे रहे हैं कि उसके बाद में मीटिंगें अटेण्ड की ही नहीं तो इनमें से कौन सी बात सही है ?

श्री परसराम मदेरणा : पहली वाली बात के लिए मुझे माफ करेंगे कि वह मेरे सामने का प्रश्न नहीं है मुझे याद नहीं है कि क्या जवाब दिया गया और क्या नहीं दिया गया। उसमें दोनों ही प्रश्नों के उत्तर को देख कर मैं जवाब देना पसन्द करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो इसको पोस्टपोन कर दें।

श्री परसराम मदेरणा : स्थगित कर दें। इसमें कोई बात नहीं है। पहले वाला हो सकता है कि जानकारी बैठकों के अनुसार लिख दी हो कि इतनी पंचायतों की बैठकें हुई हैं। उसके आधार पर क्वश्चन की जानकारी दी गई हो। क्वेश्चन में स्पेसि-फिकली पूछा गया है कि इनके खिलाफ कुछ चार्जेज हैं दूसरे कॉलम (१) में उसके सम्बन्ध में जिलाधीश से मैंने बात की थी तो जैसा कि मुझे बताया गया है पहले एन्क्वायरी हुई थी और उस एन्क्वायरी की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास नहीं आई है। बार-बार यह आरोप है। उनके बारे में प्रारम्भिक जांच हो गई है और जांच होने के बाद रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के बाबत मेरे पास वह तीन दिन के भीतर आ जाय इस प्रकार के आदेश जिलाधीश झालावाड़ को दिये हैं।

Page No 26

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा है कि ये जांच करायेंगे तो पहले प्रश्न के बाद और आज के प्रश्न के जवाब के बाद पंचायत की कार्यवाही का रजिस्टर तो नहीं बदला गया है ?

श्री रामनारायण चौधरी : उप-मंत्री के सरपंच रहने में कोई कानूनी दिक्कत है क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह प्रश्न तो बाद में खड़ा होगा। पहले तो यह पता लगायें कि वे दोनों हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है। पंचायत के नियमों के मुताबिक एक सरपंच को अपनी पंचायत क्षेत्र में १८० दिन तक रहना अनिवार्य है क्या ? मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिस पीरियड की तारीखें बताई थीं उस वक्त १८० दिन तक क्षेत्र में रहे थे ?

श्री अध्यक्ष : यह कानूनी प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्रीजी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि आपने यह प्रश्न जिस दिन स्थगित किया था उस दिन यह उत्तर सदन में दिया था कि ये सरपंच की हैसियत से काम कर रहे हैं और ब हैसियत मंत्री के वहां नहीं गये और बहैसियत सरपंच वहां गये थे, तो क्या आपने यह उत्तर दिया था 'स्थगित किया प्रश्न' उस दिन।

श्री परसराम मदेरणा : मंत्री उस दिन भी रहे और आज भी बहैसियत मंत्री दिया है कि बहैसियत मंत्री के वे नहीं गये थे। आपने पूछा था कि बहैसियत मंत्री गये क्या तो मैंने कहा कि ब[हैसियत] मंत्री नहीं गये थे।

श्री दौलतराम सारण : आपने जवाब दिया है कि बहैसियत सरपंच गये थे मंत्री नहीं गये थे और माननीय प्रश्नकर्ता ने यह आपसे पूछा था और स्पेसिफिकली कुछ डेट्स दी थीं कि इन-इन डेट्स के हिसाब से वे वहां गये तो आपने कहा था कि गये होंगे लेकिन वे सरपंच की हैसियत से गये और मंत्री की हैसियत से नहीं गये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात कही थी...

श्री रामनारायण चौधरी : गांव जाने की बात कहीं और गांव जाने के बाद बहैसियत सरपंच के मीटिंग अटैन्ड की है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : हम माननीय मंत्रीजी का जवाब चाहते हैं रामनारायणजी चौधरी का जवाब नहीं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, हम रामनारायणजी चौधरी से जवाब मागें या माननीय मंत्रीजी से।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) ऑर्डर; ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह उचित नहीं है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर; माननीय सदस्य !

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : मंत्री महोदय नहीं हैं.... (शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात कही थी कि वे गये होंगे तो मेरा मतलब यह था कि उस वक्त की जानकारी

(श्री परसराम मदेरणा)

के आधार पर कहा था और यह बात मैंने सदन में कही थी कि माननीय मंत्रीजी झालावाड़ गये हैं वहां पर बाढ़ आ गई है तो उसकी जानकारी करने के लिए गये हैं कि कितनी क्षति हुई है इसलिए पूर्ण जानकारी नहीं कर सका हूं। उनसे जानकारी की तो कहा कि मैंने कोई मीटिंग अटेण्ड नहीं की। उसके बाद में विकास अधिकारी, डिप्टी बी० डी० ओ० से बात की कि यह बात सही है कि नहीं तो उन्होंने कहा कि मीटिंगें अटेन्ड नहीं की है तो उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सरपंच के पद से त्याग-पत्र कब प्रस्तुत किया ? क्या मंत्री बनने के बाद और त्याग-पत्र देने के बाद ये कभी भी पंचायत की मीटिंग में नहीं गये और बहैसियत सरपंच के मीटिंग इन्होंने अटेन्ड नहीं की, यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : इसमें कई प्रश्न पैदा होते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतायेंगे, कि यदि कोई मिनिस्टर पंचायत के सरपंच की हैसियत से काम करता है तो मिनिस्टर के प्रिविलेजेज खत्म हो जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : कानूनी मसला है।

श्री परसराम मदेरणा : यह कानूनी मसला है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : सरपंच हो या मिनिस्टर ...

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री परसराम मदेरणा : कानूनी तौर पर वे मिनिस्टर हैं। यह मामला मैंने लॉ डिपार्टमैंट को जून के महीने में रेफर कर दिया था। लीगल डिपार्टमैंट की सम्मति अभी नहीं आयी है। उसकी राय आयेगी तो सदन को जानकारी दे सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आॅन ए प्वॉइंट आॅफ आॅर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : प्वॉइंट आॅफ आॅर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : यह माननीय सदस्य के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा जा रहा है। आप अनुमति दें तो वह स्वयं ही उत्तर दे दें। उनके सम्बन्ध का मामला है। पता लग जायगा। वह बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर! माननीय सदस्य!

मैं अनुमति दे सकता था, उनको अपनी स्थिति एक्सप्लेन करने के सम्बन्ध में। लेकिन इस प्रश्न को देखते हुए यदि वह एक्सप्लेनेशन दें तो भी यह सदन शायद सन्तुष्ट नहीं हो सकता है। इस प्रश्न में कई पूरक प्रश्न पैदा हो गये हैं। कुछ पूरक प्रश्न पहले के प्रश्न से सम्बन्धित हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे केवल अपना स्टेटमैंट दे दें। हम पूछेंगे कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैं वह समझ रहा हूं। मैं इस सारे प्रश्न पर जो कई माननीय सदस्यों ने अटेम्ड किया, यह तथा पहले जो उत्तर दिये गये, दो चार कानूनी मसले सम्बन्धित हैं। इसलिए पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका दूं वह तो इस समय नहीं दे सकते हैं।

Page No 28

(श्री अध्यक्ष)

मैं इस प्रश्न को माननीय मन्त्री महोदय के द्वारा पहले की प्रोसीडिंग रेफर करके, माननीय सदस्य कुंभारसिंह जिन्होंने यह प्रश्न पूछा था, उनके स्पष्टीकरण को देखते हुए यदि पुनः स्थगित करूंगा और स्थगित किया तो माननीय मन्त्री महोदय को उस वक्त मौका दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : उस वक्त मौका देंगे वह तो ठीक है। लेकिन...

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न के पीछे ८ प्रश्न हैं। अभी एक प्रश्न विशेषाधिकार का है जो आनेवाला है। वह अधिक महत्वपूर्ण है।

श्री नत्थीसिंह : यह राजनैतिक आचरण का प्रश्न है। यह सबसे ज्यादा महत्व पूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : अब इस प्रश्न को लेने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा निवेदन सुनलें, अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मन्त्री से न तो कोई प्रश्न पूछेंगे न कोई सवाल चाहेंगे। क्वेश्चन करने की आवश्यकता पड़ी तब भी टालने की कोशिश करेंगे। फिर यह क्वेश्चन सदा के लिए समाप्त हो जायगा। वे खड़े होकर कहदें कि वे किस हैसियत से गये थे। उनके मुखारबिन्द से कोई शब्द निकलेंगे तो वह हमारे लिए अमृत होंगे।

श्री चुन्नीलाल बाढ़दार, : आप तो कानून के ज्ञाता हैं, अध्यक्ष महोदय। जो स्थिति है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ! यहां आकर सब भूल जाता हूं ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री दौलतराम सारण : तीन मुद्दे हैं। वह सारे यह हैं, कि त्याग-पत्र कब दिया ? कितनी मीटिंगें अटेण्ड की हैं सरपंच की हैसियत से ?

श्री अध्यक्ष : यह आ चुका है। माननीय सदस्य।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह, (डूंगरपूर): एक सप्लीमेंट्री मैं पूछना चाहता हूं। क्या सरकार यह उचित समझती है कि एक सरपंच जो मन्त्री बन जाता है, तो बिना कन्वेंशन के उसी वक्त सरपंच पद से त्याग-पत्र दे देना चाहिए ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न मेरे से पूछा गया। उत्तर उप-मन्त्री से चाहते हैं।

श्री मदनसिंह : ऑन ए प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर सा, अध्यक्ष महोदय, यह सवाल जिस व्यक्ति से है, सदन के अन्दर है। बोल सकता है...

एक माननीय सदस्य : नहीं बोल सकता है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सदन के अन्दर वह व्यक्ति है। यह उनके लिए भी प्रिविलेज है....

श्री अध्यक्ष : यह प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री मदनसिंह : कानून की दृष्टि से मैं यह ऐलान करता हूं कि वे सरपंच नहीं हो सकते हैं।

(श्री मदनसिंह और श्री परसराम मदेरणा एक साथ बोलने लगे)

Page No 29

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय मन्त्री महोदय !

इस प्रश्न पर कई प्रश्न माननीय उप-मन्त्री से सम्बन्ध रखते हैं। मैंने पहले ही सम्बन्धित माननीय उप-मन्त्री को संकेत दिया था कि उनके पर्सनल इश्यू पर सम्भवतया उनको स्पष्टीकरण देना पड़े।

(विपक्ष द्वारा हर्ष ध्वनि)

अभी वाक्य समाप्त नहीं किया है। (शोरगुल) इस स्थिति में यह प्रश्न पर्सनल एक्सप्लेनेशन का है। यदि उप-मन्त्री चाहें, स्पष्टीकरण देना तो तमाम प्रश्न जो उनसे सम्बन्धित है, उनके लिए समय दिया जा सकता है। और, वह अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं।

श्री नाथूसिंह : यदि उप-मन्त्री महोदय में साहस नहीं हो तो बात दूसरी है।

(शोरगुल)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर !

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पॉइंट ऑफ ऑर्डर यह है अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी है, व्यवस्था जिस व्यक्ति पर दी गई है, उसे ही कहना चाहिए, सदन यह टोलेरेट नहीं कर सकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह रपीटेड पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं दो दिन के भीतर..........

(श्री मदनसिंह बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज !

श्री मदनसिंह : पैसा नष्ट कर रहे हैं। मन्त्री पद को वह.........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! मैंने रूल आउट किया है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर को।

ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री मदनसिंह : अगर इस उत्तर से....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! ऑर्डर ऑर्डर ! येस।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का यह मामला है। पंचायत की कार्यवाही के जो रजिस्टर हैं, वह मैं कल शाम तक मंगा लूंगा.......

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, वह बोलना चाहते हैं।

श्री मदनसिंह : यह हमारा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें। माननीय विजयसिंह ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : जनता की खून-पसीने की कमाई को वह खा जाय....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

Page No 30

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह मसला इतना सरल नहीं है जितना हल्का माननीय मन्त्रीजी ले रहे हैं। यह गम्भीर मसला है, राज्य के मंत्रिमण्डल का एक सदस्य सरपंच की हैसियत से काम रहा है और मन्त्री की हैसियत से टी. ए., डी. ए. उठा रहा है—यह मिस-कन्डक्ट है.......

श्री मूलचन्द डागा : यह मिस-कन्डक्ट की तारीफ में कैसे आयेगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी जल्दी आप इसके बारे में धारणा नहीं बनायें। अगर बाद में मिस-कन्डक्ट की तारीफ में नहीं आयेगा तो नहीं आयेगा, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि मिस-कन्डक्ट की तारीफ में इसलिए आता है कि जब पंचायत के सरपंच हैं तो टी.ए., डी.ए. ड्रॉ वह सरपंच की हैसियत के अनुसार ही कर सकते हैं, मिनिस्टर की हैसियत से नहीं कर सकते। मिनिस्टर या एम. एल. ए. इप्सो-फैक्टो या एक्स ऑफिशियो ऑफिस बियरर ग्राम पंचायत का नहीं होता है, अगर जिला परिषद् के अन्दर कुछ होते, जिला परिषद् में मेम्बर हो गये होते तो वह बात समझ में आ सकती थी लेकिन ग्राम पंचायत में सरपंच रह कर मन्त्री पद के अनुसार इन्होंने जो टी. ए., डी. ए. ड्रॉ किया है, वह करके इन्होंने मिस एप्रोप्रिएशन किया है, एम्बेजलमेंट किया है, गबन किया है और गलत तरीके से सरकारी खजाने के पैसे का उपयोग किया है, इसलिये उप-मन्त्रीजी को इस सदन में खड़े होकर, जैसा कि अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा, उस तरह से स्पष्टीकरण देना चाहिए। ऐसा वह नहीं करते हैं तो इस हाउस का यह इम्प्रेशन है कि मन्त्री पद पर रह कर इन्होंने सरकारी खजाने के पैसे को नाजायज तरीके से लिया है और एक मिस-कण्डक्ट किया है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इन्होंने मन्त्री पद के रूप में लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गलत, बिल्कुल गलत लिया है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, मैंने जैसा निवेदन किया, अगर वह चाहें तो एक्सप्लेनेशन दे दें, न चाहें तो कह दें कि मैं अभी स्पष्टीकरण देने की स्थिति में नहीं हूं। (व्यवधान) ऑर्डर प्लीज !

श्री कन्हैयालाल पटेल (उप-मन्त्री, वन) : अध्यक्ष महोदय.......

कई माननीय सदस्य : जोर से।

श्री परसराम मदेरणा : जोर से बोल रहे हैं।

श्री विजयसिंह : जोर से बोलिये, गणपतिजी !

श्री कन्हैयालाल पटेल : वैसे तो पंचायत मंत्रीजी ने पंचायत की मिटिंग के बारे में जानकारी दी है रिकार्ड के आधार पर......

श्री भैरोंसिंह : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप बन्द करें बोलना तो आवाज आ जायगी।

श्री कन्हैयालाल पटेल : और भी इस मामले में मुझसे स्पष्टीकरण चाह रहे हैं वह मैं इस हाउस के अन्दर कल या परसों...

Page No 31

कई माननीय सदस्य : क्या कहा ?

श्री परसराम मदेरणा : परसों ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या कहा ?

श्री नत्थीसिंह : तब तक सारे कागज बदल जायेंगे ।

श्री कन्हैयालाल पटेल : परसों स्पष्टीकरण दे दूँगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय सदन की जानकारी के लिए उप-मंत्री कन्हैयालालजी ने जो इन आरोपों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया है, वह क्या दिया है ? है क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उप-मंत्रीजी ने स्पष्टीकरण के बारे में यह कहा है कि इस वक्त वह इस स्थिति में नहीं है कि पूरा स्पष्टीकरण करें इसलिए परसों वह सारी स्थिति का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार है इस सदन के प्रांगण पर । ऑर्डर प्लीज ! मैं इस सारी स्थिति में उप-मंत्री महोदय ने जैसा कहा है कि परसों स्पष्टीकरण करेंगे । इसका मतलब, कोई मिनिस्टर पर्सनल एक्सप्लेनेशन के जरिये स्पष्टीकरण करेंगे इसे किसी तरह इन्सर्ट करूँगा उस दिन के बिजनेस में ।

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी दिला दें कि यह सरपंच कौनसी तारीख से नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : अब नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : यह इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है । केवल यह जानकारी चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी भी उसमें आ जायगी । ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्यों ने जितने प्रश्न रखे हैं और उन प्रश्नों के साथ यह एक प्रश्न जो माननीय सदस्य, माननीय भैरोंसिंह ने रखा है— यह सारे प्रश्नों में, जिनका स्पष्टीकरण करना उचित होगा— वह स्पष्टीकरण परसों कर देंगे और मैं बिजनेस ऑफ हाउस में उसका समावेश करूँगा । इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है । प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उस समय तक रिकार्ड बदल दिया जायगा, रजिस्टर बदल दिये जायेंगे, फिर क्या स्पष्टीकरण करेंगे ? रिकार्ड बदल दिया जाने वाला है ।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मंत्री को बाहर जाकर कोई चीज लानी होगी...

श्री अध्यक्ष : इसका कुछ सार नहीं निकलेगा ।

श्री मदनसिंह : माननीय उप-मंत्रीजी को कोई चीज बाहर जाकर लानी होती या बाहर जाकर उप-मंत्रीजी को कोई बात समझनी होती तो दूसरी बात थी । लेकिन स्वयं हैं या नहीं हैं, स्वयं उप-मंत्री हैं या नहीं हैं, स्वयं सरपंच हैं या नहीं हैं—यह माननीय सदस्य ने पूछा है, तो यह जानकारी तो साथ में है, इसका भी परसों जवाब देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाह रहे हैं ? माननीय सदस्य ! कृपया स्थान ग्रहण करें । मैंने व्यवस्था दे दी है, परसों ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने इस सम्बन्ध में व्यवस्था दी हैं, वह आपके अधिकार क्षेत्र में है । लेकिन

Page No 32

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैं समझता हूं, इतनासा साधारण प्रश्न है कि आप किस तारीख से सरपंच नहीं हैं, किस तारीख को सरपंच पद से इस्तिफा दिया है, आपने किस तारीख से टी. ए., डी. ए. चार्ज नहीं किया है— इन छोटे से प्रश्नों का जवाब भी आज नहीं दे सकते इस एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि किस तारीख से सरपंच नहीं हैं— इसका मतलब यह है कि नियमों के खिलाफ, कानून के खिलाफ, नैतिकता के खिलाफ और इस हाउस के मेम्बर्स के कोड ऑफ कन्डक्ट के खिलाफ उप-मंत्री पद पर बैठ कर आपने सरकारी खजाने का पैसा लिया हैं। मंत्री पद पर बैठ कर सरकारी खजाने का इस प्रकार पैसा लिया जाता है और कांग्रेस के मेम्बरान उनको प्रोटेक्शन देते रहें, मैं समझता हूं, इससे अधिक शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती है। इतने से साधारण प्रश्न का आप जवाब नहीं दे सकते हैं कि फलां तारीख से सरपंच नहीं हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): अध्यक्ष महोदय, जब आपकी इस विषय में व्यवस्था हो चुकी है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): जवाब देंगे तो पूरी बातों का जवाब दे देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: पाली से आने वाले माननीय सदस्य को मैं यह कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी को हेल्दी ट्रेडिशन बनाने चाहिए। लेकिन आप इस तरह करना चाहते हैं कि मंत्री गलती करें, उप-मंत्री इतनी गलती करें और उसके बारे में जानकारी हाउस को न दें, उसके बारे में इस हाउस को कान्फीडेन्स में न लें, तो वह डिफेक्ट करके कांग्रेस पार्टी में जायं और आप उनको खरीदें, लाखों रुपया देकर खरीदें और आप उनको उप-मंत्री बनायें— यह बात समझ में आ सकती है लेकिन मैं समझता हूं कि लोकतन्त्र में किसी मन्त्री को इस बात की छूट नहीं दी जा सकती है कि वह सरकारी खजाने से नियमों के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध पैसा उठा कर उस पैसे का दुरुपयोग करें। परसों वह स्पष्टीकरण देंगे, उसका नतीजा क्या होगा, सरकारी रिकार्ड में हेरफेर की जायगी, बेरी कमीशन की रिपोर्ट इस बात का सबूत है। हाजिरी गलत बनाई जायगी, टी. ए., डी. ए. के कागजों में हेरफेर की जायगी, रिकार्ड में हेरफेर की जायगी। सरकार समय चाहती है इसका मतलब है कि रिकार्ड में हेर फेर की जायगी। रिकार्ड में हेरफेर किस तरह से की जाय, और उप-मंत्री जी को कैसे बचाया जाय— इसका तरीका सोचा जाय, इसलिए ही सरकार समय लेना चाहती है। कल की छुट्टी आ रही है, इस कारण इनको और समय मिल जायगा। मैं समझता हूं, हमारा लोकतन्त्र में विश्वास है, सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता आये, शुद्धता आये, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम यही कर सकते हैं अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर कि इस प्रश्न के अन्दर सरकार के रवैये के खिलाफ हम लोग सदन से बहिर्गमन करना चाहते हैं। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करें और सोचें।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, यह एक इस तरह का प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है, माइनर प्रश्न नहीं है...

श्री अध्यक्ष: बहिर्गमन का प्रश्न आ गया।

Page No 33

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य उप-मंत्री हैं या नहीं...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ! ऑर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य उप-मंत्री हैं या नहीं...

श्री अध्यक्ष : सतीशचन्द्रजी ने बहिर्गमन का प्रश्न उठा दिया है।

श्री भैरोंसिंह : वह हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक...

श्री नत्थीसिंह : यह चाहते हैं कि स्थिति रिवाइज हो जाय तो नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : एक सवाल का जवाब दिला दें कि वह उप-मंत्री हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह गजट में छपा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : आप कहलवा दीजिये उनके मुंह से।

श्री परसराम मदेरणा : यह प्रश्न ऐसा है कि फिर प्रश्न आयेगा कि अध्यक्ष महोदय आसन पर विराजमान हैं या नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय स्पष्टीकरण नहीं करें और इस सदन में चुपचाप बैठे रहें और कोई जवाब नहीं दें...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह आश्चर्य की बात है। इससे ऐसा लगता है कि कितना निकम्मापन...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : + + + +

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री देवीदत्त गाड़िया : + + + +

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री देवीदत्त गाड़िया : + + +

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : + + +

श्री अध्यक्ष : आपके नेता महोदय ने पूछ लिया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : + + +

ऑर्डर प्लीज !

श्री मदनसिंह : ऑन ए पॉइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन ! सवाल एक छोटा सा है, अध्यक्ष महोदय, सवाल छोटासा था, एक व्यक्ति को खुद के लिए कहना है, किसी से इन्क्वायरी नहीं करानी है। माननीय भैरोंसिंहजी ने पूछा कि आप उप-मंत्री हैं या नहीं ? दूसरा यह पूछा कि आप सरपंच हैं या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, क्या प्रश्न पूछने का हमारा राइट नहीं है ? मैंने कल रात

+ + + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री मदनसिंह)

को सुना है कि उप-मंत्री का आप पद कल रात से ग्रहण नहीं कर रहे हैं। यह मैंने सुना है। यह मेरी इन्फार्मेशन है, मैं हाउस को इन्फार्म कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सुखाड़ियाजी को कल आपने इस्तीफा दे दिया है ?

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर आॅर्डर !

(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य ! यह सदन का प्रांगण है। मैं आपसे निवेदन करूं, यह सदन का प्रांगण है। माननीय सदस्य विशिष्ट सदस्य हैं, ऐसा प्रश्न न उठायें जो निराधार हो।

श्री मदनसिंह : मजबूर किया जा रहा है। हम बोल नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : मजबूरी में ऐसे मजबूर नहीं होइये कि आधार खो दे प्रश्न।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का-थाना) : अध्यक्ष महोदय, यह पॉइन्ट ऑफ ऑॅर्डर नहीं है। सदन का समय बरबाद किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री देवीदत्त गाड़िया : + + +

श्री अध्यक्ष : आपके भाषण को अंकित नहीं किया जायगा।

आॅर्डर प्लीज माननीय सदस्य ! प्रश्न समाप्त हो गया है। मैं दूसरा बिजनेस लेने जा रहा हूं। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

अब आप क्यों बोलना चाह रहे हैं ? किस पर बोल रहे हैं ? (व्यवधान) आॅर्डर प्लीज। अभी वाक आउट करने का प्रश्न रह गया है। (विराम) नहीं कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : देखना यह है कि वाक आउट कौन करे।

श्री मदनसिंह : उप-मंत्री !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। मेरे खयाल में यह बड़े खेद का विषय है, यह एक जनतंत्र का मखौल है जो इस सरकार के द्वारा हो रहा है। यह मैं अनुभव करता हूं, एक सरपंच उसको राजनैतिक कारणों से दल परिवर्तित करवा कर और उसको मंत्री पद दिया जाता है। योग्यता के आधार पर मंत्री नहीं बनाया जाता है, अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए, अवसरवादिता की यह पराकाष्ठा है। मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिए महान लज्जास्पद स्थिति है और जनतंत्र का यह एक मखौल है। माननीय श्री सुखाड़ियाजी के द्वारा यह रोजाना एक नाटक किया जा रहा है। मैं सरकार से पूछता हूं कि आखिरकार जनतंत्र की प्रतिष्ठा को आपको ध्यान में रखना चाहिए। परंपरायें भी जनतंत्र

+ + + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह) की भी होनी चाहिए। क्या यह सरकार ठीक नहीं समझती कि जब एक सरपंच उप-मंत्री या मंत्री बनाया जाय तो उसको तत्काल ही सरपंच के पद से हटकर त्यागपत्र दे देना चाहिए? क्या माननीय श्री मथुरादासजी माथुर या श्री मोहनलालजी सुखाड़िया जिला परिषदों और पंचायत समितियों के प्रधान और सरपंच, सबकी मोनोपोली लेकर सर्व-सर्वा बनना चाहते हैं?

श्री भैरोंसिंह : मौका मिले तो गटर इन्सपेक्टर भी हो जायें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपके द्वारा निर्णय लिया गया है सदन के अन्दर तो माननीय सदस्य जो उप-मंत्री हैं उनकी अमृतरूपी वाणी भी हम सुनलें कि स्पष्टीकरण में उनको क्या कहना है और जब तक उनकी तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आएगा, मेरा और मेरा दल निर्णय नहीं करेगा कि सदन से बहिर्गमन करें या नहीं। कुछ सुनने के बाद ही निर्णय कर पायेंगे।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : आप घबराओ मत। हम जवाब लेकर रहेंगे। ऐसे जाने वाले नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर ऑर्डर!

मैं समझता हूं, सदन इस समय विषम परिस्थिति में है। माननीय आर्य!

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री नत्थीसिंह : परंपरायें "रिपीट तो नहीं। हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज। उग्रता, उद्विग्नता, रोष, आक्रोष सभी हैं। (श्री मदनसिंह दांता के खड़े होने पर) माननीय सदस्य। मेरी जो व्यवस्था थी माननीय सदस्यों के आग्रह को उनकी चिन्ता को समझते हुए ऐसी व्यवस्था दी उप-मंत्री से कहा है कि स्पष्टीकरण करें, उन्होंने भी समय दिया, परसों के दिन स्पष्टीकरण करना चाहेंगे। माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस प्रश्न पर आज ही स्पष्टीकरण किया जाय और मैं भी किंकर्त्तव्य-विमूढ़ हूं। यदि नियमों का पालन करता हूं तो व्यवस्था के बाद...

श्री रामचन्द्र आर्य : पीछे जब...

श्री अध्यक्ष : अरे जनाब बैठ जाइए! व्यवस्था के बाद आपका उसी व्यवस्था के बदलने के संबंध में बोलना और मेरा उस पर नियंत्रण करना, यह भी नियमों के अनुकूल नहीं होता है। अब माननीय सदस्यों को कोई दूसरा सुझाव देकर इस प्रश्न को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूं तब भी मेरे पास इस समय सुझाव नहीं है...

श्री रामकिशन : सदन को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपके नजदीक हूं। इसलिए मैं चाहता हूं, मेरा भी अनुभव है कि माननीय सदस्य की आज कहीं यहां के बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने देंगे; ऐसा मेरी मान्यता हो रही है, यह कहां तक ठीक है या नहीं और जब आगे...

Page No 36

श्री नत्थीसिंह : जवाब मिलेगा फिर बढ़ेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आगे बढ़ने नहीं देना चाहते तो मेरा प्रस्ताव है, उपाय है और आप समझते हैं ऐसी विषम स्थिति जब हो...

श्री नत्थीसिंह : तो यह छठी बार होगा ।

श्री अध्यक्ष : (श्री दुर्गालाल बाढ़दार के खड़े होने पर) : माननीय बाढ़दार तथा अन्य माननीय सदस्यों को समय दे दूं चिंतन करने के लिए और इस आसन से हटकर चेम्बर में चला जाऊं और इसके उपरांत भी नहीं समझते, क्योंकि माननीय सदस्यों का आग्रह है, मैं दुराग्रह तो नहीं कहता, लेकिन आग्रह किया है विशिष्ट प्रश्न को हल करने का है । पहले माननीय सदस्य सतीशचंद्रजी ने जैसे सदन में निवेदन किया था कि वह वाकाउट स्टेज कर रहे हैं, अगर वह होता तो मसला हल हो जाता । लेकिन वह नहीं हो पाया तो मेरा ख़याल है कि कोई दूसरा उपाय नहीं है...

श्री भैरोंसिंह : उपाय है कि कांग्रेस के लोगों से वाकाउट कराया जाय ।

श्री अध्यक्ष : अभी वह परिपाटी प्रारंभ नहीं हुई है ।

श्री रामानंद अग्रवाल : लोक सभा में हुई है ।

श्री मदनसिंह : आपको इतनी तकलीफ हुई तो मैं राय दूं...

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूं, आप खड़े हैं, इसका तकलीफ है । आप स्थान ग्रहण करें इस परंपरा को निभायें तो मैं आभारी रहूंगा । ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य और दलों के नेताओं से बात करना चाहूंगा । मंत्रीजी को अपने कक्ष में बुलाना चाहूंगा, देखूंगे कि हल निकल सकता हो, बजाय कि हम बैठे रहें । प्रश्नोत्तर काल खतम होने के बाद भी मैं नियंत्रण न करूं तो सुन्दर परम्परा को आघात पहुंचता है । तो हाउस को सिर्फ आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं । माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को उग्रता सेन लें और दलों के माननीय नेताओं को आमंत्रित करता हूं कि मेरे चेम्बर में आए ताकि इस प्रश्न पर विचार करें । इसलिए मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं ।

(तदनन्तर सदन कार्यवाही १२.३७ बजे आधे घन्टे के लिए स्थगित हुई)

१.१० बजे पुनः बैठक प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ।

जैसा मैंने निवेदन किया था कि मैं विभिन्न दलों के नेता महोदयों से इस संबंध में बातचीत करके और इस प्रसंग पर जो चरचा हुई है उसको समाप्त करने का इस वक्त प्रयास करूंगा । मैं विभिन्न दलों के नेता महोदयों और अन्य विशिष्ट विधायक महोदयों से मिला, वे मुझसे मेरे चेम्बर में मिले और उन्होंने मुझको आग्रह किया कि मैं माननीय उप-मन्त्रीजी से दो-तीन प्रश्न कर दूं । वे प्रश्न मैंने उनसे पूछ लिये हैं । उसके बाद मैं विरोधी दल के नेताओं ने और विशिष्ट विधायकों ने इस प्रसंग को यहीं पर समाप्त करने को कहा, सब्जेक्ट टू दी

(श्री अध्यक्ष) :

प्रीविजो की कल में उपमन्त्री महोदय और मन्त्री महोदय, परसों के रोज से और भी अन्य विशेष जो तथ्य हों, उनका उनसे स्पष्टीकरण करालूं। इस सन्दर्भ में इस प्रश्न की चर्चा को यहीं समाप्त करने का उन्होंने मुझ से कहा।

माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन प्रश्नों को प्रश्न तीन हैं, उनको पूछे जाने थे, उनको बता दूं। पहला प्रश्न था। उन्होंने रेजिग्नेशन, त्यागपत्र, पंचायत सरपंच के पद से कब दिया? उन्होंने मुझको बतलाया कि उन्होंने तीन चार-महीने पहले महीना याद नहीं है, दिन भी याद नहीं है अनुमानतः तीन चार-महीने पहले त्यागपत्र दिया। दूसरा प्रश्न था किसको दिया? उन्होंने बताया सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत को वह त्यागपत्र दिया और जिनमें उन्होंने यह प्रकट किया कि वह त्यागपत्र कलेक्टर के पास उन्होंने भेज दिया है। और तीसरा प्रश्न यह था कि क्या उन्होंने सरपंच की हैसियत से ग्राम पंचायत की मीटिंगों को अटेण्ड किया, सम्मिलित उनमें हुए, उन्होंने मुझे यह बताया कि वे सम्मिलित नहीं हुए।

इन तीन प्रश्नों की जानकारी उन्होंने जो कुछ मुझे दी वह मैं सदन के सामने रख देता हूं।

अब मेरा विश्वास है कि सदन के सम्मुख ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रश्न है, वह भी अत्यधिक महत्व का है और इसमें दोषी व्यक्ति यहां पर है जो जमानत पर हैं, इसलिये मैं इस प्रश्न को इसके बाद लेना उचित समझूंगा।

यस, श्री यशवन्तसिंह नाहर!

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट १ देखिये)।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

धानोदा ग्राम के वन क्षेत्र पर काश्त

३८३. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) फोरेस्ट विभाग की बीड़ खसरा नम्बर १६८ (५६।।) वाके धानोदा ग्राम की तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ को काश्त कर लिया गया है? यदि हां, तो कब से और किसने?

(२) क्या यह सही है कि श्री चान्दखां पिंजारा धानोदा निवासी इस भूमि पर लगभग १०-१२ साल से काबिज है? क्या यह भूमि इसे ठेके पर दी जाती रही है? यदि हां, तो कब से?

(३) क्या यह भी सही है कि इस भूमि पर सिंचाई के हेतु एक औडी पक्की (कुंआ) बनाया जा चुका है जिसको फोरेस्ट विभाग द्वारा समय पर नहीं रोका गया? यदि हां, तो क्यों?

(४) इस आराजी को काश्त करके काबिल काश्त भूमि होने पर भी रेवेन्यू में परिवर्तन क्यों नहीं किया जाता?

उत्तर

(१) जी हां, तो श्री चांद खां पिंजारा धानोदा निवासी ने १९५६-५७ से बीड़ की

(वन मन्त्री)

थोड़ी २ भूमि पर काश्त आरम्भ की तथा १९६९-७० में लगभग पूरी बीड़ में काश्त करली ।

(२) श्री चांद खां बीड़ के एक भाग पर पिछले १३ वर्षों से काबिज है । श्री चांद खां को इस बीड़ का ठेका १९५५-५६, १९६०-६१, १९६१-६२, १९६३-६४ व १९६४-६५ में ठेके पर दिया गया ।

(३) जी नहीं, ओडी नदी उजाड़ के क्षेत्र खसरा नं० २७१ में बनाई गई जो वन क्षेत्र में नहीं है । वन क्षेत्र में नहीं होने के कारण ही वन विभाग द्वारा इसके निर्माण को रोकना सम्भव नहीं हुआ ।

(४) वन विभाग की भूमि कृषि हेतु राजस्व में परिवर्तन करने की कार्यवाही के लिये राज्य सरकार ने तहसील तथा जिला स्तर पर समितियां बनाई हुई हैं । वे ही इस सम्बन्ध में निर्णय लेती हैं ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति के अध्यक्ष पद पर श्री मुकर्जी का कार्य

५७५. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वित्त आयुक्त श्री मुकर्जी ने केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति या संगठन अध्यक्ष पद पर कब से कार्य प्रारम्भ किया और अब तक किस-किस वर्ष में कितनी बैठकों में उपस्थित रहे ?

(२) इस पद पर कार्य करने हेतु क्या, उन्हें कोई विशेष भत्ता दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस वर्ष में कितना-कितना व किस आधार पर ?

(३) श्री मुकर्जी की इस पद पर नियुक्ति किस-किस आदेश के द्वारा हुई है ? कृपया इन आदेशों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(१) वित्त-आयुक्त श्री मुकर्जी ने केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति के अध्यक्ष पद पर दिनांक ८-१०-१९६५ से कार्य प्रारम्भ किया । अब तक वे जितनी बैठकों में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे उसका विवरण इस प्रकार है:—

१९६५–	६
१९६६–	२२
१९६७–	१४
१९६८–	७
१९६९–	९

(२) इस पद पर कार्य करने हेतु उन्हें कोई भत्ता नहीं दिया जाता है ।

(३) श्री मुकर्जी की इस पद पर नियुक्ति मंत्रि मंडल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग की आज्ञा क्रमांक एफ. ५(१०) व्यय एवं प./६३, दिनांक ८-१०-६५ द्वारा हुई थी । आज्ञा की प्रति संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

दो वर्षों के पृथक्-पृथक् खर्चों का विवरण

५७६. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य सरकार के दो वर्षों के (३१ मार्च, ६९ तक के दो वर्ष) समस्त खर्च को नियमानुसार पृथक-पृथक वर्ष एवं पृथक-पृथक हिस्सों में बताने की कृपा करें:—

(१) वेतन में खर्च (मंत्रियों सहित जिसमें सभी प्रकार के मंत्री व संसदीय सचिव शामिल हों)।

(२) जिन्हें वेतन देते हैं उनके निवास, टी. ए. डी. ए. आदि-आदि का खर्च।

(३) जनता के कल्याण व सुख सुविधा हेतु खर्च (अकाल के अलावा)।

(४) अकाल के लिये केन्द्रीय सरकार व दानदाताओं से प्राप्ति व खर्च।

उत्तर

(१) संशोधित अनुमान १९६७-६८ व १९६८-६९ तथा वास्तविक आंकड़े जहां कहीं उपलब्ध हैं उनके आधार पर वांछित सूचना इस प्रकार है:—

(लाख रुपयों में)

	१९६७-६८ (संशोधित अनुमान)	१९६८-६९ (संशोधित अनुमान)
१. वेतन पर व्यय	२७०८.०९	२८५०.५५
२. निवास, टी. ए., डी. ए. आदि पर व्यय	२०५९.८५	२३५३.९५
३. जनता के कल्याण, सुख सुविधा व आर्थिक विकास पर व्यय	७२०७.३५	७३९४.१२
४. (क) अकाल सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार से प्राप्तियां	(वास्तविक आंकड़े)	(वास्तविक आंकड़े)
ऋण	५००.००	१७५१.००
सहायता	२६.१८	१८५.००
(ख) अकाल सहायता पर व्यय—		
ऋण	१.५६	१५०.०० ❀
व्यय	७७९.७५	१९५०.०० ❀
(ग) राजस्थान मुख्य मंत्री अकाल व बाढ़ सहायता कोष में दान दाताओं से—		
प्राप्तियां	शून्य	३४.१५
खर्च	शून्य	६.४४

❀संशोधित अनुमान

जयपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित तिवाड़ीजी की धर्मशाला के पास की भूमि

५७७. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर स्टेशन स्थित तिवाड़ीजी की धर्मशाला सार्वजनिक सम्पत्ति है?

(२) क्या यह सही है कि इस धर्मशाला व धर्मशाला के पास के क्षेत्र में मदनमोहन तिवाड़ी एडवोकेट ने अधिकार कर रखा है

Page No 40

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

और वह इस क्षेत्र में से भूखण्डों का क्रय कर रहे हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उस क्षेत्र के नागरिकों द्वारा जिलाधीश जयपुर के माध्यम से कई बार सरकार को शिकायत की है जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जयपुर स्टेशन पर तिवाड़ी जी के नाम की धर्मशाला निजी जमीन पर बनी हुई है ।

(२) प्रश्न नहीं उठता । क्योंकि जमीन निजी सम्पत्ति है ।

(३) देवस्थान विभाग में ऐसी कोई शिकायत नहीं है ।

बीकानेर जिप्सम लि. के मजदूरों के विवाद

५७८. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या श्रम मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे:—

बीकानेर जिप्सम लि. में काम करने वाले मजदूरों के कुल कितने विवाद कितने दिनों से श्रम न्यायालय में चल रहे हैं तथा उनमें से कितनों का फैसला हुआ और कितनों का नहीं ?

उत्तर

बीकानेर जिप्सम लि. में काम करने वाले मजदूरों के १९ विवाद श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण को प्राप्त हुये जिनमें से ९ में फैसला हो चुका है १० मामले औद्योगिक न्यायाधिकरण के अन्तर्गत विचाराधीन हैं । (सूची संलग्न है)

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

कोटा के न्यायालयों में खान उद्योग मजदूरों के मामले

५७९. श्री देवीदत्त गाड़ीया (बारां) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा नगर में गत ५-६ वर्षों से किस किस खान व उद्योग से संबंधित किस-किस मजदूर के किस न्यायालय में कितने समय से मामले पेन्डिंग हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) क्या सरकार मजदूरों से सम्बन्धित मामलों का निर्णय शीघ्र निपटाने के लिए अलग से श्रम न्यायालय की स्थापना करने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(१) सूचना संलग्न परिशिष्ट 'अ' में है ।

(२) जी नहीं ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रिंस मेमोरियल-होस्पिटल, बीकानेर के कर्मचारियों का फिक्सेशन

५८०. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर प्रिंस मेमोरियल होस्पिटल में इ. एम. डी. में कुल कितने कर्मचारी कब से काम कर रहे हैं ?

(श्री चुन्नीलाल इन्द्रलिया)

(२) इनमें से कितनों का फिक्सेशन हुआ और कितनों का नहीं ?

(३) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ कर्मचारी सन् ५१ में तथा कुछ सन् ५६ में बिजलीघर बीकानेर से लिये गये हैं ?

(४) क्या यह सही है कि कुछ जगह खाली होने पर भी उनकी जगह पुराने आदमियों को प्रमोट नहीं किया गया ?

(५) क्या यह सही नहीं है कि कुछ कर्मचारियों का फिक्सेशन न होने से इन्हें भयंकर आर्थिक कठिनाई से गुजरना पड रहा हैं।

(६) क्या सरकार इनका फिक्सेशन कर उन्हें उनकी आर्थिक क्षति की पूर्ति करना उचित नहीं समझती ? यदि हां, तो इनका फिक्सेशन कब करेगी पूर्ण आश्वासन दें ?

(स्थगित किया गया)

लाडनूं अस्पताल में २३ बैड का वार्ड

५८१. श्री हरजीराम बुरकड़ (लाडनूं) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि लाडनूं, जिला नागौर के सरकारी अस्पताल में २३ बैड का वार्ड और बना कर देने का किसी दानदाता का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से तथा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(२) इस प्रस्ताव को यदि सरकार मन्जूर करती है तो मन्जूरी के कितने समय बाद से प्रत्येक वर्ष किस-किस कार्य में राज्य सरकार को कितना-कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा ?

(३) अब उक्त प्रस्ताव पर सरकार कब तक अन्तिम निर्णय लेगी तथा निर्णय लेने में क्या कठिनाई हो रही है ?

उत्तर

(१) जी हां। सेठ श्री गणपतराय सेठी के पुत्र श्री पन्नालालजी ने रेफरल अस्पताल लाडनूं हेतु २२ रोग शय्याओं वाला भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा है, यह प्रस्ताव दिनांक १६-८-६८ से विचाराधीन है।

(२) इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में राज्य सरकार को भवन निर्माण के बाद निम्न धनराशि खर्च करनी पड़ेगी:—

कर्मचारियों पर रुपये ३१,०६८ प्रति वर्ष

रोगियों के भोजन पर रु. ४,४०० ,,

(२००/- रुपये प्रति रोगी के दर से)

औषधि पर रुपये ५,५०० प्रति वर्ष

(२५० रुपये प्रति रोगी की दर से)

(३) सीमित वित्तीय साधनों के कारण दान स्वीकार करने में कठिनाई अनुभव हो रही है। यदि दानदाता दो वर्ष का आवर्तक व्यय देने को राजी हो तो उसका भवन निर्माण का प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है।

अजमेर जिले के कन्टीन्जेन्ट पेड स्टाफ

५८२. श्री बेदीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अजमेर जिले में कुल कितने कन्टीन्जेन्ट पेड स्टाफ से कब से नौकर हैं ?

Page No 42

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(२) इन कन्टीजेन्ट पेड नौकरों को अब तक रेगुलर क्यों नहीं किया गया ? इसका क्या कारण है ?

(३) क्या सरकार इन्हें परमानेन्ट करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) कुल ४८ कन्टीजेन्ट पेड स्टाफ अजमेर स्टेट के मर्ज होने के पहिले से ही कार्यरत हैं।

(२) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(३) नियमों के अन्तर्गत जो निर्णय लिया जायेगा उसके अनुसार कार्यवाही करली जायेगी।

मेडिकल डॉक्टर्स का पेन्डिंग भत्ता

५८३. **श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.)** : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान के मेडिकल ऑफिसरों (डॉक्टर) का अलाउन्स भत्ता सन् १९६२ से पेंडिंग पड़े हुए हैं ?

(२) अगर हां, तो कितनों का बकाया है और इनको कब तक दे दिया जायगा ?

(स्थगित किया गया)

राजस्थानी भाषा को साहित्यिक मान्यता

५८४. **श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थानी भाषा की साहित्यिक मान्यता के निमित्त एक प्रस्ताव केन्द्रीय साहित्य अकादमी को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या था ? उसकी एक सही प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सही है कि राजस्थान सरकार के राजस्थानी भाषा की साहित्यिक मान्यता के प्रस्ताव को केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने स्वीकार नहीं किया ? यदि हां, तो वह किस आधार पर स्वीकार नहीं किया ? केन्द्रीय साहित्य अकादमी के उस पत्रोत्तर की एक सही प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की व्यवस्था करें।

(३) क्या यह भी सही है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थानी भाषा को साहित्यिक मान्यता के लिये प्रेषित अपने प्रस्ताव को केन्द्रीय साहित्य अकादमी द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने के बाद पुनः कोई वांछित कारगर कदम नहीं उठाया है ? यदि हां, तो क्यों नहीं उठाया गया है ?

(४) अब आगे राजस्थानी भाषा की साहित्यिक मान्यता के लिये क्या कारगर कदम उठाया जा रहा है ?

उत्तर

(१) जी हां, राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिये प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार के माध्यम से साहित्य अकादमी नई दिल्ली को भेजा गया था। पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां, विशेषज्ञों की उप-समिति की राय का आधार यह था कि राजस्थानी को न तो राज्य सरकार द्वारा मान्यता मिली है, न यह विद्यालयों के माध्यम के रूप में प्रयुक्त

(श्री शिक्षा मंत्री)

हुई है न उसे विश्व विद्यालयों के उच्चस्तर माध्यम का विषय ही बनाया गया है। इस पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां, केन्द्रीय साहित्य अकादमी से आगे पत्र व्यवहार नहीं किया गया। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा ही आरम्भिक कार्यवाही की थी।

(४) फिलहाल यह कार्य राजस्थान साहित्य अकादमी के जिम्मे छोड़ा हुआ है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

छीपाबड़ोद कस्बे की गर्ल्स मिडिल स्कूल का भवन

५८५. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कोटा जिले के छीपाबड़ोद कस्बे में गर्ल्स मिडिल स्कूल के लिये एक प्राइवेट भवन किराये पर ले रखा है? क्या यह भी सही है कि इस भवन की बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत होने की वजह से अब स्कूल पुराने लड़कों के स्कूल भवन में चलता है, मगर फिर भी उक्त भवन को खाली नहीं किया गया, जो कि निकट भविष्य में गिरने वाला है?

उत्तर

यह सही है कि कोटा जिले में छीपाबड़ोद कस्बे में गर्ल्स मिडिल स्कूल के लिये एक प्राईवेट भवन श्री प्रेमसिंह सिंघवी का बहुत अर्से से १० रु. मासिक किराये पर लिया हुआ है। यह सही है कि इस भवन की हालत बहुत ही जीर्ण शीर्ण है और इस वजह से अब स्कूल लड़कों के स्कूल भवन में प्रारम्भ किया हुआ है किन्तु लड़कों के स्कूल भवन में कन्या शाला के लिये केवल लड़कियों को बैठाने मात्र के खुले बरामन्दे का स्थान मिला है वह भी पर्याप्त नहीं है। चूंकि शाला का अन्य सभी प्रकार का सामान रखने के लिये स्थान नहीं मिला है अतः इस किराये के भवन में ही शाला का समस्त सामान रखा हुआ है यही कारण है कि इस भवन को अभी खाली नहीं किया गया है। इस भवन को खाली करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

समाज शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति

५८६. श्री गंगा सहाय (कठुमर-सु.) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जो व्यक्ति पहले समाज शिक्षा अधिकारी (एस. ई. ओ.) थे उनको शैक्षणिक अनुभव न होने के कारण पदोन्नत नहीं किया गया ?

(२) क्या यह भी सही है कि माह जून, १९६७ में बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एज्यूकेशन, अजमेर द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जिन एस. ई. ओ. को तीन साल से कम शैक्षणिक अनुभव है उनको भी प्रधानाध्यापक पद के अतिरिक्त अन्य समान पदों पर पदोन्नत किया जावे ?

(३) राजस्थान में तीन साल से कम अनुभव रखने वाले एस. ई. ओस. की संख्या

(श्री गंगासहाय)

कितनी हैं ? इनमें से कितनों को किन-किन पदों पर पदोन्नत किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी हां, यह सही है।

(२) जी हां, मई, १९६७ में बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया था।

(३) वरिष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नति के लिये २३ भूतपूर्व समाज शिक्षा अधिकारी वरिष्ठ थे जिनमें से पहले १८ को जिनको शैक्षणिक अनुभव एक वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम का था उन्हें पदोन्नत किया गया शेष अन्तिम ५ को जिनका शैक्षणिक अनुभव १ वर्ष से कम था उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया। सूची संलग्न

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

सुनेल का कन्या पाठशाला भवन

५८७. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कन्या पाठशाला सुनेल, जिला झालावाड़ का भवन बिल्कुल खराब, हालत में है और इसे पी. डब्लू. डी. ने भी खतरनाक हालत में बताकर रिजेक्ट किया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि छात्रायें अभी भी इस हालत में इसी स्कूल में बैठती हैं ? यदि हां, तो क्यों ? दूसरी जगह की व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं की गई ?

(३) क्या इस स्कूल में छात्राओं को पानी पिलाने की ठीक व्यवस्था नहीं है और पानी जो व्यक्ति पिलाता है बीमार है ?

(४) क्या ग्रामवासियों की ओर से ऐसी शिकायतें विभाग के पास आने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) भवन पुराना है जिसके कारण बरसात में छते टपकती हैं। भवन मरम्मत तलब है, इसे बिल्कुल खतरनाक हालत का नहीं कहा जा सकता।

(२) जी, हां, क्योंकि बहुत प्रयास करने पर भी यहां दूसरा भवन उपलब्ध नहीं है।

(३) पानी पिलाने की पूर्ण व्यवस्था है। पानी पिलाने वाले के बारे में बीमारी की सूचना कन्या विद्यालय निरीक्षिका, कोटा के कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई है।

(४) जी नहीं।

सैकेण्डरी स्कूल, ग्राम कापरेन

५८८. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम कापरेन, जिला बून्दी को सेकेन्डरी स्कूल मिडिल से सेकेन्डरी किस साल से बना ?

(२) मिडिल स्कूल के समय इस स्कूल में कितने विद्यार्थी थे और कितने अध्यापक थे और अब कितने हैं ?

Page No 45

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

(३) मौजूदा अध्यापकों में से कितने कापरेन के ही निवासी हैं और यह कब से यहीं पर चले आ रहे हैं? इन अध्यापकों के नाम क्या हैं ?

(४) गत पांच वर्षों में परीक्षा-फल कितने प्रतिशत रहा ?

उत्तर

(१) यह विद्यालय ६ जुलाई, १९६६ को मिडिल स्कूल से सेकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत हुआ।

(२) मिडिल स्कूल के समय इस शाला में छात्रों की संख्या कक्षा १ से कक्षा ८ तक की ४४२ थी और अध्यापकों की संख्या १७ थी।

(३) मौजूदा १५ अध्यापकों में से निम्न चार अध्यापक यहीं के निवासी हैं जिनके नाम निम्न हैं और इनके नाम के सामने तारीखों से यहीं पर कार्य कर रहे हैं:—

१. श्री नरोत्तमलाल ८-१०-६०

२. श्री मदनलाल शर्मा १२-८-६२

३. श्री राजाराम शास्त्री १६-७-६६

४. श्री देवेन्द्रकुमार जैन १६-६-६६

(४) गत पांच वर्षों का परीक्षा-फल निम्न प्रतिशत रहा:—

क्र. सं.	सन्	कक्षा	परीक्षाफल प्रतिशत
१	२	३	४
१.	१९६४-६५	१ से ८ तक	८३
२.	१९६५-६६	१ से ८ तक	६२
३.	१९६६-६७	१ से ६ तक	७२
४.	१९६७-६८	६ से ६ तक	७०
५.	१९६८-६९	१ से ६ तक	
		बोर्ड का परीक्षा-फल	५

हायर सैकेण्डरी स्कूल, बून्दी का परीक्षा परिणाम

४८६. केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) बून्दी स्थित राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल के छात्रों की परीक्षा सन् १९६६ के परिणामों की घोषणा में देर होने का क्या कारण था ?

(२) क्या यह सही है कि यहां के हैडमास्टर ने छात्रों को नकल करने की छूट दे दी थी ?

(३) क्या यह भी सही है कि राजस्थान उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने परीक्षा के समय छापा मारा था ?

(४) क्या सरकार इस संबंध में जांच कराने का विचार रखती है ?

(५) इन घटनाओं के फलस्वरूप कितने छात्रों को फिर से बैठने दिया गया था और कितनों को परीक्षा से बिल्कुल वंचित कर दिया गया ? नामवार बतायें।

उत्तर

(१) जी हां। १९६६ की बून्दी की सैकेन्डरी व हायर सैकेण्डरी परीक्षा में काफी विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गये। उनकी

(शिक्षा मंत्री)

जांच की गई। जिनके खिलाफ नकल करने का प्रमाण नहीं पाया गया, उनका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। जांच में जो विद्यार्थी नकल करते पाये गये उनकी १९६९ की परीक्षा निरस्त कर दी गई। अतः परिणाम घोषित करने में देरी हुई।

(२) जी हां। जांच चल रही है।

(३) जी हां।

(४) जांच उप-शिक्षा निदेशक, शिक्षा विभाग उदयपुर द्वारा की जा रही है।

(५) १६३ हायर सेकेण्डरी के व १३३ सेकेण्डरी के छात्रों की १९६९ की परीक्षा निरस्त कर दी गई थीं उन सबको १९६७ की परीक्षा में बैठने की छूट थी।

महिला शिक्षा सदन को सहायता अनुदान

५९०. श्री केशरसिंह हाडा (हिन्डोली); क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि अजमेर स्थित महिला शिक्षा सदन जो श्री हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा संचालित है, की अध्यापिकाओं को नौकरी से अलग करने के नोटिस जारी कर दिये गये थे ?

(२) क्या यह सही है कि उनकी वेतन की शेष रकम रोक ली गई थी ?

(३) यह कदम शिक्षा सदन ने किस कानून के अन्तर्गत उठाया है ?

(४) सालाना सरकार द्वारा इस संस्थान को कितनी सहायता दी जाती है ?

(५) क्या यह सही है कि इसको राजस्थान की और गैर सरकारी संस्थाओं के मुकाबले अधिक सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो किस हिसाब से दी जाती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) इसका स्पष्टीकरण शिक्षा सदन से मांगा गया है।

(४) १,२४,८५४ रुपये।

(५) जी, नहीं।

ग्राम सालोतिया के हायर सैकेण्डरी स्कूल का भवन

५९१. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा-पाटन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि सालोतिया ग्राम जिला झालावाड़ में हायर सेकेन्डरी स्कूल का भवन तैयार किया जा रहा है ? यदि हां, तो यह योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है ?

(२) इस भवन निर्माण में सरकार की ओर से तथा पंचायत समिति द्वारा कितनी-कितनी रकम दी गई ?

(३) भवन निर्माण के लिये साइट सिलेक्शन क्या विभाग द्वारा किया गया है ?

(४) इस भवन के लिये क्या चेरेटी फण्ड से भी रकम दी जा रही है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या और स्कूलों के लिये भी

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

रकम स्वीकृत की गई हैं ? यदि हां, तो किन-किन को कितनी-कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) जी, नहीं। योजना जनता द्वारा चलाई जा रही है।

(२) भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई धनराशि नहीं दी गई है।

(३) जी, नहीं।

(४) जी, हां, १२,०००) दिये गये है। इस जिले में अन्य किसी संस्था को चेरीटी फण्ड से राशि स्वीकृत होने की सूचना विभाग को नहीं है। चैरीटी फण्ड से राशि स्वीकृत करने का कार्य जिलाधीश का है।

स्कूलों का परिवर्तन

५९२. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) वर्ष १९६८-६९ में कुल कितने लड़कों व लड़कियों के स्कूल:—

१. हाई स्कूल से हायर सेकेन्डरी में,

२. माध्यमिक शाला से हायर सेकेन्डरी में,

३. तथा प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में

परिवर्तन किये गये हैं ? और किन-किन जिलों के किस किस निर्वाचन क्षेत्र में ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) इन शालाओं को परिवर्तित करते समय क्या आधार रखा गया है और क्या सब मामलों में निर्धारित आधारों का पालन किया गया है ?

(३) वर्ष १९६९-७० में कितने और नये स्कूल खोले जायेंगे ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) आधारों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। प्रयत्न यही रहता है कि मापदंड जहां तक हों पूरे हों।

(३) सत्र १९६९-७० में केवल ६ उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक (सैकेण्ड्री) विद्यालयों स्तर पर क्रमोन्नत किये गये है। दो माध्यमिक शालाओं—खेतड़ी व माउन्ट आबू को उच्चतर माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम बागोट के स्कूल के अध्यापकों के विरुद्ध शिकायतें

५९३. श्री परस राम गंगाराम (परबतसर सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम बागोट, तहसील परबतसर जिला नागौर के स्कूल में किस-किस कक्षा में कितने लड़के शिक्षा ले रहे हैं ?

(२) कौन कौन से अध्यापक इस स्कूल में कब-कब से हैं ?

(श्री परसराम मंगाराम)

(३) क्या इस स्कूल का अध्यापक परबतसर में चोरी के केस में पकड़ा गया था ?

(४) क्या मास्टरों के खिलाफ ग्राम बागोट वालों की शिकायतें हैं ? यदि हैं तो उन शिकायतों का क्या समाधान किया गया है ?

उत्तर

(१) कक्षा १ से ८ तक १३२ लड़के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

(२) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(३) जी हां।

(४) जांच करली गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

हाई स्कूल मेड़ता का भवन

५९४. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मेड़ता हाईस्कूल में इन वर्षों में जनता द्वारा नव निर्मित कमरों को विगत ७-८ वर्षों से विभाग ने हैन्ड ओवर नहीं किये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि बिना हस्तान्तर किये कमरों की मरम्मत एवं पुताई नहीं हो रही है जो कि सफाई की दृष्टि से अत्यावश्यक है ?

(३) क्या राज्य सरकार इन कमरों को शीघ्र हस्तांतरण कर रही है ?

उत्तर

(१) राजकीय माध्यमिक शाला मेड़ता सिटी में जनता द्वारा विगत ७-८ वर्षों में एक भी कमरे का निर्माण नहीं कराया है। अतः हैन्ड ओवर का प्रश्न ही नहीं उठता। सत्र १९६८-६९ में जनता द्वारा विद्यालय में एक जीव विज्ञान की प्रयोग शाला का निर्माण कराया गया है जो कि कुछ माह पूर्व ही बन कर तैयार हुआ है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(३) विद्यालय प्रधानाध्यापक में जीव विज्ञान की प्रयोगशाला को राज्य सरकार को हस्तांतरण करने हेतु स्थानीय विकास समिति के सदस्यों से बात चीत की थी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। अब पुनः इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

अध्यापकों को वेतन

५९५. श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के अस्थाई प्रवक्ताओं एवं वरिष्ठ अध्यापकों को चार चार महीने तथा कभी कभी इससे भी अधिक महीनों तक वेतन नहीं मिलता है ?

(२) क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिये जल्दी से जल्दी कदम उठा कर उक्त प्रवक्ताओं एवं वरिष्ठ अध्यापकों की आवश्यक मांग की पूर्ति करेगी ?

उत्तर

१. यह सही नहीं है। प्रशासनिक कारणों से यदा-कदा ऐसा होना सम्भव है।

Page No 49

(शिक्षा मंत्री)

२. जिन-जिन अध्यापकों की ऐसी समस्या होती है उसका विभाग द्वारा शीघ्र समाधान करने का प्रयास किया जाता है। समय पर वेतन दिये जाने के बारे में राजस्थान लेखा व वित्तीय नियमों में स्पष्ट निदेश हैं।

खेलकूद में रेकार्ड और छात्रवृत्ति

५९६. श्री लादूराम मुलानिया (फागी): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

१. राजस्थान में विश्वविद्यालय और कॉलेज के किस-किस छात्र तथा छात्रा ने सन् १९६५ से अबतक खेल कूद (स्पोर्टस्) में कौन-कौन से नये रिकार्ड स्थापित किये हैं ?

२. नये रिकार्ड स्थापित करने वाले छात्र तथा छात्राओं को राज्य सरकार और खेलकूद परिषद् की ओर से क्या कोई विशेष पुरस्कार अथवा छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ?

३. क्या उपरोक्त अवधि में किसी एक ही छात्र या छात्रा ने प्रति वर्ष नये रिकार्ड (कीर्तिमान) तीन वर्ष तक लगातार स्थापित किये हैं ? यदि हां तो किसने और क्या-क्या ?

४. राज्य सरकार अथवा खेल कूद परिषद् ने कीर्तिमान बनाने वाले छात्र व छात्राओं को प्रोत्साहन देने एवं पुरस्कृत करने हेतु क्या किया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

५. क्या राज्य सरकार का नये कीर्तिमान स्थापित करने वाले छात्र व छात्राओं को विशेष पुरस्कार देने का इरादा है ? यदि हां, तो कितना व कब तक ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(उत्तर)

१. सूचना अभी कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों से प्राप्त नहीं हुई है। आने पर सदन की मेज पर रखदी जावेगी।

२. विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालयों के किसी छात्र अथवा छात्राओं को राज्यस्तरीय खेल-कूद संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में कीर्तिमान स्थापित किया जाता है। तो परिषद् द्वारा राज्यस्तरीय कीर्तिमान पर ५००) रु० व राष्ट्रस्तरीय कीर्तिमान पर १०००) रु० का पुरस्कार दिया जाता है।

३. १९६५-६६ से १९६८-६९ तक किसी छात्र एवं छात्रा ने राज्यस्तरीय व राष्ट्रस्तरीय कीर्तिमान तीन वर्ष तक लगातार स्थापित नहीं किया।

४. प्रश्न ही नहीं उठता।

५. राजस्थान क्रीड़ा परिषद् द्वारा पुरस्कार देने का प्रावधान रखा जाता है। अतः अलग से पुरस्कार देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बीकानेर जिले के स्कूलों को सहायता एवं अनुदान

५९७. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर जिले में कुल कितने हा. से. तथा माध्यमिक एवं प्राथमिकशालायें हैं, जिनको सहायता मिलती है ?

(२) प्रत्येक शाला को गत दो वर्षों में कितनी सहायता मिली तथा उन्होंने कुल कितना खर्च बताया ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No 50

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(३) क्या इन सहायता प्राप्त संस्थाओं के हिसाब-किताब की जांच किसी सरकारी अधिकारी ने की है ? यदि हां, तो कब-कब और उनकी क्या रिपोर्ट है ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) बीकानेर जिले में कुल हायर सेकेंडरी स्कूल शून्य, माध्यमिकशालायें ५, उच्च प्रा. वि. ५ तथा प्रा. शालायें १९ हैं जिनको सरकारी सहायता मिलती है।

(२) प्रति शाला को गत दो वर्षों में जितनी सहायता मिली है तथा उनके स्वीकृत खर्चे की सूची संलग्न है।

(३) संस्थाओं के हिसाब-किताब की जांच सरकारी अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की दृष्टि से नहीं की जाती है, ऐसी स्थिति में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेज दी गई)

बीकानेर शहर में नियुक्त अन्ट्रेन्ड अध्यापक

५९८. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर शहर में कुल कितनी अध्यापिकायें एवं अध्यापक हैं जो केवल मिडिल पास तथा अन्ट्रेन्ड हैं और राजकीय पाठशालाओं में शिक्षक हैं ?

(२) ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति कब किस अधिकारी ने की ?

(३) क्या इनकी नियुक्ति के समय कोई आदेश थे कि ट्रेण्ड शिक्षकों को ही लिया जाय ? यदि हां, तो इस नियम का उल्लंघन किसने किया और किसकी इजाजत से ?

उत्तर

(१) बीकानेर शहर में कुल १३ अध्यापक व अध्यापिकाएं ऐसी हैं जो मिडिल पास हैं तथा अप्रशिक्षित हैं।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने दि. १९-७-६६ को स्थायी आदेश २०/६६ जारी किये थे जिसमें निर्देश था कि विज्ञान अध्यापकों के अतिरिक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति नितान्त अस्थायी तौर पर या प्रशिक्षित अध्यापकों के प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिये)

सिरोही में हायर सेकेण्डरी स्कूल

५९९. श्री मोतीलाल (रेवदर-सु.) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सिरोही उच्च माध्यमिक कन्या पाठशाला की बालिकाओं द्वारा सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आगामी शिक्षा के सम्बन्ध में सिरोही कॉलेज में पी. यू. सी. की कक्षायें गत वर्ष से बन्द करने के फलस्वरूप जो समस्या उपस्थित हुई हैं,

Page No 51

(श्री मोतीलाल)

उसके निवारण के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था करने का निश्चय किया है ?

(३) क्या सरकार इस समस्या को दूर करने हेतु कन्या उच्च माध्यमिकशाला, सिरोही को इस वर्ष से हायर सेकेन्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) इस वर्ष शहरी क्षेत्र में किसी भी माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का प्रावधान नहीं है। सेकेण्डरी परीक्षा पास करने के बाद बालिकाएं बालकों के हायर सेकेण्डरी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं।

(२) वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है जब कभी भी सेकेण्डरी स्कूलों को हायर सेकेण्डरी में क्रमोन्नत किया जावेगा तो इस शाला को क्रमोन्नत करने के लिये गुणावगुण के आधार पर विचार किया जावेगा।

प्राथमिक पाठशाला सिरोही में कमरों का निर्माण

६००. श्री मोतीलाल (रेवदर सु.) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आश्वासनों के अनुसार प्राथमिक पाठशाला भवन, सिरोही में १० कमरे निर्माण करने की योजना इस वर्ष में क्रियान्वित कर दी जायगी ?

(२) यदि हां, तो निर्माण कार्य किस माह तक शुरु कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) आर्थिक कठिनाई के कारण सरकार द्वारा प्राथमिक पाठशाला भवन, सिरोही में १० कमरों का निर्माण कराया जाना अभी सम्भव नहीं है।

(२) उत्तर के भाग १ से स्पष्ट है।

उच्चतर माध्यमिकशाला सिरोही में कृषि विषय

६०१. श्री मोतीलाल (रेवदर-सु.) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार द्वारा पूर्व में दिये गये आश्वासन के अनुसार सिरोही उच्चतर माध्यमिकशाला में कृषि विषय को इस वर्ष प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

(२) क्या यह सही है कि सिरोही उच्चतर माध्यमिकशाला के पास उसका निजी कृषि फार्म, कृषि औजारों का भण्डार व पक्का कुआ है जिसका उपयोग कृषि विषय प्रारम्भ करने पर ही लिया जा सकता है ?

उत्तर

(१) ऐसे अन्य प्रस्तावों के साथ गुणावगुण के आधार पर एवं आर्थिक सुविधा उपलब्ध होने पर इस पर भी विचार किया जावेगा।

(२) जी हां।

खेतान पोलोटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास

६०२. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जसवन्तगढ लाडनूं और सुजानगढ़ के बीच "खेतान

Page No 52

(श्री हरजीराम बुरड़क)

पोलोटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास किसी मन्त्री द्वारा किया गया था? यदि हां, तो कब, किसके द्वारा और यह कॉलेज कब तक पूरा होने की योजना थी?

(२) दानदाता के साथ सरकार का क्या एग्रीमेन्ट हुआ था? उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उक्त योजना पर कुल कितने रुपये खर्च होने थे और उसमें दानदाता और सरकार के कितने-कितने?

(४) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना सरकार ने बन्द कर दी है? यदि हां, तो बन्द करने के निर्णय तक इस पर कितना खर्चा हो चुका था?

(५) अब उक्त योजना पर किये गये व्यय का क्या उपयोग होगा?

उत्तर

(१) जी हां मुख्य मन्त्री द्वारा दिनांक २९-१-६७ को पोलीटेक्निक जुलाई, ६९ से प्रारम्भ करने की योजना थी।

(२) दानदाता के साथ एग्रीमेन्ट नहीं हुआ है।

(३) दानदाता की तरफ इस योजना को चालू करने के लिये १० लाख रुपये भवन के लिये देने का आश्वासन था। दानदाता ने इस मामले में बाद में कोई दिलचस्पी नहीं ली और तकनीकी शिक्षा की एक्सपेण्ड नहीं करने के निर्णय से इस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(४) जी हां, जहां तक विभाग को मालूम है इस पर कोई खर्चा नहीं हुआ।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

नागौर जिले में किराये के मकानों में स्कूल

६०३. श्री हरजीराम बुरड़क, (लाडनूं): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला नागौर में कुछ स्कूलें किराये के मकानों में चल रही हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी स्कूलें कब-कब से किराये के मकानों में चल रही है तथा किन-किन के मकान कितने-कितने किराये पर ले रखे हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त मकानों का सार्वजनिक निर्माण विभाग से कब-कब एस्टीमेट बनवाया गया? यदि हां, तो कितने-कितने किराये का एस्टीमेट था? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) किन्हीं मकान मालिक का किराया बाकी है? यदि हां, तो कब से कितने रुपये का और किन कारणों से उन्हें नहीं दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) यह सूचना भी सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित है।

Page No 53

(शिक्षा मंत्री)

(३) यह सूचना भी सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

जैसलमेर की सीमा पर प्राचीन दुर्ग

६०४. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर की सीमा पर प्राचीन दुर्ग गोटारु व किशनगढ़ ऐतिहासिक है और अब क्षीण होते जा रहे हैं? अगर हां, तो इन दुर्गों को पुरातत्व विभाग अपने अधीन क्यों नहीं ले रहा है?

(२) क्या यह सही है कि अगर इन्हें शीघ्र अधीन नहीं लिया गया तो इनका अस्तित्व मिट जायगा और राष्ट्र को बड़ी क्षति होगी?

उत्तर

(१) जी हां। विभाग ने इन्हें अपनी संरक्षणीय स्मारकों की सूची में ले लिया है।

(२) जी हां।

मेज नदी पर पिक-अप वीयर का निर्माण

६०५. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला बून्दी में मेज नदी पर ग्राम बीजड़ी के पास पिक-अप वीयर बनाया जा रहा है?

(२) यदि हां, तो पिक-अप वीयर से कितने एकड़ जमीन सिंचित होगी क्या जो भूमि पिक-अप वीयर से सिंचित की जायेगी वह पहिले से ही गुढ़ा बांध के कैनाल में है? इसका मानचित्र सदन की मेज पर रखें।

(३) इस बांध पर कितनी धनराशि के व्यय होने का अनुमान है और यह रकम बजट १९६९-७० की किस मद से खर्च की जा रही है?

(४) क्या यह सत्य है कि गुढ़ा बान्ध व गोठड़ा बांध की नहरों की टेल पर आने वाली भूमि को पानी नहीं के समान मिलता है? यदि हां तो यह बांध खटावदा के पास इसी नदी पर क्यों नहीं बांधा गया ताकि टेले के काश्तकारों को सिंचाई के लिये पानी मिल सकता?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) लगभग ३६० एकड़ भूमि में सिंचाई संभव होगी। यह भूमि गुढ़ा के कमाण्ड में अवश्य है पर ऊंचाई पर व टेल में होने के कारण कुओं से सिंचाई संभव नहीं। मानचित्र सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(३) इस पर १,३१,००० रु० खर्च होने का अनुमान है जो ६४ फ्लड फेमिन के बजट से खर्च किया जा रहा है।

(४) केवल कुछ नहरों की टेल पर पानी दिक्कत से पहुँचता है। खटावदा के पास कोई योजना विचाराधीन नहीं है। प्रस्ताव आने पर विचार किया जा सकता है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

ग्राम सलोनिया के पास एनीकट का निर्माण

६०६. श्री रामप्रसाद बोहरा, (झालरा पाटन) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा अकाल सहायता में सलोनिया जिला झालावाड़ के पास, कोई छोटा बांध (एनीकट) बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो इस पर कितनी लागत लग चुकी है ? यह योजना किन प्रयोजन के लिये है ?

(२) इस बांध से कितनी जमीन की सिंचाई होगी ? तथा इससे रिटर्न क्या प्राप्त होगा ?

उत्तर

(१) जी हां। अब तक इस पर २७,०००) रुपया खर्च हो चुका है। लिफ्ट सिंचाई हेतु बनाई जा रही है।

(२) लगभग २०० एकड़ भूमि में सिंचाई संभव होगी। अकाल के तहत जो कार्य किये जाते हैं उनके बनने में रिटर्न का विचार नहीं किया जाता।

सांगोद क्षेत्र में लिफ्ट योजनाओं से सिंचाई

६०७. श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति, सांगोद में किन-किन स्थानों पर कितने-कितने हॉर्स पावर के डीजल पम्प लगाये हुए हैं ? उनसे कितनी-कितनी सिंचाई की जा रही है ? स्थानों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) उपरोक्त स्थानों पर लगाये गये डीजल एन्जिनों से पिछले पांच सालों में अलग-अलग स्थानों पर कितनी-कितनी सिंचाई की गई थी ?

(३) इस समिति में जिन सालों में विभाग द्वारा डीजल एन्जिन लगाये गये थे, कृषकों से पिलाई की कितनी रेट चार्ज की गई थी और अब कितनी चार्ज की जा रही है ? क्या पम्प लगाने के वक्त कृषकों को भविष्य में रेट बढ़ाये जाने की सूचना उसी वक्त देदी गई थी ?

(४) क्या सांगोद पंचायत समिति में कालीसिन्ध, परबन व उजाड़ नदियों पर लिफ्ट की सम्भावनाओं का सर्वे करवा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं जबकि ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की इस पंचायत समिति के बाबत तैयार की गई रिपोर्ट में इसके लिये सिफारिश की गई है ?

(५) लिफ्ट सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिये व उपलब्ध पानी का उपयोग बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या उपाय सोचे हैं ?

उत्तर

(१) पंचायत समिति, सांगोद में चार पम्पिंग सेट्स लगाये गये हैं, जिनमें से ३ उजाड़ नदी पर व एक परबन नदी पर इनके सिंचाई हॉर्स पावर की जानकारी संलग्न सूची 'अ' में अंकित है।

(२) उक्त स्थानों पर लगाये गये पम्पिंग सेट्स में से किसी भी पंपिंग सेट को लगाये

Page No 55

(सिंचाई मंत्री)

५ वर्ष नहीं हुए हैं जब से सिंचाई प्रारम्भ हुई तब से अब तक के सिंचाई के आंकड़े प्रश्न १ के उत्तर में संलग्न सूची में दिखाये गये हैं।

(३) सिंचाई की पुरानी दरें जो वर्ष ६८ से पहिले लागू थी व मौजूदा दरें संलग्न सूची व (२) में दिखाई गई है। पम्प लगाते वक्त काश्तकारों से ली जाने वाली दरों के बारे में पहिले पूछा जावे ऐसा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी नई रेट्स के लिये (एग्रीमेन्ट्स) भरवा लिए गये थे।

(४) कुछ सम्भावित योजनाओं का प्रारम्भिक सर्वे किया गया है। डिटेल्स सर्वे मण्डल की प्राप्ति व काश्तकारों का नई रेट्स पर पानी लेने के लिए राजी होने पर निर्भर करेगा।

(५) डीजल सेटों का विद्युत् लाइन से जोड़ने की योजना है, जिससे पानी का पूरा उपयोग हो सके।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

कालीसिन्ध पिक-अप वीयर से सिंचाई

६०८ श्री जुझारसिंह (रामगन्ज मण्डी): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कालीसिन्ध पिक-अप वीयर, परबन व आलिनिया से कितने-कितने क्षेत्र में खरीफ की फसलों में पानी दिया जाता है और इनमें से चावल का रकबा कितना होता है ?

(२) क्या यह सही है कि खरीफ की फसलों में किसानों को जरूरत माफिक पानी नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

(३) खरीफ में पानी मिलने की अधिक सम्भावना होने के कारण क्या सरकार खरीफ में पैदा की जा सकने वाली फसलों को बढ़ावा देने का फिर से विचार करेगी ?

उत्तर

(१) गत दो वर्षों में खरीफ में की गई सिंचाई की सूची संलग्न है।

(२) उपरोक्त तीनों योजनाएं विशेष रूप से रबी की फसल में पानी देने के लिए बनाई गई हैं, फिर भी यदि बरसात पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, तो काश्तकारों की मांग के अनुसार पानी देने की व्यवस्था की जाती है।

(३) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिये)

राणा प्रतापसागर बांध के डूब में आई भूमि

६०९. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राणा प्रतापसागर बांध में कुल कितनी भूमि डूब में आई है ? क्या यह सही है कि जिन-जिन व्यक्तियों की भूमि डूब में आई है उन सभी को वापिस मुआवजे के रूप में जमीन दी जा चुकी है ? यदि हां तो, अब कितने परिवार ऐसे रह गये हैं जिन्हें भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है ?

Page No 56

(श्री रामकुमार नंदवाना)

(२) क्या यह भी सही है कि विस्थापितों द्वारा जो वन भूमि मोर टक्का, बगतपुरा की मांग की गई है वह उन्हें आवन्टित करदी गई है ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या यह भी सही है कि अब कोई परिवार बिना भूमि के नहीं रखा है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) जमीन जो डूब में आई है १,०५३७२ इसमें से २४,३६७ प्राइवेट बाकी गवर्नमेन्ट की जमीन है।

(२) जी हां, क्योंकि विस्थापितों को जमीन दे दी गई है. राणा प्रतापसागर बांध से २,४५२ परिवार इफेक्टेड हुए जिसमें से २४०६ को जमीन देदी गई और ४६ को देनी हैं, उनके पते मालूम नहीं हैं।

(३) यह सही है कि यह मांग की गई थी कि विस्थापितों को मोटुक्का में १० बीघा, बगतपुरा में ५०० बीघा जमीन दे दी जावे। यह जमीन अभी तक नहीं दी है क्योंकि उन लोगों के पते मालूम नहीं है यदि वे आ जावें तो उनको जमीन देदी जावेगी।

चित्तौड़गढ़ सर्वे इनवेस्टीगेशन असिस्टेंट इन्जीनियर का मुख्यालय

६१०. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़ जिले में सर्वे इन्वेस्टीगेशन का असिस्टेन्ट इन्जीनियर है ? यदि हां, तो वे कहां रहते हैं ? क्या वे चित्तौड़गढ न रह कर भीलवाड़ा ही रहते हैं ? यदि हां, तो फिर इन्हें चित्तौड़ रखने का क्या मतलब है ?

(२) अब तक इन्होंने कितनी योजनाओं का सर्वे किया है ?

(३) क्या पेन्डिग योजनाओं के लिये इस वर्ष राज्य सरकार ने कोई धनराशि आवन्टित की है ?

(४) मौजूदा चालू योजनाओं पर कितनी धनराशि आवन्टित की है ? इसमें से कितनी-कितनी धनराशि बड़ी, मध्यम, लघु सिंचाई योजना पर आवन्टित की है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी हां, इनका मुख्य स्थान चित्तौड़गढ़ ही है एवं वे चित्तौड़गढ़ ही रहते हैं।

(२) चार निम्नांकित योजनाओं का सर्वे किया गया है:—

१. ऊंचकिया २. बरदिया ३. डोराई ४. मौडिया महादेव।

(३) जी नहीं।

(४) सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

अंगोर माध्यमिक सिंचाई योजना का निर्माण

६११. श्री मोतीलाल (रेवदर-सु.) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार अंगोर माध्यमिक सिंचाई योजना का निर्माण कार्य पूर्व आश्वासनों

Page No 57

(श्री मोतीलाल)

के अनुसार इस वर्ष प्रारंभ करने का विचार रखती है ?

(२) यदि हां तो किस माह में कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं, न तो ऐसा कोई आश्वासन दिया और न इस वर्ष कार्य प्रारम्भ करने का कोई विचार ही है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई की दरें

६१२. श्री जुझारसिंह (रामगंज मन्डी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) सरकारी डीजल पम्पों व बिजली के पम्पों से लिफ्ट द्वारा सिंचाई करने की राजस्थान में किन-किन स्थानों पर व्यवस्था की हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। इससे अलग-अलग कितना क्षेत्र सिंचित किया जा रहा है ?

(२) डीजल एवं पॉवर से सिंचाई करने की क्या क्या रेट हैं ?

(३) क्या यह सही है कि डीजल से सिंचाई की रेट ज्यादा होने से सरकारी पम्पों पर पानी का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है ? यदि हां तो इन्हें बिजली से जोड़े जाने की क्या योजना है ?

(४) क्या बिजली की दरों की तरह सिंचाई विभाग भी लिफ्ट सिंचाई की फ्लेट में व्यवहारिक दरें कायम करने का विचार करेगा ?

उत्तर

(१) सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी है।

(२) सूची 'अ' संलग्न है।

(३) यह सही है कि डीजल की दरें बिजली दरों से ज्यादा हैं किन्तु जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहां डीजल से ही सिंचाई संभव है। पंपों को चलाने में उसकी देख-रेख व मरम्मत में सरकार का काफी खर्चा होता है इस पर भी लिफ्ट डीजल की दरें "न हानि न लाभ" के आधार पर चलाई जाती हैं। ऐसी स्थिति में पानी का पूर्ण उपयोग न हो यह संभव नहीं। जहां तक इन स्थानों को बिजली से जोड़ने का प्रश्न है वह ट्रांसमीशन लाइन की दूरी व धन की उपलब्धी पर निर्भर करता है।

(४) जी नहीं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला पूल की जीपें

६१३. श्री केशरीसिंह हाड़ा (डिन्डोली) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला पूल की जीपें निर्धारित किराए पर किस-किस को दी जा सकती हैं ?

(२) क्या यह जीपें विधायकों को भी उसी किराए से दी जा सकती हैं ?

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

(३) यदि हां, तो अब तक किसे और कब दी गई ?

उत्तर

(१) जिला पूल को जीपें निर्धारित किराये पर राज्य सरकार के आदेश संख्या डी. १०६३०/फ २० (८२) जीए./बी./५८, जनवरी, १९५९ के अनुसार इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दी जा सकती हैं बशर्ते गाड़ी मोजूद हो।

(२) हां, विधायकों को भी जिला पूल की गाड़ी निर्धारित दर पर दी जा सकती हैं बशर्ते कि उस समय जिला पूल में कोई गाड़ी उपलब्ध हो।

(३) केवल श्री जमनालाल विधायक को निर्धारित किराये पर जिला पूल टौंक की गाड़ी दिनांक २-५-६९ को दी गई थी। अन्य किसी विधायक से जिला पूलों की गाड़ी के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

कोटे की कारें एवं स्कूटर

६१४. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) राज्य कोटे से कारें व स्कूटर्स किस-किस को दी जाती हैं ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य कोटे से राज्य कर्मचारियों को, जिनमें अध्यापक एवं प्रोफेसर्स प्रथम श्रेणी भी हैं, कारों या स्कूटर के परमिट दिये गये हैं, यदि हां, तो किस-किस को और कब-कब ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) राज्य कोटे से कारें व स्कूटर्स सरकारी अधिकारियों, विधान सभा सदस्यों, पत्रकारों एवं अन्य व्यक्तियों को आवंटित किये जाते हैं।

(२) जी हां। सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १२ देखिये)

विधान सभा सदस्यों को स्टेट कोटे से स्कूटर एवं कारों का अलॉटमेन्ट

६१५. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान राज्य के स्टेट कोटा में सन् १९६७ में कितने स्कूटर आये थे और कितनी फियेट गाड़ियां आई थीं और कितनी १९६८ के वर्ष में ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) जितना कोटा हर वर्ष आया उसका वितरण कौन करता है और किस आधार पर किया जाता है ?

(३) कुल कोटे में से विधान सभा सदस्यों के लिये कितना हिस्सा निर्धारित है और आज तक किस किस को वितरण किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें मय नाम व अलॉटमेन्ट की तारीख के।

Page No 59

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

(४) आज तक विधान सभा सदस्यों के वर्ष १९६७ के पश्चात् कुल एलाटमेन्ट के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(५) भविष्य में कब तक उक्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार करा लिया जावेगा ?

(६) कुल कोटे का वितरण किस अनुपात में किस-किस में किया जाता है ?

उत्तर

(१) सन् १९६७ व ६८ में निम्न प्रकार राज्य कोटा में स्कूटर व फियेट कारें प्राप्त हुईं:—

	१९६७	१९६८
लम्ब्रेटा	५०	८०
वैस्पा	५०	८०
फियेट	४५	६०

(२) इसका वितरण राज्य सरकार से नियुक्त समिति द्वारा किया जाता है।

(३) हर तिमाही कोटे में से साधारणतया एक फियेट कार एवं दो वैस्पा और दो लम्ब्रेटा स्कूटर्स विधान सभा सदस्यों को आवटित किये जाते हैं। अब तक जिन माननीय सदस्यों को आवंटित किया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) सूची संलग्न है।

(५) हर क्वार्टर में प्रार्थना पत्रों पर विचार होता रहेगा जब तक उस पर स्वीकृति न हो जाये।

(६) सरकारी अधिकारियों, विधान सभाई सदस्यों, पत्रकारों एवं अन्य व्यक्तियों को आवश्यकता एवं प्राथमिकता के अनुसार आवंटन किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)।

निगम द्वारा ट्यूब व टायरों की खरीद

६१६. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर-सु०) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वर्ष १९६७-६८ में यातायात निगम द्वारा अब तक कितने ट्यूब व टायर खरीदे गये हैं और किस कम्पनी से ?

(२) क्या इनकी खरीद के लिये टेण्डर मांगे गये थे ? यदि नहीं तो क्यों ? और यदि मांगे गये तो किसका टेण्डर स्वीकार किया गया ?

(३) पुराने कितने ट्यूब व टायर जो बेकार हो गये हैं, अभी निगम के स्टॉक में हैं ? क्या इन्हें बेचने का विचार है ? यदि हां, तो कब ?

(४) वर्ष १९६७-६८ में कितनी नई बसें कितनी लागत से खरीदी गईं और बोडी बनाने में कितना व्यय हुआ तथा यह किससे बनाई गईं ?

(५) क्या बोडी बनाने के लिये टेन्डर मांगे गये थे ?

Page No 60

(यातायात मंत्री)

उत्तर

(१) सन् १९६७-६८ में १९४९ ट्यूब व १९४९ टायर निम्नलिखित कम्पनियों से खरीदे गये :—

१. डनलप, २. गुडईयर, ३. फायरस्टोन, ४. सीएट, ५. मद्रास रबर की फैक्टरी, ६. इन्चेक।

(२) टायर व ट्यूब की खरीद के लिये टेन्डर नहीं मांगे जाते हैं। इनकी खरीद D.G.S.D. की स्वीकृत दरों पर की जाती है।

(३) दिनांक १-४-६९ को कुल २१०२ टायर पुराने थे, ट्यूब बिल्कुल नहीं थे। इन टायरों को दिनांक १-४-६९ के बाद जो ट्यूब व टायर बेकार हो गये उनको एकत्रित किया जाकर सबको जल्द बेचने की व्यवस्था की जा रही है।

(४) सन् १९६७-६८ में कोई बस नहीं खरीदी गई।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलने वाली टैक्सियां

६१७. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कौन-कौनसे मार्गों का राष्ट्रीयकरण अब तक किया गया है और कब-कब ?

(२) उक्त मार्गों पर निगम की कितनी बसें चल रही हैं ? क्या इन मार्गों पर टैक्सियां भी चल रही हैं ?

(३) निगम की ओर से इन टैक्सियों को इन मार्गों पर चलने से रोकने के लिये क्या प्रयास किस प्रकार चल रहा है ? अब तक इनका नहीं रोके जाने का क्या कारण है ?

(४) निगम के अनुमान से ये टैक्सियां रोजाना निगम की कितनी आय का नुकसान करती हैं ? क्या यह सत्य नहीं कि ये निगम के स्टेण्ड के सामने से ही सवारियां ले जाती हैं ?

(५) क्या इन टैक्सी मालिकों पर अब तक कोई चालान किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने और कब-कब ?

उत्तर

(१) राजस्थान के राष्ट्रीयकृत मार्गों की सूची मय राष्ट्रीयकरण की तिथि के संलग्न है।

(२) निगम द्वारा विभिन्न मार्गों पर ३३४ गाड़ियां चलाई जा रही हैं तथा इन मार्गों पर आर. टी. ए. द्वारा टैक्सी के परमिट भी दिये गये हैं और वे चल रही हैं।

(३) आर.टी.ए. द्वारा विभिन्न मार्गों पर टैक्सीज (कोन्ट्रेक्ट केरीज) के परमिट दिये जाते हैं, उन पर यह शर्त भी होती है कि वे रास्ते की सवारियां न उठायें और न उतारें। पुलिस एवं यातायात विभाग, दण्डनायकगण एवम् निगम के उड़नदस्ते इनको समय-समय पर चैक करते रहते हैं और दोषी व्यक्तियों का चालान किया जाता है।

(यातायात मंत्री)

(४) यह निश्चित तौर पर नहीं बताया जा सकता, लेकिन निगम को उनसे नुकसान होता है। ये टैक्सियां निगम के स्टेण्डों के पीछे खड़े होकर सवारियां उठाती हैं।

(५) जी हां। इन चालानों की पूर्ण सूचना एकत्रित की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट १३ देखिये)

तहसील लाड़पुरा के ग्रामों में शक्कर का वितरण

६१८. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दिगोद) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील लाड़पुरा के मैंदीफली, धाकड़खेड़ी, खेड़ा रसूलपुर में शक्कर का वितरण नियमानुसार नहीं होता ?

(२) क्या यह भी सही है कि लाइसेन्सदारों के रजिस्टर की जांच पूर्ण रूप से नहीं की गई और लाइसेन्सदार रजिस्टर में सही इन्द्राज नहीं करते ?

(३) यदि हां, तो इन लाइसेन्सदारों के खिलाफ क्या सरकार उचित कार्यवाही करने का कदम उठायेगी ?

उत्तर

(१) तहसील लाड़पुरा के मैंदीफली, धाकड़खेड़ी एवं खेड़ा रसूलपुर ग्रामों में शक्कर का वितरण निर्धारित कोटे के अनुसार ही किया जाता है।

(२) जी नहीं।

(३) कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बीकानेर जिले में दुकानदारों द्वारा अनाज का ब्लेक करने के मामले

६१९. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर जिले में सिविल सप्लाई विभाग ने कितने सरकारी दुकानदारों को भ्रष्टाचार करने के कारण हटाया और उन पर क्या कार्यवाही की ?

(२) क्या यह सही है कि कुछ दुकानदारों ने अकाल राहत में वितरण करने वाली बाजरी व अन्य मोटा अनाज ब्लेक में बेच दिया और उसका कोई हिसाब नहीं दिया ? यदि हिसाब दिया, तो सरकार ने क्या जांच की और क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(१) बीकानेर जिले में सिविल सप्लाई विभाग द्वारा प्राइवेट डीलर्स को सस्ते अनाज की दुकानों का कार्य सौंपा गया है जिनमें से ११ दुकानदारों को अनियमितताओं के कारण हटाया गया है। इन्हीं में से ८ दुकानदारों के विरुद्ध केस दर्ज कराये गये हैं।

(२) अकाल राहत में वितरण करने वाली बाजरी व अन्य मोटा खाद्यान्न ब्लेक में बेचने का एक मामला सुजानदेसर डिपो होल्डर के विरुद्ध प्राप्त हुआ है जिसकी जांच हो रही है।

करौली क्षेत्र में चीनी का वितरण

६२०. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) करौली उप-जिला क्षेत्र के किस-किस ग्राम पंचायत क्षेत्र में चीनी वितरण का

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

डीलर कौन-कौन हैं ? और होलसेल डीलर कौन हैं तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रति माह कितनी-कितनी चीनी की बोरी वितरण हेतु दी जाती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि मन्डरायल पंचायत क्षेत्र उप-जिला बन्दी डीलर द्वारा ग्रामवासियों को माहवारी चीनी वितरण करने की शिकायतें सरकार के पास आई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह सही है कि मन्डरायल के डीलर के विरुद्ध चीनी चोर बाजारी में बेची जाने की शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(१) करौली उप-जिला क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में जो डीलर्स नियुक्त हैं उनके नामों की तथा उनको प्रति माह कितनी बोरी चीनी वितरण हेतु दी जाती है यह बताते हुए सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इस क्षेत्र का होलसेल डीलर मेसर्स सवाईमाधोपुर जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार है।

(२) जी हां। उप-तहसील मण्डरायल के चीनी विक्रेता के विरुद्ध चीनी वितरण नहीं करने की शिकायतें प्राप्त होने पर जांच कराई गई। जांच के परिणामस्वरूप विक्रेता को निलम्बित किया जा चुका है तथा कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक प्रमाण एकत्रित किये जा रहे हैं।

(३) जी हां। मण्डरायल क्षेत्र के चीनी विक्रेता के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है। ब्लेक मार्केट में चीनी बेचे जाने का कोई वास्तविक प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। अन्य अनियमितताओं के बारे में जो कार्यवाही की जा रही है उसका प्रश्न के भाग २ में उल्लेख किया गया है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

गेहूं का आयात और खराब होने के कारण

६२१. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् ६६ से आज तक राजस्थान के किस-किस जिले में कितनी-कितनी आयातित गेहूं की बोरियां आईं और उनमें से कितनी बोरियां किस-किस स्थान पर किन-किन कारणों से खराब हो गईं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) राज्य सरकार को इसमें प्रति वर्ष कितने रुपयों का नुकसान हुआ और किन कारणों से ?

(स्थगित किया गया)

सांचोर तहसील में मवेशियों के लिए चारा

६२२. रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) श्री क्या यह सत्य है कि स्थानीय मांग के अनुसार तहसील सांचोर में मवेशियों के लिये समय पर पर्याप्त मात्रा में चारा सरकार द्वारा सप्लाई नहीं किया गया ? अगर हां तो क्यों ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(२) तहसील सांचोर में चारा कब वितरण करना शुरू किया गया? सांचोर तहसील में कुल कितने चारा डिपो खोले गये उन डिपोज पर चारा कितना-कितना कब-कब पहुंचा। और वितरण कब शुरू किया गया?

(३) क्या यह सत्य है कि अभी तक ज्यादा डिपोज पर चारा नहीं पहुंचा है? अगर हां, तो किन-किन डिपो पर अभी तक चारा नहीं पहुंचा है किन चारा डिपोज पर कब-कब चारा पहुंचा? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करावें।

(४) क्या यह भी सत्य है कि राजस्थान से बाहर गये हुए मवेशी के लिये वापिस आने वाले रास्तों पर अभी तक निःशुल्क चारा व पानी की कोई व्यवस्था की गई है? अगर हां, तो क्यों नहीं? अगर नहीं, तो कहां-कहां क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई हैं?

उत्तर

(१) जी नहीं। तहसील, सांचोर की स्थानीय मांग को ध्यान में रखते हुए उपलब्धि के अनुसार यथा सम्भव ठीक मात्रा में चारा भेजा गया था। जनवरी व जून में अलबत्ता कम मात्रा में पहुंचा है। क्योंकि उस समय व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक हो गया था।

(२) तहसील, सांचोर में चारा दि० १९-११-६८ को डिपो पर वितरण करना शुरू कर दिया गया था। इस तहसील में ८ घास डिपो खोले गये थे। डिपो में चारा कब-कब पहुंचा, उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(३) जी नहीं। चारा सभी डिपोज पर पहुंचा। किन्तु डिपोज पर कब-कब चारा पहुंचा, इसका विवरण सूची सं० २ में उपलब्ध है।

(४) जी नहीं। तहसील सांचोर में मौजूदा घास में से राजस्थान के बाहर गये मवेशी, जो वापिस आयी, उसको निःशुल्क चारा वितरण किया गया, साथ ही पानी की व्यवस्था भी की गयी।

(कृपया परिशिष्ट १४ देखिये)

खाद्य सलाहकार समितियों में भारत सेवक समाज का प्रतिनिधित्व

६२३. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि हर जिले में राज्य सरकार द्वारा खाद्य सलाहकार समिति गठित हुई है? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन सदस्य रखे गए हैं?

(२) क्या इस सलाहकार समिति में भारत सेवक समाज का भी प्रतिनिधि एक सदस्य रखा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(३) क्या खाद्य का वितरण भारत सेवक समाज द्वारा किया जाता है अथवा क्या इस संस्था की शाखाएं प्रत्येक ग्राम में हैं?

(४) क्या यह सही है कि भारत सेवक समाज को समिति का सदस्य रखना अनिवार्य है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(१) जी हां, सदस्यों के नाम की सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(खाद्य मंत्री)

(२) जी हां, राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार भारत सेवक समाज का प्रतिनिधि लिया गया है।

(३) जी नहीं। खाद्यान्न का वितरण उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से होता है।

(४) जी हां, कारण यह एक समाज-सेवी संस्था है।

(कृपया परिशिष्ट १५ देखिये)

अकाल राहत और अधूरे कार्य

६२४. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान के किस-किस जिले की किस-किस तहसील में कहां-कहां अकाल राहत के लिये किस-किस किस्म के कितनी-कितनी धनराशि के कार्य गत एक वर्ष में करवाये गये? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) अकाल राहत के लिये करवाए जाने वाले कार्यों में कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं और कितने अधूरे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) यह अधूरे कार्य कब-कब पूर्ण हो जायेंगे और इन पर अब कितना अधिक खर्चा आवेगा ?

(४) क्या यह सही है कि इन कार्यों में सड़कों का निर्माण भी हुआ है ? यदि हां, तो क्यों, कहां-कहां पर और कितनी-कितनी लम्बी मील और कौन-कौन से गांवों को मिलाने वाली सड़कें बनी हैं और उन पर कितना कितना खर्चा हुआ है तथा इस बरसात में उनकी क्या हालत है ? सूची पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

कोटा जिले के अभावग्रस्त गांव

६२५. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दागोद) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा जिले की कौन-कौनसी तहसील के ग्राम अकाल एवं अभावग्रस्त घोषित हुए हैं ? ग्रामों की सूची बताने का कष्ट करें।

(२) किस-किस तहसील के किन-किन ग्रामों में लोगों को पालन हेतु कितनी धनराशि मन्जूर की गई ?

(३) किस-किस ग्राम में यह राशि किस चीज के बनाने हेतु खर्च हुई और क्या वह उस राशि में पूर्ण हुई या नहीं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्टकरें।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) जिन-जिन कार्यों को स्वीकृत किया गया, उनकी स्वीकृत धनराशि एवं व्यय की गई धनराशि की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(३) सूची संख्या दो में सूचना उपलब्ध है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 65

बीकानेर जिले में अकाल राहत कार्य और सामान की खरीद

६२६. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बीकानेर जिले के अकाल राहत कार्य के लिये पानी के ढ़ोल, सिरकी तथा कुदाली, फावड़े आदि तैयार करने का ठेका किस-किस को किस दर पर किन शर्तों पर दिया? आंकड़े व नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

उत्तर

बीकानेर जिले में अकाल सहायता कार्यों के लिए पानी के ढोल, सिरकी, कुदाली, फावड़े आदि तैयार करने का ठेका जिन-जिन फर्मों को जिन-जिन शर्तों पर दिया गया है, उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

अकाल राहत कार्यों पर व्यय

६२७. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में इस वर्ष अकाल राहत में कुल कितना धन किन-किन मदों पर लगाया गया? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(२) इतना खर्च करने के बाद भी कितनी मवेशी राजस्थान में समाप्त हुई? जिलेवार सूची सदन में रखें।

(३) अकाल राहत न मिलने से कितने लोग भूख से मरे? यदि सरकार का उत्तर नहीं है तो क्या सरकार उसकी न्यायिक जांच कराने के लिये तैयार है?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) जितने मवेशी राजस्थान में समाप्त हुए, उसकी गणना सम्भव नहीं होने के कारण जिलेवार सूची प्रस्तुत की जाना सम्भव नहीं है।

(३) राज्य में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है। अतः न्यायिक जांच कराने की आवश्यकता ही नहीं है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झालावाड़ जिले में अकाल राहत कार्य

६२८. श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग-सु.): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) झालावाड़ जिले की किस-किस तहसील के कितने-कितने व क्या-क्या तथा कितनी-कितनी लागत के अकाल राहत कार्य किन ठेकेदारों अथवा किसके संरक्षण में चल रहे हैं? वे कब तक पूरे हो जायेंगे? उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? अब तक उन पर कितना पैसा खर्च हो गया है और शेष कितना खर्च और होगा? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 66

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)

(२) जिले को कुल कितना पैसा अकाल राहत कार्यों के लिये मिला है व कितना और मिलना है या मांगा गया है, अथवा चाहिए ?

(३) कितना-कितना सामान, क्या-क्या व कहां-कहां से किस-किस रेट से पर्चेज किया व शेष कितना और किया जाना है ? क्या इन सबके लिए टेन्डर काल किये ? अगर हां, तो बाकी टेन्डरों की रेट्स क्या थी व किस-किस ने टेन्डर दिये ? जिनके टेन्डर मंजूर नहीं हुए उनके क्या कारण थे बताने का कष्ट करें।

(४) गत १ वर्ष में अकाल राहत एवं गैर अकाल राहत कार्य जो सरकारी स्तर पर किये गये हैं उनकी सूची देने का कष्ट करें व ये सब किनके द्वारा किये जा रहे हैं व कब तक पूरे होंगे व किन ठेकेदारों द्वारा कराये जा रहे हैं ?

(५) क्या यह सही है कि ठेकेदारों की कुछ श्रेणियां सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं ? क्या योग्य ठेकेदारों को ही ठेके दिये जायं इस बात का ख्याल रखकर टेन्डर मंजूर किये जाते हैं ? अगर हां, तो किन्हीं ठेकेदारों के सम्बन्ध में जो शिकायतें आई कि ये योग्य नहीं हैं अथवा अपने निर्धारित एग्रीमेन्ट बांड के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं ? ऐसी कितनी शिकायतें सामने आई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

कोटा व झालावाड़ जिलों में इकट्ठा किया चारा एवं घास

६२९. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा व झालावाड़ जिलों से अकाल सहायता के रूप में कितना-कितना चारा व रकम इकट्ठी की गई है ? तहसीलवार बताने की कृपा करें।

(२) कोटा व झालावाड़ जिलों से इकट्ठा किया हुआ कितना चारा मुफ्त में व कितना कीमत से लिया गया है ?

(३) इन जिलों से इकट्ठे किये गये चारे का कहां-कहां किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

(४) क्या यह सही है कि इस चारे को "नो प्रोफिट नो लोस" बेसिस पर बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो किस भाव से ? और कहां ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) जिला कोटा से १७,४०१-९१ क्वि० चारा उपहारस्वरूप एवं २९३१४-७५ क्वि० चारा बाजार से खरीदा गया। झालावाड़ जिले में कोई चारा बाजार से नहीं खरीदा गया है।

(३) कोटा जिले में एकत्रित किये गये चारे में से २९८-२६ क्वि. चारा निष्क्रमण घास डिपोज पर व शेष चारा अन्य अभावग्रस्त जिलों में भेजा गया। जिला झालावाड़ में जो १३७ ट्रक चारा उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ था, उसमें से ११०२-४६ क्वि० चारा अजमेर एवं जोधपुर जिलों को भेजा गया। जिसमें से अजमेर जिले को

Page No 67

(अकाल सहायता मंत्री)

भेजा गया १७९-८३ क्वि० चारा निष्क्रमण डिपोज पर उपयोग में लिया गया। कोटा जिले से जो चारा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर बीकानेर जिलों को भेजा गया, वह २१० विक्रय किया गया और अजमेर को भेजा गया चारा ५३५२ क्वि० चारा निष्क्रमण डिपोज पर उपयोग में लिया गया।

(४) जी नहीं। इस चारे को नो प्रोफिट नो लोस पर न बेचा जाकर ८ रु० प्रति क्वि० की अनुमानित दर पर उक्त जिलों में बेचा जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट १६ देखिये)

ग्राम कालड़ी में तालाब की खुदाई

६३०. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम कालड़ी, तहसील नागौर में गांवाई तालाब की खुदवाई के लिए ५००० रुपये मंजूर हुए थे? यदि हां, तो कब यह कार्य शुरू हुआ और कितने दिनोंमें कितने-कितने मजदूरों ने कार्य किया और उनको भुगतान कब किया गया?

(२) क्या उक्त तालाब का कार्य बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो कब किन कारणों से और बन्द करने तक कितने रुपयों का कार्य हो चुका था?

(३) क्या इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(१) जी हां। ग्राम कालड़ी, तहसील नागौर में गांवाई तालाब की खुदाई के लिये ५,००० रु० स्वीकृत हुए थे। दि० ३०-५-६९ को यह कार्य शुरू किया गया तथा दि० ३-६-६९ को बन्द कर दिया गया। तारीखवार श्रमिकों की संख्या इस प्रकार है:—

तारीख	श्रमिक संख्या
३०-५-६९	१७
३१-५-६९	१०७
१-६-६९	२०७ पूरे दिन
	५ आधे दिन
२-६-६९	९६ पूरे दिन
	१६६ आधे दिन
३-६-६९	५५ पूरे दिन
	१७७ आधे दिन

मजदूरों का चुकारा दि० २०-६-६९ को किया गया।

(२) जी हां। उक्त तालाब का कार्य बन्द कर दिया गया है, क्योंकि मजदूरों की दो पार्टियां हो गयी थीं और उनमें आपस में झगड़ा बढ गया, फलस्वरूप काम बन्द करना पड़ा। काम जब बन्द किया गया, तब तक कार्य ८५२-८५ पै० का हो चुका था।

(३) शिकायतें मजदूरी पूरी न चुकाने बाबत प्राप्त हुई थी, किन्तु उनमें कोई सत्य नहीं होने के कारण कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

नागौर जिले में अकाल राहत कार्य और घोटालों के मामले

६३१. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला नागौर में चले राहत कार्यों में घोटाले किये जाने के मामले अधिकारियों द्वारा पकड़े गये हैं। यदि हां, तो कब-कब किस-किस अधिकारी द्वारा किन-किन के खिलाफ और कितने-कितने रुपयों के घोटाले के मामले पकड़े गये और अब तक उनमें क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

(२) क्या जिन अधिकारियों के खिलाफ उक्त मामले हैं उनको उनके पद से निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन को कब-कब ?

उत्तर

(१) जी हां। यह सही है कि जिला नागौर में चालू राहत कार्यों में भ्रष्टाचार किये जाने के मामले अधिकारियों द्वारा पकड़े गये हैं। जिन मामलों में पकड़े गये हैं उनकी स्थिति संलग्न सूची से स्पष्ट है।

(२) जी हां। जिन अधिकारियों के खिलाफ ये मामले हैं उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट १७ देखिये)

चूरू जिले में अकाल सहायता केन्द्रों पर हुए जापे एवं श्रमिक स्त्रियों को सहायता

६३२. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चूरू जिले में अकाल सहायता कैम्प शुरू होने पर कितने कैम्पों पर कितनी श्रमिक स्त्रियों के जापे हुये और उन्हें क्या-क्या सहायता व सहूलियतें राज्य सरकार से दैनिक मजदूरी व विशेष सहायता के रूप में दी गई ? अलग-अलग नाम पते सहित बतलाने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

पंचायत क्षेत्र पिड़ावा में अकाल राहत कार्य

६३३. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) झालावाड़ जिले की पिड़ावा पंचायत समिति क्षेत्र में अकाल राहत से किन-किन स्थानों पर क्या-क्या कार्य मंजूर किये गये हैं ? मय गांवों के नामों के बताने की कृपा करें।

(२) मंजूर किये गये इन कामों पर अलग-अलग कितनी रकम खर्च की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) पिड़ावा पंचायत समिति की सलोनिया पंचायत व सलोनिया गांव में मंजूरशुदा रकम का कितना प्रतिशत खर्च

(श्री जुझारसिंह)

किया गया है ? क्या इस क्षेत्र में वास्तव में अकाल की परिस्थिति थी ?

उत्तर

(१) पिड़ावा पंचायत समिति क्षेत्र में जो राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) अलग-अलग खर्च हुई राशि का विवरण सूची संख्या १ में अंकित है।

(३) सलोनिया पंचायत व सलोनिया गांव में अलग से कोई राहत कार्यों पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया, जो झालरापाटन-सुनेल सड़क मंजूर की गई है, उसका कुछ भाग इस पंचायत क्षेत्र में से है। अतः अलग से प्रतिशत नहीं दिया जा सकता। सलोनिया पंचायत में जिन ३ गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया, उनमें वास्तव में अभाव की स्थिति थी।

(कृपया परिशिष्ट १८ देखिये)

ग्राम-सेवक तथा कम्पोस्ट इन्सपेक्टर के प्रशिक्षण पर व्यय

६३४. श्री गंगासहाय (कठुमर-सु०) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि १९६३ में १ ग्राम-सेवक तथा २ कम्पोस्ट इन्सपेक्टर को थ्री-ईयर्स डिप्लोमा इन रूरल सर्विसेस विथ स्पेशियलाइजेशन इन को-ऑपरेशन की ट्रेनिंग में भेजा गया था ?

(२) प्रशिक्षार्थियों को दिए गये वेतन तथा वृत्ति (पे एण्ड स्टाइपण्ड) का कुल खर्चा कितना हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या उक्त प्रशिक्षार्थियों को उनकी योग्यतानुसार उपयुक्त पदों पर नियुक्त कर दिया गया है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट १९ देखिये)

ग्राम पंचायत छत्रपुर की ठेके की फाइल

६३५. श्री गंगासहाय कोली (कठुमर-सु.) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि छत्रपुर (झालावाड़) के सरपंच श्री गंगाराम ने ठेका संबंधी असली मिसल गायब कर दी ?

(२) क्या यह सही है कि यह ठेका ५०००) रु० का हुआ था परन्तु ३०००) रु० का काम करवाकर उसने पंचायत से ५०००) रु० वसूल कर लिया है ?

(३) क्या यह भी सही है कि नकली मिसल को संबंधित विकास अधिकारी ने असली स्वीकार कर लिया है ?

उत्तर

(१) ठेका संबंधी मिसल नहीं मिल रही है।

Page No 70

(पंचायत मंत्री)

(२) जी नहीं । काम ५०००) रु० का हुआ ।

(३) जी नहीं ।

शिक्षा प्रसार अधिकारियों का कार्यकाल

६३६. श्री फूलचन्द (सुमेरपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिन शिक्षा प्रसार अधिकारियों का कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक हो गया है, क्या उन्हें पंचायत समिति-सेवा से हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या पंचायत समितियों के शिक्षा कार्य को उपर्युक्त सरकारी कदम के कारण हानि नहीं पहुंचेगी ?

(३) क्या सरकार का विचार शिक्षा विषय को पंचायत समितियों से वापस लेने का है और उपर्युक्त कार्यवाही क्या उस विचार के कार्यान्वयन की पूर्व भूमिका है ?

(४) क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को तैयार है ?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति केकड़ी द्वारा दी गई तकावियां

६३७. श्री देवीलाल बुरासियां (केकड़ी-सु.) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति केकड़ी द्वारा सन् १९६० से अब तक पम्पिग सेट व कुआ खुदाने व पक्की नालियां बनवाने के लिये कितनी-कितनी तकावियां दी गई ? सालाना सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) पंचायत समिति केकड़ी के मौजूदा प्रधान अब तक अपने व अपने पूरे खानदान के नाम पर कितनी तकावियां ले चुके हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि प्रधान केकड़ी ने तकावी के फॉर्म पर पटवारा की रिपोर्ट खिलाफ होते हुए भी इन्जन मय पम्प के लिये तकावी अपने निजी प्रभाव से ली ?

(४) क्या पंचायत समिति केकड़ी द्वारा ऐसे नियम बना रखे हैं कि बिना इन्जन व पम्पिग सेट दिखाये तकावी नहीं दी जायगी ? अगर हां, तो फिर प्रधान महोदय ने क्या इन्जन और पम्प खरीद लिया था ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) पटवारी ने केवल पहले दिये हुए ऋण की रकम तथा माजगुजारी की रकम बाकी होने की रिपोर्ट की है।

(४) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट २० देखिये)

प्रधान, पंचायत समिति, केकड़ी द्वारा किये गये दौरे

६३८. श्री देवीलाल बुरासियां (केकड़ी-सु.) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में दिनांक १-४-६५ से १-३-६८ तक पंचायत

(श्री देवालाल बुरासियां)

समिति के मार्फत प्रधान द्वारा कितने दौरे किये गये और कितना टी. ए. व डी. ए. उठाया गया ? कृपया दिनांकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि पंचायत समिति की निजी जीप होते हुए भी प्रधान ने अपनी निजी जीप काम में ली और अनुचित एलाउन्सेस उठाया ?

(३) क्या यह सही है कि निवास-स्थान से मुख्यालय आने के लिये वाया चौसला होकर आते हैं ? यदि हां, तो सीधे मार्ग के बजाय लम्बे मार्ग से कितना यात्रा भत्ता अधिक उठाया गया ?

(४) प्रधान द्वारा जितने भी क्षेत्र में दौरे किये वे किन-किस कार्य हेतु किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) पंचायत समिति की जीप उपलब्ध न होने के कारण निजी जीप द्वारा भ्रमण किया गया।

(३) जी नहीं।

(४) सदन की मेज पर रख दी गई सूची में यह सूचना भी दी हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत लालगढ़ के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

६३६. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या पंचायत समिति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि श्री भूमरमल, सरपंच, ग्राम पंचायत लालगढ़, पं. स. सुजानगढ़, जिला चूरू ने पंचायत से भूमि विक्रय के पट्टे नं. ३१ व ४४ सन् १९६६ में बनाये ? यदि हां, तो कितनी-कितनी भूमि का किस भाव से किन-किन के नाम पट्टे बनाये गये और भूमि लेने वाले की आयु क्या है तथा उपरोक्त सरपंच से उनका क्या रिश्ता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त सरपंच ने पट्टा नं. २२ व ४१ सन् १९६७ के द्वारा भी पंचायत की भूमि बेची ? यदि हां, तो कितनी-कितनी भूमि किस-किस दर से किन-किन को कब-कब बेची गई तथा लेने वालों की क्या आयु व सरपंच से क्या रिश्ता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त सरपंच ने पट्टा नं. ४४ सन् १९६८ में भी कोई भूमि विक्रय की ? यदि हां, तो कब, कितने मूल्य में, कितनी भूमि किसके नाम से बेची गई तथा खरीददार की आयु व सरपंच से क्या रिश्ता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच ने पंचायत के सचिव के नाम से भी कोई भूमि विक्रय करके पट्टा जारी किया है ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

यदि हां, तो कब, कितनी भूमि, कितने-कितने मूल्य में ?

(५) उपरोक्त भूमि विक्रय की कार्यवाही नीलाम करके दी गई या बिना नीलाम तथा नियमानुसार ? इस भूमि को किस प्रकार से बेचना चाहिये था ?

(६) उपरोक्त अनियमित कार्यवाही के सम्बन्ध में सरकार के पास कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(२) सदन की मेज पर रखी गई सूची में विवरण दिया है।

(३) सदन की मेज पर रखी गई सूची में विवरण दिया है।

(४) जी हां, श्री बन्सीदास सचिव के नाम १८०० गज भूमि २३) रु० में विक्रय की गई है।

(५) ३ पट्टों की भूमि नीलाम से तथा १ पट्टों की भूमि सामान्य नियमों के नियम २६६ के अन्तर्गत आपसी बातचीत के आधार पर दी गई है।

(६) :-१२-६८ तथा २७-१-६९ को शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवाई गई। विवरण सदन की मेज पर रखो सूची में दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २१ देखिये)

राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ को ठेके

६४०. श्री वेदीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि वन विभाग जंगल से सम्बन्धित वन उपज कत्था व बांस तथा कूप कोयला आदि का ठेका व्यक्तिगत ठेकेदारों व जंगल उत्पादक सहकारी समितियों को नहीं देकर राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ को देता है ? यदि हां, तो क्यों और किस नियम के आधार पर ?

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ ठेका लेकर स्वतन्त्र है कि वह अपनी इच्छानुसार किसी भी सोसाइटी को ठेका देकर या काम लेकर जंगल का काम करवाए ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ के ऊपर विभाग का ठेके की रोयल्टी आदि का काफी रुपया बाकी है ? यदि हां, तो कितने वर्षों से कितना-कितना रुपया बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) क्या यह सही है कि राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ के विरुद्ध अनुचित ढंग से जंगल की सम्पदा पर अतिक्रमण करके उपयोग करने सम्बन्धित शिकायतें क्षेत्रीय विभाग अधिकारियों ने की हैं ? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र के अधिकारी ने क्या-क्या शिकायतें की और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

Page No 73

(वन मन्त्री)

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां। वन श्रमिक सहकारिता को प्रोत्साहन देने हेतु ऐसा निर्णय लिया गया है।

(३) राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ को ६८-६९ में ३ कूप आवंटित किये गये थे जिसकी बकाया की स्थिति दिनांक ३१-७-६९ के संलग्न सूची के कॉलम नं० ७ में दिखाये अनुसार है।

(४) जी हां, रेन्ज ऑफिसर कनवास ने मशालपुरा कूप के बाहर संघ द्वारा ७०४ वृक्षों के नाजायज कटान की रिपोर्ट मण्डल वन अधिकारी, कोटा को की है, जिस पर १०) रु० प्रति पेड़ के हिसाब से ७,०४०) रुपया मुआवजा लगाया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २२ देखिये)

जू में कार्य करने वाले कर्मचारियों का फिक्सेशन

६४१. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर जिले के फोरेस्ट विभाग जू में काम करने वाले कुल कितने कर्मचारी हैं और कौन-कौन कितने वर्षों से काम कर रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उसमें १० वर्षों से काम करने वाले कर्मचारियों का भी फिक्सेशन नहीं हुआ है और न उन्हें किसी प्रकार की तरक्की मिलती है ?

उत्तर

(१) बीकानेर जू में निम्नांकित कर्मचारी उनके सामने अंकित दिनांक से कार्य कर रहे हैं:—

१. पर्यवेक्षक —१	श्री यज्ञदेवसिंह		१-९-६१
२. केयर टेकर —३	श्री फरीदखां		५-१२-५४
	,, आशु		१-१-५४
	,, उस्माल		८-३-६६
३. चौकीदार — २	श्री काशीराम		१-५-६६
	,, उत्तमसिंह		१२-७-५८
४. हरिजन — १	श्री छेलिया		१-१-४५

इन कर्मचारियों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार केजुअल लेबर भी नियुक्त किये जाते हैं।

(२) जी नहीं, उपरोक्त सभी कर्मचारियों का नई वेतन श्रृंखला में वेतन स्थिरीकरण हो चुका है।

घास की खरीद एवं जांच

६४२. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बारां वन विभाग द्वारा अकाल राहत के लिये खरीद किये गये लाखों रुपयों के घास के मामले की जांच कोटा के तत्कालीन सी. एफ. श्री रामप्रताप शर्मा, विभागीय अकाउन्टस ऑफिसर, श्री एस. एल. अजमेरा तथा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के डीवाई. एस. पी. ने करके अपनी रिपोर्ट दे दी थी ?

(२) यदि हां, तो तीनों अधिकारियों की जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 74

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(३) क्या यह सही है कि उक्त तीनों अधिकारियों ने अपनी जांच रिपोर्ट में बारां के तत्कालीन डी. एफ. ओ. श्री ओ. पी. पारीक को अपराधी माना है ?

(४) यदि हां, तो फिर श्री ओ. पी. पारीक को संयुक्त जांच में क्यों नहीं शामिल किया तथा किस आधार पर अलग निकाला गया ?

(५) क्या यह सही है कि श्री ओ. पी. पारीक को आई. एफ. एस. के सलेक्शन में ले लिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(६) क्या यह सही है कि आई. एफ. एस. के फॉर्म भरने में जो कार्यवाही की जाती है उसको उक्त अधिकारी के विरुद्ध घास काण्ड के लिये भ्रष्टाचार बारां न्यायालय में इनके विरुद्ध चले बलात्कार काण्ड एवं एक रेंजर का गाल काट खाने सम्बन्धित आरोप के रिमार्क्स नहीं लगाये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जनहित में जांच रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है।

(३) जनहित में इस सम्बन्ध में सूचना देना संभव नहीं है।

(४) श्री ओ. पी. पारीक को केवल पर्यवेक्षण प्रमाद (Supervisory Negligence) ही प्रारम्भिक रूप से पाया गया अतः श्री पारीक से राजस्थान सिविल सर्विस (क्लासिफिकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स की धारा १७ के अन्तर्गत स्पष्टीकरण मांगा गया था। इनके स्पष्टीकरण को संबन्धित रेकार्ड से जांचने पर वे निर्दोष पाये गये।

(५) जी हां, भारत सरकार ने श्री पारीक को विशेष चयन समिति की सिफारिश पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय एवं लोक सेवा आयोग द्वारा उनके विरुद्ध लगाये गये घास काण्ड के रिमार्क्स एवं माननीय सदस्य द्वारा केन्द्रीय गृह मंत्री को बलात्कार काण्ड एवं रेन्जर के गाल काट खाने की शिकायत से सम्बन्धित रेकार्ड का परीक्षण (Examine) करने के पश्चात् सलेक्शन किया गया है।

(६) जी नहीं, श्री पारीक के विरुद्ध घास काण्ड सम्बन्धित रिमार्क्स लगाये गये थे। बलात्कार का मामला न्यायालय द्वारा उन्मोचित (Discharge) कर दिया गया था और रेन्जर के गाल काटने की कोई शिकायत विभागाध्यक्ष व राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई इस कारण यह रिमार्क्स क्योंकर लगाये जाते।

चराई की दरें

६४३. श्री देवीलाल बुरासियां (केकड़ी-सु.) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में डिविजनवार चराई की वसूली की रकम अलग-अलग निश्चित है ? यदि हां, तो कृपया डिविजनवार चराई की वसूली की सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि किसी एक ही डिविजन में तीन तरह की चराई वसूल

Page No 75

(श्री देवीलाल बुरासिया)

की जाती है ? अगर हां, तो यह डिविजन कौनसा है और उसमें भिन्न-भिन्न चराई वसूल करने का क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के घटियाली जंगलात तथा टौंक जिले की देवली रेन्ज में चराई ज्यादा वसूल की जाती है ?

(४) क्या सरकार उक्त घटियाली जंगलात चराई कम करने का विचार रखती है जबकि उस ही डिविजन में उससे कम चराई वसूल की जाती है ?

उत्तर

(१) चराई की दरें डिविजनवार नहीं होकर प्रत्येक चराई क्षेत्र की अलग-अलग निश्चित हैं। चराई दरों की सूची संलग्न है ।

(२) जी हां, टौंक तथा अजमेर वन मंडल में। वर्त्तमान टौंक वन मंडल में, भूतपूर्व जयपुर, संयुक्त राजस्थान तथा अजमेर राज्यों के चराई क्षेत्र हैं तथा वर्त्तमान अजमेर वन मंडल में भूतपूर्व अजमेर, जोधपुर तथा संयुक्त राजस्थान राज्यों के चराई क्षेत्र हैं । इन चराई क्षेत्रों में विलय-पूर्व की चराई दरें अब भी लागू हैं। अतः ये ही दरें उन स्थानों पर वसूल की जाती हैं।

(३) चराई दरों का अभिनवीकरण (रेशनेलाइजेशन) राजस्थान के विचाराधीन है। चराई की दरें प्रत्येक चराई क्षेत्र में उपलब्ध चराई को दृष्टि में रखते हुए नियत की जाती हैं और इसी कारण प्रत्येक रेंज में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग चराई की दरें लागू हैं। घटियाली में चराई की दर कम करने का कोई प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(४) अजमेर जिले के घटियाली वन तथा टौंक जिले की देवली रेंज में भी विलय-पूर्व की चराई दरें ही लागू हैं। अधिक चराई नहीं ली जाती ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आदिम जाति छात्रावास

६४४. श्री हुरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ द्वारा राजस्थान आदिवासी छात्रों के कितने-कितने छात्रावास कहां-कहां चलाये जा रहे हैं ? इन छात्रावासों में व्यवस्था किस प्रकार की है व समाज कल्याण विभाग किस मारजिन से ऐड देता है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि इस संघ के द्वारा अन्य कोई प्रवृतियां चलती हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या और कहां-कहां पर ?

(३) संघ द्वारा संचालित छात्रावासों के व्यवस्थापकों की योग्यता क्या-क्या है और उनमें से कितने आदिवासी व्यवस्थापक हैं ? एवं उनको कितना-कितना मासिक वेतन दिया जाता है ?

उत्तर

(१) राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ द्वारा ११ जिलों में २७ छात्रावास चलाये जाते हैं, सूची संलग्न है। व्यवस्था सन्तोषप्रद

Page No 76

(समाज कल्याण मन्त्री)
है व इन्हें स्वीकृत खर्चे का ९०% अनुदान दिया जाता है।

(२) जी हां, संघ द्वारा छात्रावासों के अलावा २ आश्रय स्कूल, ८ पुनर्वास केन्द्र तथा २ प्रखण्डों में खादी उत्पादन एवं बिक्री केन्द्रों की प्रवृत्तियां चलाई जाती हैं। सूची संलग्न है।

(३) संघ द्वारा संचालित छात्रावास के व्यवस्थापकों की योग्यता मैट्रिक या इसके समकक्ष है। २७ में से ७ व्यवस्थापक आदिवासी हैं। व्यवस्थापकों को १०० रु. से १२५ रुपया प्रति माह तक पारिश्रमिक दिया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट २३ देखिये)

ग्राम जूनिया में हरिजनों के लिए कुआ

६४५. श्री देवीलाल बुरासियां (केकड़ी-सु.) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि केकड़ी तहसील के ग्राम जूनिया में अनुसूचित जाति (हरिजनों) के लगभग २० परिवार रहते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इनके पानी पीने के लिए कुआ नहीं है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उन्होंने कई दफा पंचायत समिति, केकड़ी में भी कुआ खुदवाने की दरख्वास्तें पेश की थीं ? अगर हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या इन हरिजनों को समाज कल्याण विभाग से कुआ खुदवाने के लिये अनुदान दिया जायेगा ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी हां, केकड़ी तहसील के ग्राम जूनिया में हरिजनों के लगभग २० परिवार रहते हैं।

(२) जी नहीं, यह सही नहीं है। पंचायत समिति केकड़ी ने समाज कल्याण विभाग द्वारा आवंटित धनराशि में से १०००) रु० ग्राम पंचायत जूनियां को वर्ष ६०-६१ में दिया था। प्राप्त सूचना के अनुसार यह कुआ खुद चुका है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

अजमेर व भीलवाड़ा जिलों में छात्रावास

६४६. श्री देवीलाल बुरासियां (केकड़ी-सु.) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अजमेर व भीलवाड़ा जिलों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के छात्रावास कहां-कहां कब-कब से चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त छात्रावासों में कितने-कितने छात्र निवास करते हैं ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(३) उक्त छात्रावासों पर सालाना कितना-कितना व्यय किया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No 77

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(४) क्या यह सही है कि ४ मील के एरिये में दो छात्रावास चल रहे हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(२) छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की सूची सदन को मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(३) वर्ष १९६८-६९ में विभागीय छात्रावासों पर व्यय निम्न प्रकार हुआ है:—

नाम जिला	व्यय धनराशि
अनुसूचित जन-जाति योजना के अन्तर्गत:—	
अजमेर	५५४०२
अनुसूचित जाति योजना के अन्तर्गत:—	
भीलवाड़ा	५४९१८
अजमेर	९८०१३
कुल योग ...	१८७३३३

(४) जी नहीं। यह सत्य नहीं है कि ४ मील के अन्दर एक ही योजना के अन्तर्गत दो छात्रावास नहीं चल रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट २४ देखिये)

स्थगित प्रश्न

(१३-८-६९)

अनुसूचित जाति के लिए बनाई गई बस्ती

८१. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम झरेल चौकी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ में कोई कॉलोनी अनुसूचित जाति के परिवार आबाद करने हेतु बनाई गई थी ?

(२) यदि हां, तो कब ? इस कॉलोनी में कितने परिवार कौन-कौन बसाये गये ? इनको अनुदान में कितनी-कितनी रकम दी गई एवं कर्जा कितना कितना दिया गया ? कर्जा कितना-कितना किन-किन में बकाया है ? कृपया सूची सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) २८ परिवारों को पंचायत समिति द्वारा ऋण दिया गया। परिवारों के मुखिया के नाम ऋण का विवरण तथा बकाया की सूचना आदि संलग्न है। इनको किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया गया। सूची सदन की मेज पर रखी जा रही है।

जी हां, १५ परिवारों को जिनमें रकम ओवरड्यू है, तहसील द्वारा कुड़की वारन्ट पंचायत समिति की इत्तला पर दिनांक २१-७-६९ को कुड़की वारन्ट जारी किये गये।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 78

स्थगित प्रश्न
(१८-८-६९)

अधिकारियों पर होने वाला खर्च

२०२. श्री रामकिशन (वैर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) वर्ष १९५१ में राजस्थान में कितने-कितने राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारी व अन्य कर्मचारी राज्य सेवा में थे ? कृपया सभी श्रेणियों का विवरण बताया जाये।

(२) वर्ष १९५१ में राजपत्रित अधिकारी वर्ग पर कितना खर्च राजकीय कोष से वेतन भत्ता व अन्य सुविधाओं पर होता था ?

(३) १९५१ में राजकीय कर्मचारियों पर राजकीय कोष से कितना खर्चा वेतन, भत्ता व अन्य सुविधाओं पर होता था ?

(४) १९६७ में राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी वर्ग पर अलग-अलग कितना व्यय भत्ता, वेतन व अन्य सुविधाओं पर होता है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(१८-८-६९)

अकाल पीड़ित जनता हेतु अनाज की व्यवस्था

२२३. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान की कुल कितनी जनसंख्या अकाल से प्रभावित है ? कृपया जिलेवार संख्या बतलाने का कष्ट करें।

(२) इस अकालग्रस्त जनसंख्या के लिये अनाज की क्या व्यवस्था की गई है ? कुल कितने अनाज की आवश्यकता है और कितने अनाज की राज्य सरकार व्यवस्था कर सकी है ? कमी-पूर्ति के लिये क्या योजना है ?

(३) अब तक कितने सस्ते अनाज की दुकानें खोली जा चुकी है ? कुल कितनी दुकानें कब तक खोलने का कार्यक्रम हैं, किस आधार पर ? कृपया जिलेवार खोली गई और खोली जाने वाली दुकानों की संख्या बतलावें।

(४) सस्ते अनाज में कौन-कौनसा अनाज किस-किस भाव से दिया जाता है ? प्रति व्यक्ति कितना अनाज दिया जाता है ?

(५) क्या यह सस्ता अनाज सहायता कार्यों पर काम करने वालों और काम न करने वालों सभी को दिया जाता है ?

(६) क्या दिया जाने वाला सस्ता अनाज सड़ा गला होने की शिकायतें राज्य सरकार को मिली है ? क्या ऐसा खराब अनाज वितरण करने के कारण लोगों में बीमारी फैलने और मरने की शिकायतें भी आई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) राजस्थान में अकाल से प्रभावित कुल जनसंख्या १,३१,६२,९४१ है। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) अकाल ग्रसित जनसंख्या के लिये अनाज की व्यवस्था भारत सरकार से आयातित गेहूं, माइलो, ज्वार, मक्का और बाजरा आदि प्राप्त कर हर क्षेत्र के आवश्यकतानुसार की गई। हर क्षेत्र हेतु कितने अनाज की

(खाद्य मंत्री)

आवश्यकता है इसकी सूचना कम से कम एक माह पूर्व ही प्राप्त कर ली जाती है।

(३) अब तक खाद्यान्न वितरण २९९३ दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। जिलाधीशों को स्पष्ट निर्देश है कि वह आवश्यकतानुसार अपने क्षेत्र में दुकानों की व्यवस्था करें। जिलेवार खोली गई दुकानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(४) सामान्यतया प्रति व्यक्ति ४ किलो गेहूं और ४ किलो मोटा अनाज दिया जाता है तथा भीषण अकालग्रस्त क्षेत्रों में यह मात्रा ८ किलो मोटा अनाज और ४ किलो गेहूं है। भावों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) जी हां।

(६) जी नहीं। सड़ा या गला, सस्ता अनाज नहीं दिया गया। अतः इस कारण लोगों में बीमारी फैलने या मरने आदि का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न
(१८-८-६९)

सरकार द्वारा अकाल पीड़ित पशुओं को बचाने की व्यवस्था

२२४. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कुल कितने पशु अकाल पीड़ित हैं? सरकार की ओर से अकाल पीड़ित पशुओं को बचाने के लिये क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई हैं?

(२) सरकार ने कितना घास व चारा खरीद कर कितने डिपोज में वितरण के लिए रखा है? किस दर से तथा प्रति पशु कितनी मात्रा में रखा है? कृपया जिलेवार डिपोज की सूची उनके अन्दर घास वितरण प्रारम्भ के दिनांक दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें। उसमें यह भी अंकित किया जाय कि अब तक प्रत्येक डिपो पर कितना-कितना घास चारा किसानों को दिया जा चुका है?

(३) अकाल पीड़ित पशुओं को बचाने के लिये कुल कितने घास व चारे की आवश्यकता का अनुमान है? राज्य सरकार अब तक कितने घास व चारे की व्यवस्था कर चुकी है?

(४) भेंट या दान अथवा सहायता स्वरूप कितना-कितना घास व चारा कहां से प्राप्त हुआ है?

(५) क्या यह सही है कि अपने संकट ग्रस्त भाइयों के पशु बचाने के लिये बिना मूल्य लिये सहायता स्वरूप दिये गये घास व चारे को राज्य सरकार आठ रुपये प्रति मन के भाव से मूल्य लेकर बेच रही है?

(६) अब तक कितने पशु भूख से मर गये हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) राजस्थान में कुल जितने पशु अकाल पीड़ित है, उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। सरकार की ओर से अभाव-

(अकाल सहायता मंत्री)

ग्रस्त पशुओं को बचाने के लिये निम्नांकित व्यवस्थाएं की गई हैं:—

(क) राज्य से बाहर निष्क्रमण करने वाली मवेशी को चारे व पानी की मुफ्त व्यवस्था।

(ख) बीमार पशुओं की मार्ग में चिकित्सा व्यवस्था।

(ग) कमजोर पशुओं को जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर से रेल द्वारा निष्क्रमण की व्यवस्था।

(घ) फीडिंग सेन्टर्स पर पशुओं को दाना उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था।

(ङ) कैटल सेन्टर पर पशु संरक्षण की व्यवस्था।

(च) जो मवेशी प्रभावग्रस्त जिलों में रह गये हैं, उनके लिये अनुमानित दर पर चारे की व्यवस्था।

(२) सरकार ने ७,२३,६०६ क्वि. चारा खरीद कर ३१८ डिपोज पर वितरण के लिये रखा है। जिस दर से चारा वितरण किया गया वह इस प्रकार है:—

किस्म चारा	ग्रामीण क्षेत्र दर	नगरीय क्षेत्र दर
तुली	८)	११)
कड़वी	१०)	१३)
घास	१२)	१३)
चने का खार	८)	११)
मूंग	१४)	११)
पाला	१६)	१०)

प्रति पशु कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गई है। जिलेवार डिपोज की सूची और उनके अन्दर घास वितरण की दिनांक एवं कुल मात्रा की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

स्थगित प्रश्न

(१८-८-६९)

६८-६९ में अकाल घोषित जिलों में व्यय

२२५. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वर्ष १९६८-६९ से राजस्थान प्रदेश में किन किन जिलों में अकाल घोषित किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) जिन-जिन जिलों में अकाल घोषित किया है उन जिलों में राज्य सरकार द्वारा अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है ? कृपया जिलेवार व तहसीलवार सूची सदन में रखें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(१९-८-६९)

डूंगरपुर-बांसवाड़े में अकाल का स्थाई हल

२४१. श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा-सु०): क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि डूंगरपुर बांसवाड़े में एक फसली जमीन बहुत है वर्षा

Page No 81

(श्री महेन्द्रकुमार)

का अभाव अधिक होने से वहां अकाल की स्थिति का हमेशा खतरा रहता है ? यदि हां, तो सरकार के समक्ष उसके स्थाई हल के लिए क्या कोई योजना है ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि इन जिलों में चावल, सोपस्टोन, कपास आदि की अच्छी पैदावार होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कच्चे माल की दूसरी ओर निकासी को बन्द कर क्षेत्र में ही, पब्लिक अण्डरटेकिंग, में कारखाने खोलकर रोजगार के साधनों में वृद्धि करने की और कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(१६-८-६६)

अकाल राहत कार्यों के मजदूरों को निर्धारित दरों पर अनाज

२७६. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जालोर जिले के अकाल सहायता केम्पों पर सस्ते अनाज की उचित व्यवस्था नहीं की गई ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं तो क्या-क्या व्यवस्था की गई ? क्या मजदूरों को सब केम्पों पर निर्धारित दरों पर अनाज वितरण किया गया था ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि सरकारी आदेश के अनुसार १२ किलो प्रति मजदूर की दर से अकाल सहायता केम्पों पर अनाज वितरण नहीं किया गया ? अगर हां, तो क्यों नहीं ? अगर नहीं तो किस-किस केम्प पर कब-कब अनाज वितरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) मजदूरों को अकाल सहायता केम्पों पर अनाज वितरण करने की क्या प्रणाली थी ?

उत्तर

(१) जी नहीं । जालोर जिले में अकाल सहायता केम्पों पर या केम्पों से नजदीक की दुकानों से अनाज वितरण की उचित व्यवस्था की गई थी, जहां पर मजदूरों को निर्धारित दरों पर अनाज वितरण किया गया ।

(२) राज्य सरकार के आदेशानुसार ११-४-६६ से १२ किलो अनाज प्रति मजदूर प्रति माह देने हेतु सम्बन्धित तहसीलदारों को निर्देश दिये गये । माह जुलाई-अगस्त, १६६६ में आवंटन मोटा अनाज प्राप्त न होने के कारण १० किलो प्रति मजदूर की दर से अनाज का वितरण केम्पों के पास की सस्ते गल्ले की दुकानों से कराया गया था । केवल तहसील सांचोर व भीनमाल में अनाज वितरण की व्यवस्था केम्पों पर चलती-फिरती दुकानों के द्वारा कराई गई थी ।

केम्पों पर कब-कब अनाज वितरित किया उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) मजदूरों को सहायता केम्पों पर अनाज ओवरसियर, सुपरवाईजर व मेट द्वारा जारी की गई स्लिप पर ही वितरण किये जाने की प्रणाली थी ।

(कृपया परिशिष्ट २५ देखिये)

Page No 82

स्थगित प्रश्न

(१६-८-६९)

अनुसूचित जाति एवं जन-जाति की दशा में सुधार

३०८. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) राजस्थान सरकार गत तीन पंच-वर्षीय योजनाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति की दशा सुधारने में अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि खर्च कर चुकी है ?

(२) इसमें कितनी रकम इन पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये खर्च की गई और कितने कर्मचारियों पर तथा कितना प्रचार पर व अधिकारियों के टी. ए. व डी. ए. पर ?

(३) इन दोनों जातियों के लिए भवनों के निर्माण, अनुदान छात्रवृत्ति पर अलग-अलग जिलेवार कितना व्यय किया गया है ?

(४) सरकार तीन पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन दोनों पिछड़ी जातियों की दशा सुधारने में कहां तक कामयाब हुई है ?

(५) चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार इनकी दशा सुधारने के लिए कितनी धनराशि खर्च करने का अनुमान रखती है ? और किस प्रकार ?

(६) चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास सम्बन्धी कौन-कौन सी योजनाएं चालू की जायेंगी ?

(७) क्या सरकार ने कोई समिति बना रखी है जो इनके कल्याण कार्यक्रम का ध्यान रखती है और अपने सुझाव सरकार को देती है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(१६-८-६९)

दैनिक नवज्योति अखबार की अनिवार्य सदस्यता

३०९. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि विभाग के संचालक ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है कि समाज कल्याण विभाग के सारे ऑफिसों व अन्य इकाइयों में दैनिक नवज्योति अखबार को अनिवार्य रूप से मंगाया जावे ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(२) क्या अन्य अखबारों के लिए भी कोई आदेश जारी किया है ? यदि हां, तो कब और किस अखबार के लिए ?

(३) इस प्रकार का आदेश जारी करने की आवश्यकता क्यों हुई ?

उत्तर

(१) नवज्योति अखबार को समाज कल्याण के सब कार्यालयों व अन्य इकाइयों में अनिवार्य रूप से मंगाये जाने के आदेशों की कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं हो रही है । इसकी तलाश के प्रयत्न जारी है यदि इस प्रकार के आदेश जारी हुए हैं तो

(समाज कल्याण मन्त्री)

इसके औचित्य पर विचार कर इसका संशोधन कर दिया जावेगा।

स्थगित प्रश्न

(१९-८-६९)

ग्रामडिकोला में २०-२५ घरों की कोलोनी

३११. श्री. देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा तहसील के ग्राम डिकोला में गत ६-७ वर्ष पूर्व करीब २०-२५ घरों का कोलोनी बनाई गई थी ?

(२) यदि हां, तो उस पर कुल कितना रुपया किस-किस काम के लिये खर्च हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) इस कोलोनी में कितने समय से कौन-कौन और किस-किस जाति के लोग रहते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) ग्रामीण गृह योजना के अन्तर्गत २० व्यक्तियों को २००० रु० प्रत्येक व्यक्ति को सन् १९६४-६५ में स्वीकृत किये गये थे।

(२) २८,४०० रु० का भुगतान मकान बनाने के लिए ऋण के रूप मे किया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) ग्राम डिकोला की कोलोनी में एक वर्ष से अधिक समय से रहने वाले व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २६ देखिये)

स्थगित प्रश्न

(२०-८-६९)

लोकवाणी सोसाइटी, जयपुर

३१५. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि "लोकवाणी" दैनिक जयपुर का प्रकाशन जुलाई १९६५ में बन्द हो गया था और उस समय इस पत्र का डिक्लेरेशन "लोकवाणी सोसाइटी' इस पत्र को मालिक होने की हैसियत में जिलाधीश, जयपुर द्वारा जारी किया गया था ? कृपया जुलाई, १९६५ तक जिस डिक्लेरेशन के तहत "लोकवाणी" दैनिक का प्रकाशन होता था उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) क्या यह सही है कि श्री सुधाकर शास्त्री ने दिसम्बर, १९६६ में राष्ट्र दर्शन सोसायटी (मालिक) की ओर से प्रकाशक, मुद्रक और सम्पादक के रूप में "लोकवाणी" नाम से दैनिक पत्र निकालने के लिये डिक्लेरेशन लेने के लिये ज़िलाधीश, जयपुर को एक प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो कृपया प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि श्री अमर हंस भूतपूर्व सहायक सम्पादक लोकवाणी ने भी "लोकवाणी" पत्र निकालने के लिये इन्हीं

Page No 84

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दिनों जिलाधीश से डिक्लेरेशन देने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था ?

(४) क्या यह सही है कि जिलाधीश ने इन दोनों प्रार्थना-पत्रों को प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इण्डिया के पास भेजा था और उसने जनवरी, १९६७ में दोनों प्रार्थियों को डिक्लेरेशन देने से इन्कार कर दिया था कि चूंकि "लोकवाणी" एक दूसरे मालिक लोकवाणी सोसायटी द्वारा निकाली जाती रही है। अतः अन्य आदमी को उसका डिक्लेरेशन नहीं दिया जा सकता ? कृपया प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इण्डिया के इन प्रार्थियों के डिक्लेरेशन सम्बन्धी जनवरी, १९६७ की आज्ञाओं की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या यह सही है कि श्री सुधाकर शास्त्री ने २-१-६७का "लोकवाणी" सोसायटी मालिक की ओर से "लोकवाणी" पत्र को पुनः चालू करने के लिये प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक के रूप में डिक्लेरेशन लेने के लिए जिलाधीश, जयपुर के समक्ष प्रार्थना-पत्र पेश किया जिसको जिलाधीश ने मन्जूर किया ? यदि हां, तो इस डिक्लेरेशन की प्रतिलिपि पत्र जिलाधीश की आज्ञा सदन की मेज पर पर पेश करें।

(६) क्या यह सही है कि ३-३-६७ को श्री सुधाकर शास्त्री ने रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एण्ड बुक्स एक्ट की धारा ५ (२ ई.) के तहत राष्ट्र दर्शन सोसायटी मालिक की ओर से लोकवाणी सोसायटी से लोकवाणी पत्र की मिल्कियत ट्रांसफर हो जाने के कारण डिक्लेरेशन अधिकृत कराये जाने के लिए जिलाधीश, जयपुर को प्रार्थना-पत्र दिया जिस पर उप-जिलाधीश जयपुर ने अपने निर्णय ता. २५-३-६७ को इस डिक्लेरेशन अधिकृत करने से इन्कार कर दिया और १५-२-६७ से कौन्सिल फैसले तक "लोकवाणी" पत्र का प्रकाशन अवैध घोषित किया ? कृपया उप-जिलाधीश के निर्णय दि. २७-५-६७ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(७) क्या यह सही है कि जब कि श्री सुधाकर शास्त्री द्वारा दी गई ३-३-६७ की दरख्वास्त उप-जिलाधीश के विचाराधीन थी तो जिलाधीश को एक अन्य दरख्वास्त राष्ट्र दर्शन सोसायटी की ओर से श्री सुधाकर शास्त्री ने लोकवाणी पत्र का डिक्लेरेशन लेने के लिये दी जिस पर जिलाधीश ने २२-३-६७ को या उसके करीब प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इण्डिया को डिक्लेरेशन देने के लिये सिफारिश कर दी और रजिस्ट्रार ने डिक्लेरेशन की मन्जूरी १२-९-६७ को दे दी ? कृपया श्री सुधाकर शास्त्री की दरख्वास्त व डिक्लेरेशन जिलाधीश की सिफारिश और रजिस्ट्रार के आदेश की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(८) क्या यह सही है कि श्री सुधाकर शास्त्री ने जिलाधीश के सामने अपनी इस दरख्वास्त में जिस पर जिलाधीश ने २२-५-६७ को डिक्लेरेशन देने की सिफारिश की, इस तथ्य को सामने नहीं रखा था कि जनवरी, १९६७ में उनकी इसी प्रकार की दरख्वास्त प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इण्डिया से खारिज हो चुकी है ?

(९) क्या यह सही है कि जिलाधीश द्वारा राष्ट्र दर्शन सोसायटी के नाम से डिक्लेरेशन देने के समय श्री सुधाकर शास्त्री राष्ट्र दर्शन सोसायटी की ओर से लोकवाणी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
पत्र का प्रकाशन किसी प्रकार का डिक्लेरेशन न होते हुए भी अवैध रूप से कर रहे थे ? ऐसे कानून की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को डिक्लेरेशन की सिफारिश जिलाधीश ने किस आधार पर की ?

(१०) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एण्ड बुक एक्ट की धारा ८ बी. के तहत मजिस्ट्रेट को दिये हुए डिक्लेरेशन को कुछ नये तथ्य सामने आने पर कैन्सिल करने का अधिकार है ? यदि हां, तो राष्ट्र दर्शन सोसायटी की मिल्कियत में श्री सुधाकर शास्त्री को लोकवाणी के प्रकाशन का डिक्लेरेशन रद्द करने के लिये कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया ?

(११) क्या यह सही है कि ५-५-६७ से जिस दिन उप-जिलाधीश ने अपने निर्णय द्वारा "लोकवाणी" का प्रकाशन अवैध करार दिया १२-९-६७ तक की लोकवाणी का अवैध प्रकाशन लगातार चालू रहा ? यदि हां, तो इस कानून की अवहेलना के लिए श्री सुधाकर शास्त्री के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(२०-८-६९)

पटवारी के साथ छूआछूत का मामला

२७५. श्री परसराम नंगाराम (परबतसु०): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सूरतगढ़, राजस्थान नहर पटवारी प्रेमकुमार से छूआछूत करने के विषय में तहसीलदार के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की गई थी ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा हुआ और राज्य सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाया है ?

उत्तर
(स्थगित किया गया)

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय ....

कई माननीय सदस्य : सुनाई नहीं देता।

श्री अध्यक्ष : जोर से कहिये।

विशेषाधिकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं स्वीकृति

श्री यशवन्तसिंह नाहर (सभापति, वि० स०) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह प्रतिवेदन क्या है ?

श्री अध्यक्ष : पढ़ कर सुनाया जावे क्या ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऑपरेटिव पोर्शन सुना दें केवल।

श्री अध्यक्ष : पहले मैं इसको विचारार्थ ले लेता हूं।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन विचारार्थ लिया गया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इसके जो इम्पोर्टेन्ट एक्स्टेक्ट्स हैं वे सुना दीजिये। मामले के तथ्यों से तो सदन वाकिफ है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : माननीय अध्यक्ष महोदय, तथ्य जो हैं वे....

कई माननीय सदस्य : आवाज नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष : आवाज को जरा ठीक कर दीजिये, माइक मैन।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आवाज आती है।

श्री अध्यक्ष : आती है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इस विशेषाधिकार के सम्बन्ध में....

कई माननीय सदस्य : आवाज नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष : आप इसको (माइक को) ठीक से कर लीजिये न ?

श्री रामकिशन (वैर) : आप आगे आ जाइये न साहब।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इस विशेषाधिकार के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में जो घटना घटी है, उसके तथ्यों पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं समझते हुए मैं यही निवेदन करूंगा कि तारीख २५ को तीन बजे हमने दोषी और अभियोगी को तथा इसमें जिन साक्षियों को प्रस्तुत किया गया, उनके बयान लिये।

कई माननीय सदस्य : सुनाई नहीं देता साहब।

श्री अध्यक्ष : आप अपना मुंह माइक पर ही अड़ाये रखिये। थोड़ा इधर (इसे) फिट कर लीजिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : (आगे के माइक पर आकर) और इन साक्षियों से और बयानों से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि श्री रामेश्वरलाल, प्रधान, पंचायत समिति, कुचामन ने विशेषाधिकार का हनन किया है। लेकिन उन्होंने इसके लिये बिना शर्त माफी मांगी है इसलिये समिति ने सिवाय एक के (श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा के) जिन्होंने नोट ऑफ डिसेन्ट अलग से दिया है, बाकी सब सदस्यों ने यह माना कि उनको माफी दे दी जावे। इसलिये मैं इस सदन से सिफारिश करूंगा कि इनकी क्षमा स्वीकार की जावे। आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंहजी हाड़ा ने जो नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है उसमें उनका यह कहना है कि माफी देदी जावे पर सदन के समक्ष उनको कहा जावे कि सदन के समक्ष वे माफी मांगें और इसके बाद माफी दी जावे।

बाकी सदस्यों का यह मत था कि यह समिति इस सदन का ही एक अंग है। फिर हमने मीटिंग को इसलिये एडजोर्न भी किया कि माननीय सदस्य श्री महेन्द्रसिंहजी को अवसर दिया जाय कि वे एक भी ऐसा उदाहरण ब्रिटिश पार्लियामेन्ट का या भारतीय संसद् का या हमारी दूसरी किसी भी विधान सभाओं में होने वाली विशेषाधिकार समिति में यह कहा गया हो कि समिति के समक्ष तो माफी न मांगी जावे, समिति अपने अधिकार का उपयोग न करे और सदन के समक्ष आकर ही माफी मांगे, ऐसा एक भी उदाहरण वे बतादें ताकि सर्वसम्मति से अपनी राय प्रस्तुत कर सकें। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई इन्स्टान्स नहीं बताई।

श्री भवानीसिंह दांता (रामगढ़) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

Page No 87

(श्री मदनसिंह दांता)

अध्यक्ष महोदय, हाउस में निर्णय यह लिया था कि इसकी जांच की जावे न कि माफी दी जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस प्रश्न को समझे नहीं हैं। यह प्रतिवेदन सिफ़ारिश के साथ सदन में प्रस्तुत है और जांच करने का प्रश्न जहां तक है सभी स्टेटमेंट्स की जांच की है, सभी पहलुओं की जांच की है, क्वान्टम ऑफ पनिशमेन्ट पर भी जांच की है और तथ्यों की भी जांच की है और फिर अपनी सम्मति के साथ उस को यहां रखा है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने फैसला स्वयं ही ले लिया और माफी भी स्वयं ही दे दी ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

यह फ़ैसला है, ऐसा उदाहरण माननीय सदस्य को कहीं नहीं मिला....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : महेन्द्रसिंह जी को कहीं नहीं मिला जिसमें इस तरह का प्रोविजन हो कि सदस्य सदन के सामने प्रस्तुत हो और सदन कहे तुम माफी मांगो फिर भी आपने (श्री महेन्द्रसिंह) अपना नोट ऑफ डीसेन्ट दिया है। जब माफी बिना शर्त के आ गई है तो उन्हें माफी कर दी जाय इसलिये मैं सदन से सिफारिश करूंगा कि उनको माफी कर दी जाय।

एक माननीय सदस्य : बिलकुल ठीक है।

श्री महेन्द्रसिंह (दिगोद) : मैंने तो उसके अन्दर अपनी राय स्पष्टरूप से व्यक्त की है। मैंने कभी नहीं कहा कि माफी न दी जाय और उसको हाउस से माफी दिलाई जाय, मैंने तो यह निवेदन किया है कि...

श्री अध्यक्ष : वह है। वह प्रकट है।

श्री महेन्द्रसिंह : जहां तक रामसिंहजी कुड़ी का सवाल है...

श्री अध्यक्ष : आप तो कम से कम बहस नहीं कर पायेंगे।

श्री महेन्द्रसिंह : बहस नहीं है। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं ..

श्री अध्यक्ष : समिति का प्रश्न आ गया है, समिति का प्रश्न है। उस पर आप न बोलें। आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहें तो दे दें।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, समिति के सदस्य को बोलने का हक है। वह तो सबसे पहले बोल सकता है।

श्री मदनसिंह : वह विरोध या पक्ष में कह सकता है। यह व्यवस्था का सवाल है कि समिति का सदस्य जो तय हो गया है वह सदस्य यहां वहां हों या ना के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर सकता है क्या ?

श्री अध्यक्ष : मैं दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विशेषाधिकार समिति का जो प्रतिवेदन, विशेषाधिकार

Page No 88

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

समिति के चेयरमैन ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है २३६ (३) के अन्तर्गत उस प्रतिवेदन को यह सदन ज्यों का त्यों स्वीकार करे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इसका समर्थन करता हूं ज्यों का त्यों स्वीकार किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस पर कोई बहस न हो। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी अपील नहीं होती है और जितना सुप्रीम यह हाउस है, उसको देखना चाहिये। यह समिति सदन की ही समिति है उसने रिकमेन्डेशन की है। यह हाउस के लिये बड़ी ग्रेसफुल है। इसका कॉग्निजेन्स लेना जरूरी था क्योंकि सदन के सदस्य के अधिकारियों पर कुठाराघात किया है और हमने उस मेटर को प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया, प्रिविलेज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। अध्यक्ष महोदय को हमने निवेदन किया था कि पंचायत समिति के प्रधान को गिरफ्तार करके प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश किया जाय, उसने बिना शर्त माफी मांग ली है। अब हाउस की गरिमा इसी में है कि उसे ज्यों का त्यों स्वीकार किया जाय और मेरा निवेदन है कि २३६ (३) के अन्तर्गत सदन इसे स्वीकार करे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सदस्य ने शिकायत की थी उनको भी स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रतिवेदन को जो विशेषाधिकार समिति ने प्रस्तुत किया है, उस प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : लेकिन माथुर साहब से कह दिया जाय कि ऐसे आदमी को प्रोत्साहन न दें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। श्री परसराम मदेरणा, पंचायत एवं विकास विभाग की अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत एवं विकास मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. ४ (एब)पी. एस./ए. आर./१/६६/६४६५, दिनांक १२ अगस्त, १६६६ जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा (संशोधन) नियम, १६६६ जारी किये गये हैं वह सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री भैरोंसिंह (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : मैं राजस्थान राज्य भंडार निगम के दूसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर, बिक्री कर।

(विराम)

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बिक्री-कर (संशोधन तथा चुंगी उत्पादन) विधेयक, १६६६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं एक जानकारी चाहता हूं इस विधेयक को आप इसी सदन में लेना चाहते हैं या प्रवर समिति को सुपुर्द करना चाहते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान बिक्री-कर (संशोधन तथा चुंगी उत्पादन) विधेयक, १६६६ प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : मैं कार्य सलाहकार समिति के...

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं। आॅर्डर! आॅर्डर!!

प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री-कर (संशोधन तथा चुंगी उत्पादन) विधेयक, १६६६ को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया।

श्री व्यास!

कार्य सलाहकार समिति के २१वें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : मैं कार्य सलाहकार समिति के २१वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि सदन कार्य सलाहकार समिति के २१वें प्रतिवेदन से सहमति प्रकट करता है।

श्री नत्थीसिंह : व्यवस्था का प्रश्न एक। अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं—व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या कार्य सलाहकार समिति में...

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तब दूसरे माननीय सदस्य को नहीं बोलना चाहिये।

श्री नत्थीसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है, कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें कार्य सलाहकार समिति की सलाह ले ली गई है या सदस्यों की अनुपस्थिति में इस रिपोर्ट को स्वीकार किया गया।

(१.२७ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

Page No 90

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। यह कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि जब विधान सभा का सैशन बुलाया गया था उस समय हमारे पास जो सूचना उपलब्ध थी उसमें २२-२३ तारीख को अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के ६६-६७ के प्रतिवेदन पर विचार करने का रखा गया था। जो कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन आया उसमें २६ तारीख तक का विवरण आया उसमें कोई जिक्र नहीं आया। अभी जो प्रतिवेदन आज रखा गया उसमें भी अनुसूचित जाति और जन-जाति की कोई बात नहीं रखी तो मैं निवेदन करना चाहूंगा इस तरह और मेरे सुनने मे यह भी आया है कि यह जो अनुसूचित जाति एवं जन-जाति रिपोर्ट विचारार्थ लेने का विषय था उस विषय को कार्य सलाहकार समिति में दूसरे सदस्यों ने सुझाव दिया था लेकिन उन सुझावों को सरकारी पक्ष ने अवाइड कर दिया। अभी जहां तक मुझे पता है—मैं यह जानना चाहूंगा इस आयोग की जो रिपोर्ट ६६-६७, ६७-६८ जब कि पार्लियामेंट में उस पर विचार हो चुका है और राज्य सरकार उस पर अब भी विचार नहीं होने देती राजस्थान सरकार ने क्या निर्णय लिया है ? क्या अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों के साथ कांग्रेस सरकार का यही तरीका है जो कि उन लोगों के साथ........

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं होगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : हर सैशन में जो भी सैशन आता है अनुसूचित जाति और जन-जाति की रिपोर्ट पर विचार होता है, कुछ समय डिस्कशन होता है सदन में। उन लोगों के प्रति किसी प्रकार की सहायता नहीं होती, सहायता के साथ विचार भी न हो यह कहां तक उचित है, बल्कि कम से कम विचार होना चाहिये। इसके पहले रिपोर्ट ६५-६६ के बारे में भी सरकार ने उग्रता पैदा की थी। स्थिति यहां तक हो गई थी कि सदन में एक सदस्य के माइक की लग गई थी। इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा अगर सदन की यही परम्परा रही तो जो पहले वातावरण हो गया था उससे भी उग्र वातावरण पैदा होगा। इससे हम कभी सहमत नहीं होंगे जब तक गवर्नमेंट विश्वास नहीं देगी कि अनुसूचित जाति एवं जन-जाति की रिपोर्ट को लाया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : सामान्य तौर से आपने अपनी बात कह दी।

श्री डूंगाराम राजोरिया : किसी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं........

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, उसमें कन्ट्रोवर्सी की बात नहीं है। इस कमीशन की रिपोर्ट को सदन में विचारार्थ जरूर लिया जायेगा। २८ तारीख को बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में तारीख तय होगी तब लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य !

श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल कार्य सलाहकार

Page No 91

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

समिति की मीटिंग में यह बात निश्चित तौर से गवर्नमेन्ट की तरफ से नहीं बताई गई कि आखिर वह इस हाउस को कब तक चलाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो भी कार्य सलाहकार समिति की तरफ से निर्णय लिया गया है वह यह है कि केवल २८ तारीख तक का कार्यक्रम रखा गया है। इस शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर बहस होनी चाहिये दो दिन के लिये पहले विचार था। उपाध्यक्ष महोदय, आर० एस० ई० बी० की रिपोर्ट पर पिछले तीन साल से बहस नहीं हो रही है और बजट सैशन में हम बहस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस समय सैशन में बिजिनेस पहले ही बहुत होता है तो ३ साल से उस पर बहस नहीं होती आ रही है, यूनिवर्सिटी के बारे में पिछले जनरल इलेक्शन के बाद ३ बार हम प्रश्न को उठा चुके हैं कि राजस्थान में तीनों विश्वविद्यालयों में जो प्रशासनिक गड़बड़ियां हैं और मसले हैं उनके ऊपर विचार होना चाहिए। अखिल भारतीय स्तर पर पालियामेन्ट तक में इस पर विचार हुआ है और मुख्तलिफ अखबारों में उस पर कमेन्ट्स हुए हैं। इसी तरह से पब्लिक सर्विस कमिशन की रिपोर्ट, विजिलेन्स कमिशन की रिपोर्ट, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह करना है कि आखिर बजट सैशन में हम विचार नहीं कर पाये और एक यही सैशन है फिर इसके बाद बजट सैशन होगा आखिर गवर्नमेन्ट इस मामले में ऐडजस्ट करके नहीं चले तो दिक्कत क्या है ? मैं समझता हूं अब तो गवर्नमेन्ट के सामने मैजोरिटी और माइनोरिटी का भी प्रश्न नहीं है और आज उनकी मैजोरिटी है इसलिए यह महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए और इधर भी बैठने वाले माननीय सदस्यों को उसमें दिलचस्पी होगी कि उनके ऊपर अपने विचार व्यक्त कर सकें तो मैं कहना चाहूंगा कि हाउस में बाकायदा सबके ऊपर पूरी तरह से विचार हो सके। इसलिए गवर्नमेन्ट को अपना माइन्ड बताना चाहिए कि वह कब तक इस हाउस को चलाना चाहती है। मैं समझता हूं कम से कम १० दिन का बिजिनेस और है और तमाम रिपोर्ट्स पर हम विचार कर सकें ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए और यह कहना कि २८ तारीख को पुनर्विचार करेंगे, इससे तो इन्टेन्शन मालूम होती है कि उस समय हाउस को एडजर्न करके गवर्नमेन्ट उस मामले को खत्म करना चाहती है। आखिर हमें अपने भी प्रोग्राम्स बनाने होते हैं और सभी सामाजिक कार्यकर्ता हैं सबके प्रोग्राम बनते हैं टूर्स वगैरह के अगर गवर्नमेन्ट के प्रोग्राम का पता लग जाये कि हाउस कब तक चलेगा तो हम भी उसी के माफिक अपने प्रोग्राम एडजस्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेन्ट बताये कि कब तक हाउस को चलाना चाहती है और हमारा निवेदन है कि इन मसलों को ५ रिपोर्ट्स जिनका जिक्र किया इन्हें अवश्य विचारार्थ लिया जाना चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संबंध में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। मेरे दल के माननीय सदस्य ने मांग की है, वह मेरा ख्याल है कि सर्वथा उचित है। सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है समाज कल्याण आदि में और यह आवश्यक है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट के ऊपर सालभर में एक दफा बहस होनी चाहिए।

Page No 92

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा आपके द्वारा सरकार को कि जनतन्त्र की परम्पराएं रही हैं और उन परम्पराओं के अनुसार मैंने तो यह नई ही प्रक्रिया सदन में देखी कि हर दूसरे, तीसरे दिन कार्य सलाहकार समिति को बुला लिया जाता है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति का सदस्य नहीं हूं लेकिन मुझे बुला लिया जाता है और मैं जाकर वहां पर बैठता हूं और फिर पूछता हूं मैं, तो जवाब मिलता है दो दिन के बाद फिर बात कर लेंगे। तो न तो ऐसी प्रक्रिया लोकसभा में है और न राज्य सभा में है और न अन्य किसी विधान सभा में होगी। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य जो अलवर से आये हैं उन्होंने भी यह कहा कि आखिरकार हमको भी हमारी सुविधाओं को देखना है और यह कह देते हैं कि दो दिन के बाद हम कर लेंगे तो आपकी सुविधायें तो सर्वोपरि हैं दूसरे आदमी तो सब जानवर हैं। तो सरकार को मेरा विनम्र निवेदन है कि कम से कम इसका इन्डीकेशन तो हमको देना चाहिए, अनुमान हमको होना चाहिए कि आखिरकार सदन को आप कितने दिन चलाना चाहते हैं, कौनसी तारीख तक चलाना चाहते हैं। ठीक है एक दिन, दो दिन इधर-उधर हो तो यह नयी बात नहीं है लेकिन यह क्या बात कि दो दिन के बाद फिर कार्य सलाहकार समिति को बुला लेंगे और फिर बात कर लेंगे और तय कर लेंगे। मेरे ख्याल में यह जो सरकार की तरफ से व्यवस्था कायम की गयी है वह स्वस्थ परम्परा नहीं है और सरकार का ध्यान मैं इसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आपको चाहिए कि हमको अनुमान दें कि सदन की कार्यवाही कितने दिन आप चलाना चाहते हैं और साथ ही साथ मेरे दल की भावनाओं को लेकर माननीय सदस्य जो मेरे दल से बोले उनका समर्थन करते हुए मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट भी इसी सत्र के अन्दर यदि सम्भव हो, बहुमत आपका है आप ना कर सकते हो, कर सकते हो लेकिन सम्भव हो तो इसी सत्र में इस पर बहस हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीराभाई !

श्री हीराभाई : (कुशलगढ़–सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन आज माननीय मंत्री महोदय ने पेश किया है उसको देख कर मुझे दुःख है। हमारे भी दल के सभी सदस्य हैं यह भी मैं मानता हूं और इन्होंने जो प्रोग्राम बिजनेस का तय किया है उसके बारे में हो सकता है आगे पीछे कर लें लेकिन मुझे एक बात का दुःख है कि सबसे पहले पूरे सदन को मालूम है कि राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था और अभी तक चल रहा है और १५ अगस्त से रिलीफ के काम बन्द कर दिये गये हैं और अकाल पर बहस करने के लिए पहले २२ तारीख तय की थी और उसके बाद २५ और २९ तय की और उसी तरह से यह मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो मुझे तो दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि किसी को यह भी पता नहीं है कि १५ अगस्त से जो राहत कार्य बन्द किये उस पर विचार नहीं कर रहे हैं और वहां पर काम नहीं चलेगा तो क्या १५ अगस्त के बाद १५ दिन तक आप भी खाना बन्द कर दीजिए सदस्य महोदय, पता नहीं अकाल पीड़ितों की क्या स्थिति होगी? तो उसके बारे में बार-बार टाइम बदलना विधान सभा के सदस्यों के साथ खुला धोखा है।

(श्री हीराभाई)

इसके अलावा दूसरे बिजिनेस भी है, मसलन वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट भी पेश करनी है, दूसरे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाली रिपोर्ट भी रखनी है तो उसके बारे में कार्य सलाहकार समिति को चाहिए कि वह १० दिन का, १५ दिन का या ५ दिन का प्रोग्राम डेफिनेट तय कर दे ताकि हम लोग अपने-अपने क्षेत्र की समस्यायें यहां पर टाइम पर पेश कर सकें। अगर आप दो तीन दिन का टाइम बढ़ायेंगे तो आप क्षेत्र की भावनाओं को छोटा दुख मानते हैं, लेकिन यह इतना बड़ा भारी होगा कि इन्सान खतम हो जायेंगे। इसलिए अकाल के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में ध्यान में रख कर कब तक यह विधान सभा चलायेंगे इसको हमें बताना चाहिए। मेरी तरफ से तो आज बन्द कर दीजिए मैं कोई ३१ रुपये का मोहताज बन कर राष्ट्र के धन को बिलकुल बरबाद करने के लिए तैयार नहीं हूं लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वह निश्चित रूप से तय हो जाना चाहिए ताकि हमें उसके अनुसार कार्यवाही करने में सुभीता हो।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति के बारे में एक बात का निर्णय करना चाहिए क्योंकि आजकल का जमाना है कि सब के प्रोग्राम्स होते हैं और कई काम होते हैं। तो या तो पूर्ण रूप से निश्चित कीजिए कि इस तारीख से इस तारीख तक सदन चलायेंगे—हां एक दो दिन का आगा-पीछा हो सकता है बाकी हम शॉर्ट नोटिस क्वश्चन, काल अटेन्शन मोशन देना चाहें तो दे सकते हैं और हमें मालूम होना चाहिए कि कार्य-क्रम इस तरह से चलेगा। आप समय-समय पर बैठकर पांच-सात सदस्य प्रोग्राम बना लेते हैं और वह समय-समय पर पलटते जाते हैं इसलिए हम अपने कार्यक्रमों को एडजस्ट नहीं कर पाते है। कितना हमें एडजस्ट करना पड़ता है? हरेक आदमी दौड़ना चाहता है और वह दौड़ में पीछे रह जाता है। कार्यक्रम बिलकुल तय होना चाहिए, डेट होना चाहिए। यह आपने कहा ज्यादातर हम लोग तो चुपचाप बैठे रहते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो वह सीमित समय में काम होना चाहिए और तारीख निश्चित होनी चाहिए।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी-सु०) : माननीय उपाध्यक्ष, इसके लिए मुझे निवेदन यह आपसे करना है कि गत सदन में शिड्यूल्ड कास्ट कमिशन की रिपोर्ट हमें मिली थी तो उस समय यह निश्चय हो गया था कि इस सदन में वह रिपोर्ट डिसकस विधान सभा में होगी। वह पहले सत्र में नहीं हो सकी, दूसरे सत्र में नहीं हो सकी। हमें आश्वासन दिया गया था कि उसको शामिल कर लिया जायगा, लेकिन पूरा टाइम निकल जाने के बाद भी उसको इस सत्र में नहीं रखेंगे। हमें इस बात का बड़ा अफसोस है।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात कई माननीय सदस्यों ने कह दी है इसलिए मैं समझता हूं कि इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : विशेष बात न कहकर, माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि समाज-कल्याण विभाग है उसके राजस्थान में जो मंत्री महोदय हैं वे अपने आसन पर जबसे आसीन हुए हैं तब से विधान सभा के जो सत्र चले हैं उनके अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिशन की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई है उसमें

Page No 94

(श्री लादूराम सुल्तानिया)

जो राजस्थान का भाग है वह रखा जाना चाहिए था। वह नहीं रखा गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे हरिजन मंत्री के काबिल नहीं हैं और उनसे त्याग-पत्र दिलाया जाय या उनसे यह विभाग छीन लिया जाय और मुख्य मंत्रीजी को चाहिए कि इस महत्वपूर्ण विभाग को अपने हाथ में रखें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात से साबित हो गया है कि जब वे शिड्यूल्डकास्ट कमिशन की रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं इसलिए यह विभाग उनसे छीन लिया जाय, और शिड्यूल्ड कान्ट्स कमिशन की रिपोर्ट का जो राजस्थान का भाग है उसको इसी सदन में प्रस्तुत किया जाय और प्रस्तुत करके उसका समर्थन दिलाया जाय। ऐसी मेरी मन्शा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब हम सोच रहे थे तो ऐसा निवेदन किया गया था कि सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों की बार-बार जो सीमा बढ़ाने की प्रक्रिया है वह बड़ी खतरनाक है। न तो कार्यक्रम निश्चित हो पाता है और न हमारा दिमाग ही बन पाता है। कल तो सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों का व्यवहार यह रहा है कि वे चुप रहे। २९ को क्या होगा यह २८ को बतलायेंगे। आपका भी कार्यक्रम होता है इसलिए हम सरकार से निश्चित चीज चाहते हैं कि जो कार्यक्रम सामने हो उसके बारे में पहली मीटिंग में तय कर लें सारी बातें जैसा कि माननीय रामानन्दजी ने और महारावल साहब ने जिक्र किया है। सारे कार्यक्रम को तय कर लें कि किस तारीख तक चलाना चाहते हैं इसकी सूचना हमें दी जाय ताकि हमारा दिमाग भी बन सके और हम कार्यवाही में हिस्सा ले सकें। बार-बार समय बढ़ाने की प्रक्रिया से हम लोगों में भी असन्तोष है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : माननीय विपक्ष में बैठे हुए सदस्य जो हैं वे कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को देखते हुए ऐसे मूड में हैं कि बिजिनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिससे हाउस दो-तीन दिन और सेशन में रहे। ये जानते हैं कि एक दिन रह गया है तो आज के बिजिनेस को हर तरह से आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। जो भी बिजिनेस हो उसको पहले ही चाक आउट करके हाउस में रख दिया जाय ताकि ये भी शान्त रहें और हम भी शान्त रहें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर,): उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में एक बात कही कि बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में ५-७ सज्जन बैठकर चाहे जो फैसला कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि यह कार्य सलाहकार समिति के प्रति न्याय नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : न्याय किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि सदन को जानकारी है हम कार्य सलाहकार समिति में इस बात की मांग करते आये हैं कि कार्य सलाहकार समिति या सरकार एक निश्चित अवधि को घोषणा करे कि आखिर आपकी मंशा कब तक सदन को चलाने की है, एक

Page No 95

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बार डिक्लेयर कर दें कि हाउस को इतने दिन चलाना चाहते हैं। हमसे पूछ लेते हैं मगर हमारी बात नहीं मानते हैं और न अपना दिमाग देते हैं। हमने स्वयं ने इस बात का आग्रह किया है कि गवर्नमेन्ट यह तय करदे कि यह लास्ट डेट है और इस तारीख से आगे हाउस को चलाने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम प्रायोरिटी बता सकें यह बिजिनेस पहले लेना चाहिये। अभी शिड्यूल्ड कास्ट कमिशन की रिपोर्ट बाकी है। हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिये आग्रह किया है। हमने पी. एस. सी. की रिपोर्ट का आग्रह किया है, और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनमें पॉलिसीज के क्वेश्चन शामिल हैं। राजस्थान के फोर्थ प्लान पर डिबेट क्यों नहीं हो रही है जब कि बाकी की असेम्बलीज में हो रही है? नीति से सम्बन्धित प्रश्नों को सरकार साइड ट्रेक करना चाहती है। उन पर डिबेट नहीं कराना चाहती है हाउस में। इसलिए ये सारे बिजिनेस रोजाना बारबार पोस्टपोन होते हैं। पोस्टपोनमेंट की स्थिति में बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है। मुझे जहां तक याद है कि यह आपने आंशिक परिवर्तन किया है बीसवें प्रतिवेदन में, लेकिन बीसवां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अगर वास्तविक रूप में किया है तो स्वीकार नहीं हुआ है। बीसवां प्रतिवेदन जिसमें परिवर्तन करना चाहते हैं उसको हाउस ने एडॉप्ट नहीं किया है। यह स्थिति है गवर्नमेंट के नॉन-बिजिनेस होने की। गवर्नमेंट कितनी इनडिफरेन्ट है हाउस के प्रति? माननीय सदस्यों को असन्तोष इसलिए रहता है। लोक सभा में अगली तारीख तय हो जाती है कि नवम्बर की अमुक तारीख को लोक सभा की बैठक होगी जिससे सभी माननीय सदस्य अपना प्रोग्राम सेट अप कर लें कि लोक सभा की बैठक इस तारीख को होगी और वहां जाना है। अगली तारीख तय नहीं करते हैं और बिजिनेस के बारे में मुझे तो ऐसा लगता है कि This Govt. is absolutely without business. क्या बिजनेस है यह इनका पता नहीं है। बिल्स एक दिन पहले मिलते हैं हाउस शुरु होने के और उन बिल्स पर कोई एमेंडमेंट देना हो तो वह नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति है। मैं यहां तक कहना चाहता हूँ कि पिछले सत्र की जो प्रोसीडिंग हैं वे अभी तक छप कर नहीं आई हैं। वे अभी तक नहीं मिलती हैं जिससे कि हाउस में डिबेट का स्टैण्डर्ड बढ़ सके, पिछले सत्र में क्या हुआ इसकी जानकारी मिल सके, सवालात कौन-कौन से किये थे उनकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। गवर्नमेंट का ऐसा कण्टेम्प्चुअस एटीट्यूड है हाउस के प्रति कि हाउस को इसका सीरियस नोट लेना चाहिये अगर हाउस के स्टैण्डर्ड को बढ़ाना है, डिबेट्स के स्टैण्डर्ड को बढ़ाना है तो। सब का को-ऑपरेशन हो सकता है। जिस प्रकार से आप राज्य चलाना चाहते हैं तो you have got your way and we have got our say, लोगों को सुनने का मौका दें, लोगों को कहने का मौका दें यहां पर। किस प्रकार से हाउस एडजर्न होता चला जा रहा है गत चार सत्रों का अनुभव है। सारी चीजों को जल्दी में करना चाहते हैं एक-एक मिनिट में बिल पास कराये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में सदन की भावनाओं को ध्यान

(श्री सतोषचन्द्र अग्रवाल)

में रखते हुए निश्चित रूप से घोषणा करें कि जितना भी बिजिनेस है और बिजिनेस के बारे में जितने भी दिन डिस्कशन करना चाहते हैं यह सरकार उसको टालना नहीं चाहती है। सरकार उसके लिए तैयार है चाहे सदन को १० दिन और चलाना पड़े, चाहे १५ दिन और चले। अगर सरकार इस स्थिति में नहीं है कि सदन को और अभी आगे चलाया जाय तो घोषणा करे कि बजट सेशन के पहले फिर दुबारा सत्र बुलायेंगे और उसकी तारीख तय करें कि इस महीने में इस दिन को बुलायेंगे और हाउस में जितना भी पेंडिंग बिजिनेस है उस सारे के सारे को डिसपोज आॅफ किया जायगा, और बजट अधिवेशन केवल बजट के लिए रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री श्रवणलाल के बोलने के लिये खड़े होने पर) कोई नई बात है क्या ?

श्री रामकिशन : इनकी नई बात है। मैंने सुना है।

श्री श्रवणलाल : (हिन्डौन-सु०) माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा कि हमारी सरकार समाजवाद का नारा लगाती है उस तरह से हाउस में बजट सेशन में अमुक विभाग की माग और अमुक रिपोर्ट पेश होती है, लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिशन की जो रिपोर्ट है उसके साथ में इस तरह का पक्षपात किया जाता है कि सन् ६३-६४ की जो रिपोर्ट है उसको ६६-६७ में और जो ६४-६५ की रिपोर्ट है उसको ६९-७० में पेश करेंगे और वह भी तब पेश करेंगे, जब कि कई माननीय सदस्य गम्भीर रूप में उसके बारे में रोष प्रकट करेंगे। पहले तो मेरा यह निवेदन है कि जिस समय बजट सेशन चला उस समय इसको पेश किया जाना चाहिये।

दूसरी मेरी बात यह है कि बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग करते हैं और जो भी प्रोग्राम वह फिक्स करती है उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई भी सदस्य नहीं होने के कारण हमारी वहां पर कोई भी प्रतिनिधि बात नहीं करता है, और जिसके कारण से यह होता है। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि उसके अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का एक आदमी होना चाहिये जिसके द्वारा वह हमारी बात को रख सके और जो रिपोर्ट हमारे से सम्बन्धित है उनको यहां पर पेश करा सकें।

श्री रामकिशन : यह नई बात बता दी है।

श्री मदनसिंह : जब से यह सदन का सेशन शुरु हुआ है तब से आम जनता के आदमी पूछते हैं कि सदन कब तक चलेगा तो हम जवाब नहीं दे सकते कि सदन कब तक चलेगा। वोटर आज तक पूछता है, परन्तु हमें अभी तक पता नहीं हो सका है कि कार्यक्रम क्या है ? इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समर्थन करते हुए निवेदन करता हूं कि १५ जुलाई तक का निर्णय कर लें।

एक माननीय सदस्य : जुलाई नहीं, सितम्बर।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात को रखा

(श्री मथुरादास माथुर)

है कि सदन में कार्यक्रम नहीं लिया जाता है। क्योंकि हाउस बिजिनेस कमेटी में सभी माननीय नेता लोग मौजूद रहते हैं। सदन में जो बिजिनेस चलता है वह कार्य सलाहकार समिति के अप्रूवल से होता है, तब रखा जाता है। मुझे खेद है कि जो कुछ वहां तय होता है, उसका पालन नहीं किया जाता है। जो आज का बिजिनेस रखा है वह बराबर पूरा नहीं होता है। जो कुछ रखा गया वह पूरा नहीं हो पाया है। ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर इतना टाइम लग जाता है कि वह पूरा ही नहीं हो पाता है। मैं आज यह कह दूं कि ९ तारीख तक बिजनेस कम्पलीट हो जाना चाहिये। ११ तारीख को असेम्बली आरम्भ की थी। बिजिनेस कमेटी कह दें यह पूरा हो जाना चाहिये। इसका अगर दोष है तो सभी माननीय सदस्यों पर है। नहीं है तो किसी पर नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए डेट्स आगे जाती हैं। जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल ट्राइब्स की रिपोर्ट के बारे में कहा गया है मैं उनको भी कहता हूं कि यह हमने शुरू में कह दिया था कि यह सदन जब तक जरूरत है चलाया जायगा। इसी सदन में शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर बहस होगी और जरूर बहस होगी। तारीख के बारे में डिस्कस नहीं हो पाया है। इसलिये जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने भी कहा है, जितना सहयोग हमें मिलता है ऐसा अन्य कहीं नहीं होगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इसी बात को दुहरा दूं कि इस सदन के अन्दर जो रिपोर्ट है, २८ तारीख के दिन, कल की छुट्टी है शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर बहस होगी, उसको भी तय कर लिया जायगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि जो बिजिनेस रखते हैं उसके अनुसार पूरा नहीं होता है। माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों की भावना प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन के अन्दर बहस नहीं हो सकती है। यह दो दिन के अन्दर पास कराना चाहते हैं। इसके लिये समय होना चाहिये। शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड ट्राइब्स....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर, माननीय सदस्य। दुबारा भाषण नहीं होंगे।

श्री लादूराम सुलानिया : २८ तारीख को मीटिंग होगी —

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! नियम का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री लादूराम सुलानियां : हो सकता है यह २८ तक चले....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर।

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के २१वें प्रतिवेदन से सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

सहमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:—

(१) श्री रामचन्द्र आर्य, श्री केदारनाथ, श्री मेघराज पंवार, श्री हरजीराम बुरड़क

(श्री उपाध्यक्ष)

व श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान में अकाल राहत कार्यों पर जिन डिग्री-होल्डर्स व डिप्लोमा होल्डर्स को नियुक्त किया गया था उनको दिनांक १५ सितम्बर, १९६९ से पृथक् करने के नोटिस जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(२) श्री मदनसिंह, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक १७-८-६९ को एक बस को जिसे डिग्गी से पावटा वाया जयपुर नेशनल हाईवे को एक दिन के लिये अस्थायी परमिट दिया गया था, उसे रोडवेज के फ्लाइंग स्क्वैड के थानेदार द्वारा रोक कर उससे रुपये मांगने आदि के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(३) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री नत्थीसिंह व श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है, जिसमें भरतपुर में सिमको वैगन फैक्ट्री के मजदूरों द्वारा पिछले तीन दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किये जाने का उल्लेख किया गया है।

(४) श्री शिवनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा ने झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र के पचलंगी ग्राम के कुछ मीणा जाति के परिवारों के प्रति गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(५) श्री फूलचन्द बाफना, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें पाली जिले के वर्तमान नाडोल ग्राम में जूना खेड़ा की भूमि में से मूर्तियां, तोरण व अन्य पुरातत्व के अवशेषों को लोगों द्वारा चोरी छिपे खुदाई करके अन्यत्र बेच देने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है।

(६) ब्यावर कपड़ा उद्योग के प्रबन्धकों द्वारा कल अचानक एडवर्ड मिल को अनिश्चित काल के लिये बन्द कर देने के कारण मजदूरों के बेकार हो जाने के सम्बन्ध में श्री देवीदत्त गाड़िया ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। श्री रामानन्द अग्रवाल से भी इसी आशय के स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है।

उपरोक्त सभी स्थगन-प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर उस पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथा शीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त और स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो इस प्रकार हैं:—

(१) श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा ने अपने स्थगन प्रस्ताव में यह उल्लेख किया है कि राज्य सरकार द्वारा विधान सभा में पंचायत समितियों के चुनाव दिसम्बर, १९६९ तक कराये जाने का आश्वासन दिया गया था किन्तु अभी तक राज्य सरकार की पंचायत संस्थाओं के चुनाव कराने की तैयारी नजर नहीं आती है जिससे अनिश्चितता बन गयी है।

(२) उन्होंने अन्य एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह कहा गया है कि नगरपालिकाओं एवं नगर निकायों के चुनाव

(श्री उपाध्यक्ष)

इस वर्ष माह अक्तूबर में कराने का एलान राज्य सरकार द्वारा किया गया था किन्तु अभी तक किसी नगरपालिका की न तो सीमाएं ही निर्धारित की गई हैं और न ही नगर निकायों के मतदाताओं की सूचियां प्रकाशित की गयीं हैं।

उपरोक्त दोनों मामलों का सम्बन्ध राज्य सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों से है और ये स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हो सकते।

(३) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया ने दी है जिसमें बारां के तहसीलदार द्वारा बारां तहसील के ग्राम पंचायत रटावत के ३ ग्रामों की ४१३ बीघा भूमि का अनियमित रूप से कुछ व्यक्तियों को आवंटन कर देना बतलाया है।

(४) खाद्य विभाग द्वारा गेहूं आदि खाद्यान्नों को सस्ती दरों पर नीलाम करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

ये मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर आज इन पर विचार किया जाय। अतः मैं इन्हें सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अलावा चार स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है, जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है:—

(१) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा कस्बा रावतसर की पंचायत समिति के प्रधान के घर में डकैती हो जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गयी थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें यह बतलाया गया है कि अब तक पुलिस ने एक ऊंट व कुछ माल कीमतन १३०० रु. बरामद किया है तथा इस मामले में तफतीश चल रही है।

(२) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा के तहसील नोहर व भादरा के भाखरा क्षेत्र में माफीदारों से भूमि की कीमत वसूल करने से सम्बन्धित दूसरे स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी राज्य-सरकार से जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इसमें यह बतलाया गया है, कि तहसील नोहर भादरा के माफीदारों को भूमि की खातेदारी राज्य सरकार के आदेश के तहत दी गई थी। उक्त आदेश में यह स्पष्ट था कि जिन माफीदारों का कॉलोनी के निर्माण से पहिले भूमि पर कब्जा था उन्हें सिर्फ निर्धारित लगान ही अदा करना पड़ेगा, कीमत नहीं। भूमि की कीमत उन्हीं माफीदारों से ली गयी है जो कॉलोनी निर्माण के बाद माफीदार बने हैं पहिले नहीं।

(३) सादुलशहर में दि. ११ अगस्त, १९६९ को लाठी चार्ज की घटना के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो सूचना राज्य सरकार से प्राप्त हुई है उसमें यह कहा गया है कि सादुलशहर मण्डी में स्थिति बिगड़ने का कारण वहां पर कुछ व्यक्तियों द्वारा बहकावे में आकर अनधिकृत कब्जों को चालू रखने व प्रशासनिक अधिकारियों को अपने

(श्री उपाध्यक्ष)

शब्दों से विचलित कराने की गरज से अव्यवस्था की चेष्टा करना है। उसमें यह भी कहा गया है कि वहां पर शान्ति व व्यवस्था कायम करने के लिये पुलिस द्वारा हल्का लाठी चार्ज किया गया था। अब वहां स्थिति सामान्य बतलाई जाती है।

(४) श्री रामानन्द अग्रवाल ने ग्राम नेवाड़ी, तहसील अलवर में नाजायज एलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जो जानकारी दी गयी है उसमें यह बतलाया गया है कि यह मामला एक साधारण भूमि आवंटन का है जो कि अस्थायी रूप से बसिलसिले इन्तजाम काश्त किया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास अब तक किसी ने भी भूमि आवंटन के बारे में कोई शिकायत नहीं की है।

उपरोक्त चारों मामलों में राज्य सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसे देखते हुए ये मामले अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रतीत नहीं होते। अतः मैं इन्हें सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो ब्यावर की कपड़ा उद्योग मिलों के अन्दर मजदूरों के द्वारा हड़ताल करने का कहा जा रहा है ...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने...

श्री देवीदत्त गाड़िया : वहां मजदूरों ने हड़ताल नहीं की है, वहां उपाध्यक्ष महोदय, प्रबन्धक हैं उन्होंने कल से मिल को अनिश्चित काल के लिए बिना कोई...

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था, जिसकी जानकारी नहीं आई है। तीन दिन पहले मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसको आपने रैफर नहीं किया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कारण के बन्द कर दिया है। दूसरे ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : तीन रोज पहले मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसकी मुझे जानकारी अभी कोई नहीं मिली है।

श्री उपाध्यक्ष : उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। उसकी जानकारी अभी नहीं मिली है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, एडवर्ड मिल के बारे में...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, वह देखने में छोटा है लेकिन राजस्थान से वह सम्बन्धित है, किस प्रकार फ्लाइंग स्क्वाड एन्टी करप्शन में नया तरीका अपना कर...

श्री उपाध्यक्ष : उसमें जानकारी प्राप्त की जा रही है, माननीय सदस्य !

श्री मदनसिंह : जानकारी दी हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर को जानकारी दिये जाने के बाद होम मिनिस्टर ने ऑर्डर देकर सम्बन्धित अधिकारियों को जो चार सो बीस....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर। माननीय सदस्य। इसमें जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है। प्राप्त होने पर इस पर निर्णय किया जायगा।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था, अपने भारत के प्रधान मंत्री ने विभिन्न राज्यों....

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी जा रही है, ध्यानाकर्षण पर नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर!

श्री शंकरलाल : उस पर व्यवस्था होनी चाहिए। यह व्यवस्था का प्रश्न है, इस पर व्यवस्था कैसे दी जायगी, कौन व्यवस्था देंगे, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर व्यवस्था कब दी जायगी?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय से मिल लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्रम मंत्रीजी से ब्यावर की हड़ताल के विषय में वक्तव्य दिला दीजिये।

श्री मदनसिंह : सदन की जानकारी के लिए कि उस ऑफिसर ने किस ढंग से काम किया है, वह मय दस्तखत मैंने कागज को सीज किया है और मैं उसे सदन की मेज पर रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उस वक्त ही रखियेगा। इस वक्त रखने से फायदा नहीं है। जिस वक्त सदन में आ जाय उस वक्त रखियेगा। (व्यवधान) जिस वक्त वह....

श्री मदनसिंह : यह मेरे पास है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास ही रहने दीजिये, उस समय देना।

श्री शिवनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, गुढ़ा रोड के बांध के टूटने के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी, उसके बारे में जवाब नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी चाही है आपके प्रस्ताव पर।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : जानकारी चार पांच रोज तक सरकार से नहीं आती है तो फिर स्थगन प्रस्ताव रखने का क्या फायदा?

श्री उपाध्यक्ष : मीणों के सम्बन्ध में है।

श्री शिवनाथसिंह : यह तो है। लेकिन पांच रोज पहले मैंने गुढ़ा रोड पर एक बांध जो वहां टूट गया है, वह सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है, उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। क्या किया जा रहा है?

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में मालूम किया जायगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह जानना चाहूंगा कि मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था, माफीदारों की खातेदारी हक न देने के सम्बन्ध में, तो इसमें आपने यह व्यवस्था दी है कि जो

Page No 102

(श्री रामचन्द्र आर्य)

पुराने माफीदार हैं उनको खातेदारी हक दिये गये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों से आप अच्छी तरह परिचित हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : चर्चा नहीं, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो पुराने माफीदार थे उन सबको खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं, इससे यह स्थिति पैदा हुई है तो इसकी सही जानकारी करवाई जाय कि जिन लोगों के पुराने कब्जे थे, पचास-पचास साल से जिनके कब्जे में जमीन चली आ रही है और जिनके बाप के नाम जमीन थी उनके बाप के फौत होने के बाद खुद काश्त उनका लड़का करता है तो उनको भी खातेदारी अधिकार मिलने चाहियें थे, लेकिन वह नहीं मिलें....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें स्पष्ट कहा गया है, माननीय सदस्य। उक्त आदेश में यह स्पष्ट था कि जिन माफीदारों का कॉलोनी के निर्माण से पहिले भूमि पर कब्जा था उन्हें सिर्फ निर्धारित लगान ही अदा करना पड़ेगा कीमत नहीं। यह स्पष्ट है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खेद का विषय है, उनसे कीमत ली जा रही है, यह एस. डी. ओ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के पुराने कब्जे थे जमीन पर, उनको एस. डी. ओ, नोहर ने एक माफीदार के बारे में फैसला किया है, इस तरह के अनेक माफीदारों के केसेज में फैसले दिये हैं इस बिना पर कि तुम्हारे बाप की जमीन का तुम्हारे नाम इन्तकाल नहीं हुआ है, इसलिए खातेदारी हक नहीं दिये जा सकते।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अलग नहीं है, बहुत तादाद में लोगों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। इसकी सही जांच करवाई जाय और वास्तव में जो खातेदारी पाने के हकदार हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि एक आदमी को खातेदारी अधिकार दे दिये गये और बाकी लोगों को उससे वंचित रख दिया गया। यह बड़ा गम्भीर मामला है और गरीब आदमी सौ-सौ सालों से लोगों की जूतियां चटकाते फिरते हैं।

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि सरकारी जवाब में बताया गया है कि जिस तारीख को कॉलोनी एरिया घोषित किया, उसके पहले कोई भी ग्राम सेवक उस जमीन पर काबिज था, उससे खातेदारी दिये जाने के क्रम में कोई भी कीमत वसूल नहीं की जायगी, सिर्फ जो गवर्नमेंट की लगान रेट है वह वसूल की जायगी। अब माननीय सदस्य ने एक बात कही कि इस प्रकार के बहुत से मामले उनके नोटिस में आये कि जो पुराने माफीदार थे और लगातार अब तक उनको खातेदारी चलती आई है, उनसे खातेदारी जब देने का प्रश्न आता है तो कीमत वसूल की जाती है। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि जितने इस प्रकार के मामले हैं, वह मेरे नोटिस में लायें तो जो कुछ भी घोषित की है अपनी नीति, जो माननीय उपाध्यक्ष महोदय

(श्री शोभाराम)

ने आपके सामने रखी, उसके मुताबिक उनको बिना कीमत के जो कॉलोनी एरिया घोषित होने के पूर्व थे खातेदार, उनको खातेदारी हक मिलेंगे और इस प्रकार के जितने मामले हैं, वह मेरे नोटिस में लाये जायें ताकि उनको दुरुस्त किया जाय....

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं किस-किस की लिस्ट पेश करूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी जितनी जानकारी हो, उसकी लिस्ट पेश कर दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : जिनके फाइल्स सरकार के पास हैं, उनका निरीक्षण किया जाय, उन्हें मंगवा लीजिए, उस पर आप निर्णय करें, मैं किस-किस के पास जाऊं ?

श्री शोभाराम : इसके अलावा हम एक निर्देश और भी दे रहे हैं कि नीचे स्तर पर जो इस प्रकार के मामले कीमत लगाने के लिए तय किये हैं और जिनमें कीमत नहीं लगनी चाहिए थी उन मामलों पर सम्बन्धित अधिकारी पुनः विचार करके, हमारे निर्देश के अनुसार फैसला करें।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री देवीदत्त गाड़िया के खड़े होने पर) लंबा भाषण नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने ब्यावर मिल के बारे में कहा उसके बारे में मंत्री महोदय वक्तव्य दे रहे हैं। इस संबंध में जो दूसरा स्थगन प्रस्ताव है बारां तहसील के तीन गांवों में ४१३ बीघा जमीन तहसीलदार बारां ने ऐसे व्यक्तियों को दी है जो व्यापार करते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके पास निजी भूमि है, कायत की, उन लोगों को फर्जी कार्यवाही करके और उन लोगों को जो सेना में रहने वाले हैं, अवकाश प्राप्त मिलिटरी वाले हैं। उनको न देकर और २०० शिड्यूल्डकास्ट के लोगों को न देकर, तहसीलदार ने राजनैतिक आधार पर जो १ जून का दिन निश्चित किया था उसके बजाय ४ जून को बोगस ढंग से नेताओं को खुश करने के लिए ४१३ बीघा जमीन एलाट कर दी और जिन लोगों ने को-ऑपरेटिव फार्मिंग सोसायटी बनाई है उनको नहीं दी। महत्वपूर्ण प्रश्न है सरकार की मूलभूत नीति का, तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री देवीदत्त गाड़िया : सदन के अन्दर इस संबंध में राजस्व मंत्री से जानकारी प्राप्त करके वक्तव्य दिलाया जाय और जिन लोगों को ४१३ बीघा जमीन, श्री प्रभुलाल गुप्ता आदि को दी है उन पर रोक लगायें और जो शिड्यूल्ड कास्ट व मिलिटरी वाले अवकाश प्राप्त हैं, जिनके परिवार वहां रहते हैं, उन लोगों को भूमि दिलायें, इसलिए इस संबंध में मंत्रीजी से वक्तव्य दिलायें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : मैं एडवर्ड मिल के बारे में वक्तव्य दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री द्वारा वक्तव्य महालक्ष्मी मिल्स के बारे में।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एडवर्ड मिल्स ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है, उसका उत्तर भी आज दिलायें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : १५०० मंत्री बेकार हो रहे हैं....

शासकीय वक्तव्य एडवर्ड मिल्स, ब्यावर सम्बन्धी

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : एडवर्ड मिल्स कम्पनी लि०, ब्यावर काफी समय से आर्थिक संकट से गुजर रहा है। सरकार द्वारा इस मिल का प्रबन्ध अपने हाथों में लेने के पूर्व भी इसकी आर्थिक स्थिति विषम तथा गम्भीर थी। सरकारी नियन्त्रण के समय स्थिति में आमूल परिवर्तन हुआ तथा सरकार द्वारा प्रबन्ध पुनः मिल व्यवस्थापकों को देने के समय इसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ हो चुकी थी परन्तु व्यवस्थापकों के हाथों में आने के पश्चात् स्थिति में निरन्तर अन्तर आता गया तथा इसके कारण श्रमिक एवं प्रबन्धकों के विवाद भी बढ़ते गए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा द्वितीय केन्द्रीय वेतन मण्डल बिल, जो सूती कपड़ा मिलों के सम्बन्ध में पारित किया गया है की सिफारिशों के क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में राजस्थान मिल ऑनर्स एसोसिएशन तथा श्रमिकों के बीच एक समझौता हुआ समझौते की शर्तों के अनुसार प्रत्येक मिल अपने श्रमिकों को ११.२५ रु० एड-हाक वेतन वृद्धि तथा ३.७५ रु० वेतन मण्डल के प्रथम वर्ष की सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। मिल की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धकों ने इस समझौते को लागू करने के बारे में शंकाएं प्रकट की, यद्यपि इस बारे में उनके द्वारा लिखित में कोई अवहेलना नहीं की गई है।

कुछ समय से जबसे यह समझौता सम्पन्न हुआ है मिल मालिकों तथा श्रमिकों के सम्बन्ध कटु चल रहे हैं। मिल मालिक ऐसी स्थिति में मिल को चलाना उपयुक्त नहीं समझते हैं तथा श्रमिकों में भी अनेक प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो चुकी हैं जिससे वे मालिकों के प्रत्येक कार्य के बारे में सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। मिल के बाहर यदि कोई चीज ले जाई जाती है तो श्रमिकों की ओर से उसे बाहर ले जाने के लिए आक्षेप किया जाता है, प्रबन्धकों ने इस सम्बन्ध में सूचना द्वारा यह बतलाया है कि सूत व कपड़े की गाठों को मिल से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। जिसके कारण बैंक से उन्हें रकम मिलने में दिक्कत आ रही है। मालिकों ने यह भी चेतावनी दी कि यदि श्रमिकों द्वारा यह रवैया चालू रहा, तो उन्हें मिल अनिश्चित काल के लिए बन्द करनी होगी।

श्रम आयुक्त की इस सम्बन्ध में दिनांक २५-८-६९ को अतिरिक्त एस० पी० ब्यावर से वार्ता हुई, जिनके कथनानुसार मिल २९-८-६९ से आर्थिक संकट एवं रूई की खरीद न करने के कारण, प्रबन्धकों द्वारा बन्द की जा रही है। उपरोक्त वार्ता के दौरान यह भी बताया गया कि एक पखवाड़े पूर्व मिल से कीमती मशीनरी बाहर ले जाई गई, जिसके कारण श्रमिकों द्वारा मिल से कोई भी वस्तु ले जाने के सम्बन्ध में पिकेटिंग शुरु की गई। श्रमिकों को यह अन्देशा है कि यदि मिल से बाहर वस्तुएं जाने दी गई, तो सम्भवतः उन्हें उनके द्वारा कमाई तनख्वाह का भी चुकारा न हो सके।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रबन्धकों ने दिनांक २९-८-६९ से मिल अनिश्चित काल के लिये बन्द करदी है। चूंकि मिल आर्थिक घाटे के कारण बन्द हुआ है, अतः एव इसे बोनाफाइडी क्लोजर नहीं माना जा सकता। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

विवाद को न्यायाधिकरण के सुपुर्द कर, मिल मालिकों को लॉक-आउट उठाने के बारे में आदेश दिए जायें।

सरकार स्थिति के सम्बन्ध में पूर्णरूप से जागरूक है तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के बारे में वे सभी कदम उठायेगी, जो कानूनी दृष्टि से तथा वैधानिक रूप से उपयुक्त हैं।

जिलाधीश, अजमेर से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रमिक शान्तिपूर्ण ढंग से मिल के बाहर बैठे हुए हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी जिस तरह से मन्त्रीजी ने अपना वक्तव्य दिया है, उससे यह स्पष्ट है कि जो अभी टैक्सटाइल के वेज बोर्ड के सम्बन्ध में मजदूरों और मालिकों में सरकार के माध्यम से जो फैसला हुआ और जिस पर १५) रु० मासिक उनको देना तय किया गया उस वेतन वृद्धि को देने से इन्कार करने की दृष्टि से और व्यवस्थापकों की तरफ से इस प्रकार की कार्यवाही की गई है तो उपाध्यक्ष महोदय, यह मिल पहले भी आर्थिक संकट में आ गई थी, और जिसको सरकार ने अपने नियन्त्रण में लिया था और भारी संकट में आने के बाद थोड़े से समय में ८ महीने के अन्दर इस मिल के अन्दर जहाँ घाटा था और वहाँ काफी मुनाफा इसमें हो गया और उस समय भी श्रमिकों की तरफ से यह बात कही गई...

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में, आपको आशंका हो तो पूछ लीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस समय भी जल्दबाजी करके दिया गया। तो मेरा निवेदन है कि उन्होंने जो मिल बन्द की है और जिस तरह से मन्त्रीजी ने वक्तव्य दिया है कि क्लीयर कट लॉक-आउट गैर-कानूनी है, इस बात को क्लीयर कट टर्म्स में मन्त्रीजी घोषित करें।

दूसरी बात यह गैर कानूनी लॉक-आउट होने के जो प्रावधान होते हैं, जो क्रिमिनल आफेंस की तरह कार्यवाही होनी चाहिये वह करनी चाहिये और फौरन हस्तक्षेप करके मिल को चालू किया जाना चाहिये।

तीसरी बात जिस तरह से यह मिल अब घाटे में चल रही है, जिस तरह से सरकार ने पहले हस्तक्षेप करके उद्योग विभाग ने अपने हाथ में लिया था उसी तरह हम चाहेंगे इस बारे में भी श्रम विभाग सिफारिश करे कि उन्होंने क्या किया है, इस मिल को सरकार वापस अपने हाथ में ले ताकि जो १३०० मजदूर बेकार हो गए हैं, वे नहीं रहें।

जो आक्षेप मजदूरों के सम्बन्ध में उन्होंने किया कि यह चीज रोकने की कोशिश की, उस सम्बन्ध में मेरे पास वहाँ की लेबर यूनियन्स के पत्र हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि इस तरह का मालिकों का आक्षेप गलत है. मालिक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि माल को बेचें, उन्होंने वक्त पर आर्डर नहीं दिया जिसकी वजह से सामान नहीं रहा, रूई नहीं रही तो लाजमी तौर पर जो कच्चा माल चाहिये था वह पिछली ९ तारीख से तमाम यूनियन्स ने जोइंटली सरकार के सामने रिप्रेजेन्ट किया कि इस प्रकार की स्थिति मिल मालिक प्रस्तुत कर रहे हैं और इनकी नीयत मिल को बन्द करने की है। आज १० दिन हो गए प्रतिवेदन दिए हुए

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि मालिकों ने मिल कर बन्द कर दिया है यह लॉकाउट गैर-कानूनी है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : संक्षेप में ही कहूंगा ।

माननीय मंत्रीजी ने इस हड़ताल के सम्बन्ध में और मिल मालिकों के द्वारा जो नीति अपनायी उस सम्बन्ध का विवरण देते हुए वक्तव्य दिया, उस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि मिल मालिकों ने मजदूरों पर यह आरोप लगाया कि मिल से बाहर सामान नहीं निकालने दिया, मशीनरी नहीं निकालने दी, झगड़ा करने के लिये तैयार थे उसकी श्रम विभाग को सूचना दी । क्या श्रम विभाग ने मिल मालिकों, प्रबन्धकों और मजदूरों के बीच मीटिंग बुला कर कार्यवाही की ? क्या श्रम विभाग के अधिकारियों ने अभाव-अभियोगों को सुना ? मैं श्रम मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि मजदूरों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिये सरकार ने यह निर्णय लिया था कि १५ रुपये की वृद्धि दी जाय, आर्थिक स्थिति खराब बता कर....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यह पूछ रहा हूं कि सामान निकालते हैं, बाहर भेजते हैं, मशीनरी निकालते हैं, बाहर भेजते हैं, पैसा रखते हैं लेकिन मजदूरों को नहीं देते हैं । मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि मिल के प्रबन्धकों ने अनिश्चित काल के लिये मिल को बन्द कर दिया, मजदूर बेकार हो गये, मजदूरों की गलती नहीं । महीने दो महीने फैसला नहीं होता है, तब तक वे बैठे रहेंगे तो उन के परिवार के खर्च को चलाने की जिम्मेदारी फिर सरकार की होगी । सरकार क्यों कार्यवाही करना नहीं चाहती है ? मजदूरों का रोजगार कैसे चलेगा ? उसके लिये आश्वासन दें ।

अन्त में यह कहते हुए कि यह मिल सरकार के पास थी फायदे में चल रही थी उसके बाद मिल को प्रबन्धकों को दिया, क्यों दिया, किन कारणों से दिया, देने के बाद कोई एग्रीमेन्ट नहीं लिखवाया कि नुक्सान में चले तो जिम्मेदारी किसकी होगी ? मिल को बन्द करके बैठ गये, तेरह सौ, पन्द्रह सौ मजदूर बेकार हो गये, उनको रोजी देने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं और मिल कब खुल जावेगी, कब हाथ में मिल लेना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : रिलेवेन्ट बात है उसी का जवाब देना चाहूंगा । पहली चीज मैंने निवेदन किया कि इसको बोनाफाइडी क्लोजर नहीं माना है और राजस्थान सरकार की ओर से ट्रिब्युनल कर दिया है जिसका विषय यह है :

Whether lock-out in the garb of closure, on account of alleged acute financial difficulties by the Edward Mills Co. Ltd., Beawar, with effect from 26-8-69 is bonafide, just and valid ? And to what relief, if any, the workmen affected thereby are entitled ?

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अनुसार इसके बाद कार्यवाही की जावेगी और मिल मालिक को आगाह किया जावेगा कि मिल को खोलें और जो भी कानूनी कार्यवाही है, वह की जावेगी। जहां तक मजदूरों की हड़ताल का सम्बन्ध है मैनेजमेन्ट के लॉक-आउट के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। आॅर्डर निकल जावेगा उसके बाद और जो भी गैर-कानूनी लॉक-आउट है उस पर कानूनी कार्यवाही करनी होगी, करेंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर प.) : बन्द होने के पहले....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर माननीय सदस्य।

श्री भगवानदास शास्त्री : केवल एक प्रश्न।

जब यह एडवर्ड मिल लॉक-आउट करने वाले थे सम्बन्धित लेबर अधिकारी हैं उन्होंने सूचना सरकार को दी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लॉक-आउट करने के बाद रेफरेन्स हो चुका है। लेबर कमिश्नर ने अभी सूचना दी है इसलिए जवाब दिया है ! कल ही लॉक-आउट हुआ है।

श्री केदारनाथ : आप इसको टेक ओवर क्यों नहीं करते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : टेक ओवर करना या न करना इसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। एडवर्ड मिल के मालिकों को नोटिस दिया जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्रीजी सम्बन्धित हैं। बाद में उत्तर देने की बात कहें तो बाद में दें। आप एक्शन नहीं लेंगे तो मजदूरों का रोजगार कैसे चालू होगा।

श्री उपाध्यक्ष : महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर के सम्बन्ध में उद्योग मंत्रीजी जवाब देंगे।

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : उपाध्यक्ष महोदय, उसका तो मैं आॅफहैण्ड जवाब नहीं दे सकता। टेक ओवर राजस्थान गवर्नमेन्ट नहीं करती, गवर्नमेन्ट आॅफ इन्डिया करती है।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया जिसमें उन्होंने यह बात कही कि मिल घाटे मे चल रही है और मिल का सामान वगैरा खरीदा और उसमें घाटा है और अव्यवस्था चल रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मिल के घाटे का सवाल है यह मिल राजस्थान सरकार ने मिल घाटे में चलने के कारण, बन्द होने के कारण, ही उसको टेक ओवर किया है वरना लेने का प्रश्न नहीं था। राजस्थान सरकार को जब यह मिल मिली उस समय लगभग मिल मालिकों के द्वारा २८ लाख से ऊपर का घाटा किया जा चुका था। मुझे जो सूचना है उसके अनुसार सन् १९६२ में ३ लाख २४ हजार, ६४ में २.८४ हजार, ६५ में ६ लाख ७८ हजार, ६६ में ८ लाख ६६ हजार। ३१-१२-६६ तक २८ लाख ५९ हजार का घाटा हो चुका था।

उपाध्यक्ष महोदय, इस मिल की मशीनरी चालीस-पैंतालीस साल पुरानी है और जहां

(श्री हरिदेव जोशी)

से यह खरीदी गई थी वहां से यह सेकिन्ड हैंड मशीनरी ही खरीदी गयी थी। ऐसा लगता है कि इन पिछले वर्षों में मिल के पूर्व मैनेजमेन्ट ने इसकी यूनिट को रिनोवेशन या रीविटेलाइज करना चाहिये उस ओर ध्यान नहीं दिया और यह स्थिति है कि मिल आज खस्ता हालत में है। जब तक ६०-७० लाख का खर्चा नहीं किया जाय पुनी रिनोवेट नहीं की जा सकती। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने जब इस को टेक ओवर किया उसके बाद में हमने एक्सपर्ट्स से ओपिनियन ली और उस ओपिनियन के अनुसार अब हम उस पर चल रहे हैं और चाह रहे हैं कि इसको रिनोवेट किया जाय। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने रिनोवेट करने के लिये कारपोरेशन बनाया। हम चाहते हैं कि कारपोरेशन टेक ओवर कर ले। कारपोरेशन के प्रतिनिधि यहां आये थे और उन्होंने एग्जामिन किया था। वे निर्णय लेना चाहते हैं कि किस प्रकार सारी यूनिट को रिनोवेट किया जाय। राजस्थान सरकार उन्हीं पर आधारित नहीं रही है। सबसे ज्यादा घाटा बिजली के कारण हो रहा था। हम थोड़ी पूंजी लगा कर हाइडल पावर मिल में ले लें तो मिल का घाटा कम हो जाता है और महीने के कई हजार के घाटे से बचा सकते हैं। इस हालत में राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन से राजस्थान की गारन्टी के ऊपर पांच लाख का लोन मिला और मिल को रिनोवेट करने की कोशिश की। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी रिक्वेस्ट की कि बिजली दी जाय जिससे कि घाटा कम हो जाय।

इसके सिवाय उपाध्यक्ष महोदय, मिल के काम को चलाने के लिये राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता निम्न प्रकार से दी है—७ लाख ५० हजार ओवर ड्राफ्ट के लिये, गारंटी दी गई है। कपड़ा, रूई और सूत के बन्धक आदि के लिये १५ लाख ५० हजार लोन के रूप में और ४ लाख ५० हजार नवीनीकरण योजना के लिये जैसा कि मैंने निवेदन किया ५ लाख की गारंटी और सक्रिय पूंजी के लिये ४ लाख ५० हजार का ऋण। अभी पूर्व ही मैं सूचित किया है कि १ लाख ६७ हजार नवीनीकरण हेतु गारंटी के आदेश राज्य सरकार ने दे दिये हैं। इस प्रकार जो-जो भी काम स्कीम के अनुसार आवश्यक है, अपनी ओर से रकम देने का, इसका रिनोवेट करने का प्रयत्न किया है मगर पूरा रिनोवेशन गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया की मदद से ही हो सकेगा। मैं यह आशा करता हूं कि इस सिलसिले में हमारे जो प्रयत्न हैं वे जल्दी से जल्दी सफल होंगे। इसको जल्दी ही रिनोवेट करने का प्रयत्न हमने किया है। हमने भारत सरकार और दूसरों से यह कहा है कि इस कम्पनी की लागत ४७ लाख ७४ हजार न्यूनतम कीमत मानी जाकर चाहे तो इसको बेच दिया जाये, चाहे इसको कॉरपोरेशन ले लेवे अथवा किसी को बेचने की इजाजत दी जावे। इस पर निर्णय नहीं हुआ है। उनका निर्णय आने के बाद इस दिशा में अगर कोई खरीदने वाला होगा तो उनको देने का प्रयत्न किया जा सकेगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने इसकी व्यवस्था के बाबत में कुछ बातें कही हैं। मैं यह निवेदन करूं कि पिछले दो वर्षों में टैक्सटाइल मिल्स में एक अजीब प्रकार का रिसेशन आया है। इसका प्रभाव जो अच्छी-अच्छी मिलें हैं उन पर पड़ा है

(श्री हरिदेव जोशी)

और इसका प्रभाव सबसे ज्यादा उन पर पड़ा है जिन्हें हम सिक मिल कहते हैं। राजस्थान में ज्यादा मिलें नहीं हैं तब भी यह एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल इस प्रकार की जो मिलें हैं, जिनकी कि मशीनरी पुरानी है, उनके ऊपर इस प्रकार की स्थितियों का ज्यादा असर पड़ा है, घाटा पड़ा है, जो स्वाभाविक है। यह स्वाभाविक है कि जरा से भी उतार-चढ़ाव को ये मिलें बर्दाश्त नहीं कर सकतीं क्योंकि उनके पास फण्ड्स नहीं हैं। जहां तक इसमें घाटे का सवाल है, आप देखेंगे कि न केवल इस मिल में बल्कि राजस्थान की दूसरी मिलों में इन वर्षों में घाटा हुआ है। यह घाटा जयपुर के मिल के अन्दर, ब्यावर की दूसरी मिलों के अन्दर, मेवाड़ टैक्सटाइल मिल और दूसरी जितनी मिलें हैं उनमें थोड़ा थोड़ा घाटा सबमें हुआ है। इसलिये यह कहना कि इस मिल में घाटा केवल अव्यवस्था के कारण हुआ है, ऐसी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी माननीय सदस्य इस मिल को जाकर के देखे। उसके देखने से उसको मालूम हो जायेगा कि इसकी मशीनरी आज के जमाने के उपयुक्त नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य का जो यह कहना है कि यह मिल अव्यवस्था के कारण घाटे में चल रही है ठीक नहीं है बल्कि स्थिति यह है कि मशीनरी इतनी खराब है; आज इसके स्पिनिंग सैक्शन की बात कहूं, यह इस हद तक खराब है कि चाहे पूरी ताकत से; ठीक ढंग से काम करे यह मिल मुनाफे में नहीं चल सकती। सबसे पहले हमने इसमें थोड़ा रिनोवेशन किया। इसके लिये, जैसा कि मैंने निवेदन किया कॉरपोरेशन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को निवेदन किया कि ५१:४९ के रेशों के बेसिस पर या जैसा भी बेसिस तय करें, राज्य सरकार और भारत सरकार इसमें अपना-अपना रुपया लगाकर इसको रिनोवेट करें तब जाकर के यह चालू होगी।

जहां तक शिकायतों का सवाल है मि० शुक्ला रिटायर हो चुके हैं और नये ऑथोराइज्ड कन्ट्रोलर ने अभी टेक ओवर कर लिया है। वे इसको देख रहे हैं। इसलिये काम न करने का प्रश्न नहीं है। जो शिकायतें हमारे पास में आई हैं, उनकी इन्क्वायरी करा रहे हैं। शुरू में जैसा मैंने निवेदन किया कितनी भी अच्छी सुव्यवस्था हो महालक्ष्मी मिल मेरे ख्याल से मुनाफे में तब तक नहीं चल सकती जब तक कि नयी मशीनरी न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार की ओर से जितने भी प्रयत्न किये जा सकते हैं, किये जा रहे हैं और सुधार व्यवस्था के लिये जो किये जा सकते हैं, उसको भी हम देख रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने महालक्ष्मी मिलस के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है, मैं समझता हूं कि मेरे इस स्थगन प्रस्ताव में मुख्य बात यह थी कि जो अव्यवस्था के कारण घाटा हो रहा है, जिसको रोका जा सकता है; उस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया था। मैं मन्त्रीजी की इस बात से सहमत हूं कि मिल में पुरानी मशीनें हैं और उनके रिनोवेशन की आवश्यकता है। परन्तु इन पुरानी मशीनों के होते हुए भी स्वयं सरकार ने जब पहले नियन्त्रक को मुकर्रर किया था, उस समय इस मिल का इन्तजाम काफी ठीक हो गया, नुकसान पर काफी कन्ट्रोल हो गया था और जब श्री शरफअली इसके

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नियन्त्रक थे उस समय इस मिल का इन्तजाम सुचारुरूप से लगातार चलता रहा। श्रमिक भी सन्तुष्ट थे लेकिन जब से श्री शुक्ला इसके इन्चार्ज बनाए गये, उनकी अनुभवहीनता चाहे इसका कारण हो या और कोई कारण हो, इस मिल में जो स्थिति सुधरने पर आई थी, उसमें एकदम वापिस बिगाड़ आया और इस मिल के अन्दर नुकसान खतम हो गया था, नफा-नुकसान बराबर की स्थिति में हो गया, उसमें ११-१२ लाख का नुकसान श्री शुक्ला के नियन्त्रक बनने के बाद हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि श्री शुक्ला ने एक ऐसे व्यक्ति को सैलिंग एजेन्ट मुकर्रर कर दिया जिन्होंने नेपाल के अन्दर कपड़ा बेच दिया। बेचने के बाद व्यापारियों ने वह कपड़ा नहीं छुड़वाया। नतीजा यह हुआ कि कपड़े को वापिस मंगवाना पड़ा। इतने कपड़े का स्टॉक इतने अर्से तक रहा, उस पर ब्याज का नुक्सान हुआ और वह कपड़ा इतने अर्से तक गोडाउन में पड़ा रहा, खराब हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में आप अपनी बात कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि लाखों रुपयों का नुक्सान मिल को हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से रूई के परचेज में हुआ है। इस मिल के अन्दर जिस प्रकार का कपड़ा बुना जाता है, उसके लिये विशेष काउन्ट की, विशेष तरह की रूई आनी चाहिये, लेकिन नियन्त्रक महोदय के अनुभवहीन होने की वजह से गलत किस्म की रूई का ऑर्डर दे दिया गया जिसकी वजह से मिल को काफी नुक्सान उठाना पड़ा है। इसी तरह से वक्त पर स्टोर का ऑर्डर नहीं दिया जाता है, उस पर ख्याल नहीं किया जाता है जिसकी वजह से मिल की कैपेसिटी, प्रोडक्शन की क्षमता एकदम से घटकर, २१ हजार से १४ हजार के ऊपर आ गई। उपाध्यक्ष महोदय, बावजूद मिल की मशीनरी पुरानी होने के, यह जो कमियां हैं, इन कमियों के ऊपर काबू पाया जाता तो यह घाटा न होता। इसी तरह की और कई बातें हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ है जिसके अन्दर भाई-भतीजावाद और अपने आदमी को खासतौर से रखना आदि है। इस प्रकार की शिकायतें यूनियन ने सरकार को दी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि श्री शुक्ला रिटायर हो गये हैं और किसी दूसरे व्यक्ति ने इसका चार्ज ले लिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि शुक्ला की तरह वे ज्यादा अनुभवहीन नहीं होंगे कि इसका और ज्यादा पैंदा बिठा दें। इसलिये ज्यादा अच्छे अनुभवी आदमी को नियन्त्रक बनाया जाये। लेकिन फिर भी इस दौरान जो गड़बड़ियां हुई हैं, उसकी इन्क्वायरी माननीय मन्त्रीजी ने कहा है, हो रही है। कौन कर रहा है और किस स्तर की है और कब तक इसका रिजल्ट आने वाला है इसके बारे में जानकारी देंगे। इन तमाम यूनियनों की ओर से मांग तो यह थी तमाम यूनियन्स ने यह लिखकर दिया है कि जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये ताकि सभी तथ्य सामने आ सकें। यह कहकर कि मशीनरी खराब है इसको हम नवीनीकरण कर रहे हैं इससे अव्यवस्था से जो हानि हुई है उसका निराकरण नहीं हो सकता।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अव्यवस्था को तुरन्त दूर किया जाय। इसके नवीनीकरण की ओर जो कदम उठा रहे हैं वह स्वागत योग्य हैं। इसमें जो अव्यवस्था हुई है उसकी जांच करके जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिये। मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस महालक्ष्मी मिल की भी वही स्थिति न हो जाय जैसी कि एडवर्ड मिल की हुई है। इस मिल को भी बन्द न करना पड़े और मजदूरों को बेकार न फिरना पड़े यह आश्वासन देंगे।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि जो घाटा इन वर्षों में हुआ है वह अव्यवस्था के कारण हुआ हो ऐसा मैं नहीं मानता। जो मिलें रिनोवेट हो चुकी थीं जैसे मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा, जिसको हमने अच्छी हालत में सुपुर्द किया था उसमें भी पिछले वर्ष ५॥ लाख रुपये का घाटा हुआ है। जयपुर टैक्सटाइल मिल को ही ले लीजिये और अन्य मिलों के आंकड़े भी मैं आपके सामने रख देता हूं। एडवर्ड मिल में ७ लाख।

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल ५ लाख ३० हजार।

जयपुर स्पिनिंग मिल में ७ लाख रु.।

कृष्णा मिल में १ लाख ३८ हजार रु०।

और भी दूसरे मिल हैं जिनमें इसी प्रकार से घाटा हुआ है। ये मिलें अपेक्षाकृत महालक्ष्मी मिल्स से काफी अच्छी हैं। आखिर इन मिलों में घाटा क्यों होना चाहिये? महालक्ष्मी मिल में सबसे ज्यादा कमी रनिंग केपीटल का नहीं होना है, कोयले के वैगन आ जाते हैं तो उसको छुड़ाने के लिये पैसा नहीं होता। माल तैयार कर लेते हैं उसको यथास्थान भेजने के लिये रुपया नहीं होता। माल कोई आ जाता है उसको छुड़ाने के लिये पैसा नहीं होता, डेमरेज बढ़ता जाता है इस तरह से होना प्राइवेट मिल्स में बहुत बड़ा हैण्डीकेप होता है। इसकी मशीनरी काफी पुरानी हो चुकी है। यह भी मैं नहीं कहता कि आई० ए० एस० अधिकारी जिनको इस प्रकार के काम के लिये लगा देते हैं वे पूरी तरह से ट्रेण्ड होते हों, यह मैं नहीं मानता। इस बारे में मेरा आग्रह भी नहीं है, ये लोग बहुत अच्छा काम कर पाते हों यह बात नहीं है। अकस्मात उनको बैठा देते हैं, हो सकता है इससे भी व्यवस्था में गड़बड़ी हो सकती है लेकिन खास बात जो मुझे इस बारे में निवेदन करनी है वह यह कि इस मिल का हाल इस तरह का है कि इसकी स्थिति अपने आप में अजीब सी है। इसको रिनोवेट किये बिना यह चल नहीं सकती।

जहां तक एलीगेशन्स का सवाल है उसमें तथ्य भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। इसके बारे में मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। जहां तक उनकी शिकायतों का सवाल है इसकी जांच हो रही है, इण्डस्ट्रीज सेक्रेटरी इसकी जांच कर रहे हैं, जांच रिपोर्ट वे सरकार को देंगे उसके बाद ही कुछ कार्यवाही की जा सकती है।

सबसे बड़ी बात जो है वह इस मिल के नवीनीकरण की है इसके बारे में जल्दी की जा रही है। इसके प्रजेन्ट कन्ट्रोलर हैं वे इसी हफ्ते में दिल्ली गये हैं वे भारत

Page No 112

(श्री हरिदेव जोशी)

सरकार से कोशिश कर रहे हैं वे किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि एडवर्ड मिल की तरह यह मिल बन्द नहीं होने पावे। हम इस ओर ही प्रयत्न करना चाहते हैं कम से कम घाटा हो, अव्यवस्था को दूर किया जावे और मजदूर बेकार नहीं होवें।

श्री उपाध्यक्ष : एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में कृषि मन्त्रीजी का वक्तव्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कृषि मंत्रीजी हैं नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, जब आज के एजेण्डे में उनके वक्तव्य देने का है तो उनको सदन में उपस्थित रहना चाहिये।

श्री विशम्वरनाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग विधेयक प्रस्तुत कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : कृषि मन्त्रीजी के उत्तर के बारे में क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : उसको बाद में ले लिया जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत राजस्थान में स्वायत्त शासन संस्थाओं का निर्वाचन न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर निर्वाचन मन्त्री का ध्यान आकर्षित करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में अधिक कुछ न कहते हुए इस बात पर खेद व्यक्त करता हूं कि हमारी लोकतन्त्रीय शासन पद्धति में स्वायत्त शासन संस्थाओं का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। लोकसभा सम्पूर्ण देश के लिये कानून बनाती है, विधान सभा अपने प्रदेश के लिये कानून बनाती है। इसी प्रकार से ये स्वायत्त शासन संस्थायें अपने-अपने शहरों के लिये अपने-अपने कस्बों के लिये वहां के शासन को संचालित करती हैं।

(२. ४७ म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

हमें इस बात का बड़ा खेद है इसके लिये हम राजस्थान सरकार की निन्दा किये बिना नहीं रह सकते। राजस्थान की नगर-पालिकाओं को जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। राजस्थान सरकार इनके प्रति जो उदासीनता का रवैया रख रही है वह किसी से छिपा नहीं है।

सभापति महोदय, राजस्थान में लगभग १५० नगरपालिकायें हैं, बड़े आश्चर्य की बात है उनमें से एक भी नगरपालिका निर्वाचित नहीं है। सभी नगरपालिकाओं का काम प्रशासक चला रहे हैं। यह एक तरह से जहां लोकतन्त्रीय अधिकारों का हनन है वहां नगरपालिकाओं के निवासियों पर भी कुठाराघात है। यह जो इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हुआ है वह राज्य सरकार के माथे पर कलंक है।

Page No 113

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सभापति महोदय, राजस्थान की नगरपालिकाओं के चुनाव बहुत पहले ही हो जाने चाहिये थे। इन नगरपालिकाओं के चुनाव इनकी अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी नहीं कराना और उन पर प्रशासकों की नियुक्ति करना यह राज्य सरकार और स्वायत्त शासन संस्थाओं के अधिकारों पर कुठाराघात है। यह एन्टी-डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है, इसकी मैं घोर भर्त्सना और घोर शब्दों में निन्दा करता हूं।

सभापति महोदय, आपको स्मरण होगा और जानकारी होगी १७ जून, १९६९ को राज्य सरकार ने राजस्थान राज-पत्र में एक परिपत्र निकाला है उसमें एक गजट नोटिफिकेशन है ६६ नगरपालिकाओं में प्रशासक नियुक्त करने का। इसी प्रकार राज-पत्र में अन्य प्रकाशित नोटिफिकेशन्स के द्वारा भी नगरपालिकाओं में प्रशासकों की नियुक्ति की है। प्रशासकों की नियुक्ति के बारे में मैं अधिक नहीं कहता हुआ निवेदन करना चाहता हूं जो निर्वाचित नगरपालिकायें "नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेन्टेशन" इस आधार पर प्रशासक लोग नगरपालिका क्षेत्र में टैक्स लगा रहे हैं, भूमियों का विक्रय कर रहे हैं। इस तरह से वे स्वायत्त शासन व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं जिनका जन-भावनाओं से कोई ताल्लुक नहीं। वे अधिकारी जिन पर मंत्रीमंडल के लोगों का आये दिन हस्तक्षेप होता है वे उन्हीं के इशारे पर कार्य करते जा रहे हैं।

सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा जो आपकी जानकारी में होगा। अभी कुछ दिनों पहले सीकर नगरपालिका के लिए एस० डी० एम० को प्रशासक नियुक्त किया गया था।

सभापति महोदय, आपको भलीभांति विदित होगा, उन्होंने किस प्रकार नगरपालिका क्षेत्र में लोगों को इजाजत देने के मामलों में, भूमि विक्रय के मामलों में नाजायज तरीकों से रुपया ऐंठने का तरीका अपनाया है।

मैं समझता हूं इस सारी स्थिति में एस. डी. एम. साहब को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह तो जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं ने इस प्रकार की स्थिति पैदा की कि रिश्वत मांगने वाले अधिकारी के खिलाफ एन्टी-करप्शन विभाग को सूचना दी, एक हजार के नोट रंगे हाथों लेते हुए उसे पकड़वाया। तो मैं निवेदन करूं कि यह एक जगह ही ऐसा नहीं है, सभी नगरपालिकाओं में प्रशासकों का यही हाल है। जो अधिकार उनको दिये गये हैं, उनका वे दुरुपयोग कर रहे हैं। पर आप हैं कि उनकी अवधि बढ़ाते गये हैं। प्रशासक नियुक्त करते गये हैं। चुनाव आप कराते नहीं। आपने सदन में बार-बार घोषणाएं भी कीं, समाचारपत्रों में भी निकलवाया कि फलां तारीख तक चुनाव हो जावेंगे। कहने लगे कि इस मई में करा देंगे, अक्टूबर में हो जावेगा। पर मुझे लगता है जिस गति से आपकी मशीनरी काम कर रही है, उससे तो इस साल में भी आप नहीं करा पावेंगे।

यह बड़ी खतरनाक स्थिति है। आज भी आप यह घोषणा करने की स्थिति में नहीं हैं कि राजस्थान को इन लगभग १५० नगरपालिकाओं में अमुक तारीख तक निश्चित रूप से चुनाव करा दिये जावेंगे। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस अनिश्चितता की

Page No 114

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

स्थिति को समाप्त करने की सदन में घोषणा करें कि जिन नगरपालिकाओं की अवधि समाप्त हो गई है और जिन नगरपालिकाओं में प्रशासक नियुक्त किये गये हैं उन समस्त नगरपालिकाओं के चुनाव अमुक तारीख तक निश्चित रूप से करा दिये जावेंगे। कोई भी विघ्न-बाधा पोस्टपोन करने के लिये पर्याप्त नहीं समझी जावेगी। इस प्रकार की स्थिति और घोषणा निर्वाचन मन्त्री महोदय इस सदन में करने की कृपा करें।

मैं जानता हूं निर्वाचन मन्त्री महोदय की मनःस्थिति है पर वे राजनैतिक दबाव में आ जाते हैं। मनःस्थिति होते हुए भी चुनाव नहीं करा पाये हैं। उनको भय है कि जनता का मानस कांग्रेस के अनुकूल नहीं है इसलिये अरबन एरिया में नगरपालिका क्षेत्र में इन चुनावों को जितने दिन टाला जा सके, टाला जाय। यह स्थिति अच्छी नहीं है। नागरिकों के अधिकारों पर यह कुठाराघात है। इस सम्बन्ध में आज मन्त्री महोदय घोषणा करें। पर मैं जानता हूं मन्त्री महोदय तो घोषणा कर नहीं सकते। आपके प्रशासक मनमाने टैक्स जनता पर लगा रहे हैं, जनता विरोध करती है पर उसकी सुनवाई नहीं है। वे धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप रोक नहीं रहे हैं। चुनाव आप कराते नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिये। वे जनता से दूर रहना चाहते हैं। उनके दुःख-दर्द की उनको चिन्ता नहीं। जनता रोती है। नतीजा यह होता है कि चुनाव नहीं होने के कारण, आज निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होने के कारण जनता कहीं अप्रोच कर नहीं सकती, प्रशासक सुनते नहीं। आप तुगलकशाही हुक्म जारी कर रहे हैं। आपकी नकल बैठे-बैठे वे करते हैं। सदन को जानकारी होगी, कोटा में, सीकर में क्या स्थिति पैदा हुई। जयपुर में यह स्थिति पैदा हुई। राजस्थान की सभी नगरपालिकाओं में यह स्थिति पैदा हुई। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं। कोटा मींयड़ी वालों की समस्या सामने आई। आज से बाईस साल पहले हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के विभाजन के समय रिफ्यूजी आये और वे शहरों में जहां-तहां बस गये। थड़ियां बनाकर अपना रोजगार करने लगे। आपके एक-एक तुगलकशाही हुक्म से आज उनको आदेश दिया गया कि वे थड़ियां वहां से हटाई जावें। उन छोटे-छोटे तुगलकों को जनता के दुःख-दर्द का पता नहीं। इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री कृष्णकुमार गोयल को तो इसके लिये भूख हड़ताल करनी पड़ी। उस हुकम को रोकना पड़ा और यह कहा कि जब तक उनको दूसरी जगह नहीं दी जावे, उनको वहां से न हटाया जावे। आज ऐसी स्थिति कोटा में हुई। अनेकों जगह राजनैतिक आधार पर इन प्रशासकों का उपयोग यह सरकार कर रही है। उनके माध्यम से नये-नये टैक्स जनता पर लगा रही है। गरीब जनता को परेशान किया जा रहा है। भूमि का नाजायज विक्रय किया जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति हो रही है। सदन को यह सुनकर ताज्जुब होगा कि जयपुर में आज पिछले २२ सालों में छः साल केवल नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में रही है, बाकी १४ साल प्रशासकों ने काम किया है।

यह सही है जयपुर शहर में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। एक चुनाव यहां नहीं जीत पाई, चारों विधायक-सीटों पर हारी है। यहां संसद के चुनाव में हारी है। आने वाले नगरपालिका चुनावों में भी कांग्रेस जीतने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वाली नहीं है। तो इसी से क्या इस कांग्रेस सरकार को यह अधिकार है कि चूंकि कांग्रेस यहां चुनाव जीतने वाली नहीं है इसलिये कोटा, जोधपुर, अजमेर, जयपुर में चुनाव ही नहीं कराये जावें ? यह सर्वथा निन्दनीय है।

जयपुर शहर राजधानी का शहर है। यहां चुनाव नहीं कराये जावें यह घोर आपत्ति की बात है। प्रशासक महोदय यहां हैं, उनको चिन्ता इस बात की रहती है कि मन्त्री महोदय के यहां शादी है तो फायर ब्रिगेड को वहां जल्दी से जल्दी भेजा जाय। फलां मिनिस्टर महोदय को किसी चीज की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है तो उनको वह उपलब्ध कराई जावे। गलियां सड़ रही हैं, सड़कें और नालियां टूट रही हैं, गन्दगी का ढेर लगा है इसकी चिन्ता उनको नहीं है। अब जनता किसको जाकर कहे। म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर वार्ड के हों तो उनको जाकर जनता पकड़ती है कि यहां गन्दगी का डिपो नहीं रहना चाहिये, सड़कें साफ होनी चाहियें, नालियां बननी चाहियें, सड़कें पक्की होनी चाहियें पर आज जनता कहां जावे ? हैरान है। एम. एल. ए. हैं उनको कह नहीं सकती। जयपुर शहर में निर्वाचित नगरपालिका नहीं होने से सारा जयपुर शहर सड़ रहा है, सड़कें और गलियां गन्दगी से पटी हुई हैं। रिक्शे जा नहीं सकते, वहां ये सारे हालात इसलिये पैदा हो रहे हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की नगरपालिका यहां नहीं है।

इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस नगरपालिका के सम्बन्ध में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की मैंने सूचना दी है सदन उसका समर्थन करे। राजस्थान सरकार निश्चित चुनाव तिथियों की घोषणा करेगी और उन तारीखों तक निश्चित रूप से समस्त राजस्थान की नगरपालिकाओं के चुनाव करा दिये जावेंगे। किसी भी हालत में पोस्टपोन नहीं किये जावेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में रखता हूं।

श्री सभापति : निर्वाचन मन्त्रीजी !

श्री हरिवल्लभ : दो शब्द मैं भी कहना चाहता हूं।

श्री नारायणसिंह मसूदा (निर्वाचनमन्त्री): सभापति महोदय, जयपुर के जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में रखा है और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि नगरपालिकाओं का चुनाव जल्दी कराया जावे। वह काफी अरसे से बाकी है और हो नहीं रहे हैं इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि यहां कई प्रकार की व्यवस्थात्मक जो त्रुटियां हैं वे ज्यों की त्यों हैं या बढ़ती जा रही हैं।

जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है मैं चुनाव विभाग के विषय में कह सकता हूं, पर जहां तक स्वायत्त शासन संस्थाओं में अगर कोई गड़बड़ियां, अनियमितताएं अथवा दायित्व का ह्रास हो रहा है इसके विषय में सक्षम रूप से मैं नहीं कह सकूंगा। मैं इस चुनाव के सम्बन्ध में जहां तक चुनावों का सम्बन्ध आता है यह निवेदन कर सकता हूं कि सारे कार्यक्रम सामूहिक रूप से सारी परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए जब बनाते हैं उसके बाद चुनाव विभाग चुनाव के कार्यक्रम को नियन्त्रित और नियमित करते हुए चुनाव करवाता है और उस हद तक उसकी जिम्मेदारी मेरे पर आ जाती है।

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव यथाशीघ्र हों इसके अन्दर मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है उसके साथ में सारे ही सदन का समर्थन होगा और सरकार भी इतनी ही चिन्तित है। पर संयोग से परिस्थितियां ऐसी बनती रहीं कि जिनके कारण यदा-कदा चुनावों के विषय में जो तारीखें मुकर्रर हुई उनको बदलना पड़ा। परिस्थितियों में ज्यादा सक्षम रूप से निवेदन करूं तो कुछ प्रशासनात्मक थीं, जो बोर्ड बनाया गया था असन्तुलित था और कुछ हमारे प्रदेश में अकाल इत्यादि की परिस्थितियां उत्पन्न होती रहीं। इसके कारण देरी हुई। इसलिये इस विषय में पुनर्विचार करना पड़ा और उस तिथि को आगे बढ़ाना पड़ा। यद्यपि मैं यह मानता हूं कि स्वायत्त शासन संस्था कहीं भी किसी भी स्तर पर जो कुछ भी प्रजातन्त्रीय व्यवस्था हो वह तुरन्त अपने काम के अन्दर फुल स्विंग में आये। परन्तु कहीं-कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जनतन्त्र की व्यवस्था में कुंठन आ गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जहां तक जनतन्त्र का प्रश्न है थ्री टायर सिस्टम से पंचायतों में और इधर विधान सभा में —

(३ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हर स्तर पर सुरक्षित है और उस भूमिका के अन्दर कहीं भी किसी कारण अगर चुनाव नहीं हुये या वहां का कोई व्यक्ति नहीं आ सका हो तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वहां से जनतन्त्र का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनतन्त्र मौजूद है। जो कुछ कार्य उसकी छत्र-छाया के अन्दर होते हैं वह पूर्ण जिम्मेदारी से होते हैं और जनता की इच्छा के अनुकूल होते हैं। मैं इस विषय पर अधिक नहीं जाना चाहता हूं, जो माननीय सदस्य की आतुरता है और सभी की आतुरता है, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि चुनाव हमारे सामने आये हुये हैं और अभी-अभी पार्लियामेंट के उप-चुनाव हुये हैं। अकाल की परिस्थिति के कारण न केवल स्वायत्त शासन संस्थाओं के ही बल्कि असेम्बली के और पार्लियामेंट के उप-चुनाव थे उनको भी कुछ समय के लिये स्थगित करना पड़ा है। उसमें नसीराबाद और टोंक के उप-चुनाव भी बाकी हैं। वे मई-जून में होते केवल इसी कारण नहीं हो पाये, जो रिटर्निंग ऑफिसर हो सकते हैं, जो सारा स्टाफ लगाया जा सकता है वह भयंकर अकाल की परिस्थिति के कारण जो राजस्थान में घटी है उसमें तन-मन से लगा हुआ है और सारा स्टाफ लगाते हुये भी कमी महसूस होती है इसलिये ऐसी परिस्थितियों में सोचना कठिन हो जाता है।

आज हमारे सामने अक्टूबर तक उप-चुनाव जो कि विधान सभा के हैं वे भी कराने हैं। उनका कार्यक्रम निश्चित किया जा रहा है और उसके बाद पंचायतों के चुनाव जिनकी अवधि विस्तार की गई थी और कानूनी रूप से सदन ने स्वीकार किया था उस अवधि को स्वीकार करके कानूनी रूप लाये थे, उस अवधि के समाप्त होने के पहले पंचायतों के सारे चुनाव कराने की आज चर्चा है। वे यदि दिसम्बर से प्रारम्भ

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

होते हैं और जनवरी तक पहुँचते हैं तो दो महीने में सारा कार्यक्रम हो जाता है। इस तरह सारी सम्भावना को सम्पादन कराने के साथ जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उसी प्रकार म्युनिसिपैलिटीज के चुनावों के अन्दर वे रहेंगे। उनके पास दोहरा और अधिक उत्तरदायित्व आ जाता है। इसलिये इन सब परिस्थितियों को देखते हुये अधिक से अधिक कोशिश की जायेगी। एक टेन्टेटिव प्रपोजल बनाया जाता है तो हम ५ जनवरी तक पंचायतों के चुनाव करायें और उसके बाद सारा कार्य प्रोप्शन समिति का होता है। प्रधान, सरपंच, उप-सरपंच, उप-प्रधान आदि और प्रमुख को छोड़ भी दें तो वह सारा कार्य ५ जनवरी से शुरू होकर मैंने इस विवाद को पूरी तरह से देखा है किसी भी हालत में १५ फरवरी तक १४ फरवरी तक समाप्त नहीं होता है। इसी संदर्भ में मैंने यही युक्तिसंगत समझा। अगर १४-१५ फरवरी तक प्रधान के चुनाव हो सकें तो उसके बाद १५, १६ या जो भी तिथि हो उसको सहूलियत के अनुसार आ सकें वह फरवरी आती है और उसके बाद म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव सम्पन्न कराने का प्रयत्न किया जायेगा। पहले जो प्रशासक नियुक्त हुये कुछ म्युनिसिपैलिटीज के जिसके बारे में माननीय सदस्य कह चुके हैं १४० के ऊपर १४६ म्युनिसिपैलिटीज होंगी और उनके चुनाव फरवरी के महीने के अन्दर अधिक से अधिक खींचकर किया जा सकता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : लेकिन आपने कहा प्रयत्न किया जायेगा ...

श्री नारायणसिंह : क्या ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने फरमाया कि प्रयत्न करेंगे। यह खाली प्रयत्न करेंगे या निश्चित रूप से करेंगे ?

श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं निश्चित रूप से कहकर कोई सम्भावना दूसरी हो और कोई रद्दोबदल हों इस स्थिति के अन्दर मैं आपको नहीं डालना चाहता हूं, न कोई चीज कहना चाहता हूं। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं इसमें बिलकुल दिमाग बना हुआ है और प्रधानों के चुनावों के बाद म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव फरवरी में सम्पन्न हो जायेंगे। इसको ९९ प्रतिशत आप समझ लीजिये निश्चित हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : इलेक्शन ऑफिसर जो हैं उसको सूचना भेज दी है कि ३१ अक्टूबर निश्चित कर दी है। नगर-पालिका और नगर परिषद् को ३१ अक्टूबर तक तैयार होना चाहिये ....

श्री नारायणसिंह : ३१ तारीख का नोटिफिकेशन अभी नहीं निकला है दूसरे अभी तो आब्जेक्शन्स मांग रहे हैं, वार्ड निर्धारित होंगे, तिथि निर्धारित होंगी ये सम्भावित रूप से ३१ अक्टूबर की बात कही गई है परन्तु नोटिफिकेशन तो होगा जब यह निश्चित रूप से कह दिया जायेगा कि १५ फरवरी या १६ फरवरी...

श्री भैरोंसिंह : जैसा आपने कहा अकाल की स्थिति के कारण चुनाव नहीं कराये। राजस्थान में अकाल की स्थिति की अवस्था फिर रही तो पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव होंगे या नहीं ?

श्री नारायणसिंह : ऐसी दुराशा मैं कर नहीं सकता और न मैं चाहता हूं। आज

Page No 118

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

अकाल का काम जहां बन्द होता है वे लोग कहते हैं काम बन्द नहीं होना चाहिये। क्या हम यह चाहते हैं अकाल पड़ते ही चले जायं। अकाल, मैं तो समझता हूं नहीं पड़ेंगे, और कोई ऐसी परिस्थिति भयंकर से भयंकर हो जायेगी तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन नार्मल परिस्थिति के अन्दर यही कार्यक्रम बन रहा है और इस कार्यक्रम के अनुसार...

श्री भैरोंसिंह : आपको जानकारी होगी पंचायतों के चुनाव १५ फरवरी तक हो जायेंगे, इस सम्बन्ध की तैयारी नहीं हो रही है। यहां अन्दर ही अन्दर इस बात की चर्चा हो रही है कि पंचायतों के चुनाव नहीं कराने हैं। तो क्या आप अधिकृत रूप से कह सकते हैं।

श्री नारायणसिंह : मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, पंचायतों के चुनाव दिसम्बर, जनवरी, फरवरी के महीने में कराने का निश्चित है। हमारा सारा कार्यक्रम इसी प्रकार का बन रहा है और उसी कार्यक्रम के अनुसार १४-१५....

(एक माननीय सदस्य के बीच में बोलने की चेष्टा करने पर)

मैं निवेदन कर रहा हूं उसी के अनुसार कार्यक्रम हो रहा है, विभाग में बैठ कर जो तकरीर की है वह यही है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जायं लेकिन जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती हैं रिटर्निंग ऑफिसर समितियों के लिए जब काम करेंगे उस समय म्युनिसिपैलिटीज का काम रखा जायेगा तो बड़ी मुसीबत होती है। एक कार्य का सम्पादन करके उसके बाद म्युनिसिपैलिटीज का कार्य हाथ में लेंगे...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं जानना चाहता हूं आपने पंचायत और पंचायत समिति, जिला परिषद् का कोई प्रोग्राम निश्चित कर दिया ?

श्री नारायणसिंह : वह निश्चित है टेन्टेटिव प्रोग्राम के अनुसार ५ जनवरी से १३ जनवरी....३-४ दिन का हिसाब रखा है। इसमें पंचायतों के चुनाव हो जायेंगे ५ जनवरी तक।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पहले ३ नवम्बर से रखा था गवर्नमेंट ने पहले टेन्टेटिव ३ नवम्बर रखा था....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायत मिनिस्टर साहब तो कह रहे थे कि दिसम्बर में ही करा देंगे। आप तो यह बतायें कि आपने कोई प्रोग्राम टेन्टेटिवली तय किया है क्या ?

श्री नारायणसिंह : मेरी सुन लें फिर आप कहें।

पंचायतों के चुनाव इच्छा तो यह थी कि अक्टूबर में हों अथवा म्युनिसिपैलिटीज के हों और उसके बाद पंचायतों के हो जायें लेकिन उसमें दिक्कत यह थी कि बाई-इलेक्शन्स जो हमारे बकाया हैं उनके लिए ऊपर से यही तकाजा आ रहा था कि यह जल्दी सम्पादित होने चाहिए और आगे के लिए उनको नहीं बढ़ाया जा सकता और इन दो बाई-इलेक्शन्स को पहले सम्पादित करने की व्यवस्था की गयी और उसके बाद सारे के सारे चुनाव जो चुनाव विभाग के ऊपर आकर पड़े हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि विभाग के

Page No 119

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

ऊपर बहुत काम बढ़ गया है और इसको बराबर फेस तो करना ही पड़ेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्या मैं यह समझूं कि ७ जनवरी को पंचायतों के चुनाव कराना चाहते हैं ? १४ फरवरी तक पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषदों के चुनाव करा दिये जायेंगे-यह आपका टेन्टेटिव प्रोग्राम है चुनावों के बारे में ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह निश्चित प्रोग्राम है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार का निश्चित प्रोग्राम है कि चुनाव नहीं कराने हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : निश्चित प्रोग्राम यही है कि बाई-इलेक्शन्स हो जायें उसके बाद में पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव हो जायें और फिर उसके बाद में म्युनिसिपैलिटीज के हो जायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार ने म्युनिसिपैलिटीज और पंचायतों के चुनाव के बीच में इन्टर-सी प्रायोरिटी तय कर दी है कि कौनसे चुनाव पहले करायेंगे और कौन से बाद में करायेंगे ? पहले तो आपने म्युनिसिपैलिटीज का तय किया कि ३१ अक्टूबर तक करा देंगे और अब फिर आपने उल्टा कर दिया कि पहले पंचायतों के करायें और बाद में म्युनिसिपैलिटीज के करायेंगे। तो आप इसको फिर उल्टा करेंगे या यही प्रायोरिटी रहेगी ?

श्री नारायणसिंह : उल्टा करने का प्रश्न नहीं है। मैं निवेदन करूं कि असेम्बली के २ बाई-इलेक्शन्स अक्टूबर में होंगे और उसके बाद में पंचायतों के चुनावों का कार्यक्रम चालू होगा जो कि करीब २ महीने रहेगा और जनवरी और फरवरी तक चला जायेगा और प्रधानों के चुनाव के बाद ही म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव करा दिये जायेंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पू०) : इसका मतलब यह है कि उच्च सत्ता जो हाई लेवल पर है और जो वातावरण पब्लिक में आया है कि अपना रोब दिखाने के लिए पुलिस को तैनात करके जैसे खेतड़ी का चुनाव जीता था ऐसे ही नसीराबाद में रौब दिखाकर और प्रभाव डालने के बाद आप पंचायतों के चुनाव करायेंगे और उसके बाद में म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव करायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न हैं। यह जो आप नये चुनाव करा रहे हैं पंचायतों के या म्युनिसिपैलिटीज के इनके अन्दर वोटर्स लिस्ट तैयार करने का आधार क्या होगा ? आया कि जो जनरल इलेक्शन की वोटर्स लिस्ट है वह उस समय की तैयार होगी उन्हीं को आधार मानकर उन्हीं के बेसिस पर लोगों के अपने नाम बढ़ाने और घटाने की बात कही जायेगी या नये तौर से आपका डिपार्टमेन्ट नई वोटर्स लिस्ट तैयार करायेगा ?

दूसरा प्रश्न वार्ड्स का निर्माण आपने घोषित किया है। इन वार्ड्स के निर्माण में भी जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो रिजर्वेशन्स हैं उनको आपने अभी तक मल्टीपल कोन्स्टीटुएन्सी रखी है जबकि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जनरल इलेक्शन में और दूसरे चुनावों में यह मल्टीपल कोन्स्टीटुएन्सी यह रिजर्व्ड कास्ट्स उनके कहने पर इनको सिंगल कोन्स्टीटुएन्सी कराया था तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जैसे यह जनरल इलेक्शन में सिंगल कोन्स्टीटुएन्सी है वैसे इनको सिंगल कोन्स्टीटुएन्सी क्यों नहीं बनाया गया ? इस बात पर आप स्पष्टीकरण दें।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : एक प्रश्न और है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस विषय पर कह दूं फिर आप कह देना।

मैं निवेदन कर दूं कि सन् १९६१ की सेन्सस के ऊपर सारा सीमांकन है वह बेसिस है और जो इलेक्टोरल रोल हैं इसी के ऊपर सारे वार्ड्स वगैरह का सीमांकन है। सन् १९६१ की सेन्सस और उसके बाद जो भी चेन्जेज हुए हैं वह रेकर्ड हो जायेंगे जो हमारा जनरल इलेक्शन हुआ उनकी इलेक्टोरल रोल से और उसके बाद वह इलेक्टोरल रोल प्रस्तावित होकर उनके अन्दर जो भी ऑब्जेक्शन आयेंगे उनको फाइनेलाइज कर दिया जायेगा और अब जो आप कह रहे हैं कि रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के अनुसार यह ख्याल हमें भी आया था, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिजर्व सीट को भी सिंगल कान्स्टीटुएन्सी बना दी जाये और इस प्रकार मल्टीपल नहीं रखी जाये बिल्कुल सही है सन् ६७ में जिस समय आम चुनावों की बात थी और उसके अन्दर देखा कि कुछ वार्ड्स बिलकुल असंतुलित हैं उसी समय यह भी मद्देनजर था कि पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट के मुताबिक ही इन कांस्टीटुएन्सीज को अलग-अलग कर दिया जाये और इनको सिंगिल कान्स्टीटुएन्सी बना दिया जाये लेकिन उसके अन्दर एक वैधानिक दिक्कत थी। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का जो नम्बर है कन्सन्ट्रेटेड वे के अन्दर वार्ड्स के अन्दर अलग-अलग मिलता नहीं है और उसके बाद सन् ६१ की सेन्सस के अनुसार भी यह काम किया जाता, उसके अन्दर कई आपत्तियों का विषय हो सकता था कि कहां इनको प्रोपर्ली रिप्रेजेन्टेशन मिला और कहां नहीं। उससे यह आशंका थी कि हाई कोर्ट से जो भी सीमांकन हो सकता था वह रद्द हो सकता था इसलिए उसको अलग रख दिया गया और हमेशा यही ताकीद रही कि इलेक्शन्स जल्दी करा दिये जायें क्योंकि यह कन्टम्प्लेटेड था। सारे एक्ट में संशोधन करने के लिए कई तरह के और संशोधन करने पड़ते। इसलिए इस तकाजे के लिए उस सारी चीज को अलग रख दिया गया, उसको भविष्य के लिए रख दिया गया और ६१ की सेन्सस के ऊपर ही जो इलेक्टोरल रोल रिवाइज हुई वह उसी के बेसिस पर हुई और अगर उन वार्ड्स के अन्दर कुछ ज्यादा संख्या बढ़ी तो वह बढ़ी। उनको दुरुस्त करके उस तरह से कराया जा रहा है।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : मैं जानना चाहूंगा कि टोंक और नसीराबाद के बाई-इलेक्शन्स की तारीख निश्चित हो चुकी है क्या ?

श्री नारायणसिंह : वह तो अलग से प्रश्न है। इसके विषय में बाद में कह दूंगा।

श्री हंसराज आर्य : अक्टूबर के अन्दर उनको कराने का है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो इलेक्टोरल रोल ६१ की सेन्सस के आधार पर और जो जनरल इलेक्शन्स के लिए तैयार हुई थी यदि आप उन्हीं को आधार रखेंगे तो उसमें दिक्कत यह होगी कि अब जो आपने नये वार्ड्स बनाये हैं जनरल चुनावों में वार्ड्स मुख्तलिफ थे और अब आपने दूसरे वार्ड्स बना दिये हैं तो आपको जनरल इलेक्शन की वोटर्स लिस्ट को काट-पीट कर करना पड़ेगा। वही वोटर्स लिस्ट नहीं हो सकती। वार्ड्स डिफरेन्ट होने से वोटर्स लिस्ट भी डिफरेन्ट हो गयी। क्योंकि पहले जनरल इलेक्शन के समय जो वार्ड्स थे वह अब बदल गये हैं और इससे बड़ी गड़बड़ पैदा होगी। इसलिए जहां पर आपने वार्ड्स में सब्सटेन्शल चेन्जेज किये हैं वहां पर आपको इलेक्टोरल रोल दुबारा तैयार करानी चाहिये और जहां सब्सटेंशल चेन्जेज नहीं की है वहां पर वही पुरानी इलेक्टोरल रोल चल सकती हैं वर्ना उसमें भी अवैधानिक दिक्कत आयगी। और हाईकोर्ट के अन्दर इसको चैलेन्ज किया जा सकेगा। आप इसको लॉ डिपार्टमेन्ट से एग्जामिन कराना चाहें तो करा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र!

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सतीशचन्द्र!

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक सूचना चाहता हूं कि माननीय मन्त्रीजी ने यह घोषणा की है कि फरवरी तक निश्चित रूप से चुनाव करवा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ९९ परसेंट कहा है १ परसेंट अभी भी है।

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना यह है कि आसन को भी इसमें सन्देह नजर आ रहा है।

इस सदन में ३ बार घोषणा कर चुके हैं नगरपालिकाओं के चुनावों के सम्बन्ध में उस समय भी क्वेश्चन किया था कि क्या राज्य सरकार निश्चित रूप से चुनाव करा देगी? उस समय भी यही कहा गया था सम्बन्धित मन्त्री महोदय के द्वारा कि हम निश्चित रूप से चुनाव करवा देंगे घोषित तिथि को। आज भी सरकार इस स्थिति में नहीं कि निश्चित रूप से घोषित तिथि को चुनाव करा दें। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की स्वायत्त शासन संस्थाओं के चुनावों को लेकर इस सरकार ने एक ऐसी गलत और अजीब स्थिति पैदा कर दी है कि इनकी चुनाव-घोषणा, इनके हुकुम, इनके आदेश, इन सब में जनता का विश्वास उठ गया है लोग भरोसा नहीं करते हैं कि सरकार चुनाव कराना चाहती है। इस तरह की स्थिति निर्वाचित सरकार के लिए बहुत ही आज, मैं क्या कहूं, लज्जाजनक तो शब्द उपयुक्त नहीं होगा, बहुत ही चिन्तनीय और खेद जनक है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप फिर अपने साथियों से सलाह करलें और आप कल या परसों या इस सत्र के अन्तिम दिन एक निश्चित तिथि की घोषणा करदें वह ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत इसके कि आप बार बार बदलें हम यहां कांग्रेस के सदस्यों से सुनते हैं कि सरकार अप्रेल में चुनाव करा देगी नगरपालिकाओं के मार्च के लास्ट वीक के बाद करायगी ऐसी चर्चा हम रोज यहां

(श्री दौलतराम सारण)

सुनते हैं। इसलिए यह चुनाव फिर अप्रेल में आयगा। मैं मन्त्री महोदय को फिर कहता हूं कि फिरसे वे अपने आपको इस मामले में निश्चित करलें।

श्री उपाध्यक्ष : (दूसरे माननीय सदस्यों के उठने पर) ऑर्डर प्लीज। श्री सतीशचन्द्र !

श्री रामानन्द अग्रवालः : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं कि ९९ पर्सेन्ट हम चुनाव फरवरी के अन्दर करा देंगे निश्चित तौर पर, लेकिन विरोधीपक्ष में होते हुए भी मैं कहता हूं कि ९९ पर्सेंट ये फरवरी में नहीं करायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से इस बात के बारे में निश्चित रूप से जानना चाहूंगा कि जिन नगरपालिकाओं के चुनाव ३१ अक्टूबर के लिए निर्धारित किये गये हैं और उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है तो क्या यह मान कर चलें कि सन् १९६९ के ३१ दिसम्बर के पूर्व नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं होंगे और वह जो ३१ अक्टूबर को चुनाव कराने के सम्बन्ध में जो जिलाधीश ने या चुनाव अधिकारियों ने घोषणा की है। उसके अनुसार चुनाव नहीं हो सकेंगे ? यह एक प्रश्न है।

आप कहें तो एक साथ सारे प्रश्नों को बोल दूं अगर आपको याद रहें, नहीं तो एक एक प्रश्न का जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : एक साथ ही पूछ लें नहीं तो समय ज्यादा लगेगा। जो आप पूछना चाहते हैं वह साथ में पूछ लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो उनकी कम्पीटेन्सी पर रिटनिंग पावर ऑफ क्वेश्चन्स पर निर्भर करता है। कम्पीटेन्सी टू आन्सर दी क्वेश्चन इज नॉट दी कम्पीटेन्सी टू रिटेन। दूसरा यह है कि क्या पंचायतों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के के सम्बन्ध में पंचायतों के क्षेत्रों को बढ़ाया जाय, उसको सीमाओं के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने किसी समिति या कमेटी का गठन किया है, और जो डीलिमिटेशन कमीशन आपने बिठाया है उसके बारे में मंत्री महोदय को क्या जानकारी है ? और यदि है, तो क्या उसकी रिपोर्ट आगई है ? नहीं आई है, तो कब तक आयेगी और सरकार उस पर कब तक निर्णय लेगी और उसके बाद कब सीमाओं का पुनर्निर्धारण हो सकेगा और फिर चुनावों के बारे में आप निर्णय ले पायेंगे कब तक ? यह इस सम्बन्ध के दूसरा प्रश्न है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह सवाल इनसे सम्बन्धित नहीं है। पंचायत मंत्री से है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये निर्वाचन मंत्री हैं क्या ये नहीं कह सकते हैं ? ये कांग्रेस के मेम्बर कह रहे हैं कि पंचायतों से सम्बन्धित हैं तो पंचायत मंत्रीजी कहेंगे। अगर आप नहीं कह सकते हैं तो सदन को मुगालता देने की आवश्यकता नहीं है। ये निर्वाचन मंत्री हैं और इनकी टांट पर डाइरेक्टर है, पंचायत मंत्री हैं तो तबला बाजे धिन-धिन और एक-एक पे तीन-तीन। इनको इतना गरीब समझ रखा है क्या ?

Page No 123

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है उसके बारे में कुछ कह सकते हैं कि कब तक आयेगी और सीमाओं का पुनर्निर्धारण के काम समाप्त होने के पहले निर्वाचन कर देंगे या बाद में ? अगर बाद में करेंगे तो रिपोर्ट कब तक आयेगी और सरकार कब तक निर्णय ले लेगी, और क्या उस समय तक चुनाव हो सकेगा ? और अगर नहीं हो सकेंगे तो ईमानदारी से कह दें जैसा कि आप हमेशा कहते आये हैं और जैसी कि आपकी प्रतिष्ठा इस सदन में है कि राव साहब भोले और ईमानदार हैं। आप कह दें कि मैं कुछ नहीं कह सकता। सुखाड़ियाजी आज दिल्ली से आ गये हैं उनसे बात करने के बाद में सदन में बताऊंगा तो यह स्थिति ज्यादा अच्छी होगी।

तीसरी बात यह है कि नगरपालिकाओं के चुनावों का प्रश्न इस समय विचाराधीन है कि नगरपालिकाओं के क्षेत्र बढ़ाये जायं और जिन पंचायतों की जनसंख्या नगरपालिका बनने के लायक हो गई हैं उनको नगरपालिकाओं में कन्वर्ट करने की वह कार्यवाही पूरी करने के बाद चुनाव कराये जायं, यदि यह सरकार की मन्शा है जैसी कि मांग की जा रही है (राव श्री नारायणसिंह के बात करने पर) पहले आप प्रश्न को सुन लें फिर उनसे सलाह ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय तो फिर क्या सरकार उस स्थिति में जिन पंचायतों की जन-संख्या बढ़ गई है और नगरपालिकाओं का गठन करने का प्रश्न विचाराधीन है तो क्या इस प्रकार की स्थिति में आप कुल नगरपालिकाओं का चुनाव फरवरी में करा सकेंगे ? यह एक स्थिति सामने है, और क्या राजस्थान सरकार जयपुर जैसे बड़े शहरों में जिनकी आबादी ५ लाख से ऊपर हैं वहां पर कॉर्पोरेशन बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ? अब राजस्थान में कुछ बड़े शहर हैं, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर, जो इस प्रकार के बड़े शहर हैं, उनमें कॉरपोरेशन बनाया जाय तो क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है कि जयपुर शहर में कॉर्पोरेशन बनाये जांय ? यदि कार्पोरेशन बनाये जायं ऐसा विचार है तो राज्य सरकार ६९ में निर्णय लेकर फिर फरवरी में जयपुर शहर में चुनाव करा सकेगी ? इस सम्बन्ध में विचार करके सूक्ष्म सा उत्तर दे दें।

श्री नारायणसिंह : माननीय सतीशजी ने जो भावनाएं मेरे सम्बन्ध में व्यक्त की है उनका मैं आभारी हूं और बड़ा ही भार ग्रस्त हूं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो भावनाएं बताई हैं। एक तो यह कि राव साहब भोले हैं और दूसरी यह कि तबला बाजे धिन धिन और एक-एक पे तीन-तीन तो इनमें से कौन सी भावना के आभारी हैं (हँसी)

श्री नारायणसिंह : उसके लिए धन्यवाद।

मैं निवेदन कर दूं कि अक्तूबर ११ का उदाहरण देकर माननीय सदस्य ने कहा है कि उस समय के आने के बाद हो सकता है। मैंने यह पहले स्पष्ट रूप से निवेदन कर दिया है कि विशेष कारण हुआ था जिससे यह विलम्ब हुआ है, और सन् ६८ के अन्दर, बजट सेशन के अन्दर, इन्हीं माननीय सदस्य...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय संक्षेप में।

Page No 124

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चुनाव नहीं, नहीं। अगर होंगे तो कहो कि होंगे।

श्री नारायणसिंह : मैं इस विषय में निवेदन कर चुका हूं कि फरवरी के अन्दर इन चुनावों को पूरा करने का निश्चय है। प्रधानों के चुनावों के बाद में यदि नार्मल कन्डीशन्स रहती हैं तो। और इसके अलावा और कोई ख्याल नहीं है कि दिसम्बर, सन् ७० तक इन चुनावों को जिस तरह से आप फर्मा रहे हैं आगे ले जाया जाय।

इसके अलावा जो पंचायतों के पुनर्निर्धारण के विषय में माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है तो पंचायतों और पंचायतों के पुनर्गठन के बारे में...

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर हो जायेंगे पंचायतों के पुनर्गठन में।

श्री नारायणसिंह : उनके बारे में एक कमेटी गठन की जा चुकी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से यह सुझाव आया था कि इस वक्त में सारी सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता इस प्रकार की कोई शंका थी और इसलिए उस समिति को समाप्त कर दिया गया। पंचायतों की पुनर्गठन और पंचायत समितियों के पुनर्सीमांकन होने का कोई प्रश्न नहीं है इसलिये इनके चुनावों के अन्दर कोई अन्तर आये, ऐसी आशंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

नगरपालिकाओं के क्षेत्र बढ़ाये जायेंगे इसके बारे में एक आशंका है। मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि जो नगरपालिकाएं अभी हैं उन्हीं का चुनाव कराया जायगा। जहां पर आबादी बढ़ने के कारण से नगरपालिका होने जैसी स्थिति बन गई है उनके लिए रोका नहीं जायगा। जितनी भी आज १४० या १४५ म्युनिसिपैलिटीज हैं और जिनका अवधिकाल समाप्त हो गया है ६९ की जुलाई को उन सब का चुनाव करा देने की ही मन्शा है। उसको रोकने की मन्शा इनके लिए नहीं है।

अब सवाल रह गया है कार्पोरेशन का कि तीन बड़े-बड़े शहरों के अन्दर कॉर्पोरेशन कर दिये जायं, इत्यादि इत्यादि। यह तो विचार यों तो मैं निवेदन कर सकता हूं कि स्वायत्त शासन संस्थाओं से सम्बन्धित है और सीधा चुनावों से सम्बन्धित नहीं है, परन्तु मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि यदि इस प्रकार का कोई परिवर्तन लाना होगा तो थ्री टायर सिस्टम जो पंचायतों में मौजूद हैं, बाहर उसी लाइन पर सोचा जा सकता है। उसी प्रकार से म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर भी कुछ अन्तर लाया जाय। यह तो माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि लार्ड, लीडर एक्वर्स की यह एपोलोजी फॉर डेमोक्रेसी थी। कोई म्युनिसिपैलिटीज के गठन पर प्रजातन्त्र को भयंकर धक्का लगता हो ऐसी बात नहीं है। शहरों की सफाई और छोटी मोटी बातों के लिए अंग्रेजों ने दे दिया था मन बहलाव के लिए जिससे हम समझते हैं कि प्रजातन्त्र को...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जैसे आपको निर्वाचन मंत्रालय दे रखा है दिल बहलाव के लिए।

श्री नारायणसिंह : माननीय सदस्य स्वयं ही परिचित हैं और शायद माननीय सदस्य स्वयं ही मानते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज का एक्ट इस प्रकार का नहीं है कि जो आज

(श्री नारायणसिंह)

की व्यवस्था के अन्दर सांगोपांग रूप से उस क्षेत्र के लिए पूर्ण प्रतिनिधि के रूप में सारे कार्य करता हो। तो इसीलिए चीजें अलग विचारणीय हैं। जहां तक चुनाव के सम्बन्ध में शंकाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री दौलतराम सारण : माननीय मन्त्री जी ने तो एक भयंकर शंका खड़ी कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष : जितना आप मन्त्रीजी को सुनेंगे उतनी ही शंकाएं पैदा होंगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : शंकाएं तो आप खुद ही पैदा करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ : आपने इलेक्शन के बारे में बताया। क्या प्रमुख और प्रधानों के चुनावों में सरकार कोई बेसिक तब्दीली लाने की सोच रही है।

श्री नारायणसिंह : ऐसी कोई तब्दीली लाई जा रही है ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। सूचना।

प्रवर समिति बिक्री कर (चुंगी) में निम्न सदस्य मनोनीत किये जायें:—

(१) श्री मथुरादास माथुर (सभापति)

(२) श्री बृजप्रकाश गोयल

(३) श्री यशवन्तसिंह नाहर

(४) श्री रघुनाथ विश्नोई

(५) श्री शंकरलाल (जैतारण)

(६) श्री किशनलाल वर्मा

(७) श्री जयनारायण (उदयपुर)

(८) श्री मोहनलाल मोदी

(९) श्री श्रीनिवास शारदा

(१०) श्री रणजीतसिंह

(११) श्री सांवरमल बामोतिया

(१२) श्री नन्दलाल (बूंदी)

(१३) श्री मूलचन्द कटेवा

(१४) श्री गणेशलाल

(१५) श्री आदित्येन्द्र

(१६) श्री रामानन्द अग्रवाल

(१७) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(१८) श्री श्रवणलाल

(१९) श्री फूलचन्द बाफना

(२०) श्री पृथ्वीसिंह

(२१) श्री रामचन्द्र आर्य

श्री कृषि मन्त्री।

एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग कॉलेज उदयपुर के छात्रों की हड़ताल पर कृषि मन्त्री का वक्तव्य

श्री शोभाराम (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष जी, टैक्नोलोजी एण्ड एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा जो माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया है उस सम्बन्ध में ५ मांगों के बारे में वस्तुस्थिति इस प्रकार है:—

(१) ऐसे स्नातकों को दूसरे विभागों में स्थान दिये जाने के लिये सम्बन्धित

Page No 126

(श्री शोभाराम)

विभागों को निवेदन किया जावेगा जैसा कि भू-जल मण्डल का प्रश्न है ऐसे स्नातकों को कौन-कौन से कार्य-क्षेत्र एवं पदों पर इस विभाग में नियुक्त किया जा सकता है इसके लिये एक कमेटी का निर्माण हो चुका है जो इस सम्बन्ध में पूरी जांच करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(२) वर्क चार्ज के आधार पर जो कार्य कृषि अभियान्त्रिक मण्डल में होता है उसके लिए अभी तक लम्प-सम में बजट के अन्तर्गत धनराशि का प्रावधान रखा जाता है। अब आगामी बजट बनाते समय इस बात की जांच कर ली जावेगी कि मण्डल के बढ़ते हुये कार्य-क्षेत्र को देखते हुए कितने और रेगूलर पदों के लिये बजट में प्रावधान कर दिये जावें।

इन स्नातकों को जूनियर इन्जीनियर वर्कचार्ज नियुक्त किया गया है। जूनियर इन्जीनियर के रेगुलर केडर में पद रिक्त होने पर इन्हें जूनियर इन्जीनियर बना दिया जावेगा। जहां तक असिस्टेन्ट इन्जीनियर के पद पर नियुक्त किये जाने का प्रश्न है वह पद जूनियर इन्जीनियर के पद के अपेक्षाकृत वरिष्ठ पद है। इसलिये इन्हें असिस्टेन्ट इन्जीनियर बनाने का प्रश्न प्रस्तुत नहीं होता।

(३) मांग नं० ३ सम्भव प्रतीत नहीं होती।

(४) सब प्रकार की छात्रवृत्ति देने का सम्बन्ध शिक्षा विभाग से है। हम इस ओर उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

(५) कृषि स्नातकों को भूमि आवंटित करने के लिये राज्य सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है। जहां तक कृषि अभियांत्रिक स्नातकों को भूमि दिलाये जाने का प्रश्न है उन्हें भी भूमि आवंटित की जावे, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तुरन्त आदेश प्रचलित कर रही है।

जहां तक मशीनरी के लिये ऋण देने का प्रश्न है इस प्रकार के ऋण भूमि विकास बैंक और अन्य बैंकों से उपलब्ध किया जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो ५ मिनट का उत्तर दिया है, वह सब नकारात्मक और निराशाजनक है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन छात्रों की मांगें उनके लिये दूसरे विभागों में स्थान देने का प्रश्न है, उसके लिए उनकी योग्यता है, दूसरे विभागों में जो चुने गये हैं उनसे उनकी योग्यता नहीं है। बल्कि उनसे कुछ मानों में उनकी योग्यता अधिक है। उनको इस बात के लिए मैं भी नहीं कहता हूं कि दूसरे स्नातकों को एक्सक्ल्यूड करके इनको ही काम दिया जाये लेकिन उनके साथ ब्रेकिट करके इनको भी काम का मौका मिले। उनको अनिश्चित स्थिति में रख दिया है। और केवल एक कमेटी नियुक्त कर दो, वह कमेटी कोई निर्णय लेगी तब उनके बारे में स्नातकों को कुछ कहा जा सकेगा। मैं समझता हूं कि यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इस बारे में कुछ कह सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहे।

Page No 127

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनके सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक उनको वर्कचार्ज से हटाकर दूसरे कामों में लिया जा सकता है। उनके बारे में निश्चित तौर से यह कहा जाये कि अगले साल से उनको वर्कचार्ज म न लिया जायगा। यह निश्चित तौर से कहा जाना चाहिए।

पंजाब सरकार ने इन्जीनियर्स को २५० रु० माहवार बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया है और उनको कहा है कि जब उनको नौकरी मिल जायगी तो उनसे उसको रिएम्बर्स कर लिया जायगा। मैं समझता हूं कि वैसे तो किसी भी सभ्य सरकार की यह जिम्मेदारी है। जो अपने आदमियों को रोजगार नहीं दे सके तो उनको बेरोजगारी का भत्ता दे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य संक्षेप में कहें। राज्य सरकार ने अपनी नीति सम्बन्धी घोषणा करदी है, उसके सम्बन्ध में कोई सुझाव हो तो वह दे दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का एक निर्णय दूसरी सरकार ने लिया है। उनको भत्ता देने का तो निर्णय सरकार को करना चाहिये सरकार ने अभी तक क्या हल लिया है ? क्या उनसे बातचीत हुई ? क्या हड़ताल वापिस होने की स्थिति पैदा हुई ? क्या बातचीत से वे सन्तुष्ट हुए। इस पर प्रकाश डालें मैं समझता हूं कि १८ ता० से हड़ताल चल रही है। आज ९ दिन हो गये हैं। इस स्थिति में सरकार क्या हल ले रही है। क्या यह पर्याप्त नहीं है कि हड़ताल को समाप्त करने के लिए कोई ठोस और पोजिटिव रुख अपनाना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कॉलेज ऑफ टेक्नोलोजी एण्ड एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग के उदयपुर के छात्रों द्वारा १८ अगस्त से की गई हड़ताल के सम्बन्ध में जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना मैंने सदन में प्रस्तुत की थी और जो मुद्दे उस रोज सदन में उठाये थे, मैं यह आशा करके चल रहा था कि माननीय कृषि मन्त्री महोदय उस सम्बन्ध में पूरी जानकारी करके इस सदन को सूचित करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने कहा है, उसको न दोहराते हुए मैं उनको केवल इतना कहना चाहूंगा कि टैक्नोलोजी एण्ड एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग कालेज, उदयपुर में खोला गया, इसका पहला बैच इस साल निकला है, जिसमें ४१ लड़के कुल पास हुए हैं, उन ४१ लड़कों में से केवल ९ लड़कों को यह राज्य सरकार अभी तक नौकरी दे पाई है, वह भी जूनियर इन्जीनियर की तरह, वह भी वर्क चार्ज के रूप में, वह भी १२५ रु० के आधार पर। केवल ९ इस प्रकार एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग ग्रेजुएट्स को रखते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर आपने टैक्नोलोजी एण्ड एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग कॉलेज राजस्थान में खोला क्यों ? उस कॉलेज की पचास लाख की बिल्डिंग हो और उसके लड़कों को नौकरी नहीं मिले, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान सरकार का कोई प्लानिंग नहीं था यह टैक्नोलोजी एण्ड एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग कॉलेज खोलने से पहले। राजस्थान जो बैकवर्ड स्टेट है, जो एग्रीकल्चरल स्टेट है, वह एग्रीकल्चर इन्जीनियर्स को खपा नहीं सके,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

४१ लड़कों को हर साल यहां सरकार खपा नहीं सके, तो मैं समझता हूं कि इस इन्जीनियरिंग कॉलिज को आप बन्द कर दीजिये। आपका कोई प्लानिंग नहीं है और अगर इस तरह से लड़कों को ह्यूमिलियेट करना चाहते हैं, पांच साल के कोर्स में उनका पूरा खर्च हो, कॉलेज की पचास लाख की बिल्डिंग हो, फिर भी वहां से निकलने वाले लड़कों को आप नौकरी नहीं दे सकें और आगे राजस्थान में एग्रीकल्चर इन्जीनियर्स को खपाने के लिये योजना नहीं हो तो सरकार इस प्रकार का निर्णय ले ले कि इस इन्जीनियरिंग कॉलेज को बन्द कर दिया जाय, लेकिन ऐसा ह्यूमिलियेशन नहीं किया जाय। मेरा सुझाव यह है कि इरिगेशन डिपार्टमेन्ट में बांध बनाने का एक काम है कि कौनसे क्षेत्र में कितना पानी जायगा, वह एक टेक्निकल काम है, इसके लिए सरकार इन एग्रीकल्चर इन्जीनियर्स को लगा सकती है। इसी तरह से अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की एक कमेटी है, उसमें इन लोगों को लगा सकते हैं। लैंड रिक्लेमेशन के काम के बारे में, ड्रेनेज के काम के बारे में, सॉइल कन्जर्वेशन के काम के बारे में, यह एग्रीकल्चर इन्जीनियर्स ज्यादा कम्पीटेन्ट साबित हो सकते हैं, इसलिये इन डिपार्टमेन्ट्स में इन एग्रीकल्चर इन्जीनियर्स को खपाने के लिए राज्य सरकार को विचार करना चाहिए, अभी तक इन कामों में एग्रीकल्चर इन्जीनियर्स का कोई प्रायोरिटी नहीं दी जा सकी है। इसके साथ-साथ इनको को-ऑपरेटिव बना कर राजस्थान में इनको जमीन एलॉट करनी चाहिए। एग्रीकल्चर इन्जीनियर्स को पांच-पांच की को-ऑपरेटिव बनायें, उनको पांच-पचास बीघा जमीन देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको एक्सपेरीमेन्टल तरीके से उनसे काश्त करवायें, उनको सौ-दौसौ बीघा जमीन दिलवायें और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्ट्स उनको उपलब्ध करवायें और ऐसे मैकेनाइज्ड फॉर्म्स बनायें, उनमें जो प्रॉफिट होता है, उनमें से उनको शेअर दिया जाय और उसमें राजस्थान सरकार भी शेअर होल्डर बने।

एक सुझाव और है, वह यह है कि राजस्थान भर में एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्ट्स के बहुत सारे वर्कशॉप हों और उनको सरकार की एप्रूवल मिले, वह जो भी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्ट्स बनायें वह एप्रूव्ड तरीके के हों, तो इस प्रकार एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्ट्स के वर्क और रिपेयरिंग वर्कशॉप हों तो किसानों के जो खेती के औजार और ट्रेक्टर आदि हैं, वह खराब हो जांय तो उनको सुधरवाने मे, सहायता मिल सकती है। इस प्रकार राजस्थान सरकार राजस्थान के हर जिले में वर्कशॉप खोलें और एग्रीकल्चर इन्जीनियर्स को वहां पर लगायें, राजस्थान सरकार उसमें अपना हिस्सा रखें और जो भी प्रोफिट आये वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाये। ऐसे वर्कशॉप खुल जायं तो इम्प्लीमेन्ट्स को सुधरवाने के लिए, उनकी मरम्मत करवाने के लिए और उनको सर्विस के लिए लोग वहां जायेंगे। तो इस तरह का एक एक्सपेरीमेन्टल काम, एक प्रयोग राजस्थान सरकार को करना चाहिये।

अब मैं एक नेशनेलाइज्ड इकोनॉमी के बारे में कहना चाहता हूं। जो बैंकों का नेशनेलाइजेशन किया गया है उसमें कहा गया है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को सुधारने के लिए रूरल सेक्टर में लोन दिये जायेंगे। इसलिये लैंड के असेसमेन्ट, सॉइल के क्लासिफिकेशन, किस एरिया को कितना एडवान्स किया जा सकता है, कितना नहीं—इस सबका

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सर्वे बैंक कर रही है। इस काम के लिए इन एग्रीकल्चर इन्जीनियर्स को एम्प्लॉय किया जा सकता हैं, जो यह बता सकते हैं कि यह अमुक प्रकार का लैंड है, इसका यह वेल्यूएशन है, इसका सॉइल क्लासिफिकेशन यह है, इस पर अच्छी खेती हो सकती है या नहीं, इस पर ट्रेक्टर उपयोग में लाया जा सकता है या नहीं जो लोन देने जा रहे हैं, उसको काम में लिया जा सकता है—यह सब काम यह लोग कर सकते है। इसलिये सरकार को कोशिश करनी चाहिए, बैंक्स जो लोगों का एम्प्लॉयमेण्ट कर रही है उनमें इन लोगों को करें। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस कॉलेज से निकलने वाले विद्यार्थियों के सम्बन्ध में एक होलसमली प्लान बनायें। यही नहीं, इसके सम्बन्ध में जो उनकी मांगें हैं. उनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके, जो भत्ते की बात कही है, उसको स्वीकार करते हुए और जो माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं और उनका समर्थन करते हुए मैंने जो कुछ कहा है उस पर सरकार विचार करें। इसके अलावा जो उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय का डेपूटेशन आया है उससे बात करके उनको सेटिस्फाई करने का प्रयत्न करेंगे। आज १८ तारीख से उनकी हड़ताल चल रही है, उसको आप खत्म करने के लिये कदम उठायें क्योंकि इस हड़ताल के सिलसिले में दूसरी जगह हडताल चालू हो रही है, जोधपुर में हो गई है. यह एक सिलसिला न बने और उनकी हड़ताल समाप्त हो जाय। माननीय मन्त्री महोदय इन सब बातों पर सिम्पेथेटिकली कन्साडर करेंगे—यह बात मैं कहना चाहता हू।

श्री शोभाराम (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक विद्यार्थियों से बात करने का सम्बन्ध है, उनसे मेरी बात हो चुकी है, लेकिन इससे पहले मैं दो-तीन बातों पर अपने विचार व्यक्त कर दूं। माननीय रामानन्दजी ने जो बात कही और माननीय सतीशचन्द्रजी ने जो कहा कि ४१ छात्र उत्तीर्ण हुए थे उनमें से ९ आदमियों को जगह मिली। नौ आदमियों को जगह खाली थी एग्रीकल्चर वर्कशॉप में, रेगुलर पोस्ट खाली नहीं होते हुए भी इनको वर्कचार्ज पर इसलिए लगाया गया कि जितने लोगों का एब्जोबंशन एग्रीकल्चर वर्कशॉप में हो सके, उतने लोगों को लगा दिया जाय। पहले जो अपॉइन्टमेन्ट हुए थे, भर्ती हुए थे उस वक्त तो इनके इम्तहान का परिणाम नहीं निकला था, इसलिए इन्हें परमानेन्ट, रेगुलर पोस्ट के ऊपर नहीं ले सके। सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, ज्यादा से ज्यादा जगह कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है, लैण्ड रिक्लेमेशन के बारे में कहा, उसके अलावा एक छोटासा डिपार्टमेन्ट एग्रीकल्चर वर्कशॉप का है, उसकी जरूरत जितनी है, उसको ध्यान में रख कर हम चलते हैं। मैंने विद्यार्थियों से एक बात कही थी, जहां एग्रो० इण्डस्ट्रीयल कॉर्पोरेशन के माध्यम से जगह-जगह पर सर्विस स्टेशन की स्थापना होगी, जो भी रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में इस प्रकार के सर्विस स्टेशन खोलने की तैयारी रखते हैं, उनका कोई एक सहकारी समिति बने और उसके लिए हम रिजर्व बैंक से भी और हमारे दीगर बैंकों से कर्जा दिला कर इस प्रकार के सर्विस स्टेशन सेट अप करने की तैयारी करके जगह-जगह बनाये जा सकते हैं। इसके लिये जितने ऋण दीगर बैंकों से दिलाना पड़ेगा, वह उनके लिए उपलब्ध कराया जायगा।

जमीन के बारे में भी मैंने खुद उनसे कहा था कि दस-पन्द्रह आदमियों के ग्रुप में

(श्री शोभाराम)

आप मुझे बतायें, जहां तक कॉलोनीज के एरिया में जो जमीन एलॉटमेन्ट करने का प्रश्न है, उसको मैं खुद देखना चाहता हूं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि दस-बारह आदमियों की, क्योंकि ग्यारह आदमियों की तो कम से कम संख्या होती है, यह संख्या कॉअपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिये लाजिमी होती है, तो इतने विद्यार्थी आयें तो कम से कम मैं यह मान कर चलता हूं. सैंकड़ों बीघा जमीन जो कुछ एलॉटमेन्ट रूल्स में आती है, या कम मात्रा में आती है, मैंने उनसे कहा, मात्रा बढ़ानी चाहिए उसकी तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं इसके अलावा जो ट्रैक्टर आदि के लिये कर्ज की बात होगी, मैंने तो यह कहा अगर शुरु में एक शाला प्रोग्राम तय हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि तीन सोसाइटी या दस सोसाइटी के लिये ट्रैक्टर की जरूरत होगी तो ट्रैक्टर का जो एलॉटमेन्ट होता है उसमें उनको टॉप प्रायोरिटी देकर कर्ज दिलाने की व्यवस्था करेंगे।

दूसरी बात यह जो कही गई, वह दीगर डिपार्टमेन्ट से ताल्लुक रखती है। मैंने अभी शिक्षा मन्त्रीजी से भी निवेदन किया कि टेक्निकल एजूकेशन के लिये जो छात्रवृत्ति होती है, इसका फैसला शिक्षा विभाग करता है और लम्पसम में ग्रान्ट रखी जाती है। हम इनसे निवेदन करना चाहते हैं कि इन विद्यार्थियों को, जो टेक्नोलोजी एण्ड एग्रीकल्चर कॉलेज के हैं, उन्हें इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, छात्रवृत्ति दिलाने के लिये जो आपके कॉलेज के नियम बने हुए हैं उसी प्रकार से इन छात्रों को भी छात्रवृत्ति दिलाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार का एक हम उनके सामने आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

अब दीगर डिपार्टमेन्ट, इरिगेशन या दीगर डिपार्टमेन्ट उनकी जो कॉलेज के विद्यार्थी है या नॉन-कॉलेज के-उनके स्लेबस को ध्यान में रखते हुए दीगर डिपार्टमेन्ट किस प्रकार उपयोगिता इसकी हो सकती है इसके लिए हम दूसरे डिपार्टमेन्ट्स को लिख रहे हैं। लेकिन रामानन्दजी सा० ने एक बात पर तवज्जह नहीं दी है कि हमने जो कुछ कहा है कि अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के सिलसिले में कहा है, जिसके बारे में आपने जिक्र किया। हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेज श्री नाग हैं, प्रिन्सीपल हैं, या डाइरेक्टर उनसे कहा है कि जिस प्रकार की टेक्नीकल एजूकेशन दी जाती है इन्जीनियरिंग की वह हमें बतायें कि हमें जो प्रोसेस चलाते हैं ग्राउंड वाटर बोर्ड का उसमें कौन-कौन से कामों में इनकी योग्यता का उपयोग कर सकते हैं। पहली मीटिंग हो चुकी है, दूसरी मीटिंग जल्दी से जल्दी बुलाना चाहते हैं, कमेटी का निर्माण पहले ही हो चुका है। जैसा मैंने कल निवेदन किया कि हम जल्दी से जल्दी अण्डर ग्राउंड वाटर बोर्ड के नाम लिख रहे हैं कि कौनसी ऐसी जगह हैं, जहां इनकी उपयोगिता का फायदा उठा सकते हैं। ऐसी जगह जहां मैकेनिकल साइड होगा वहां एक तरह से मैकेनिकल इंजीनियर रखना पड़ेगा लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस साल अण्डर ग्राउंड वाटर बोर्ड में सॉइल कन्जरवेशन के विभाग में भी हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो ड्रेनेज या मेंड़बंदी या लेवलिंग के जो काम सॉइल कनजर्वेशन के चल रहे हैं, उनकी मैं कह रहा हूं, भविष्य में जहां एग्रीकल्चरल

(श्री शोभाराम)

इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों की खपत हो सकती है, उनके अलावा और किसी को न लिया जाय। जो उपयुक्त होंगे उनको लिया जायगा। मैं समझता हूं, माननीय सदस्यों को इससे संतोष होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने निवेदन किया था कि आपने विद्यार्थियों से बात करके उनके कॉलेज को खोलने के लिए संतोषजनक हल निकाला या नहीं। अब समस्या यह है कि कॉलेज इन्डेफीनेटली आपने बंद किया, १८ तारीख से बंद है। ३२ लोगों की आपके सामने समस्या है, ६ को आपने लगा दिया। तो आप कॉलेज खोलने की बात तो करें तो स्टडीज शुरु हों, जिससे वे संतुष्ट हों और गतिरोध समाप्त हो वरना स्ट्राइक वैसे की वैसे रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर विचार। ४॥ बजे मुख बंद का प्रयोग किया जायगा। सहकारिता मन्त्री।

अनुपूरक अनुदानों की मांगो पर विचार

श्री अमृतलाल यादव (सहकारिता मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनपूरक अनुदान की मांग संख्या २० मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता के संबंध में संघनित निधि में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७,५०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

मांग संख्या २० पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए

मांग संख्या २०

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)

१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सहकारी बैंक में कृषि साख समृद्धि निधि अपर्याप्त है, इस विषयक चर्चा के लिये)।

२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कृषि साख समृद्धि निधि के लिए राज्य सहकारी बैंक के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सहकारी बैंक द्वारा कृषकों को कृषि कार्य के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) :

४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की पद्धति में सुधार करने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नागौर सहकारी

Page No 132

(श्री हरजीराम बुरड़क)

बैंक की ब्रान्च डीडवाना के भवन की जमीन के सम्बन्ध में जालसाजी साबित हो जाने पर भी अभी तक मामले को पुलिस में नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बैंक, नागौर द्वारा ललासरी ग्राम सेवा सहकारी समिति को दिये गये ऋण के गबन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बैंक नागौर के संचालक मण्डल के खिलाफ चल रही कार्यवाही में दोष साबित होने पर भी मामले में ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिए)।

८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बैंक नागौर की ब्रान्च डीडवाना को खोलने एवं उनके मकान ऋण के सम्बन्ध में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

९. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवा सहकारी समिति ललासरी तहसील डीडवाना को दिये गये कृषि ऋण का समिति के मन्त्री द्वारा किये गये गबन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) :

१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (इस मद के अन्तर्गत हुए खर्चे में सरकार की दूरदर्शिता की कमी दृष्टिगोचर होती है, इस विषयक चर्चा के लिये)।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) :

११. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कोटा केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा तहसील शाहबाद क्षेत्र की सामुहिक कृषि फार्मिंग सोसाइटीज बीगोद, सून्डा नरेनखेड़ा आदि का भवन निर्माण आदि के लिये दिए गए ऋण आदि में हुए दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

१२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कोटा केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा अनुचित ढंग से लाखों रुपयों की बकाया को बट्टे खाते डालने की गलत व पक्षपात पूर्ण नीति पर चर्चा के लिये)।

१३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू को-आपरेटिव बैंक में चल रहे करीबन तीन लाख रुपयों के घोटालों व गबन के मामले को दबाए जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

१४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला चित्तौड़गढ़

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

की छोटी सादड़ी में निर्मित सामूहिक कृषि फार्मिंग सहकारी सोसाइटी में कर्जे की रकम करीब पचास हजार रुपयों की पी०डी०आर० की कार्यवाही को दबाकर वसूली की कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा की तहसील बारां में चुरेल्या सामूहिक कृषि फार्मिंग सहकारी सोसायटी जो कि बोगस है, के द्वारा फर्जी कार्यवाही करके ट्रैक्टर व अन्य कृषि साधनों के नाम से मांगे गए हजारों रुपयों के कर्ज के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (छीपा बड़ौद भूमि बन्धक बैंक द्वारा किसानों को ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि साधनों के लिये मांगे गए कर्जे को एक लम्बे समय तक नहीं दिया जाना तथा फैल रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (बारां भूमि बन्धक बैंक द्वारा बारां, अन्ता, शाहबाद, मांगरोल आदि क्षेत्र के किसानों को अन्न उत्पादन हेतु कृषि साधनों के लिये मांगे गए कर्जे में बरती जा रही भ्रष्टाचार एवं पक्षपातपूर्ण नीति के बारे में चर्चा के लिये)।

१८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं कोऑपरेटिव बैंक द्वारा नरसिंहपुरा सहकारी सोसाइटी को दिए गए करीब पचास हजार रुपयों में चल रहे गबन व फर्जी कार्यवाही पर चर्चा के लिये)।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) :

१९. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (सहकारी बैंकों में ऋण पार्टीबाजी के आधार पर दिया जाता है इस पर चर्चा के लिए)।

डा० श्री गंगासहाय (कठूमर-सु०) :

२०. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (राज्य सहकारी बैंकों में बरती जाने वाली धांधली व पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) :

२१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर भूमि बन्धक बैंक में चल रही मनमानी व राज्य सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

२२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (राज्य सहकारी बैंकों में चल रही मनमानी दूर करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

२३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपये

(श्री भंवरलाल)

कम कर दिया जाय (राज्य सहकारी बैंकों में फैले भ्रष्टाचार व अधिकारियों की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) :

२४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (सहकारी बैंकों की विषम स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी ने जो सप्लीमेंट्री अनुदान की मांग प्रस्तुत की है, इस बारे में मैंने तीन कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मन्त्रीजी ने आकस्मिक निधि में से ७॥ लाख रुपये कृषि साख समृद्धि निधि के लिए रकम पहले एडवान्स में दी गई थी, जो बाद में भारत सरकार से मिलने वाली है, की मांग की है। बजट अधिवेशन में भी मैंने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि राज्य सहकारी बैंक के अन्दर कृषि साख समृद्धि निधि के लिए प्रर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध किया जाय। राज्य सरकार इसके साख के लिए करोड़ों रुपए की गारन्टी प्रदान करे क्योंकि आज राजस्थान में काश्तकारों की भूमि के लिए या जो आज अकाल की स्थिति पैदा हो रही है और कृषि साख समृद्धि के रूप में राज्य सहकारी बैंक में प्रर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध न हो, उसकी कठिनाई होने की हालत में राज्य सहकारी बैंक की ऐसी क्षमता नहीं है कि कृषि साख समृद्धि निधि में से काश्तकारों को उपयुक्त मदद दे सके। इस बारे में हम राज्य के वित्त मन्त्रीजी से पूर्ण अपेक्षा रखते हैं। हम हमेशा इस रूप में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं और सहकारी मन्त्री का ध्यान आकर्षित करते हैं कि राज्य सहकारी बैंक एक ऐसा बैंक है जो काश्तकारों की समृद्धि के लिए पूरा काम कर सकता है। ऐसा ऋण प्रदान किया जा सकता है कि राज्य की क्रय-विक्रय सहकारी संस्थाओं के जरिए काश्तकारों को जो उचित भाव मिलें उनकी कम्पीटीशन में काम कर सकता है। ऐसी कमियों को देखते हुए कृषि साख समृद्धि के रूप में जितना धन पर्याप्त मात्रा में उसको मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है, और भविष्य के लिए भी मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह एक ऐसी निधि है जिसका काश्तकारों की समृद्धि से संबंध है। इस बारे में सरकार जो समाजवादी समाज की रचना करने जा रही है, तो ऐसी जो सहकारी संस्थायें हैं उनके जरिए काश्तकारों की समृद्धि हो सकती है, और भूतपूर्व प्रधान मन्त्रीजी पं० नेहरू ने जयपुर में घोषणा की थी कि काश्तकार की हालत सुधारने के लिए सामाजिक व्यवस्था करने के लिए यह सहकारिता ही एकमात्र साधन है, जिसको उपयोग में लाने के लिए वित्त मन्त्रीजी को पूरे साधन उपलब्ध कराए। उसी हालत में यह सहकारी बैंक ऐसी संस्थाओं के जरिए काश्तकारों की सेवा कर सकते हैं।

(३.५७ म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति पदासीन)

इस सप्लीमेंट्री मांग के जरिये जो प्रावधान रखा है। इसका हम स्वागत करते हैं परन्तु यह बहुत कम धन उपलब्ध किया है और

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हमें यह आशा थी कि बजट में भी करोड़ों रुपयों का प्रावधान किया जाना चाहिए था। इस रूप में जब एक कॉन्टिन्जेन्सी फंड एडवान्स के रूप में जो आकस्मिक खर्चा, ऐसा खर्चा जो अन्फोरसीन हालात के अन्दर प्रोवाइड होता है, तो उस हालत में जो एडवान्स के रूप में दिया हुआ बाद में एप्रोप्रिएट कराया जाता है, परन्तु राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव फंड जो कि सुख समृद्धि की निधि है उसके अन्दर कितना पर्याप्त रूप से धन प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि बाद में ऐसी हालात उपस्थित न हो कि कॉन्टिन्जेन्सी फंड से एडवान्स न लेना पड़े। इस बारे में चाहे इधर चाहे उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने बारबार सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं फिर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि राज्य सहकारी बैंक में कृषि साख समृद्धि की जो निधि है उसमें करोड़ों रुपयों का प्रावधान करें क्योंकि राजस्थान में ८० प्रतिशत काश्तकार हैं, उनकी समृद्धि ज्यादातर एकमात्र कृषि पर आधारित है। इसलिए राज्य सहकारी बैंक ही एकमात्र ऐसी बैंक है जिसे काश्तकारों की हालत सुधारने के लिए सामाजिक व्यवस्था के अन्दर आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए जो मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं उनके जरिए राज्य सरकार का मैंने ध्यान आकर्षित किया है कि वित्त मंत्रीजी ऐसी हालात के अन्दर कृषकों की समृद्धि के लिए करोड़ों रुपए प्रदान करें ताकि यह बैंक काश्तकारों की सेवा कर सके और विषम परिस्थितियों में काश्तकारों की हालत सुधारने में मदद दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमति सभानेत्री : श्री शिवनाथसिंह।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं अपने दल की ओर से तो बोल ही सकता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : दल की ओर से नहीं।

श्री भगवानदास शास्त्री : समय का बंटवारा होता है। विधान सभा की यह परम्परा रही है कि किसी दल के माननीय सदस्य ने मोशन दिया है तो दूसरा भी बोल सकता है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री शिवनाथसिंह।

(४ म. प.)

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदया, यह कटौती प्रस्ताव लाने का उद्देश्य मेरा यही था कि जो किसान हैं, खेतीहर हैं उनको सुविधा मिले। हम यह मानते हैं कि भूमि का विकास हो, काश्तकारों को ऋण की सहूलियत हो इससे पैदावार बढ़ सकती है। हालत यह है कि, सभापति महोदया, कोई भी काश्तकार निश्चिन्त नहीं हो सकता कृषि विकास के लिये, अन्न उपजाने के लिये या कोई भी विकास का कार्य खेत में करने के लिये, जमीन में करने के लिये जब तक उसको पर्याप्त धन नहीं मिलता है। हमारा यह नारा है कि सहकारिता को पनपायेंगे, उसके आधार पर ही आगे बढ़ेंगे। आज जो स्थिति है उसको देखते हुए यह नहीं कह सकते कि हम आगे बढ़ सकते हैं।

सहकारिता के लिये बैंक बने हुए हैं। उनमें न पर्याप्त धन है जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि कृषि के लिये धन मिल सके जिसकी बड़ी आवश्यकता है। आज जो हालत है उसके अनुसार कम पर्सेन्टेज को

Page No 136

(श्री शिवनाथसिंह)

ही मिल सकता है। काश्तकारों की एक-दो की संख्या ही ऐसी हो सकती है कि उसका फायदा उठा सकते हैं और बाकी के महरूम रहते हैं। ऋण देने की जो प्रणाली है वह भी पूंजीपति प्रणाली है। उसी को ऋण मिलता है जिसके पास जमीन अधिक हो और अधिक लगान देता हो। सहकारी प्राथमिक संस्थायें यह देखती हैं कि उसके पास पर्याप्त साधन हैं या नहीं विकास करने के लिये। भूमि सुधार बैंक से ऋण देते हैं तो लगान का चार सौ गुना तक दे सकते हैं। आज जो साधन हैं उनको देखते हुए ऋण देते हैं यह प्रगतिशील कदम नहीं हो सकता है। यह तो पूंजीपति व्यवस्था है। पूंजीपति यह देखते हैं कि वह वापिस चुका देगा। इसको इस तरह से बदला जाय कि थोड़ी जमीन है, लगान का रुपया भी कम हो, काश्तकार ऋण लेकर पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं तो इस पॉइन्ट ऑफ व्यू से देखना चाहिये। लगान कितना देता है और जमीन कितनी है यह नहीं देखना चाहिये। हमें यह देखना पड़ेगा कि काश्तकार जमीन में धोरे बांधना चाहते हैं, इंजिन लगाना चाहते हैं, पैदावार बढ़ाना चाहते हैं और उसके विकास के द्वारा वह ऋण लौटा सकते हैं।

भूमि विकास बैंक जिस स्तर पर आज है उसमें ऋण देने की प्रणाली गलत है। आज एक काश्तकार एप्लाई करता है तो छः-आठ महीने पहले ऋण नहीं मिलता है। तंग आकर बैठ जाता है। एक काश्तकार ने मेम्बरशिप की फीस जमा करायी और खर्चा वगैरा जमा कराया और उसको ऋण नहीं मिलता है और मजबूर हो जाता है। काश्तकार से इतने चार्जेज लिये जाते हैं कि जो सहायक नहीं हो सकते। कागजों की फीस लीगल एडवाइस की फीस ली जाती है जिससे काश्तकार पर भार बहुत बढ़ जाता है। भूमि विकास बैंक ऋण देते हैं उस पर मार्जिन रखते हैं। सेन्ट्रल बैंक से ऋण मिलता है उस पर मार्जिन रहता है। जितना खर्चा होता है वह भूमि विकास बैंक को भुगतना चाहिये और काश्तकारों से लीगल एडवाइस वगैरह का नहीं लेना चाहिये। एक महीने के अन्दर काश्तकारों को ऋण मिल जाना चाहिये। कुछ कॉमर्शियल बैंक्स भी ऋण देने लगे हैं। उनमें और हमारे बैंकों में बड़ा अन्तर है। कॉमर्शियल बैंक से एक महीने में रुपया ला सकते हैं। मैनेजर को विश्वास हो गया कि ऋण डूबेगा नहीं तो बहुत जल्दी ऋण मिल जाता है। एक काश्तकार कुआ खोदना चाहता है उसको आठ-दस महीने लोन न मिले तो उसका क्या होगा ? इसलिये इसके लिये सरलीकरण लायें। एक महीने, दो महीने में उसको ऋण मिल सके तो लाभ मिल सकता है वरना तो जो प्रणाली है, वह पूंजीपति के तौर पर है। इसलिये कटौती प्रस्ताव पेश किया है, राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण के लिये जिससे अधिक से अधिक लोगों को रुपया मिल सके। प्रधान....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मंत्री महोदय ने भी निर्देश दिया है कि ऋण देकर क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उसको देखा जाय। जो को-ऑपरेटिव कानून है उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़े तो लाना चाहिये, और ऐसे प्रावधान रखने चाहियें कि आसानी से लोन मिल सके।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सभानेत्री महोदया....

श्रीमती सभानेत्री : श्री हरजीराम बुरड़क ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सभानेत्री महोदया....

श्रीमती सभानेत्री : आप मौजूद नहीं थे जब आपका नाम पुकारा गया था ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : सभानेत्री महोदया, कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करते हुए नागौर बैंक द्वारा किये गये दुरुपयोग के बारे में निवेदन करूंगा ।

डीडवाना में एक ब्रान्च खोली गई । बैंक से ऋण देकर भवन बनाया । जिस व्यक्ति ने ऋण लिया फर्जी रिकार्ड बना करके धोखा देकर के ऋण लिया । सरकार ने सारे मामले की जांच करायी और सदन में जानकारी दी कि सारा संचालक मण्डल और ऋण प्राप्त करने वाले सब दोषी हैं । फर्जी रिकार्ड तैयार किया गया और ऋण उठाया गया । उसके बाद में यह उत्तर दिया कि सरकार विचार कर रही है । जब फर्जी रिकार्ड के आधार पर ऋण उठाया गया है तो मामला पुलिस को सौंपा जाना चाहिये । २४ हजार की एक बड़ी राशि के दुरुपयोग करने के बावजूद भी और सरकार का इस ओर ध्यान जाने पर भी न तो पुलिस को यह मामला सौंपा गया है और न ही इस पर विचार किया गया है ।

दूसरा ललासरी को ऋण दिया । सदस्यों के नाम दे दिया । बैंक से पैसा उठा लिया । किसी को दिया नहीं । सरकार ने जांच कराई । यह सिद्ध हो गया और समिति की मीटिंग में लिखित में दिया कि यह ऋण मेरे पास रख लिया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की । बैंक के संचालक मण्डल के खिलाफ सैंकड़ों शिकायतें हैं । यह आरोप सही है और सिद्ध भी हुए हैं उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की । इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय घोषणा करें कि सारा मामला पुलिस को सौंप कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और रुपया दिया है वह तत्काल वसूल करेंगे ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामचन्द्र आर्य !

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभानेत्री महोदया, मेरा एक कटौती प्रस्ताव था ।

श्रीमती सभानेत्री : मुझे खेद है । समय निकल गया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तो क्या मुझे समय नहीं दिया जायेगा ?

श्रीमती सभानेत्री : समय बचा तो ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बहुत ही बड़ी विचित्र बात है कि समय मिलेगा तो देंगे । यह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : उस समय यह मंत्री महोदय से बातचीत कर रहे थे ।

श्रीमती सभानेत्री : उसी वक्त कहते कि मैं आ रहा हूं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उद्योग मंत्रीजी ने मुझे बुलाया था ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामचन्द्र आर्य ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सभानेत्री महोदया, मैं इस सम्बन्ध में एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं । सहकारी बैंकों के लिये ७।। लाख रुपया, कृषि साख समृद्धि के लिये स्वीकृति के लिये यहां रखा जा रहा है । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा

Page No 138

(श्री रामचन्द्र आर्य)

कि सहकारी बैंक्स द्वारा काश्तकारों को सही तरीके से ऋण नहीं दिया जाता है और जो प्रक्रिया इन बैंक्स में और जो ऋण देने की वहां प्रणाली है, कोई भी काश्तकार उसको पूरा नहीं कर सकता। इसलिये इस प्रकार की प्रणाली से कोई गरीब आदमियों को लाभ नहीं है। सभानेत्री महोदया, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह से भूमि-बंधक बैंक है, भूमि-बंधक बैंक से कोई भी ऋण लेना चाहे, साल भर तक मारे-मारे फिरना पड़ता है और उसके १०० में से ७० या ६० पल्ले पड़ते हैं। इस प्रकार के ऋण से इन बैंकों के द्वारा गरीबों की कोई सेवा नहीं होती है, क्योंकि इस प्रकार के नियमों के द्वारा जिन लोगों को, जिनको फायदा पहुँचना चाहिये, नहीं पहुँच रहा है। जिस तरह से हमारे क्षेत्र में भूमि बंधक बैंक है और वह उन गरीबों को कर्जा दिया गया पहले तो बिल्कुल परेशान किया गया, और फिर इस भयंकर अकाल में आज भी उनसे वसूली नहीं रोकी गई है। तो फिर क्या फायदा है इस प्रकार के इन सहकारी बैंकों के द्वारा काश्तकारों को कर्जा दिलाया जाय और जब संकट की स्थिति हो उस वक्त उन पर कुड़कियां जारी हों, वसूली कराई जाये। इसलिये मैं जो यह मांग स्वीकार की जा रही है उसका विरोध करता हूं। यह मंजूर नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे गरीब लोगों को फायदा नहीं होने वाला है और आज तक जो फायदा हुआ है वह उन्हीं लोगों को हुआ है जो साधन सम्पन्न हैं, सक्षम हैं, जिनके पास जायदाद हैं और जो इसे अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करना जानते हैं। आम आदमी के लिये यह उसके बूते के बाहर है।

जो व्यवस्था है, उसके लिये, सभानेत्री महोदया, मैं यह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बैंक के नियमों के अन्दर इस प्रकार के संशोधन करने चाहियें जिससे गरीबों को जितना लाभ पहुँचे वह पहुँचना चाहिये, इसकी व्यवस्था हमें करनी चाहिये। यदि इसके लिये सरकार कोई परिवर्तन नहीं करती है तो इस प्रकार ७।। लाख रुपया बैंक में जमा करवा कर इस प्रकार की राशि को मंजूर नहीं करना चाहिये। मैं तो यह कहूंगा कि यह फिजूलखर्ची है, और इससे आम लोगों को कोई फायदा नहीं है। पूंजीपति साधन-सम्पन्न जो हैं उनको ही फायदा है और गरीबों के लिये कोई भी फायदा नहीं होता है। इसलिये कृषि विभाग द्वारा जो तकावी बांटी गई है, वह २०-३० से ज्यादा उनको नहीं मिले हैं। यदि बैंकों के द्वारा सही तरीके से ऋण देने की व्यवस्था हो, जिनके ऊंट मर गये हों, बैल मर गये हों या काश्त के लिये कोई खास मवेशी नहीं रही हो, वे इससे खरीद सकें, ऐसा लोन दिया जाये। लेकिन जो दिया जाता है वे इससे वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार की गलत व्यवस्था होने की वजह से आज आम गरीबों को कोई इन बैंकों के द्वारा लाभ नहीं पहुँच रहा है। मैं कटौती प्रस्ताव यहां प्रस्तुत करते हुए यह मांग करूंगा कि यदि सरकार को गरीबों तक पहुँचना है, गरीबों को इन बैंकों के द्वारा फायदा पहुँचाना है तो जो पुरानी प्रक्रिया है, जो आज बैंकों में लागू है, उसको पहले समाप्त किया जाये और जिन लोगों के पास में कोई सम्पत्ति हो, जायदाद, खातेदारी जमीन हो, आराजी जमीन हो, उन लोगों को इन बैंकों से ऋण मिलना चाहिये।

Page No 139

(श्री रामचन्द्र आर्य)

और जिस तरह से भू-राजस्व वगैरह की वसूलियां संकट के समय, अकाल के समय बन्द रहती हैं, वही इन बैंकों के कर्जों पर लागू होना चाहिये। आज मेरे क्षेत्र में अनेक हरिजन हैं, वे मारे-मारे फिर रहे हैं, उन पर कुड़कियां हो रही हैं। मैंने सहकारी मन्त्रीजी को बार-बार लिखा, किन्तु उनका कोई उत्तर नहीं है और न कोई वसूली रोकी है। इस प्रकार के बैंकों से आम लोगों को क्या लाभ है। मैं इसका विरोध करता हूं या आप इसके अन्दर परिवर्तन करें नहीं तो पैसे वालों का, साधन-सम्पन्न धनी आदमियों के फायदे का यह बैंक मैं समझता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना यह कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री हन्सराज आर्य।

(अनुपस्थिति)

श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थिति)

श्री भैरोंसिंह शेखावत।

(अनुपस्थिति)

श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : सभानेत्री महोदया, मेरा सहकारिता का यह जो कटौती प्रस्ताव है, इस सम्बन्ध में जहां तक भूमि के विकास के लिये, कृषि के विकास के लिये राज्य सरकार जो कर्जा दिये जाने की नीति अपनाती है, उस नीति से मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन कृषि उत्पादन के नाम पर जिस ढंग से भूमि बन्धक बैंकों से, जिस ढंग से केन्द्रीय सहकारी बैंक का और इसी प्रकार से को-ऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज को जिन लोगों ने एक हथियार बनाकर उन्होंने इनका दुरुपयोग किया है, उस सम्बन्ध में मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है।

सभानेत्री महोदया, कोटा के अन्दर केन्द्रीय सहकारी बैंक है, जिससे शाहबाद तहसील के को-ऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है, जिसमें एक दीगोद की है, इसी प्रकार से एकसाण्डा की को-ऑपरेटिव सोसाइटी है, के अन्दर बड़े आदमियों ने और भूमि के ऊपर हस्तक्षेप करने के लिये इस इलाके के आदिवासियों के नाम पर लिस्ट बनाकर इन गरीब भूमिहीन आदिवासियों के नाम पर सरकार से भूमि आवंटित करवायी, और भूमि को आवंटित करवा कर को-ऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज बनवा कर, सामूहिक कृषि सोसाइटी बनाकर, उन्होंने राज्य सरकार के बैंकों के द्वारा और सहकारी विभाग के द्वारा अनुदान का हजारों रुपया लिया, और कर्जा भी लिया। कर्जा लेकर ट्रेक्टर खरीदे, गोडाउन बनवाये और खेती की। आज स्थिति तो यह है, सभानेत्री महोदया, कि जिन बड़े आदमियों ने सहरियों के नाम सोसाइटी बनाकर सरकारी पड़त जमीन पर कब्जा किया, उन गरीब सहरियों को उससे निकाल दिया, और दूसरे जिलों के लोगों को बुलाकर उनको उनमें शामिल कर लिया और जमीन पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद आज सहरियों के नाम पर हजारों रुपयों का अनुदान लिया, गोडाउन बनवाये, उन सबके वे आज मालिक बन गये हैं।

सभानेत्री महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज के करीब ७-८ वर्ष पहले किशनगंज तहसील के दीगोद की को-ऑपरेटिव सोसायटी में बड़े-बड़े आदमियों ने मिलकर सहरियों के नाम से सोसाइटी बनाई, उनके नाम का उपयोग किया और जमीन पर कब्जा किया। फिर उस जमीन को बेच

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

दिया। मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि को-ऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जमीन ले उसको उन्होंने किस प्रकार से बेचा ? सरकार से जो कर्जा और अनुदान लिया उसका क्या हुआ ? इसलिये मैं यह मांग करूंगा कि जिन्होंने आदिवासियों के नाम पर, सहरियों के नाम पर जमीन ली, फार्मिंग सोसाइटी के नाम पर जमीन ली सहरियों के नाम से सरकार से कर्जा और अनुदान लिया, उसकी जांच करवायी जाये और यह जमीन वापिस ली जाये। परन्तु यह आज तक नहीं करवायी गयी है। शाहबाद पंचायत समिति के प्रधान हैं। उसने अपने गांव खासायरा के अन्दर सोसाइटी बनाकर, सहरियों की एड लेकर, सहरियों की आड़ लेकर के उस प्रधान ने करीब ७०० बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। उस पर १० हजार का अनुदान लिया और ५० हजार का कर्जा। यह सदन इस बात को सुनकर ताज्जुब करेगा कि आज उस सोसाइटी के अन्दर एक भी सहरिया नहीं है। सारे उसके अपने लोग उसमें हैं और गरीब सहरियों को उसमें से निकाल दिया है। इस इलाके के अन्दर सरकारी भूमि पर कब्जा करने, कर्जा लेने और अनुदान लेने का तो एक धारा बन गई है। किस प्रकार से सामूहिक कृषि, खेती, फार्मिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर किस प्रकार से सौदा हो रहा है। इसके अन्दर मैं कहना चाहता हूं मन्त्रीजी से कि उस इलाके के सहकारी विभाग के इन्सपेक्टर इसमें इन्वाल्व्ड हैं। उसका वे हिस्सा लेते हैं और इस तरह से गलत सोसाइटीज बनती हैं।

इसके साथ-साथ, सभानेत्री महोदया, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कोटा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में कर्जे के दस लाख रुपये बेक डेट में डाले हैं। इस प्रकार डाले हैं कि बारां का एक पुराना कन्जूमर स्टोर है, कोटा का कन्जूमर स्टोर था उसके ऊपर हजारों रुपयों का कर्जा था। इस कन्जूमर स्टोर के व्यवस्थापक, अध्यक्ष और मंत्री बड़े व्यक्ति थे। विभाग के नियमों के अन्तर्गत कोई व्यक्ति किसी संस्था का सदस्य बनता है, जितनी हिस्सा पूंजी है उनकी उस संस्था में अगर उस बैंक का कर्जा है तो वह सब हिस्सा पूंजी से वसूल किया जाना चाहिये। जो बैंक के नियम हैं उन नियमों के अन्तर्गत उस हिस्सा पूंजी से वह ऋण वसूल किया जाना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक जिस-जिस सहकारी संस्था को ऋण देता है—जैसे बारां को-ऑपरेटिव कन्जूमर स्टोर, कोटा को-ऑपरेटिव कन्जूमर स्टोर है, उनके सदस्यों की तरफ या प्रबन्धकों की जो हिस्सा पूंजी रहती है उनसे वह कर्जा वसूल किया जाना चाहिये, जो कि वसूल नहीं किया गया। कोटा को-ऑपरेटिव कन्जूमर स्टोर है वह दस लाख रुपये बट्टे खाते में डालता चला आ रहा है इसी कारण गांवों के किसानों का बैंकों के प्रति विश्वास उठता जा रहा है।

(४. २२ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन) मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी जांच कराई जाय। जो इसके चेयरमैन थे, इसके मैनेजमेन्ट में थे उनसे वसूली की जानी चाहिये या उनकी चल-अचल सम्पत्ति को कुर्क किया जाकर जो कर्जा लिया गया है, वह वसूल किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ४।। बजे मुखबन्ध का प्रयोग होगा। आप यदि माननीय मंत्री का उत्तर सुनना चाहें तो वे इस बीच उत्तर दे सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय मेरे इस पर सात कटौती के प्रस्ताव हैं। बैंकों का जिनमें रुपया रह गया है उसको सख्ती के साथ वसूल किया जाना चाहिये। जो शेयर होल्डर हैं या जो डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेन्ट में हैं उनके शेयर पूंजी के अनुसार वसूली की जानी चाहिये। राजनैतिक आधार पर उनको बख्शा नहीं जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं को-ऑपरेटिव बैंक है जिसके अन्दर तीन-चार लाख का गबन है। यह मामला जब इस विधान सभा में आया उसके बाद यह मामला पुलिस को दिया गया। इस गबन में बैंक के कर्मचारी शामिल थे, बैंक के उपाध्यक्ष भी शामिल थे, जिनको राजनैतिक आधार पर संरक्षण दिया गया है और उनको बचाया गया है। इस कारण से यह मामला पुलिस में पड़ा हुआ है, इस कारण पूर्णरूप से जांच नहीं हो पा रही है। अदालत में एक दो केस दे दिये गये बाकी को दबा दिया गया। बैंक का जो गबन का मामला है उसको इस प्रकार फुटकर रूप में एक दो चालान कर दिये जाते हैं, इसकी पूरी जांच करवाकर उनका चालान नहीं किया जा रहा है।

इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में गबन हुआ उस समय यह चीज पकड़ में आयी थी नरसिंहपुर को-ऑपरेटिव सोसाइटी को ५० हजार का कर्जा दिया गया। सहकारी समिति के भूतपूर्व जो उपाध्यक्ष थे, वही अध्यक्ष थे उन्होंने पचास हजार रुपया लेकर जमा नहीं कराया और उसको हड़प कर लिया। ऑडिट पार्टी ने जांच की अधिकारियों ने जांच की, दोनों ने रिपोर्ट में कहा है कि इसके अन्दर गबन हुआ है। बैंक से रुपया लेने के बाद जमा नहीं हुआ उसकी पुनः जांच करने के लिये कहा गया। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, बारां के कुछ राजनैतिक नेताओं ने संयुक्त सहकारी खेती के नाम पर फर्जी सोसाइटी बनायी है। बारां के रहने वाले चुरैत्या सामूहिक कृषि फार्मिग सोसाइटी बनाई है उसके अन्दर नियम है जो भी व्यक्ति इस प्रकार की को-ऑपरेटिव फार्मिग सोसायटी बनाते हैं उसमें राज्य कर्मचारी शामिल नहीं हो सकते। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस फार्मिग सोसाइटी के १८ सदस्य हैं; प्रभुलाल गुप्ता इसके अध्यक्ष है, इन्होंने अपने सात रिश्तादारों को उसमें शामिल कर सोसाइटी बना ली। उसमें एक राज्य कर्मचारी है श्री बालकिशन जो श्री रामचरण पटवारी के पुत्र हैं और समाज कल्याण विभाग में नौकरी करते हैं। इस सोसाइटी के नियमानुसार कोई राज्य कर्मचारी शामिल नहीं हो सकता। उन्होंने एफेडेविट दिया है, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के सामने कि हम सब भूमिहीन हैं। अधिकांश व्यक्तियों के पास बारां में जमीन है। और चुरैत्या में ४१३ बीघा भूमि फर्जी एलॉटमेन्ट की कार्यवाही करके गांव के लोगों को जमीन मिलने वाली थी वह जमीन उन्होंने ले ली है। उन्होंने बैंक से कर्जा भी मांगा है ट्रैक्टर के लिये अनुदान मांगा है। यह फर्जी सोसायटी है, जिसकी जांच करवाई जाय। और जो कर्जा मांगा है उस पर रोक लगायी जाय।

Page No 142

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ के अन्दर छोटी सादड़ी कस्बा है। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि छोटी सादड़ी के अन्दर एक फार्मिग सोसाइटी है जिसके ऊपर ३८ हजार रुपये का कर्जा है जिसकी वसूली के लिए पी. डी. आर. के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है चित्तौड़ जिलाधीश यह कार्यवाही कर रहे हैं। चार-पांच साल से कर रहे थे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा इस को-ऑपरेटिव फार्मिग सोसायटी पर पी. डी. आर. के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है, वह कार्यवाही रुकवा दी गई है। इस सोसाइटी में कौन-कौन थे। मैं कहना चाहता हूं छोटी सादड़ी को-ऑपरेटिव सोसाइटी में जो सदस्य हैं वे श्री अमृतलालजी यादव के परिवार के लोग हैं, जिनके ऊपर इस प्रकार की पी. डी. आर. की कार्यवाही हो रही है।

श्री अमृतलाल यादव : मेरे परिवार के किसी सदस्य पर किसी भी सोसाइटी का कर्जा बाकी नहीं है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी मंत्री के परिवार पर कोई लायबिलिटी हो तो क्या उसका जिम्मेदार मंत्री होता है ? खुद का ताल्लुक हो तो वे बता सकते हैं।

मैं उपाध्यक्षजी, आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं क्या किसी मिनिस्टर के परिवार को लेकर कोई मामला बिना पहले सूचना दिये उठाया जा सकता है। मिनिस्टर से संबन्धित मामले के लिये तो वह दोषी हो सकता है, उसके परिवार की जिम्मेदारी उस पर डाली नहीं जा सकती। क्या बिना सूचना दिये ऐसे मामले उठाये जा सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : उठा सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : चित्तौड़ जिलाधीश द्वारा पी. डी. आर. में कार्यवाही चल रही थी उसको रोक देना अपने आप में यह बताता है कि इसमें किसी बड़े आदमी का हाथ है। दबाव के बिना यह कार्यवाही रुक नहीं सकती। मंत्री महोदय के रिश्तेदार होने के कारण वसूली नहीं हो पायी है ...

श्री अमृतलाल यादव : मैं कह चुका हूं कि मेरे किसी परिवार के नाम पर कोई सोसाइटी का कर्जा नहीं है। मेरे एक भाई हैं उन पर भी फार्मिग सोसाइटी का कोई कर्जा नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं मन्त्रीजी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं इस छोटी सादड़ी को-ऑपरेटिव फार्मिग सोसाइटी में कौन-कौन सदस्य हैं, उसकी सूची पेश कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : मुखबन्ध का प्रयोग। चर्चा इस पर समाप्त की जाती है। अनुपूरक अनुदान की शेष मांगों पर मतदान।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : समय नहीं दिया जावेगा। गुलेटिन एप्लाई किया जा रहा है।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४५-मुख्य शीर्षक 'का' सहकारिता के संबंध में संचनित निधि में से ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने

(श्री उपाध्यक्ष) वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७५,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक, अनुदान की मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १२४ सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में संचनित निधि में से ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १०,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक 'था' राज्य संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में संचनित निधि में से ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १,७५,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ तीन-चार ही आदमी बोलते हैं और कोई समर्थन नहीं करता है।

श्री जगन्नाथ : सभी करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २९ विविध विभाग के सम्बन्ध में संचनित निधि में से ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७१ विविध के सम्बन्ध में संचनित निधि में से ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८, मुख्य शीर्षक १८ संसद राज्य संघ राज्य क्षेत्र विधान सभा के सम्बन्ध में संचनित निधि में से ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को २२,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

राजस्थान विनियोग संख्या ३, विधेयक १९६९ का पुरः स्थापन एवं पारण

श्री विशम्बरनाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग संख्या ३, विधेयक १९६९ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग संख्या ३, विधेयक १९६९ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग संख्या ३, विधेयक १९६९ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग संख्या ३, विधेयक १९६९ जो सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, समयाभाव के कारण अनेकों मांगों के सम्बन्ध में जो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे उन पर हम अपने विचार नहीं रख सके और ५।। बजे मुखबन्द का प्रयोग कर दिया गया।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में जो अवसर प्राप्त हुआ है उसमें जो यह मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७१, विविध जिसमें ३० हजार की धनराशि का प्रावधान हिण्डौन में पुलिस फायरिंग के सिलसिले में जो एन्क्वायरी कमीशन बैठाया गया है, उसकी बाबत अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, गत २७-२८ जून को हिण्डौन कस्बे में छात्रों के द्वारा वहां पर सैकेण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल में परिवर्तित करने की मांग को लेकर, अस्पताल में डाक्टरों की समुचित व्यवस्था की मांग को लेकर, और जल-प्रदाय योजना के सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र उसको पास करने की मांग को लेकर हिण्डौन कस्बे के छात्र समुदाय ने एक आन्दोलन प्रारम्भ किया।

उस आन्दोलन के सिलसिले में हिण्डौन कस्बे में आम हड़ताल हुई और वहां की जनता में बड़ा भारी रोष व्याप्त हुआ। छात्रों की मांग के समर्थन में हिण्डौन की जनता ने पूरा सहयोग दिया।

दुर्भाग्य की बात है कि इतनी वाजिब मांगों के सिलसिले में प्रारम्भ किये गये आन्दोलन को सरकार ने दबाने की असफल चेष्टा की। चाहिये तो सरकार को यह था कि छात्रों की उचित मांगों को स्वीकार किया जाता, लेकिन इस के स्थान पर उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों को सुनकर ताज्जुब होगा कि हिण्डौन कस्बे में इस सरकार की पुलिस ने वहां पर फायरिंग किया और उसके परिणाम स्वरूप दो व्यक्ति मौत के शिकार हुए। उनमें एक छात्र भी था।

मैं समझता हूं राजस्थान सरकार आज अपनी सरकार चलाने के लिये जिस प्रकार से गोलीबारी का सहारा लेती है यह बड़ा जघन्य कृत्य है। इसकी जितनी निन्दा की जाय, कम है। यह बात सही है कि राज्य सरकार ने हिण्डौन में हुए पुलिस फायरिंग की जांच के लिए राजस्व मण्डल के सदस्य गोकुललालजी महता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है, जिसने आज २९ अगस्त की तारीख स्टेटमेंन्ट पेश करने के लिये मुकर्रर की है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी सिलसिले में जहां एक ओर वाजिब मांग के लिये चलाया जाने वाला आन्दोलन सार्वजनिक जन आन्दोलन को पुलिस गोलियों से दबाये जाने के लिये राज्य सरकार की भर्त्सना करना चाहता हूं, वहां दूसरी ओर पुलिस गोली के शिकार और फायरिंग के लिये राज्य सरकार ने जो आयोग गठित किया है उसके सिलसिले में यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने जो आयोग गठित किया है वह आयोग एक प्रकार से इस सारी गोलीबारी पर लीपापोती करने के लिये है। इस आयोग के द्वारा राज्य सरकार, जो लोगों में जन असन्तोष है, जो लोगों में विद्रोह की भावना है, उसको दबाना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर राज्य सरकार आयोग से यह जांच कराना चाहती है कि गोलीकाण्ड वाजिब था या नहीं था, गोलीकाण्ड से पूर्व की परिस्थितियां क्या थीं और दूसरी ओर इस राज्य सरकार ने और पुलिस विभाग ने बहुत से लोगों को गिरफ्तार करके अदालतों में मुकदमे चलाने का अभियान शुरु कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : ये गोकुललाल मेहता वही हैं क्या जिन्होंने राधावल्लभ एण्ड सन्स से पैसा रिश्वत में ले लिया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनके सम्बन्ध में यह आरोप सदन में भी आया था और यह सरकार आज तक भी उसका जवाब नहीं दे सकी है और इसलिये वह प्रश्नवाचक चिन्ह आजतक बना हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : तब तो क्या निहाल करेंगे ये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई राय जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य की ही नहीं है परन्तु आम धारणा ऐसी है और जैसा मैंने निवेदन किया कि यह आयोग सिवाय इसके कि सारी बातों पर लीपा-पोती की जाय उसके लिये गठित किया गया है। राज्य सरकार की हिम्मत नहीं है कि फायरिंग की जांच करे या कमीशन बैठाये या राजस्थान हाई कोर्ट के किसी जज को मुकर्रर करे। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि हिन्डौन में हुए गोलीकाण्ड की जांच के लिये आपने कमीशन क्यों नहीं नियुक्त किया ? स्थिति यह है कि आज राजस्थान हाई कोर्ट के कोई भी जज इस कांग्रेस की हकूमत में जो जनता पर गोली चलाती है, कमीशन के रूप में काम करने को तैयार नहीं हैं—और उसका कारण यह है कि ७ मार्च, १९६७ को जयपुर में जो गोलीकांड हुआ, जिस समय कांग्रेस अल्पमत में थी और विरोधी दल बहुमत में था। उस समय कांग्रेस के राज्यपाल श्री सम्पूर्णानन्द जी ने जो अपनी आखिरी सेवा कांग्रेस की करना चाहते थे, उन्होंने पार्टी बाजी के आधार पर, कांग्रेसियों की सेवा भावनाओं से कांग्रेस के अल्पमत को बहुमत करार दिया और कांग्रेस के नेता श्री मोहनलाल सुखाड़िया को ४ मार्च को मंत्री मण्डल का निर्माण करने के लिये निमन्त्रण दिया। इससे जनता में रोष उमड़ा, जन आन्दोलन हुआ। उस आन्दोलन को दबाने के लिए गोली चलाई गई। इसके फलस्वरूप गोलीकांड की जांच की मांग की गई विरोधियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और उस ज्ञापन का यह नतीजा निकला कि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट के जज से जांच कराये जाने की मांग को स्वीकार किया और राजस्थान हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री भगवती प्रसाद बेरी की नियुक्ति की। २० महीने के कठिन परिश्रम करने के बाद ६ जनवरी, १९६९ जिसके सम्बन्ध में इस सदन में विस्तार से चर्चा हो चुकी है, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन ६ जनवरी, १९६९, को यह रिपोर्ट पेश की गई जयपुर के गोली कांड की जिसमें जयपुर में, जौहरी बाजार में पुलिस के द्वारा गोली चलाना आयोग ने गैर वाजिब माना है अनुचित माना है, अन्याय पूर्ण माना है, बदले कि भावना से माना है मुकदमे चलाने की सिफारिश की गई। आज ८ महीने के बाद भी राजस्थान की सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि बदले की भावना से गोली चलाई गयी थी, उन पर मुकदमे दायर नहीं किये गये। यह राजस्थान को सरकार ने हिन्दुस्तान में एक काला धब्बा लिया है, यह हिन्दुस्तान के लिये एक कलंक है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता का विश्वास उठ चुका है, आज राजस्थान की ज्युडिशियरी का विश्वास गवर्नमेंट से उठ चुका है इसलिये आज राजस्थान हाई कोर्ट के किसी जज का कोई विश्वास नहीं रहा वे अब कमीशन के रूप में राजस्थान की इस कांग्रेसी सरकार में काम करने को तैयार नहीं हैं, उनका मनोबल सरकार की ओर से खत्म हो गया है। मैं समझता हूं जिस प्रकार का रुख और रवैया इस गोली कांड के सिलसिले में सरकार का रहा है वह बहुत निकृष्ट है। यह घोषणा करदी मार्च के महीने में जब यह सदन चल रहा था सरकारी अधिकारियों की तीन आदमियों कि समिति बनाई गई। वह तीन आदमियों की कमेटी सरकार को यह सिफारिश करेगी। हिन्दुस्तान में ऐसा कोई उदाहरण पेश करदें, ऐसा कोई एक भी केस बतादें जिसमें हाई कोर्ट के एक जज ने कमीशन के रूप में काम करके सरकार को रिपोर्ट दी हो और उसके ऊपर एक जांच कमेटी, सेक्रेटेरियेट में बैठे हुये लोगों की जो आई० ए० एस० हैं जांच की हो। आज हिन्दुस्तान में इस प्रकार का उदाहरण नहीं मिलेगा। इस प्रकार का उदाहरण केवल राजस्थान में मिलेगा। कमेटी बनाने के बाद अफसरों की सरकार ने दो महीने का समय मुकर्रर किया था अप्रैल, मई में उनकी रिपोर्ट आनी थी नहीं आई, फिर राज्य सरकार ने उसका और समय बढ़ा दिया। यह अगस्त भी समाप्त होने वाला है। जहां तक मेरी जानकारी है उस कमेटी में उस समय के चीफ सेक्रेटरी, श्री आर० डी० माथुर, वर्तमान मुख्य सचिव श्री जैड० एस० झाला और एक श्रीमान् खुराना इन तीन आदमियों की एक समिति बनाई गई थी उसने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी, वह यह रिपोर्ट देने वाली भी नहीं है क्यों कि राज्य सरकार की नीति इस प्रकार की है यह राज्य सरकार उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है, क्यों कि सरकार का यह मानना है इन्होंने जनता पर गोली चलाकर, जनता के मनोबल को गिराया है, जनता का जो उस समय उत्साह था उसको कम किया है जिससे कांग्रेस की हुकुमत राजस्थान में बनी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इनका मानना हैं। ये दोषी नहीं है। इसलिये इनके खिलाफ कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है ये प्रमोशन के पात्र हैं। ७ मार्च को जितने पुलिस अधिकारी जितने ऑफिसर पुलिस के तैनात थे, जिन्होंने अनुचित रूप से गोली चलाई, जो अनुचित रूप से गोली चलाने के जिम्मेदार थे उन सब को राज्य सरकार ने प्रमोशन देकर ऊंचे पदो पर भेजा है ऐसा घिनौना काम इस राजस्थान की सरकार ने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की परिस्थितियों में और इस प्रकार की पृष्ठ भूमि में आज जनता का विश्वास इस प्रकार के कमीशन से उठ चुका है इस कमीशनबाजी में जनता का कोई विश्वास नहीं रहा है। तो फिर रेवेन्यू बोर्ड के एक मेम्बर जिनकी सदन में चर्चा हो चुकी है और जिसकी इन्टेग्रिटी के बारे में सदन को सन्देह है उस प्रकार का व्यक्ति किस प्रकार रिपोर्ट दे सकता है। इसका मतलब राज्य सरकार अपने मन चाहे व्यक्तियों को नियुक्त करके उस हिन्डौन के गोली काण्ड को वाजिब ठहराना चाहती है, अव्वल तो वह राज्य सरकार को रिपोर्ट देगें नहीं, रिपोर्ट दी भी तो राज्य सरकार उसको स्वीकार नहीं करेगी, स्वीकार करके उस पर आचरण नहीं करेगी। राज्य सरकार स्वीकार कब करेगी जब वह सरकार के पक्ष में होगी तो उसको फौरन स्वीकार कर लेगी। उस रिपोर्ट में यह होगा कि जनता ने विद्रोह किया था, जनता ने हिंसात्मक कार्यवाही की है, जनता ने चीजें जला दी है, जनता ने लूटमार की है तो सरकार रिपोर्ट को स्वीकार करेगी और यदि कहीं रिपोर्ट विरोध में चली गई तो फिर उसमें कई झगड़े पैदा कर देगी।

श्री भैरोंसिंह : सरकार के खिलाफ डीडवाना और बीकानेर की जो रिपोर्ट थी, उसको भी दबाकर बैठ गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इस प्रकार की जो सरकार युनिलेट्रल है, हम मांग करेंगे कि राजस्थान सरकार के कमीशन ऑफ एन्क्वायरीज एक्ट के अन्दर संशोधन को लाना चाहिये। जो रूल्स बनाये हैं, कमीशन ऑफ एन्क्वायरीज एक्ट के, वह रूल्स डिफेक्टिव हैं। कानून में संशोधन लाते नहीं हैं, सही एम्पलीमेंटेशन होता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे राजस्थान के अन्दर बीकानेर में १६ सितम्बर को राज्य कर्मचारियों के लिये एक जांच अधिकारी नियुक्त किया, उसका क्या नतीजा हुआ, डीडवाना डिस्ट्रिक्ट जज को नियुक्त किया गया, उसका क्या नतीजा रहा, उसकी रिपोर्ट के बारे में क्या कार्यवाही की ? उसी तरह की एन्क्वायरी कोटा के बारे में बिठाई गई उसका क्या नतीजा निकला। ये सारे मसले दबा दिये जाते हैं। जनता आन्दोलन करती है, सरकार कोई ध्यान नहीं देती, कोई प्रस्ताव पास किया जाय उस पर सरकार ध्यान नहीं दे, जनता कोई प्रदर्शन करे तो सरकार ध्यान नहीं दे। सरकार के ध्यान देने की आदत ही नहीं है। अब तो इनकी खालें और मोटी हो गई हैं। इन मोटी खालों पर कोई असर नहीं पड़ता है। इनकी तो गेंडों की सी खाल हो गई है। जनता की किसी बात का असर इन पर नहीं पड़ता है। सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता की सीमा पार हो जाती है और जनता का सरकार से विश्वास उठ गया है। सरकार के लोग जनता को बदनाम करते हैं, जनता में सी. आई. डी. के लोग रहते हैं जो जनता के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

शान्ति से चलने वाले आन्दोलन को बदनाम करना चाहते हैं, वे लोग पत्थर फेंकते हैं। अप्रिय घटनायें पैदा करके गोली चला कर जनता के लोगों को मारा जाता है। फिर उसके ऊपर कमीशन बैठाया जाता है और उसकी लीपापोती करके अपने कारनामों को छिपाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों में मैं निवेदन करना चाहता हूं साढ़े पांच लाख रुपया खर्च करके इस घटना को दबाना चाहते हैं। साढ़े ग्यारह-ग्यारह सौ रुपये रोज वकीलों को देकर मुकर्रर कर दिया जो कांग्रेसी नेता हैं, जो संसद में रह चुके हैं, उनको आप इस तरह रुपये देकर खुश करना चाहते हैं, जो बेकार है, जिनको रोजगार नहीं मिलता है....

श्री मूलचन्द डागा : काफी कह दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बात सही है, यही आपका मॉरल है लेकिन इसका कोई असर होने वाला नहीं है, खाल आपकी गैंडे की तरह होती जा रही है—आपकी नहीं सरकार की। आज कांग्रेस का यह रवैया हो गया है। कांग्रेस पार्टी के जागरूक नेता, पढ़े लिखे लोग प्रोग्रेसिव कहलाने वाले लोग जिनकी अन्तरात्मा कुछ और कहती है, करते कुछ और हैं इतने एन्टी डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रखने वाले सदस्य जिनको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। डागा साहब आपको १५ वर्ष होने आये हैं, इस विधान सभा में आते लेकिन आप इधर उधर ही घूमते रहे हैं आपको कोई मिनिस्ट्री में लेने वाला नहीं है। जसराज जी का नम्बर आगया लेकिन डागा साहब आपका नम्बर नहीं आया। मैं निवेदन कर रहा था डीडवाना, बीकानेर की फायरिंग की रिपोर्ट, श्रीराम फर्टीलाइजर की रिपोर्ट उसका क्या हुआ? रिपोर्ट आपके खिलाफ आती है, सरकार उसको स्वीकार नहीं करती है, सरकार के दोषी अधिकारियों के प्रति कोई कार्यवाही नहीं करते हैं इसलिये जनता का विश्वास न सरकार में है और न इन सरकार द्वारा बिठाये गये कमीशनों में है। कांग्रेसी नेताओं को पैरवी करने के लिये मुकर्रर किया जाता है उनको ग्यारह-ग्यारह सौ रुपये देकर उनको रोजी-रोटी देते हैं इसीलिये इन कमीशनों का उपयोग किया जाता है। यह जनता की आम धारणा बन गई है।

उपाध्यक्ष महोदय इसमें ३० हजार रुपये की धनराशि रखी गयी है। मैं नहीं समझता कि दिसम्बर तक का समय दिया है और अब अगस्त का महीना चल रहा है। उनको तनख्वाह तो कन्सोलिडेटेड फण्ड से मिलती है तो फिर यह ३० हजार रुपये किस पर खर्च करेंगे? क्या किसी कांग्रेसी नेता का घर भरना है, क्या उसको रोजगार देना है, उसकी रोजी-रोटी का इन्तजाम करना है? आखिर क्या चाहते हैं? ३० हजार रुपये के खर्च करने की डिटेल्स क्या है? किसलिए यह खर्चा चाहिए? मैं समझता हूं कि अगर कमीशन की यही दुर्गति होने वाली है तो हम इस बात का घोर विरोध करते हैं कि इस प्रकार के ३० हजार रुपये फिजूल जाया करने के लिए जनता के कोष में से मत दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है इसलिए अधिक नहीं कहता हुआ इसी मांग के सिलसिले में अपना विरोध प्रकट करता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : समय केवल ७ मिनट बचे हैं इसलिये इसी सीमा में अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्रीजी द्वारा हिन्डौन फायरिंग के सिलसिले में जो कमीशन का अपॉइन्टमेन्ट किया है श्री गोकुललालजी मेहता की अध्यक्षता में जिनके बारे में माननीय सदस्य पहले भी कई बार यहां पर उनके खिलाफ आरोप लगा चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह हिन्डौन गोलीकाण्ड हुआ है उस सिलसिले में मैं आपको ज्यादा नहीं कहते हुए क्योंकि समय का अभाव है इस सिलसिले में मैं इतना ही कहूंगा कि यह जो फायरिंग के लिए जिस प्रकार के गवर्नमेन्ट कमीशन अपॉइन्ट करती है—अच्छा तो यह होता कि जयपुर में गोली काण्ड हुआ था और उस गोली काण्ड की इन्क्वायरी के लिये हाईकोर्ट के जज को नियुक्त किया गया था उसी तरह से हमारे हिन्डौन के अन्दर जो दिनांक २७-६-६६ को गोली काण्ड हुआ था उसकी इन्क्वायरी कराते। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी ताज्जुब करोगे कि छोटी-छोटी सी बातों के ऊपर सरकार ने नन्हे-मुन्ने बच्चों पर गोलियां चलाईं। वह क्या मांग कर रहे थे? उनकी मांगें क्या थीं? हमारे यहां पर आज से काफी समय पहले से ही जब कि स्टेट पीरियड था उस समय सन् १६४४ से हाईस्कूल चला आ रहा है। जहां ३५ हजार का कस्बा हो और सन् ४४ से हाई स्कूल चला आ रहा हो तो क्या गुनाह कर रहे थे? अगर एक क्लास खुलवाने के लिए राज्य सरकार के पास मिलने आये और उनको किसी प्रकार का संतोषप्रद जवाब नहीं मिला वो बच्चों ने वहां पर आन्दोलन किया। दूसरी मांग थी कि जो ३५ हजार के कस्बे में डिस्पेन्सरी है और उसमें एक ही डॉक्टर है और वह भी हमेशा हफ्ते में ४ बार गांवों में जाता है और फिर ३ दिन के अन्दर शहर के लोगों को सम्भालता है तो आप ताज्जुब करेंगे कि जहां ३५ हजार की जनसंख्या है वहां पर पी. एच. सी. खोला जाये यह मांग की तो क्या बुरा कर रहे थे? तीसरी मांग पीने के पानी की थी और वह पीने के पानी की समस्या जो २० वर्ष से चली आ रही है—अमुक-अमुक तारीखों पर जाकर मोहनलालजी सुखाड़िया ने आश्वासन दिया है और वहां पर सन् ६७ के आम चुनावों में जाकर शिलान्यास किया, नलों का उद्घाटन किया और जनता के सामने यह बात कही कि मेरे हाथ का किया हुआ उद्घाटन कभी खाली नहीं जायगा। लेकिन जहां उनके उद्घाटन का पत्थर लगा है उसकी आड़ में जाकर लोग पेशाब करते हैं। तो वह पीने के पानी की मांग कर रहे थे, मरीजों के लिए दवाई की मांग कर रहे थे और हायर सैकेण्डरी खोलने के लिये मांग कर रहे थे और जब विद्यार्थियों ने अपना आन्दोलन किया उनके समर्थन में वहां की जनता ने बच्चों का सहयोग दिया और उस आन्दोलन को और बच्चों की मांग को पूरा कराने के लिए प्रदर्शन निकाला गया। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि २७ तारीख को जिस प्रकार से इन्होंने फायरिंग किया है, एक-एक व्यक्ति जो कि सक्रिय कार्यकर्ता थे, जो कि हमेशा इनकी आंखों में खटकते थे उनको ६-६ बार गोलियों का निशाना बना कर फायरिंग किया। यह कहते हैं रेलवे लाइन को क्षति पहुँचाई, रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुँचाया, सिगनल को यह कर दिया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कह सकता इस बात के लिए पूरी तरह से लेकिन

Page No 150

(श्री श्रवणलाल)

आप सुन कर ताज्जुब करेंगे कि रेलवे लाइन को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ और रेलवे स्टेशन को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, रेल्वे सिग्नल के पास गाड़ी को रोका गया है और गाड़ी के ड्राइवर को बैठा लिया गया था और उसको कहा गया था कि गाड़ी नहीं जायेगी। ड्राइवर ने इस प्रकार का प्रश्न किया कि जनता का क्या होगा ? हमने कहा कि खाना हम खिलायेंगे और पानी पिलायेंगे। लेकिन हम राज्य सरकार को दिखाना चाहते हैं कि यहां से गाड़ी नहीं जायेगी। गाड़ी चली गई और चली जाने के बाद जो पुलिस के तैनात कर्मचारी थे...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य। क्या सदन की अनुमति है कि बैठक का समय बढ़ाया जाये ?

(विराम)

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, कल रक्षा बन्धन है और माननीय सदस्य अपने-अपने घर जाना चाहते हैं...

श्री भैरोंसिंह : बैठना पड़ेगा। रुपये २१ दिये हैं और विधान सभा में बैठने के दिये हैं। लेबर की तरह से बात करने लग गए कि हम तो ५ बजे ही जायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप क्या पाली जाओगे ? वहां तो आपकी पत्नी हैं, क्या उनके राखी बांधोगे ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या आधा घन्टे के लिए बढ़ा दिया जाये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विरोधी दल का को-ऑपरेशन आपके साथ है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। सभी आवश्यक प्रश्न अभी पूछ लिये जायें। प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

(विधेयक विचारार्थ लिया गया)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि...

श्री भैरोंसिंह व सतीशचन्द्र अग्रवाल : जवाब तो दो।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से १० मिनट का समय बढ़ा देते हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विषय में चर्चा के दौरान जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात के ऊपर बहुत ही जोर दिया कि ३० हजार रुपये को...

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर ! उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस लिस्ट के अन्दर आज माननीय मथुरादासजी माथुर के नाम से लिखा है कि वह एप्रोप्रियेशन बिल पेश करेंगे। इस सदन को स्मरण होगा कि इस प्रकार की आपत्ति कई बार पहले उठाई गई थी और यह व्यवस्था दी गई थी कि यदि वित्त मन्त्रीजी अपनी ओर से मन्त्रीजी को ऑथोरिटी लिख कर दे दें कि उनके बिहाफ पर बोल सकते हैं तो वह ऑथोरिटी इनके पास है क्या कि यह एप्रोप्रियेशन बिल पेश कर रहे हैं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं सदन की इजाजत से जवाब देना चाहूंगा....

श्री भैरोंसिंह : आप आँथोरिटी के बारे में कहें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : हां, बाकायदा प्राधिकृत किया हुआ हूं मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा भी और माननीय आपत्तिकर्ता सदस्य से कहना चाहूंगा कि राजस्थान विधान सभा के रूल्स ऑफ बिजनेस में आप जो फाइनेन्स मिनिस्टर या वित्त मंत्री की परिभाषा दी हुई है उसके ऊपर गौर फरमायें।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी आपत्ति यह थी आपके नाम लिखित में आँथोरिटी है तो यह जरूरी नहीं है कि लिखित में हो। वह जबानी भी हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : आपको आथोराइज किसने किया है?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मुझे आथोराइज किया है मथुरादासजी माथुर ने।

श्री भैरोंसिंह : कैसे किया है? हाउस में मथुरादास जी माथुर के नाम बिल चल रहा है। यह मथुरादास जी माथुर कहीं से हो गये?

श्री श्रवणलाल : आप तो मिनिस्टर भी नहीं हैं। हाफ मिनिस्टर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६९ को प्रभारी मन्त्री प्रस्तुत करेंगे और आगे सब लिखा है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह आपने आपत्ति सदन में....

श्री भैरोंसिंह : आप प्रभारी मन्त्री भी नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनेस इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली के आर्टिकल २९४ की सब-क्लॉज (३) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

"(1) A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognisance of the Speaker.

(2) A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment"

अगर आपकी आज्ञा हो तो दो शब्द इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कार्य-सूची में बराबर हम देखते आ रहे हैं कि प्रश्नकाल के सम्बन्ध में हमेशा सूची का अन्तिम विषय रहता हुआ आया है। अगर आप प्रायोरिटी दें तो एक दिन तो सूची के अन्त में दें, दो दिन दें तो मैं भी मानता हूं, लेकिन

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

निर्धारित सूची के अन्तिम विषय को दूसरे दिन प्रायोरिटी न दें और अन्य विषयों को प्रायोरिटी दिये जाने की यह एक व्यवस्था मेरे ख्याल से संसदीय प्रणाली के बिल्कुल विपरीत है। आप दूसरे विधेयक ले सकते हैं। इस पर मेरा कोई विरोध नहीं हैं, और आप अपने सदस्यों के और अधिकारीगणों के परिलाभ के सम्बन्ध में विषय को ले सकते हैं, लेकिन परिलाभ को प्राथमिकता देकर जनता के लाभ की समस्या को गौण रखें, मेरे ख्याल से, यह व्यवस्था एक ऐसी है जिसके प्रति मुझे सन्तोष नहीं है।

यह अध्यक्ष महोदय का अधिकार है, उपाध्यक्ष महोदय, कि कार्य सूची में काम में बंटवारे के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष के द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन यह कैसी आवश्यकता के द्वारा ? यह परिवर्तन निरन्तर एक हफ्ते तक करते जाते रहें कि अकाल के सम्बन्ध में बहस हो, वह हमेशा अन्तिम विषय आपकी कार्यसूची का रहे, यह मेरी समझ में नहीं आया, और इसके बारे में मुझे असन्तोष है, और आपके द्वारा यह जो व्यवस्था की गई है, उसके लिए मैं असन्तोष प्रकट करता हूं। मैं समझता हूं कि यह जो व्यवस्था आसन की ओर से हुई है यह सन्तोषजनक नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आज तो हो नहीं सकता है। आज तो रक्षा बन्धन के लिए जाना है। परसों इसको प्रारम्भ में रख देंगे।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): अकाल जैसे महत्वपूर्ण•••

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरी तो आपत्ति है वह आसन की ओर है। मैं आप से बात नहीं करता।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं भी आप से बात नहीं करना चाहता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मत करिये। उनको कहें अध्यक्ष महोदय को। मेरी तरफ मत देखिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उन्हीं से कह रहा था आप बीच में क्यों बोल दिये जबरदस्ती।

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने जो आपत्ति उठाई है वह कुछ मायने में सही है, लेकिन पिछले दिनों सदन में कई कार्य, जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वगैरह ऐसे हुए जिनमें चर्चाएं ज्यादा लम्बी हो गई हैं। आज वित्तीय विषय था उसके लिए प्रायोरिटी देने के लिए विपक्ष के नेता महोदय भी मानेंगे। २८ तारीख को अकाल का विषय लिया जायगा, ऐसा मानकर हमको चलना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २८ को भी सेकण्ड नम्बर पर है।

महाराल श्री लक्ष्मणसिंह : दूसरे लोगों को मौका नहीं मिले इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय मिले बोलने वालों को तो समय तय किया जाय ताकि जनहित के सम्बन्ध में उनके विचार व्यक्त कर सकें। आपके द्वारा यह व्यवस्था भी हो। अकाल एक ऐसा विषय है ••

श्री रघुनाथ विश्नोई : १६-२० तारीख निर्धारित की गई थीं और आज २८ आ गई है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कि इसके बारे में मैं अपना असन्तोष व्यक्त किये बिना नहीं रह सकता।

श्री शिवनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा कि २–३ दिन अकाल के लिए रखने के बजाय उसके लिए ८, १० या १२ घन्टे कम से कम निश्चित किये जायं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : नशाबन्दी कभी की हो जाती तो आज अकाल नहीं पड़ता। अकाल से नशाबन्दी का विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए इसको रखें। पहले नशाबन्दी का होना चाहिये और इसको बाद में लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो इस सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं उसको ध्यान में रखकर कार्य-सूची बनाई जायगी।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने खास तौर से अपनी बहस के दौरान में कहा है उसका जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय समाप्त हो रहा है इसलिए आप दो-तीन मिनट में ही यह भाषण रखें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह कोई लाजमी नहीं है और व्यवहारिक नहीं है कि राजस्थान जो दो करोड़ की आबादी का राज्य है और जिसमें २६ जिले हैं तो इतने विशाल प्रदेश में किसी भी मौके पर, किसी भी परिस्थिति में पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज करना पड़े या फायरिंग करना पड़े तो हरेक लाठी चार्ज और फायरिंग के मामले में जांच के लिए हाई कोर्ट के जज द्वारा जुडिशियल इन्क्वायरी बिठाई जाय। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में ही नहीं, दूसरे राज्यों में इस प्रकार की कोई प्रणाली नहीं है कि इस प्रकार के सारे मामलों में फायरिंग के कैसेज में लाजमी तौर पर हाई कोर्ट के जज से इन्क्वायरी कराई जाय। यह जो कोई भी घटना हुई है उसके बारे में तफसील में जाने की आवश्यकता नहीं है। गृह मन्त्रीजी जो उस पर काफी प्रकाश डाल चुके हैं। वाकयात थे वे यह थे कि कानून को हाथ में लिया, उसके बारे में पुलिस को अपना कर्त्तव्य करना पड़ा, और जब जनता के द्वारा और विभिन्न क्षेत्रों से मांग आने पर कि जांच होनी चाहिए तो सरकार ने बहुत खुशी के साथ में उस मांग को स्वीकार किया है, और जांच के लिए देश की वरिष्ठतम सेवा, इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मेम्बर जो कलेक्टर जैसे जिम्मेवारी के पद पर और राज्य सरकार के सेक्रेटरी के पद पर रह चुके हैं, और वर्त्तमान में राजस्व मंडल के सदस्य है, ऐसे वरिष्ठतम अधिकारी को नियुक्त किया गया है। उनके सारे कामों के सम्पादन के लिए स्टाफ की आवश्यकता होगी, उस स्टाफ की पूर्ति के लिए ३०,०००) रु० की धनराशि का प्रावधान रखा है, और और उसको कन्टिन्जेन्सी फण्ड से लिया गया है, उसको रेग्युलेराइज कराना फर्ज है। इस दौरान में जो कुछ भी माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई है, मैं कहना चाहूंगा कि सारी आपत्तियां का कोई बेसिस नहीं है। आपका यह कहना है कि राजस्थान में ऐसी स्थिति आ गई है कि हाई कोर्ट का कोई जज राजस्थान सरकार की रिक्वेस्ट पर किसी कमीशन का मेम्बर बनने को तैयार नहीं है, यह बात सही नहीं है। इस बात को मैं

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

चैलेन्ज करता हूं और इस स्टेटमेंट का कोई बैसिस नहीं है ...

श्री रामचन्द्र आर्य : गाजर की पूंगी है बाजे तो बजा ली नहीं तो तोड़कर खाली।

श्री भैरोंसिह : पॉइंट ऑफ ऑर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के एक राज्य-मन्त्री को गाजर की पूंगी कह देना मैं समझता हूं आपत्तिजनक है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य जो कुछ भी कहते हैं वे अपनी योग्यता का परिचय देते हैं।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि कहा किसने और दोष पड़ रहा है मेरे पर।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इस सदन में विरोधी दल की तरफ से यह फैशन हो गया है कि इन सेशन और आउट ऑफ सेशन में मोके-बेमोके हर वक्त बेरी कमीशन के बारे में कुछ न कुछ कह दें। यह एक फैशन हो गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक रिपोर्ट का सवाल है माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि कमीशन ऑफ एन्क्वायरीज एक्ट के तहत में किसी भी कमीशन की सिफारिशें किसी भी राज्य सरकार पर बाईंडिंग इफसो फैक्टो नहीं होती हैं। उसके अलावा, मैं यह कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने उसके इम्प्लीमेन्टिव एक्शन्स के डिटेल्स सजेस्ट करने के बारे में विशेषज्ञों की एक समिति बिठाई है वह कार्य कर रही है और समय पर रिपोर्ट देगी कि राज्य सरकार को कहां पर क्या कार्यवाही करनी चाहिए....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वह मैं समझता हूं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाउस को सुनाना नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय ५ मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ७६ हजार....

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कमीशन की रिपोर्ट कब तक आयेगी ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : उसकी मियाद दे दी जायेगी। (शोरगुल) आप यह कार्य में सहयोग देते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह लिखा हुआ है। राज्य मंत्री इतना भी नहीं समझ सकते। बोड़मनेस की हद हो गई। यह हाल है।

(हो हल्ला, शोरगुल)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : That is not a Question Hour. When it is in the Notification, you are supposed to know it.

श्री भैरोंसिह : हाउस कभी बोर हो जाय तो ऐसे मंत्रियों को खड़ा कर दिया जाना चाहिए। रिलेक्सेशन हो जाता है। अच्छा है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : रोका नहीं जा सकता है, इसलिए अभी हमने कण्टेंजेन्सी फण्ड से दे दिया है। अब उसे रेगुलराइज कराना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह क्या जरूरी है कि यह कण्टेंजेंसी फण्ड से किया जावे।

Page No 155

श्री रामचन्द्र आर्य : किस प्रकार के मंत्रियों की फौज इकट्ठी की गई है। कैसे उत्तर दिये जाते हैं !

(हो-हल्ला-शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑडर, ऑडर !

श्री रामचन्द्र आर्य : इसकी मियाद बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

श्री विश्वम्भरनाथ जशी : मैं बताऊंगा अजमेर नगरपालिका को १ लाख २५ हजार..

(हो-हल्ला : शोरगुल-अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पेश किया और हाउस ने आप की बात मान ली है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पारित करे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप ने उस बात का उत्तर नहीं दिया जब आप फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर थे।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं कभी फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर नहीं रहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप के बच्चे कितने हैं ? (हंसी-शोरगुल)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछते हैं। यह पर्सनल लाइफ है।

एक माननीय सदस्य : बता दीजिए न।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : निवेदन है कि राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६९ को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही २८ अगस्त, १९६९ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् ५-१५ बजे बृहस्पतिवार दिनांक २८-८-६९ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट—१

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

ग्राम पीपल्या के कांकड़ को काटने के आदेश

१८८. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या जिला बूंदी की तहसील नैनवा के ग्राम पीपल्या के कांकड़ का जंगल बालदा व बूंदी नैनवा-सड़क पर प्लान्टेशन को सरकार रेवेन्यू को देना चाहती है ?

(२) क्या यह सत्य है कि दिनांक १५-२-६८ को राजस्व मंत्री वहां किसान सम्मेलन में जो मोतीपुरा में किया गया था, इस जंगल को काटने के आदेश दे आये थे ?

(३) क्या वहां पर यह भी आश्वासन दिया था कि अगर जंगल काट कर जमीन आबाद करने के कारण जेल में जावेंगे तो वह छुड़ा लेंगे ?

(४) इस सम्मेलन में राजस्व मंत्री ने कितने रुपयों की माला ली और कहां-कहां पर कांग्रेस पार्टी ने इनकी ग्राम सभायें कीं ?

(५) अगर यह प्लान्टेशन और बालदा को राजस्व में दिया जावेगा तो क्या और जगह जहां पर काबिल काश्त जमीन जंगलात के पास है उसे भी राजस्व में देने का निर्णय करने को सरकार तैयार है ?

उत्तर

(१) बूंदी-नैनवा सड़क पर प्लान्टेशन को राजस्व विभाग को देने का अभी तक वन विभाग का कोई विचार नहीं है। बालदा जंगल के विषय में फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के पैरा २३ के तहत कार्यवाही की जायगी अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(२) मेरी जानकारी में राजस्व मंत्रीजी ने जंगल काटने के कोई आदेश नहीं दिये।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) इसकी जानकारी सरकार को नहीं है।

(५) राजस्व से वन विभाग में तथा वन विभाग से राजस्व में भूमि का लेन-देन फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट के पैरा २३ के अन्तर्गत होता है। राजस्व विभाग से नाकाबिल काश्त वन खण्ड के योग्य भूमि को वन विभाग में लेने व काबिल काश्त भूमि को वन विभाग से राजस्व में स्थानान्तरण करने की कार्यवाही फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट के पैरा २३ के तहत की जा रही है। अभी बालदा व प्लान्टेशन जैतपुर को राजस्व विभाग में देने का कोई प्रश्न नहीं है।

जैसलमेर के स्कूलों में अध्यापकों की व्यवस्था

३८९. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर यह रोक लगा दी है कि कोई भी नई नियुक्तियां नहीं होंगी ? अगर हां, तो अध्यापकों के अभाव से जो शालाएं बन्द पड़ी हैं उन शालाओं का क्या होगा ?

(२) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर जिले में कई शालाएं आज भी बन्द पड़ी हैं ? अगर हां, तो भविष्य में सरकार उक्त शालाओं के लिये क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

उत्तर

(१) जी हां, राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी कर नई नियुक्तियों पर दिनांक ५-४-६९ से रोक लगादी थी । यह रोक राज्य सरकार के आदेश दिनांक २५-७-६९ से हटाली गई है । नई नियुक्तियां की जा रही हैं ।

(२) अकाल के कारण १५ शालायें छात्रों की संख्या कम होने के कारण नहीं चल पा रही हैं । छात्रों के वापस आने पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो जावेगा ।

विदेशी टूरिस्टों से हस्तकला की वस्तुओं पर सेल्स टैक्स की वसूली

३९०. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि विदेशी टूरिस्ट जो हस्तकला की वस्तुएं खरीदते हैं उन वस्तुओं को केन्द्र सरकार से सेल्स टैक्स से एग्जम्प्ट कर रखा है ?

(२) क्या यह सही है कि दिल्ली में इन पर सेल्स टैक्स नहीं लिया जाता ?

(३) क्या यह सही है कि राज्य में टूरिस्टों से हस्तकला वस्तुओं पर सेल्स टैक्स लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि राज्य में विदेशी टूरिस्ट सेल्स टैक्स लगाया जाते देखकर पसन्द किया हुआ सामान लौटा देते हैं और लेने से इन्कार कर देते हैं ? यदि हां, तो यहां के हस्त उद्योगों को इस कारण कितनी हानि उठानी पड़ रही है ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है ।

(२) एकत्रित सूचना के अनुसार हस्तकला की वस्तुएं दिल्ली में कर मुक्त नहीं हैं ।

(वित्त मन्त्री)

निम्नलिखित हस्तकला की वस्तुएं इस प्रान्त में कर मुक्त हैं:—

१. संगमरमर अथवा पत्थर की बनी मूर्तियां एवं प्रति मूर्तियां।

२. मीनाकरी की बनी वस्तुएं, जब उस व्यक्ति के द्वारा बेची जावें जिनका वह या उसके परिवार का कोई सदस्य उत्कीर्ण करता हो, इस शर्त पर कि उत्करणकार मजदूरी पर काम नहीं करता हो और किसी भी स्थिति में वस्तु के उत्कीर्णन में विद्युत् का उपयोग नहीं करता हो।

३. हाथ की चित्रकारी जब उस व्यक्ति के द्वारा बेचे जाय जिन चित्रों को उसने स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य द्वारा चित्रित किया गया हो, उस शर्त पर कि चित्रकार चित्र बनाने को किसी भी स्थिति में मजदूरी पर काम नहीं करता हो।

४. हाथी दांत की वस्तुएं जब स्वयं बनाने वाले व्यक्ति द्वारा बेची गई हों।

५. देशी जूते, एवं जूते बनाने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा बनाये गये या बेचे जावें इस शर्त पर कि जूते बनाने वाला किसी भी स्थिति में जूते बनाने में विद्युत् का प्रयोग नहीं करता हो अथवा जब उसे सहकारी समिति द्वारा बेचा जाये जिसका कि वह सदस्य है और जो नियमानुसार पंजीकृत हो।

६. लकड़ी, मिट्टी, कागज से बने खिलौने, लाख से युक्त लकड़ी का सामान।

७. ग्रामोद्योग के निम्नलिखित उत्पादन:—

मिट्टी के बर्तन।

(३) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ में वर्णित ग्रामोद्योग के उत्पादन। हस्तकला की शेष वस्तुएं कर योग्य हैं।

(४) ऐसे मामले ध्यान में नहीं आये हैं।

मेडिकल कॉलेज, जयपुर के प्राध्यापकों की अध्यापन अवधि

३९१. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मेडिकल कॉलेज, जयपुर में प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरार और डिमॉन्स्ट्रेटर के पद पर कौन-कौन कब-कब से नियुक्त हैं?

(श्री भैरोंसिंह)

(२) मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने हेतु इनको (क्लासेज) निर्धारित करने की क्या प्रक्रिया है ?

(३) ६७-६८ व ६८-६९ में किन-किन प्रोफेसर, रीडर्स, लेक्चरार्स और डिमॉन्सट्रेटर ने किस-किस माह में कितनी-कितनी क्लासेज ली हैं और उनको कितनी लेनी चाहिये थी ? इसमें यदि अन्तर है, तो क्यों ?

(४) क्लासेज लेने या न लेने के सम्बन्ध में क्या कोई रेकार्ड रखा जाता है ? यदि हां, तो कैसा ? इसका पालन किस-किस डाक्टर द्वारा किया गया और किस-किस द्वारा नहीं ?

उत्तर

(१) मेडिकल कॉलेज, जयपुर में पद स्थापित प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरार व डिमॉन्सट्रेटर्स के नामों की सूची मय उनके पद स्थापन की तारीख के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों को थ्योरी, प्रेक्टीकल वार्ड क्लिनिक्स एवं डिमॉन्सट्रेशन की कक्षाएं विभागाध्यक्ष निर्धारित करता है। कक्षाओं के लिए समय चक्र (टाईम टेबिल) विभागाध्यक्षों के परामर्श से निश्चित किया जाता है।

(३) थ्योरी में लेक्चरों की व्यवस्था विभागाध्यक्ष द्वारा विभिन्न विषय के लिए की जाती हैं। लेक्चर्स के समय-चक्र की प्रति संलग्न है। प्रत्येक अध्यापक द्वारा कितनी कक्षाएं प्रति माह ली गईं यह सूचना एकत्रित करना सम्भव नहीं हो सका है फिर भी यह कहा जा सकता है कि विभागाध्यक्ष अपनी सुविधानुसार अपने विभाग में अध्यापकों द्वारा समय-समय पर लेक्चर्स की संख्या निर्धारित करता है।

(४) छात्रों की उपस्थिति पंजिका विभिन्न कक्षाओं में तथा प्रायोगिक वार्ड क्लिनिक आदि के लिये रखी जाती हैं क्योंकि विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपस्थिति की संख्या को पूरा करना आवश्यक होता है। यदि किसी छात्र की उपस्थिति कम हो जाती है तो उन्हें परीक्षा में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति, सिकराय में गेहूं की नीलामी

३९२. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सही है कि दिनांक १२-८-६८ को पंचायत समिति में गेहूं का बीज लगभग १०० बोरी सी० ५९१ सिकराय में नीलाम किया गया था ?

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

(२) क्या यह भी सही है कि इस बीज की नीलामी बांदीकुई मंडी में किए जाने का निर्णय वित्त स्थायी समिति द्वारा लिया गया था ?

(३) यदि हां, तो फिर यह बीज सिकराय में ही क्यों बेचा गया ?

(४) क्या यह भी सही है कि इस बीज की बिचौती में किसी भी स्थानीय अधिकारी से रेट निर्णीत नहीं कराई गई ?

(५) क्या यह सही है कि जिस दिन यह बीज नीलाम किया गया उस दिवस का बाजार भाव ७५.०० रु० क्विन्टल था जब कि यह बीज ६४.५० रु० क्विन्टल में ही बेच दिया गया है ?

(६) क्या इस बीज की बिचौती में पंचायत समिति को कोई हानि हुई है ?

(७) यदि हां, तो क्या सरकार उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(१) दिनांक १२-८-६८ को कोई बीज नीलाम नहीं किया गया। दि० १५-७-६८ को ९९ क्विन्टल ३६ कीलो सी ५९१ नीलाम किया गया था।

(२) कृषि सिंचाई समिति द्वारा बीज का विक्रय सहकारी समिति बांदीकुई द्वारा बाजार भाव में किया जाने का प्रस्ताव लिया गया था। बीज का नीलाम बांदी-कुई मंडी में किये जाने का निर्णय वित्त स्थाई समिति द्वारा नहीं लिया गया था ।

(३) कृषि स्थाई समिति के निर्णय के अनुसार ही बीज सिकराय में नीलाम किया गया।

(४) बीज की बिचौती के लिये स्थानीय अधिकारी से रेट निर्णीत कराना आवश्यक नहीं था ।

(५) बीज नीलामी के दिन बाजार भाव ७०.००रुपये से ७५.०० रु० तक था। नीलाम के समय आखिरी बोली रु० ६४.५० पैसे प्रति क्विन्टल स्वीकृत हुई ।

(६) जी हां।

(७) इस मामले में अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा जांच की जा रही है ।

प्रतापगढ़ में तालाब पर व्यय

३९३. श्री हुरलाल मीणा (प्रतापगढ़-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ में धमोतर तालाब पर सरकार द्वारा कोई रकम खर्च की गई है? यदि हां, तो कितनी और कब-कब खर्च की गई ?

(२) क्या यह सच है कि यह तालाब किसी भूतपूर्व जागीरदार ने अपने कब्जे में लेकर व उससे हर तरह का फायदा उठा रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(३) क्या यह भी सही है कि यह तालाब दो ग्रामों के बीच आधा २ पड़ता है ? यदि हां, तो भूतपूर्व जागीरदार किस आधार से अकेला इस तालाब पर कब्जा कर बैठा है और सरकार ने किस आधार पर इस तालाब पर सरकारी रकम खर्च की ?

(४) क्या इस वर्ष भी सिंचाई विभाग द्वारा अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत उसको ठीक कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) इस तालाब को दक्षिण की पाल के भाग पर जो पंचायत समिति कुलमीपुरा के चार्ज में है, ४,००० रुपये अकाल राहत के तहत इस वर्ष, १६ मई, ६९ से १५ जुलाई तक खर्च किये गये।

(२) तालाब की उत्तर की पाल भूतपूर्व जागीरदार की है व दक्षिण की पाल पंचायत समिति की है।

(३) जी हां, यह तालाब ग्राम धमोतर व कुलमीपुरा के बीच में आधा-आधा पड़ता है। आधे तालाब पर पाल पर भूतपूर्व जागीरदार के कब्जे करने का संबंध इस विभाग से नहीं है। विभाग ने ग्राम पंचायत वाले आधे हिस्से वाली पाल पर ही कार्य किया।

(४) जी हां, ग्राम पंचायत वाले हिस्से को ही ठीक कराया जो टूटने वाली हालत में था।

मीना होस्टल, सवाई माधोपुर में राशन के टेन्डर

३९४. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि मीना होस्टल, सवाई माधोपुर में राशन के टेन्डर्स प्रति वर्ष समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वयं ही लिये जाते, और खोले जाते

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

व स्वीकार किये जाते हैं ? और इन्हें होस्टल सलाहकार समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु नहीं रखा जाता है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस वर्ष होस्टल सलाहकार समिति ने जिन छात्रों को प्रवेश देना स्वीकार किया उसके पश्चात् वर्तमान जिला समाज कल्याण अधिकारी ने यह आदेश होस्टल वार्डन के नाम दिया कि जब तक वह चयनित सूची पर स्वीकृति न दे दें तब तक प्रवेश दिये गए छात्रों को राशन न दिया जावे यदि हां, तो कृपया पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(३) क्या समाज कल्याण अधिकारी को ऐसे आदेश देने के अधिकार हैं ?

(४) क्या यह सही है कि गत वर्ष भी इस अधिकारी ने छात्रों के चयन में गड़बड़ी की जिसकी बाबत इस सदन में जांच कराने का आश्वासन दिया था ?

(५) यदि हां, तो वह जांच कब की गई और उसकी बाबत जांच अधिकारी ने क्या रिपोर्ट दी तथा उस पर इस अधिकारी को क्या सजा दी गई ?

(६) उपरोक्त शिकायतों के बारे में राज्य सरकार इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां। राशन के टेन्डर्स प्रतिवर्ष नियमानुसार समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वयं ही किये जाते, खोले जाते तथा उनको प्रदत्त अधिकारों तक स्वीकार भी किये जाते हैं। यदि राशि उनके अधिकारों से अधिक हो तो स्वीकृति हेतु निर्देशक को भेजे जाते हैं इन्हें होस्टल सलाहकार समिति के समक्ष रखने का नियम नहीं है।

(२) यह सही नहीं है कि जो आदेश जिला परिवीक्षा व समाज कल्याण अधिकारी ने दिनांक १-७-६६ को दिये थे उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(३) होस्टल सलाहकार समिति एक सलाहकार समिति है और जब तक इसके द्वारा चयनित सूची पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति नहीं हो जाती छात्र का प्रवेश अथवा उस पर किसी प्रकार का व्यय नियमित नहीं होता।

(४) जी हां।

(५) जांच चल रही है।

(६) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्णय किया जावेगा।

परिशिष्ट—२६ अगस्त, १६६६—परिशिष्ठ

कार्यालय, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी
सवाई माधोपुर, राजस्थान

क्रमांक दिनांक

श्री समस्त छात्रावास अधीक्षक—

(१) सवाईमाधोपुर, (२) करौली, (३) महुआ,
(४) गंगापुर, (५) टोडाभीम, (६) हिन्डौन ।

विषयः— छात्रावास में प्रवेश के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषय में आदेश है कि सत्र १६६६–७० में छात्रावासों में प्रवेश देने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार की व्यवस्था की जावेः—

(१) छात्रों से प्रार्थना-पत्र दिनांक ५-७-६६ तक लिये जावें । विशेष परिस्थितियों में साक्षात्कार के समय से पूर्व भी लिये जा सकेंगे ।

(२) प्रवेश सलाहकार समिति की बैठक तारीख ५ से ६ तक अवश्य आयोजित करदी जावे ।

(३) प्रवेश सलाहकार समिति की सिफारिश तथा कुल प्रार्थना-पत्र जो प्राप्त हुये हों, स्वीकृति हेतु स्वयं लेकर इस कार्यालय में उपस्थित होवें । कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही प्रवेश देवें ।

(४) प्रवेश सलाहकार समिति के सदस्यों को प्रवेश के नियमों से पूर्ण परिचित करदें ।

(५) श्री प्रधानाध्यापकजी से मिलकर ५ हरिजन छात्रों के प्रवेश के लिये पूर्ण प्रयत्न करें ।

(६) हरिजन छात्र जिस कस्बे में छात्रावास हैं उस कस्बे के भी लिये जा सकते हैं तथा कक्षा ६ से नीचे के भी छात्रों को न लिये जाने का भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

ह०ः—
जिला परिवीक्षा एवं
समाज कल्याण अधिकारी,
सवाई माधोपुर, राजस्थान ।

सवाई माधोपुर के वन क्षेत्र पर अनाधिकार कब्जा

३९५. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार-सु.) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वन विभाग भूमि कस्बा सवाई माधोपुर क्षेत्र, तहसील सवाई माधोपुर क्षेत्र पर किन-किन व्यक्तियों ने अनाधिकार कब्जा कर रखा है तथा कब से ?

(२) विभागीय कर्मचारियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों की बेदखली की कार्यवाही अब तक क्यों नहीं हुई ?

(३) क्या यह सही है कि कुछ ट्रेसपासर्स स्थायी रेवेन्यू तथा वन विभाग के अधिकारियों को प्रभावित करते रहते हैं जिससे उन्हें अनाधिकार कब्जा बनाये रहने दिया जाता है ?

(४) यदि नहीं, तो सवाई माधोपुर रामद्वारे के आगे जीवराज की बावड़ी के पास एक शख्स ऐसी भूमि पर अनुचित कब्जा किये हुए है ।

उत्तर

(१) श्री हाबू पुत्र भूरा माली निवासी सवाई, माधोपुर ने ७-७-६६ से ।

(२) न्यायालय एस० डी० एम० सवाई माधोपुर में चल रहे मुकदमे का अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

(३) जी नहीं ।

(४) अभी इस भूमि पर किसी का अनुचित कब्जा नहीं है ।

ग्राम मांडवला की पाठशाला

३९६. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गांव मांडवला, तहसील जालोर में दिनांक २२-४-६८ को जो वर्तमान पाठशाला चल रही है, उसके संबंध में श्री हस्तीमल जैन को राज्य सरकार ने कोई लिखित आश्वासन भेजा है ? यदि हां, तो क्या ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) क्या यह सत्य है कि दिनांक २२-४-६८ की आज्ञा शिक्षा मंत्रीजी की स्वयं की थी ? यदि हां, तो उसकी अनुपालना, संचालक, शिक्षा विभाग, बीकानेर ने अभी तक क्यों नहीं की ? यदि हां, तो राज्य सरकार अपनी आज्ञा की अनुपालना कब तक करा देगी ?

(श्री मूलचन्द डागा)

(३) क्या यह सत्य है कि भू. पू. शिक्षा मंत्री श्री बरकतुल्लाखां ने संचालक, शिक्षा विभाग, बीकानेर का इस बात पर स्पष्टीकरण कि उन्होंने आज्ञा की सही रूप में अभी तक पालना नहीं की है, मांगा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) जी हां, वह इस प्रकार है। सरकार को ज्ञात हुआ है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा श्री कुन्दनमल जहां नया शाला भवन बनाना चाहते हैं उस पर उच्च न्यायालय का स्टे आॅर्डर है। अतः ऐसी हालत में यही उपयुक्त होगा कि जहां अभी शाला चल रही है उसी जगह उसको रहने दिया जावे और श्री हस्तीमल जैन को यह विश्वास दिलाया जावे कि उनके भवन में ही शाला चलती रहेगी।

(२) आज्ञा का अनुपालन हो गया है।

(३) जी हां। आज्ञा का पालन हो गया है और स्कूल श्री हस्तीमल जैन के भवन में ही चल रहा है।

पंचायत समितियों में वितरित बीज व खाद की बकाया की वसूली

३९७. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा वितरित बीज व खाद सम्बन्धी कितनी २ धनराशि वसूली योग्य अभी बकाया है और कब कब से है ?

(२) प्रत्येक जिले में ऐसी धनराशि कितनी कितनी बकाया है ?

(३) सरकार ने इस राशि की वसूली के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

(४) प्रत्येक जिले में कितनी २ धनराशि किस किस वर्ष से बकाया है ?

उत्तर

(१) पंचायत समितियों द्वारा वितरित बीज व खाद के ऋण की कुल ९,५२,५७,११५.५४ धनराशि वसूली योग्य बकाया है। वर्ष वार विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जिले वार बकाया धनराशि का विवरण भी सदन की मेज पर रखी गई सूची में दिया गया है।

(पंचायत मन्त्री)

(३) सरकार ने बकाया धनराशि का आवश्यक हिसाब तैयार करने के लिए प्रत्येक जिले में एक सहायक लेखाधिकारी व २५ लेखाकारों की नियुक्ति की है जो आरंभ से लेखा जोखा तैयार कराने तथा वसूली हेतु मांग पत्र तहसीलों में भिजवाने के कार्य में पंचायत समिति की सहायता करते हैं इसके अतिरिक्त विभाग ने खाद बीज की वसूली पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से विकास अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व सौंपा है और प्रधानों तथा प्रमुखों को इसमें पूर्ण सहयोग देने के लिए निवेदन किया है।

(४) सूचना सदन की मेज पर रखी गई सूची में सम्मिलित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित शिक्षा पर व्यय

३९८. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्तावित धनराशि का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जायेगा ?

(२) तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह प्रतिशत कितना था ?

(३) क्या यह सही है कि चालू योजना में यह प्रतिशत कम है ? यदि हां, तो राज्य के शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, इस मद में कटौती क्यों की गई ?

(४) क्या यह सही है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शिक्षा की मद पर खर्च का जो प्रावधान किया गया है वह भी कम है ?

(५) वर्त्तमान परिस्थितियों में निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा राज्य भर में कब तक दी जा सकेगी ?

उत्तर

(१) राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (प्रारूप) ३१३.०० करोड़ रु० का बनाया गया है उसमें १९.२५ करोड़ रु० शिक्षा क्षेत्र के लिये प्रस्तावित है जो करीब ५.२ प्र.श० होता है।

(२) राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना २३९.०० करोड़ रु० की थी जिसमें शिक्षा क्षेत्र के लिये २१.१० करोड़ रु० का प्रावधान था जो करीब ८.९ प्रतिशत था।

(शिक्षा मन्त्री)

(३) उपरोक्त आंकडों से यह स्पष्ट होता है कि चालू योजना में यह प्रतिशत कम है। शिक्षा के लिये कम प्रतिशत मुख्यतः इस कारण से है कि ३१३.०० करोड रु० की राशि में से १६३.०० करोड रु सिंचाई एवं विद्युत के लिये रखी गई है जो राज्य की मुख्य एवं आवश्यक परियोजनाएं है। पीछे बची हुई धन राशि में से सभी विकासीय क्षेत्रों में कम प्रावधान ही करना पडा। इन परिस्थितियों में शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ापन होते हुए भी धनाभाव के कारण पूरा प्रावधान करना सम्भव नहीं हो सका है।

(४) उपरोक्त आंकडों (आइटम १ व २) के देखने से यह विदित होता है कि तृतीय योजना की तुलना में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए प्रावधान कम रक्खा गया है।

(५) वर्तमान परिस्थितियों में निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा राज्य भर में धनाभाव के कारण अभी तक लागू नहीं की जासकी है। जैसे ही वित्तीय स्थिति में सुधार होगा इसको प्राथमिकता दी जाना सम्भव हो सकेगा।

आबियाने की वसूली

१६६. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या एक ही भूमि पर दो नहरों का पानी लगने के कारण दो आबियाने वसूल किये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों?

(२) क्या इस प्रकार के दो आबियाने वसूल न करने का सरकार का कोई आदेश दिया हुआ है? यदि हां, तो उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे?

(३) यदि आदेश नहीं दिया हुआ है तो अब कब तक दे दिया जावेगा?

(४) जहां पर दो नहरों के पानी लगने के कारण नहर विभाग ने दो आबियानें कायम कर लिये हैं क्या जो आबियाना कम है उसे माफ कर दिया जावेगा? यदि हां, तो वह आदेश कब तक जारी कर दिया जावेगा?

उत्तर

(१) जी हां, क्योंकि कृषक पृथक पृथक योजनाओं (भाखरा एवं राजस्थान-नेहाल) के जल का लाभ उठाते हैं।

(सिंचाई मंत्री)

(२) जी नहीं, परन्तु राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक १३-८-६९ द्वारा यह आदेश प्रसारित किए हैं कि भविष्य में केवल उसी क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जो क्षेत्र जिस योजना के नियंत्रण क्षेत्र में पड़ता है। अतः उक्त आज्ञा के अनुसार डबल आबयाना लगाने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। इस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी है।

(३) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं।

(४) इस पर निर्णय होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(Copy of the Circular letter No. F. 13 (18) Irg./69. dated the 13th August, 1969 from shri Vishnu Dutta, Secretary to the Government Irrig. Deptt. Raj., Jaipur, to all concerned.)

Sub :- Illegal recovery of Irrigation Charges on Rajasthan Canal area.

It has come to the notice of the Government that in certain cases irrigation charges have been assessed on one single holding or plot of land by the authorities of both the system i. e. Bhakra system as well as Rajasthan canal project system. There is another instance where somewhat unusual thing has happened that some cultivator came forward with a promise of paying irrigation charges more than double the rates allowed on Bhakra project if the entire water to them was supplied by the Rajasthan canal project and the authorities it appears have charged them according to these rates.

In view of this the problem was considered and it was explained that besides the irrigation rates, the land Revenue and Betterment levy also differ from project to project. In case, the area lying under the command of one project is irrigated by some other project, then certain complications regarding realisation of land Revenue and Betterment levy would crop-up. Therefore, it is decided that unless lands are actually transferred from one project to other the water should only be supplied from the system under command of which such lands are lying.

राज्य सेवा में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति की देख-रेख के लिए समिति का गठन

४००. श्री नाथूराम (बागीडोरा-सु.) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्यान्तर्गत राजकीय, राज्य नियंत्रित विभागों, राजकीय उपक्रमों एवं स्वायत्त शासन संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जन-जाति के लिये अनुबन्धित पदों पर नियुक्ति

(श्री नाथूराम)

सम्बन्धी देखरेख के लिये क्या कोई समिति गठित की गई है ? यदि हां, तो कब ? उसके सदस्यों की तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस समिति की गठन के पश्चात् अब तक कोई बैठक नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कब हुई ? बैठकों की सिफारिशों की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(३) क्या यह भी सत्य है कि अनुबन्धित पदों की देख-रेख समाज कल्याण विभाग करने में असफल रहा है ? यदि नहीं तो इस समिति के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कभी की है ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

(४) क्या यह सत्य है कि अब तक के किये गये प्रयत्नों में अधिकांश शासनतन्त्रात्मक थे ? जनसम्पर्क के अभाव में वान्छित लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हो सकी ? यदि नहीं, तो अनुबन्धित पदों की पूर्ति नहीं होने के क्या कारण हैं ? यदि हां, तो नवगठित समिति में जन-प्रतिनिधियों, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता संस्थाओं के प्रतिनिधियों में से सदस्य मनोनीत करने में क्या आपत्ति थी ?

उत्तर

(१) जी हां, १७ फरवरी, सन् १९६९ को सदस्यों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी नहीं, समिति की बैठक दिनांक ७-८-६९ को हुई थी । बैठक की कार्यवाही के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है न ही अभी इसकी शिफारिशों पर निर्णय हो पाया है । उपरोक्त कार्यवाही सम्पन्न होने पर तथा राज्य सरकार के निर्णयों के पश्चात् प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी जायेगी ।

(३) जी नहीं । नियुक्ति कार्य की सर्वांगीण देखरेख तथा विभागीय नियन्त्रण रखने के लिये ही इस समिति का गठन किया गया है । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) जी नहीं । गत तीन वर्षों में राज्य सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में सिवाय राज्य पत्रित सेवाओं की जिनकी अधिकांश नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है इन वर्गों के लोगों की नियुक्ति सुरक्षित स्थानों से भी अधिक हुई है यह समिति प्रशासनिक विभागों की नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाहियों की देख-रेख करने तथा विभिन्न विभागों व अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित राज्य आदेशों के परिपालन कराने के उद्देश्य से ही बनाई गई है । अतः इसमें मौजूदा सदस्यों को ही रखना उचित होगा । जन जातियों व अनु० जातियों

(श्रीसमाज-कल्याण-मंत्री)

के कल्याण सम्बन्धी सारे मामलों में सुझाव, सलाह व सहयोग देने के लिये जन प्रतिनिधियों, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा संस्थाओं के प्रतिनिधियों को पूरा अवसर व सुविधा देने के लिये राज्य सरकार ने शिड्युल्ड कास्ट वेलफेयर बोर्ड व शिड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर कौन्सिल का गठन किया हुआ है।

सदस्य सूची

(१)	मंत्री, समाज कल्याण	अध्यक्ष
(२)	उप-मंत्री, नियुक्ति	सदस्य
(३)	उप-मन्त्री समाज कल्याण	"
(४)	शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग	"
(५)	विशिष्ट सचिव, नियुक्ति विभाग	"
(६)	निदेशक, समाज कल्याण विभाग	"
(७)	निदेशक, नियोजन विभाग	"
(८)	सहायक आयुक्त, अनुसूचित जाति, जन-जाति	"

पत्ते के ठेके

४०१. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस वर्ष पत्ते के ठेके सन् ६८-६९ के पहले के सालों की अपेक्षा कितने रुपये कम में हुये हैं ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि वन विभाग को पत्ता तेंदू व गोंद में जो भारी नुकसान रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी अधीनस्थ चरागाह क्षेत्र से पता तेंदू व गोंद के ठेके देना है ? यदि हां, तो सरकार अब इस विषय में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(१) इस वर्ष (१९६९-७०) पत्ते के ठेके अभी नहीं हुए हैं। १९६८-६९ में पत्ते तेंदू की आय उससे पूर्व के त्रिवार्षिक औसत से कुल ५,४८४४७/-८० कम हुई।

(२) जी नहीं।

पत्ते के राष्ट्रीयकरण की योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री जे. बी. हायर सैकेन्डरी स्कूल, लाडनूं का संचालक मंडल

४०२. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या विभाग की जानकारी में श्री जे. बी. हायर सैकण्डरी स्कूल, लाडनूं का संचालक मण्डल विधिवत् गठित है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त संस्था ने जो संस्था रजिस्ट्रेशन के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था उसमें जनरल बॉडी दिखाई गई थी ? यदि हां, तो बाद में जनरल बॉडी का क्या हुआ और उन लोगों की सदस्यता जनरल बॉडी से किस प्रकार से कब समाप्त हुई ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि मौजूदा समय में जनरल बॉडी नहीं है और न सदस्यता ही ऑपन है ? यदि हां, तो कब से और बिना जनरल बॉडी के मैनेजिंग कमेटी किस प्रकार से बनाई जा रही है ?

(४) इस स्कूल को सरकार द्वारा दी जा रही सहायता देते समय यह संस्था सहायता प्राप्त करने की पात्र है या नहीं इस बात की जांच किस प्रकार से किसके द्वारा की जा रही है और सहायता के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र में बताये गये तथ्य कहां तक सत्य हैं ?

(५) इस सम्बन्ध में कोई शिकायत राज्य सरकार के ध्यान में आई हों तो कब, किसके द्वारा और उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) जी हां। संचालक मण्डल विधिवत् गठित है। कदम उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) संस्था द्वारा जो विधान पंजीकृत कराया गया है उसमें जनरल बॉडी का उल्लेख नहीं है।

(३) मैनेजिंग कमेटी विधान के अनुसार बनाई जाती है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, १९५८ के अन्तर्गत पंजीकृत है।

(४) जांच विभाग द्वारा की जाती है।

(५) अनुदान सम्बन्धी कोई भी शिकायत नहीं है।

ग्राम पंचायत, जूनिया के जाल का खेड़ा में स्कूल भवन निर्माण हेतु अनुदान

४०३. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी-सु.) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति, केकड़ी द्वारा ग्राम पंचायत, जूनिया के सरपंच को जालों का खेड़ा में स्कूल भवन निर्माण करने के लिये कुल कितने रुपयों का अनुदान दिया गया ?

(२) उक्त सरपंच ने ग्रामवासियों से कुल कितना चन्दा इकट्ठा किया और कितना श्रमदान करवाया ?

(३) क्या यह भी सही है कि स्कूल भवन निर्माण करने के लिये कई पेड़ बंबूल आदि कटवा कर बेचे ? अगर हां, तो कितना रुपया इस तरह इकट्ठा किया गया ?

(४) उक्त सरपंच ने स्कूल भवन का निर्माण का कार्य किस ठेकेदार से करवाया ? क्या टेण्डर लिया गया था या नहीं ?

(५) उक्त भवन निर्माण के कार्य का आमद-खर्च का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) १४०० रु० का अनुदान दिया गया।

(२) ग्रामवासियों से रु० १,३१२.८५ पै० नकद व रु० ६४७.५० पै० का श्रमदान प्राप्त हुआ।

(३) बम्बूल आदि के पेड़ कटवा कर बेचे गये उसकी आय १८४ रु० की हुई।

(४) कार्य ठेकेदार से नहीं कराया गया।

(५) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

पंचायत समिति, केकड़ी में जाल का खेड़ा स्कूल भवन निर्माण के आमद-खर्च का विवरण

आमद १		खर्च २	
समिति द्वारा	१४०० रु०	पत्थर	३४६.५०
बम्बूल की बिक्री	१८४ रु०	चूना	३०८.००
मिट्टी की बिक्री	२०० रु०	कलई	१८४.००
पंचायत अनुदान	२०० रु०	गरडर	३०६.००

(पंचायत मंत्री)

१		२	
ग्रामवासियों से नकद	१३१२ रु० ८५ पैसे	किराया	११३.७०
श्रमदान से प्राप्त	६४७ रु० ५० पैसे	पट्टियां	६६३.००
		किराया	४८३.००
योग....	३९४४ रु० ३५ पैसे	बाल्टी का सामान	२०.४०
		सीमेन्ट	१०.००
		मूंज	७.००
		ईंट	१२०.००
		मजदूरी कारीगरों की	५८८.५०
		मजदूरों की मजदूरी	२२०.७५
		नींव खुदवाई	४०.००
		रेत मिलाई की मजदूरी	३६.००
		योग....	३४४१.८५

शाहबाद के विस्थापितों को सिंचाई के लिये पूरा पानी न मिलना

४०४. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला कोटा की शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित धट्टा-घट्टी, परानियां एवं गोरधनपुरा बंगाली विस्थापित कॉलोनी में रहने वाले विस्थापितों के खेतों में सिंचाई के लिये जो कालीसोत का बांध बनाया गया है, उस बांध से विस्थापितों के खेतों में सिंचाई के लिये पूरा पानी उपलब्ध नहीं होता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि विस्थापितों के खेतों में पानी की सप्लाई निकट से बहने वाली नदी के देह से लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा धोरे बना कर किया जा सकता है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी योजना बनाई है और वह कितने रुपये की लागत से कब तक बना कर लागू हो जावेगी ?

उत्तर

(१) जितना पानी बांध में उपलब्ध होता है, वह उन्हें उपलब्ध कराया जाता है।

(२) जी हां।

(३) काश्तकारों से ऐसी कोई मांग अब तक नहीं आई है। अतः योजना बनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

सिलाई केन्द्र, जयपुर को आदर्श रूप में परिवर्तन

४०५. श्री लादूराम सुलानियां (फागी) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि सिलाई केन्द्र, जयपुर को आदर्श रूप देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में ही इस केन्द्र को आदर्श रूप में परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ?

(२) क्या इस सम्बन्ध में उप-मन्त्री महोदय ने मई, ६८ में केन्द्र पर मशीन वितरण समारोह में कोई घोषणा जिलाधिकारी के प्रस्तावों पर की थी ? यदि हां, तो क्या घोषित सुविधायें केन्द्र पर लागू हो चुकी हैं ? यदि हां, तो लागू सुविधाओं की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सत्य है कि प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को राज्य सेवा में प्राथमिकता दी जाती है ? यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों को नियुक्तियां दी हैं ?

उत्तर

(१) जी हां, सिलाई केन्द्र, जयपुर को आदर्श रूप देने के प्रस्ताव माननीय सदस्य से प्राप्त हुये। जी हां, इस केन्द्र को आदर्श रूप देने की कार्यवाही की जा रही है।

(२) उप मंत्री महोदय ने निम्न दो घोषणायें की थीं:—

१ प्रमाण-पत्र को मान्यता दी जाय।

(२) वृत्ति १५ रु० प्रति माह से बढ़ाकर २५ रु० प्रति माह करने के सम्बन्ध में। प्रथम की कार्यवाही की जा रही है तथा द्वितीय लागू कर दी गई है जो ३५ रु० प्रति माह कर दी गई है।

(३) जी नहीं। इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर के जनाना अस्पताल में अध्यापकों की ड्यूटी

४०६. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या जनाना अस्पताल, जयपुर के ट्यूटर्स एण्ड लेक्चरर्स चौबीस घण्टे ड्यूटी एवरी आल्टरनेट दे देते हैं ?

(२) क्या उनको दूसरे दिन चौबीस घण्टों का ऑफ मिलता है ?

(श्री ओमदत्त भाटी)

(३) क्या राजस्थान के दूसरे यूनिट्स में भी इसी तरह की ड्यूटी लगायी जाती है ?

(४) अगर नहीं, तो जनाना होस्पिटल, जयपुर में ही क्यों लगायी जाती है ? क्या दूसरी जगह काम में हर्ज नहीं होता ?

(५) इस तरह की हार्ड ड्यूटी देने पर ड्यूटी डॉक्टर्स को क्या-क्या फैसिलिटीज जैसे कि भत्ता, रेजीडेंशियल क्वार्टर्स इन होस्पिटल कम्पाउन्ड या फ्री रेजीडेंशियल क्वार्टर्स के रूप में दी जाती है ?

(६) क्या इस तरह की ड्यूटी मेल होस्पिटल में भी लगाई जाती है ?

(७) क्या सरकार ऐसे डाक्टरों को तकलीफ मिटाने के लिए ऐसी लम्बी ड्यूटी नहीं लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जनाना अस्पताल, जयपुर में तीन यूनिट्स हैं प्रोफेसर यूनिट एक, प्रोफेसर यूनिट दो व रीडर यूनिट तीन। तीनों यूनिटों में तीन लेक्चरार व ४ ट्युटर्स हैं इसलिये प्रोफेसर यूनिट एक व यूनिट दो में लेक्चरार या ट्युटर आल्टरनेट डे काल ड्यूटी पर रहते हैं व रीडर यूनिट तीन में क्योंकि एक लेक्चरार व दो ट्युटर हैं इसलिये हर तीसरे रोज काल ड्यूटी पर रहते हैं। काल ड्यूटी २० घन्टे की होती है जो दिन के १२ बजे से दूसरे दिन के ८ बजे तक रहती है क्योंकि सुबह के १२ बजे तक डॉक्टर्स अपने अपने वार्ड के मरिजों को देखती हैं व अन्य आवश्यक काम में लगी रहती हैं।

(२) ड्यूटी डॉक्टर अलग होते है वे हाउस स्टाफ, पोस्ट ग्रेजुएट व सी. ए. एस. होती हैं। काल ड्यूटी डॉक्टर (लेक्चरार या ट्युटर) ड्यूटी डाक्टर को इमरजेन्सी केस व सीरियस केसेज के इलाज के लिये आवश्यक परामर्श देती हैं व सीरियस केस के लिये सीनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर रहती है उसको बुलाया जाता है।

(३) उनको किसी प्रकार का ऑफ नहीं दिया जाता क्योंकि ऑफ देने से उनकी यूनिट का व अस्पताल का, ऑपरेशन कार्य व इमरजेन्सी कार्य नहीं चल सकता है।

(४) जी हां, जनाना अस्पताल, जयपुर में काल ड्यूटी इसलिये लगाई जाती है क्योंकि जयपुर की आठ लाख जनसंख्या व मरिजों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है। जिससे किसी प्रकार की शिकायतें पैदा न हों। इतना करने पर भी

(चिकित्सा मंत्री)

शिकायतें बन्द नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पर इस अस्पताल के सन् १९६८ के इमरजेन्सी केसेज इस प्रकार हैं:—

Total Deliveries: 6174

Abnormal Deliveries:—1317

1. Forceps Deliveries...	417
Caesarean section	225
Destructive Operation	16
Manual removal of Placenta	29
Breech	323
Trans. presentation	108
Face and Brow	38
Compound presentation	35
Twins	103
Triplets	3
Rupture Uterus	14
Miscellaneous	6
2. Abortions	2535
Ante-partum Haemorrhage	160
Post-partum Haemorrhage	72
Version	79
Eclampsia-	273

बहुतसे केसेज कालेप्स हालत में आते हैं जिनको सीनियर डा० द्वारा देखा जाना आवश्यक है ऐसे केसेज में जरा भी देर करना मरीज के लिये खतरा पैदा कर सकता है। डिलीवरी या एबनोरमल डिलीवरी के समय कुछ भी पता नहीं किस समय और क्या कोम्प्लीकेशन्स पैदा हो जायं जिसके लिये सीनियर डॉक्टर को मरीज को सैकिन्डों में संभालना अत्यन्त आवश्यक है।

(५) केवल ३ लेक्चरार की अस्पताल की परिधि में रेजिडेन्शियल क्वार्टर दिये गए हैं, जिनका भी किराया पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा लिया जाता है, बाकी ४ क्वार्टर हैं जिनकी काल ड्यूटी के लिये सीनियर डॉक्टर ड्यूटी कम हैं। जिसमें उनको ड्यूटी समय बारी-बारी रहना पड़ता है। धनाभाव के कारण और क्वार्टर्स की व्यवस्था नहीं हो सकी है।

(६) जी हां।

(७) ऐसा कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

ग्राम पंचायत सलोनिया के सरपंच द्वारा धन का दुरुपयोग

४०७. श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत सलोनिया, पंचायत समिति पिड़ावा, जिला झालावाड़ के विरुद्ध 'घोर अनियमितता' व धन के दुरुपयोग आदि की शिकायतें हैं और उनकी जांच अर्से से चल रही है ? यदि हां, तो कृपया चार्जेज की कॉपी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें । जांच कब से की जा रही है ?

(२) सरपंच, सलोनिया के विरुद्ध की जा रही जांच द्वारा उन पर लगाये गये कितने आरोप सही साबित हो चुके हैं और कितने गलत ? कृपया जांच रिपोर्ट की कॉपी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(३) विकास विभाग द्वारा उपरोक्त सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, की गई तो क्यों ?

उत्तर

(१) सरपंच, सलोनिया के विरुद्ध शिकायती दरख्वास्त प्राप्त होने पर जांच के लिये जिलाधीश को दिनांक ३१-३-६४ को भेजा गया । जिलाधीश ने जांच के लिये तहसीलदार पिडावा को आदेश दिये किन्तु तहसीलदार पिड़ावा ने यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि अब सरपंच, सलोनिया राज्य के उप-मन्त्री हैं इसलिये इनके विरुद्ध वे जांच नहीं कर सकते । इस पर जिलाधीश ने दिनांक २५-५-६९ को मार्गदर्शन के लिये लिखा जिस पर जांच की आवश्यकता नहीं होने व केवल वस्तुस्थिति की रिपोर्ट करने का स्पष्टीकरण लिया गया । इसके पश्चात् उप-जिला विकास अधिकारी को तथ्यों की जानकारी करने के निर्देश दिये गये हैं । वर्षा की अधिकता के कारण वे पंचायत मुख्यालय पर रेकार्ड देखने के लिये नहीं जा सके हैं । सरपंच को अभी कोई आरोप-पत्र नहीं दिया गया है अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(२) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(३) रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा होता ।

लोअर घोड़ी से रोहनवाड़ा तक नहर

४०८. श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा-सु.) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सही है कि लोअर घोड़ी की नहर रोहनवाड़ा तक बनाई गई है ? यदि हां, तो कब व उसे कितने फुट ऊंचाई से गिरा कर आगे बढ़ाई गई है, उसके क्या आधार हैं ? सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(श्री महेन्द्रकुमार)

(२) क्या यह सही है कि रोहनवाड़ा व उसको में भी इस नहर से सिंचाई होती है ? यदि हां, तो कितने क्षेत्रफल में ? यदि नहीं, तो क्यों ? दोनों गांव नहर से कितने-कितने दूर हैं ?

(३) क्या वहां के निवासियों ने अप्रोच नहर के लिए राज्य सरकार से निवेदन किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और कब तक इसकी पूर्ति हो जायगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां, केवल रोहनवाड़ा गांव की करीब ५० एकड़ भूमि नहर के टेल वाटर कोष से सिंचित होगी।

(३) तालाब में इतना पानी नहीं है कि वह नहर आगे रोहनवाड़ा तक बढ़ाई जा सके।

तहसील नोहर, भादरा, सूरतगढ़ में अकाल राहत पर व्यय

४०९. **श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)** : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील नोहर, भादरा, सूरतगढ़ में अकाल राहत कार्यों पर कुल कितना धन खर्च हुआ ? अलग-अलग तहसीलवाइज कुल खर्च की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

(२) क्या यह सही है कि इन तहसीलों में सड़क निर्माण का कार्य भी अकाल राहत कार्यों से हुआ है ? यदि हां, तो कौनसी सड़क पर कितना काम हुआ और कुल कितने रुपये खर्च हुए ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि जोहड़ खुदाई पर भी रुपये खर्च किये हैं ? यदि हां, तो तहसीलवाइज यह बताने की कृपा करें कि कितने ग्रामों में तालाब खुदाई पर कितने रुपये खर्च हुए ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों में भी पार्टीबाजी के आधार पर रुपये खर्च करवाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? नहीं तो मुताबिक लिस्ट जो जिलाधीश व तहसील से नाम आये उन ग्रामों में राहत कार्य चालू क्यों नहीं किया ? कारण सहित तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) तहसील नौहर, भादरा, सूरतगढ़ में अकाल राहत कार्यों पर जितना खर्च हुआ उसको अलग २ खर्चे की तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) जी हां, तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(३) जी हां, तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(४) जी नहीं। पार्टीबाजी के आधार पर कोई खर्चा नहीं कराया गया। जिलाधीश द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जाता है और राज्य सरकार जिलाधीश के प्रस्तावों को ज्यों का त्यों मानने के लिये बाध्य नहीं है।

तालिका संख्या–१

क्रमांक	नाम तहसील	राशि
१.	नौहर	५,९६,९४५
२.	भादरा	१२,९७,५८१
३.	सूरतगढ़	३,६६,८८९

तालिका संख्या–२

सड़क निर्माण कार्य पर हुआ व्यय व कार्य की मात्रा

क्रम संख्या	नाम	व्यय	कार्य की मात्रा		
			अर्थ वर्क	ग्रेवलिंग	मेटलिंग
१.	विर्धवाल-पल्लू रोड	२,९४,८८९	२१-२ कि. मी	२.४	२.४ कि०
२.	नौहर-पल्लू रोड	२,०४,७७८	३७-० ,,	५½ कि.	२८०० कि. यू० नि० क्यारी पर
३.	नौहर-पल्लू रोड	१,२३,८५७	३५.० ,,	२ कि.	१८०० ,,
४.	भादरा-राजगढ़ रोड	४,०६,७३२	३०.० ,,	—	३०२५ ,,
५.	अजीतपुरा-अपरप्ररारो	१,४३,४७३	७.३ ,,	—	२५४० ,,
६.	डाबड़ी खेड़ा	९७,५०९	११.७ ,,	—	१४५० ,,
७.	डाबड़ी-थूड़क	८,१८५	१.९ ,,	—	—
८.	मिराणी-भूड़ेक रोड	३५,३७०	१.५ ,,	—	—
९.	कलाना से कलाना रेल्वे स्टेशन	४९,९१२	२.५ ,,	—	—

(अकाल सहायता मंत्री)

तालिका संख्या ३

जोहड़ खुदाई तथा कुओं के निर्माण पर हुआ व्यय

क्रम सं०	नाम तहसील	राशि	कार्यों की संख्या
१.	नोहर	२,१०,०००	२७
२.	भादरा	५,८८,७००	३६
३.	सूरतगढ़	७५,०००	१०

किशनगढ़ में कॉलेज के लिये नये भवन की स्वीकृति

४१०. श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गत वर्ष किशनगढ़ में सरकार द्वारा डिग्री कॉलेज की इमारत नयी बनाने की स्वीकृति हो चुकी थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस इमारत नयी के बनाने के लिए करीब ८ लाख रुपये की मन्जूरी हुई हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि मुख्य मन्त्री महोदय जब किशनगढ़ में श्री हितैषी औषधालय की इमारत का उद्घाटन करने माह अप्रेल, सन् ६६ में आये तब कॉलेज के विद्यार्थी शिष्ट मण्डल को इस वर्ष में ही इस इमारत को बनवाने का कार्य प्रारम्भ करा देने का पूर्ण आश्वासन दिया था ?

(४) यदि हां, तो अब तक इस इमारत के बनाने का कार्य प्रारम्भ नहीं करवाने का क्या कारण है ? अब कब तक इसके निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) यह सही नहीं है। राज्य सरकार ने महाविद्यालय किशनगढ़ के नये भवन निर्माण हेतु सन् १६६७-६८ व १६६८-६६ के लिये क्रमशः १५,०००) व ५०,०००) रु० की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

(शिक्षा मंत्री)

(३) आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़ ने सूचित किया है कि विद्यार्थियों का कोई शिष्ट मंडल अप्रेल, १९६९ में मुख्य मंत्री महोदय से नहीं मिला। भवन निर्माण कार्य जुलाई, १९६८ से ही प्रारम्भ हो चुका है और प्राणी शास्त्र की प्रयोगशाला बन कर तैयार हो चुकी है।

(४) भवन निर्माण कार्य जुलाई, १९६८ से प्रारम्भ है।

सांचोर की उच्चतर माध्यमिक पाठशाला के छात्रावास को अनुदान

४११. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(१) क्या यह सत्य है कि सांचोर उच्चतर माध्यमिक पाठशाला के सार्वजनिक छात्रावास को अनुदान देने का मामला सरकार का कई सालों से विचाराधीन है? यदि हां, तो कितने सालों से?

(२) इतने वर्षों तक उक्त छात्रावास को अनुदान सरकार द्वारा क्यों नहीं दिया गया?

(३) उपरोक्त छात्रावास को अब कब तक अनुदान दिला दिया जायेगा? क्या पिछले सालों के अंकेक्षित हिसाब पर छात्रावास को पिछला अनुदान भी दिलाया जायेगा? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों नहीं?

उत्तर

(१) जी, नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) गत वर्ष राज्य सरकार ने संस्था को (२०००) रु० तदर्थ अनुदान स्वीकृत किया। पूर्व के वर्षों का अनुदान नियमानुसार देना संभव नहीं है।

कोटड़ा, गोगुन्दा, फलासिया में राहत कार्य

४१२. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा-सु०)** : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) इस समय कोटड़ा, गोगुन्दा, फलासिया तहसीलों में कहां कहां फैमिन का काम शुरु किया गया था?

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

(२) इन तीन तहसीलों में अलग-अलग जगह कितने मजदूर लगे थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) गोगुन्दा, कोटड़ा, फलासिया तहसीलों में कितने-कितने गांव अकाल में आये थे ?

(४) कहां-कहां तालाब व सड़क का काम चल रहा है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(३) गोगुन्दा, झाडोल, कोटड़ा तहसीलों में फसल खरीफ सं० २०२५ में क्रमशः ११३,२४४ एवं २६४ ग्राम अकालग्रस्त घोषित हुये हैं।

(४) दिनांक १५ अगस्त, ६९ के बाद अब कोई सहायता कार्य चालू नहीं हुये।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(१८-८-६९)

अकाल सहायता कार्य और मजदूरी निर्धारित करने का आधार

१३६. **श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)** : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अकाल सहायता कार्यों में दी जाने वाली मजदूरी निर्धारित करने के क्या आधार हैं ?

(२) क्या यह सही है कि खोदने वाले और ढोने वाले तथा बालक के नाम से मजदूरी में अन्तर है ?

(३) क्या यह भी सही है कि खोदने वालों में पुरुष और ढोने वालों में महिला और बच्चे ही रखे जाते हैं ?

(४) क्या इन कार्यों पर काम नाप कर दिया जाता है ? क्या शाम को दिन भर किये गये काम को नापा जाता है ?

(श्री दौलतराम सारण)

(५) क्या यह सही है कि अकाल सहायता कार्यों में लगे पीड़ित मजदूरों को मजदूरी चूरू, बीकानेर और अन्य जिलों में भी निर्धारित दर से बहुत कम चुकाई गई है ? कम मजदूरी कहां-कहां कितनी-कितनी चुकाई गई है तथा क्यों ?

(६) क्या यह सही है कि ऐसे स्थानों पर मजदूरों को पूरे औजार भी नहीं दिये गए और न काम नाप कर दिया गया और न काम करने के उपरान्त शाम को मजदूरों के सामने नापा ही गया ? क्या इस सम्बन्ध में शिकायतें, प्रतिवेदन पत्र और प्रस्ताव मिले हैं ? कहां से ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ? नहीं, तो क्यों नहीं ? अब क्या कार्यवाही की जायगी ?

(उत्तर सरकार से प्राप्त नहीं हुआ)

स्थगित प्रश्न

(१८-८-६९)

शराब के ठेकेदारों पर बकाया

१४०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान भर में शराब के ठेकेदारों में राज्य सरकार की कुल कितनी बकाया निकलती है और कबसे निकलती है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें जिसमें ठेकेदारों के नाम व राशि अंकित हो।

(२) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस सम्पूर्ण बकाया राशि को माफ कर देने का फैसला कर दिया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ? क्या माफ करने का फैसला मन्त्री मण्डल की बैठक में लिया ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(१) दिनांक ३१-३-६९ को वर्ष १९६६-६७ तक की आबकारी विभाग की कुल बकाया रुपया ४७,२१,८९६.१७ थी। जिलेवार सूची ठेकेदारों के नाम सहित संलग्न है।

(२) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(१८-८-६६)

चेक पोस्ट्स पर सेल्स टैक्स की वसूली

१५१. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य की सीमाओं पर विभाग की ओर से चैक पोस्ट लगाई गई हैं और वहां पर सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो कुल कितनी चैक पोस्ट्स चौकियां कहां-कहां पर कब-कब से हैं और इनके द्वारा जनवरी, १६६७ के बाद अब तक कितना-कितना टक्स किस-किस वर्ष में वसूल किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सत्य है कि उक्त चौकियों द्वारा सेल्स टैक्स के रजिस्टर्ड डीलरों से भी टैक्स वसूल किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या इस सम्बन्ध में रजिस्टर्ड व्यापारियों द्वारा कोई ऐतराज किया गया था ? यदि हां, तो कब क्या, ऐतराज किया गया और उस पर क्या फैसला किया गया ?

उत्तर

(१) जी हां, इस विभाग द्वारा स्थापित की गई चैक पोस्टों का विवरण संलग्न पत्र 'अ' में दिखाया गया है इन चैक पोस्टों से माल ले जाया जाता है उन पर सेल्स टैक्स की चोरी की या टैक्स न देने की सम्भावना होने पर चैक पोस्ट इन्चार्ज उस वाहन इन्चार्ज से उस माल के क्रय एवं विक्रय पर देय कर की रकम के बराबर अनुमानित रकम प्राप्त करता है। इस प्रकार से इन चैक पोस्टों पर जनवरी, १६६७ से अब तक एकत्रित की गई रकम का विवरण संलग्न पत्र 'ब' में दिखाया गया है।

(२) उक्त पैरा नं० १ में कथित रकम उन सब व्यक्तियों से वसूल की जाती हैं जो अपने वाहनों में से ले जाये जाने वाले माल का सन्तोषजनक विवरण नहीं दे सकते हैं तथा उनसे जिनके द्वारा चोरी की अथवा कर न देने की सम्भावना होती है।

(३) कुल पंजीकृत व्यापारियों द्वारा जिनसे चैक पोस्टों पर कर वसूल कर लिया गया या उनसे प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं और उन प्रतिवेदनों पर विभाग की ओर से आवश्यक कार्यवाही की जाती है। ऐसे प्रत्येक प्रतिवेदन का और उन पर की गई कार्यवाही का पृथक २ विवरण देना संभव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(१८-८-६९)

अकाल सहायता कार्यों पर कार्य करने वाले मजदूरों व उनके बच्चों की मृत्यु

१५८. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

क्या यह सही है कि अकाल सहायता कार्यों पर काम करने वाले मजदूरों को व उनके बच्चों की बड़ी तादाद में मृत्यु हुई है व हो रही है ? यदि हां, तो आज तक कुल कितने व्यक्तियों की मौत केम्पों में हुई है और किस कारण से ? केम्पवाइज मृत्यु संख्या की तालिका सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

जी नहीं। यह सही नहीं है कि अकाल सहायता कार्यों पर काम करने वाले मजदूर व उनके बच्चों की बड़ी तादाद में मृत्यु हुई है व हो रही है। केम्पवाईज मृत्यु की तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है, जिला बाड़मेर को सूचना उपलब्ध नहीं है आने पर प्रस्तुत करदी जावेगी।

केम्पवाइज मृतकों की तालिका

क्र. सं.	नाम जिला	नाम कैम्प	मृत्यु के कारण: बीमारी	आकस्मिक दुर्घटना	प्राकृतिक मृत्यु बुढ़ापे से
१	२	३	४		
१.	चूरू	खाटुण्डा	८	—	—
		कोहिना	३	—	—
		सेमिला	४	—	—
		सलजसर	१	—	—
		कातर	३	—	—
		लालगढ़	३	—	—
		सांवतसर	१	—	—
		हिन्दुमल	५	—	—

(अकाल सहायता मंत्री)

१	२	३	४		
	चुरू	माडेरी	२६	—	—
	—	गगौर	४	—	—
	—	सारिया	१	—	—
	—	लादड़िया	१	—	—
	—	केवड	४	—	—
२. जालौर	—	मादरा चुन की ढाणी	१	३	—
	—	केलिया	१	—	—
	—	डकातरा	१	—	१
	—	सिराना	१०	२	—
	—	मगलसा मुन्डवा	४	१	—
	—	धोराउ	—	१	—
	—	बेरठ	१	—	—
	—	चमल	—	—	—
	—	फलादर	१	—	—
	—	केडिया	१२	—	—
	—	हावड़ा	१	—	—
	—	भुभानी	२	—	—
	—	सांडी	३	—	—
	—	मुमड़िया	२	—	—
	—	सोकठावास	१	—	—
	—	खोखाकोरी	२	—	—
	—	दीमांदमोटीत	५	२	—
	—	लालावास	८	—	—
	—	केरडा	४४	—	—
	—	डूर	५	—	—
	—	गाड़ी	—	१	—
३. जैसलमेर	—	देवा	४	—	११
	—	नेसलाई	१५	—	१०
		सम	७६	—	—
		दलरोपार	१०	—	७
		मोहनगढ़	३१	—	६
		सख्यावा	५	—	२२

(अकाल सहायता मंत्री)

१	२	३		४	
	जैसलमेर	केनोर्ड	७१	—	—
		कुछड़ी	१६	—	१
		छापुर	१६	—	—
		सोनु	१६	—	५
		रामा	१७	—	१६
		नबावार	१६	—	४
		पोछीना	—	—	१६
		हमीरा	२	—	—
		बरघा	६	—	७
		मेहलान	९	—	९
		लाठी	२०	—	१०
		टावरीवाडा	३६	—	१६
		छुणाकला	२५	—	१८
		भासचन्द्रा	५४	—	६१
		मोश	२१	—	४
		बुधासर	३	—	—
		चौक	१५	—	१५
		लला	१०४	—	१९
		बडोडागांव	३	—	११
		खुदथाला	६०	—	५
		स्वामी की ढाणी	७०	—	४७
		भंडिया	४२	—	१४
		कापेवा	३७	—	३१
		देवीकोट	१९	—	५
		अमरसागर	१६	—	३
		नाचना	१६	—	६
		डावला	३	—	२
		कानोद	८	[illegible]	२
		थूं	२३	[illegible]	९
		भादासर	३	—	—
		उपसी	१३	—	—
		खेड़ा	२४	—	—

(अकाल सहायता मंत्री)

१	२	३	४		
		पीछला	१७	—	२
		रामगढ़	१३	—	१९
		पारेवर	—	—	२
		रामदेवड़ा	४४	—	२८
		लम्बा	४२	—	५
		घाट	६८	—	११
		ओलो	—	—	५
		मांडवा	५७	—	५२
		लदोर	३१	—	११
		रासला	४	—	३
		बेलक	५०	—	—
		झिनियाली	३१	—	१५
		मरसियों की ढाणी	—	—	१२
		सांगाड	—	—	२०
		मुलाना	२	—	१
		योगः....	१२५१	२०२	५३२
४. जयपुर		मण्डावरी	—	१	—
५. पाली		घाग चितार सड़क	—	—	—
		देवरिया फूलमाल सड़क	—	५	—
		भुगलिया तालाब	—	१	—
६. उदयपुर		जसवन्तगढ़ गोगुन्दा तहसील	—	१	—
		रैल मगरा छापरी तालाब	—	१	—
७. झुंझुनूं		गुढ़ा नाले पर	—	१	—

स्थगित प्रश्न

(१९-८-६९)

हरिजन बस्ती संस्कार केन्द्र की अध्यापिका

१८९. श्री रावतराम (छापर सु.): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि श्रीमती प्रेमलता, सन् १९६६ में हरिजन बस्ती सुजानगढ़ की पाठशाला में अध्यापिका थी ?

(श्री रावतराम)

(२) क्या यह सही है कि बस्ती के हरिजनों ने संचालक, समाज कल्याण विभाग को यह लिखित शिकायत की थी कि उक्त अध्यापिका का चाल-चलन उचित नहीं है अतः इसको यहां से बदला जाय ? यदि हां, तो इसका तबादला कहां हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापिका आजकल सरदारशहर हरिजन बस्ती संस्कार केन्द्र में अध्यापिका है ?

(४) क्या यह सही है कि सरदारशहर में भी उक्त अध्यापिका के बारे में शिकायतें उच्चाधिकारियों को समय-समय पर की गई हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

(५) क्या यह सही है की उक्त अध्यापिका ने अपनी कारगुजारियों को छिपाने के लिये अपना त्यागपत्र दिया ? यदि हां, तो कब और त्यागपत्र स्वीकार कब किया गया ?

(६) क्या यह सही है कि त्यागपत्र देने के बाद भी वापिस प्रेमलता को सर्विस में ले लिया गया और सरदारशहर संस्कार केन्द्र में पुनः इसकी नियुक्ति कर दी गई ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(७) संस्कार केन्द्र सरदारशहर में क्या-क्या सामान हैं ? क्या सामान का स्टॉक रजिस्टर रखा गया है ? यदि हां, तो सामान की सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(८) क्या उक्त सामान में से प्रेमलता ने कुछ सामान गायब किया है ? यदि हां, तो इसकी जांच किसने की ?

(९) क्या यह सही है कि ३० जुलाई, ६८ को प्रेमलता बिना विभागीय छुट्टी के दिल्ली गई ? यदि हां, तो इस संबंध में विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(१) श्रीमती प्रेमलता अध्यापिका न होकर संस्कार केन्द्र, सुजानगढ़ में १९६६ में कल्याण कार्यकर्त्री थी।

(२) उक्त कार्यकर्त्री के चाल-चलन के बारे में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(३) यह सही नहीं है

(समाज कल्याण मंत्री)

(४) जी हां, जांच की जा रही है जांच रिपोर्ट अपेक्षित है वह सम्बन्धित कर्मचारी निलम्बित है।

(५) अलबत्ता त्यागपत्र जिला कार्यालय में दिनांक १-१-६६ को जरूर दिया गया जिस पर उसके त्यागपत्र वापस लेने की प्रार्थना-पत्र पर उसे वापस ले लेने की इजाजत दे दी गई थी।

(६) पुनः नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(७) सामान की लिस्ट संलग्न है। स्टॉक रजिस्टर रखा गया था।

(८) कुछ सामान कम पाया गया इसकी जांच जिला अधिकारी ने की।

(९) जी हां। उसको इस तथा अन्य आरोपों के कारण ३-१०-६८ को निलम्बित कर दिया गया तथा जांच जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(२०-८-६९)

अनुसूचित जाति एवं जन-जाति की जनसंख्या तथा नौकरियों में सुरक्षित स्थान

२३. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई):—क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) राज्य में अनुसूचित जाति व जन-जातियों की जन संख्या सन् ६८-६९ में क्या थी? जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सच है कि राज्य में अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों की जनसंख्या राज्य की कुल जन-संख्या से ४० प्रतिशत है? यदि हां, तो फिर नौकरियों में सिर्फ साढ़े बारह प्रतिशत ही स्थान सुरक्षित रखने का क्या आधार है?

(३) क्या यह भी सच है कि राज्य में अनुसूचित जाति व जन-जातियों के पढ़े लिखे बेकारों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है? क्या सरकार जिलेवार पढ़े लिखे बेकारों का सर्वे कराकर उनको निश्चित समय में नौकरियां देने कि कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और कब से?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(४) क्या सरकार बेकारी को दूर करने की दृष्टि से साढ़े बारह प्रतिशत के कोटे को २५ प्रतिशत करने का विचार रखती है ?

(५) क्या यह भी सच है कि विभागों में निश्चित साढ़े बारह प्रतिशत कोटा भी पूरा नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो कौन-कौन से विभागों में और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(६) क्या सरकार कन्फर्मेशन व प्रमोशन में भी रिजर्वेशन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जनगणना १९६१ में की गई उसके अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या ३३,५६,९४० तथा अनुसूचित जन-जातियों की संख्या २३,५१,४७० थीं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं, इन जातियों की जनसंख्या २८,३४ प्रतिशत आती है सुरक्षित स्थान एडहाक तौर पर रखे गये हैं तथा अब रिक्त स्थान में इन जातियों के व्यक्तियों का चयन करने में यदि वे निर्धारित योग्यता रखते हों तो कोई रुकावट नहीं है।

(३) जी हां, अन्य वर्गों के साथ-साथ इन वर्गों के पढ़े लिखे बेकारों की संख्या में वृद्धि हो रही है सर्वे का प्रश्न जनगणना के साथ ही लिया जा सकता है बेकारी को दूर करने के लिये इनको अधिक से अधिक नौकरी दिलाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(४) जी हां प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(५) जी हां। जिन विभागों में कमी रही उनके विरुद्ध कार्यवाही के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

(६) जी हां।

Districtwise distribution of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes population in Rajasthan, 1961.

S. No.	District	Total General Population	Population	P. C. to State S. C. Population	P. C. to Distt. Population	Population S. T.	P. C. to State S. T. Population	P. C. to Distt. Population
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ajmer	976547	175029	5.21	17.91	15507	0.67	1.59
2.	Alwar	1090026	194028	5.80	17.80	88454	3.83	8.11
3.	Banswara	475245	21700	0.65	4.57	339624	12.90	62.63
4.	Barmer	649794	90215	2.70	13.88	34883	1.51	5.37
5.	Bharatpur	1149883	245672	7.31	21.37	32627	1.41	2.84
6.	Bhilwara	865797	140157	4.17	16.97	81226	3.52	9.38
7.	Bikaner	444515	65982	1.90	14.84	1034	0.05	0.23
8.	Bundi	338010	61835	1.84	18.29	59973	2.55	17.74
9.	Chittorgarh	747568	105207	3.10	14.07	163829	7.10	21.91
10.	Churu	659011	119244	3.54	18.07	3262	0.14	0.19
11.	Dungarpur	406944	18680	0.55	4.49	244782	10.60	60.15
12.	Ganganagar	1037423	297368	8.89	28.66	2208	0.08	0.21
13.	Jaipur	1901756	323493	9.63	17.01	218569	9.46	11.49
14.	Jaisalmer	140838	18939	0.57	13.49	4556	0.20	3.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Jalore	547072	90650	2.70	16.57	44128	1.91	8.07
16.	Jhalawar	490609	83045	2.47	16.92	51512	2.23	10.49
17.	Jhunjhunu	719650	99146	2.95	13.77	11495	0.50	1.58
18.	Jodhpur	885663	125314	3.73	14.14	18328	0.80	2.07
19.	Kota	848389	153746	4.60	18.11	124554	5.40	14.98
20.	Nagaur	934948	163169	4.86	17.45	2879	0.12	0.30
21.	Pali	805682	144150	4.30	17.89	38218	1.66	4.74
22.	S. Madhopur	943577	210948	6.30	22.35	209931	9.10	22.24
23.	Sikar	820286	114997	3.42	14.01	20569	0.90	2.50
24.	Sirohi	352303	67113	2.00	12.04	74007	3.20	21.02
25.	Tonk	497729	105754	3.11	21.23	57699	2.52	11.39
26.	Udaipur	1426840	124209	3.70	8.70	407526	17.64	28.56
	Rajasthan	20155602	3359640	100.00	—	2351470	100.00	—

Source:—Directorate of Economics & Statistics, Rajasthan, Jaipur, Statistical Abstract Rajasthan, 1962 Pages 17 & 32

स्थगित प्रश्न

(२०-८-६९)

सरकारी बंगलों के प्लॉटों में बोई फसल

२५०. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जंक्शन में मंडी एरिया में जितने सरकारी बंगलों के प्लॉट कटे हुए हैं व कोठियां बनी हुई हैं उनकी खाली भूमि मे सालाना फसल बोई जाती है यदि हां, तो सालाना कुल कितना रकबा काश्त होता है ?

(२) सन् १९६० से आज तक कितनी आमदनी उक्त प्लॉटों की फसल से हुई है व किस-किस फसल में आमदनी कितनी हुई और अब मौके पर क्या फसलें बो रखी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

परिशिष्ट-२

(अ० प्र० सं ५७५ की सूची)

राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग)

आज्ञा

क्रमांक एफ. ५ (३०) व्य० एवं प०/६३ दिनांक ८ अक्टूबर, १९६५

विषय: —सामग्री-क्रय समिति ।

सन्दर्भः—इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक ३-९-६१ के क्रम में ।

राज्यपाल, श्री मोहनमुकर्जी वित्त आयुक्त व्यय को शासन सचिव, सिंचाई विभाग के बजाय, उक्त समिति का अध्यक्ष एवं श्री ए० सी० दासगुप्ता उप-आयुक्त, स्टेट एन्टरप्राइजेज को वित्त सचिव के बजाय समिति का सदस्य मनोनीत करने का अनुमोदन करते हैं ।

आज्ञा से,

बालकृष्ण जुत्शी,

उप-सचिव ।

परिशिष्ट-३

(अ० प्र० सं० ५७८ की सूची)

STATEMENT SHOWING THE CASE OF BIKANER GYPSUM LIMITED BIKANER, PENDING BEFORE THE STATE GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN, JAIPUR.

S. No.	Description of proceedings	Date of Institution	Date of disposal
1.	Reference U/s 10		
	1. Case No. 65/66	22-11-1966	1-5-1969
	2. Case No. 27/68	2-3-1968	1-5-1969
	3. Case No. 85/68	30-8-1968	1-5-1969

विपिनचन्द्र ओझा,
Judge, Labour Court,
Rajasthan Jaipur.

STATEMENT SHOWING THE CASE OF BIKANER GYPSUM LIMITED BIKANER, PENDING BEFORE THE STATE GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL. RAJASTHAN, JAIPUR

S. No.	Description of Proceedings	Dated of Institution	Dated of disposal
1.	**Reference U/s 10**		
	1. Case No. 1/69	18-1-1969	1-5-1969
	2. Case No. 2/69	18-1-1969	18-1-1969
	3. Case No. 6/69	18-1-1969	18-1-1969
	4. Case No. 14/69	18-1.1969	1-5-1969
	5. Case No. 7/68	7-9-1968	—
	6. Case No. 8/68	10-10-1968	—
	7. Case No. 3/69	18-1-1969	—
	8. Case No. 4/69	18-1-1969	—
	9. Case No. 5/69	18-1-1969	—
	10. Case No. 15/69	29-4-1969	—
2.	**Complaint U/s 33-A**		
	1. Comp. No. 1/69	18-1-1969	—
	2. Comp. No. 2/69	18-1-1969	18-1-1969
3.	**Application U/s 33 (2)**		
	1. Misc. Case No. 1/69	18-1-1969	—

विपिनचन्द्र ओझा,
Judge, Labour Court,
Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट-४

(अ. प्र. सं० ५८६ की सूची)

निम्नलिखित भूतपूर्व समाज शिक्षा अधिकारियों को तीन साल से कम परन्तु एक वर्ष से अधिक शैक्षणिक अनुभव होने पर उनके नाम के सामने अंकित पद पर पदोन्नति किया गया।

(१) श्री धन्नालाल गुप्ता प्र० अ० उ० मा० वि० डेराइन
(२) श्री कृष्ण गोपाल प्र० अ० उ० मा० वि० बेजूकर (झुंझुनूं)
(३) श्री दुर्गा प्रसाद गोडवाल ,, ,, सामकोट (झुंझुनूं)
(४) श्री अमरसिंह मान ,, ,, भानोट (अलवर)
(५) श्री रंगलाल मेहता ,, ,, बादसदयाल बूंदी।
(६) श्री मंगलदास शर्मा ,, ,, घाटी धौलोना (जोधपुर)
(७) श्री भीमसिंह ,, ,, नांगल धोड़िया (अलवर)
(८) श्री अजीराम डागुर ,, ,, छतराना (अलवर)
(९) श्री अक्षयसिंह प्रसाद शर्मा वरिष्ठ प्रशिक्षक, पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र, मन्डोर।
(१०) श्री हनुमान प्रसाद शर्मा प्र० अ० रा० मा० वि० मनिवाया (जैसलमेर)
(११) श्री रामस्वरूप गुप्ता ,, ,, माजपुर (झुंझुनूं)
(१२) श्री इन्द्रदेव सक्सेना वरिष्ठ प्र० अ० रा० प्र० के० मन्डोर
(१३) श्री नारायणलाल शर्मा ,, ,, ,, बीकानेर।
(१४) श्री करणसिंह सिसोदिया उप निरीक्षक, बांसवाड़ा।
(१५) श्री लक्ष्मीनारायण व्यास प्र० अ० उ० मा० वि० काकड़ा, (बीकानेर)
(१६) श्री नारायणलाल शर्मा ,, ,, कोयना
(१७) श्री पदमचन्द छाबड़ा ,, रा० उ० मा० वि० जेतूसर (झुंझुनूं)
(१८) श्री वासुदेव गुप्ता ,, ,, रामगढ़ (सीकर)

निम्नलिखित भूतपूर्व समाज शिक्षा अधिकारियों को एक वर्ष से कम अनुभव होने से वरिष्ठ होते हुए भी पदोन्नत नहीं किया गया। इन्हें शैक्षणिक अनुभव पूरा करने के लिये लिख दिया गया है।

(१) श्री जयदत्त पुरोहित प्र० अ० उ० प्र० वि० पाली ३ माह का अनुभव
(२) श्री गजेन्द्रप्रसाद सक्सैना वि० प्र० अ० प्र० सं० शाहबाद (कोटा) २½ माह का अनुभव।
(३) श्री भीमसिंह मल्होत्रा ,, ,, बिछीवाड़ा १½ माह का अनुभव
(४) श्री नन्दलाल शर्मा शि० प्र० अ० रा० मा० वि० बरलवरपुरा (झुंझुनूं) ९ माह का अनुभव
(५) श्री उमरावसिंह शि० प्र० अ० प्र० सं०, उदयपुर वाटी (झुंझुनूं) ६ माह

Page No 200

परिशिष्ट-५

(अ० प्र० सं० ५९३ की सूची)

रा० उच्च प्राथमिक विद्यालय, बागोट (नागौर) में कार्यरत अध्यापकों की सूची

क्रम संख्या	अध्यापक का नाम	इस शाला में कार्य करने की तिथि
(१)	श्री सुरेन्द्रसिंह प्रधानाध्यापक	१-५-६७
(२)	श्री रामगोपाल सहायक अध्यापक	१-९-६२
(३)	श्री गुलजारखां ,,	१-११-५६
(४)	श्री मोहम्मद रमजान ,,	२९-१२-६७
(५)	श्री रणजीतसिंह ,,	२१-९-६७
(६)	श्री पूसाराम ,,	४-१-६८ (अन्डर सस्पेन्शन)
(७)	श्री मांगीलाल ,,	९-१०-६६
(८)	श्री गणेशीराम ,,	५-८-६८
(९)	श्री गणपतलाल ,,	१४-१०-६८

परिशिष्ट-६

(अ० प्र० प० सं० ५९८ की सूची)

बीकानेर शहर के मिडिल तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की सूची

क्र० सं० १	नियुक्ति तारीख २	नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी के हस्ताक्षर ४	योग्यता मिडिल/अप्रशिक्षित ५
१. श्रीमती सत्यागुप्ता स० अ० रा० प्रा० वि० कुम्हारों का मोहल्ला, बीकानेर	१४-३-६६	उ० एस० दवे वि० नि० बीकानेर	विद्या विनोदनी नोन क्वाली फाइंग
२. श्रीमती बुलीदेवी, स० अ० दाउजी मन्दिर बीकानेर	जुलाई ६४	वि० निरीक्षिका से स्थानान्तरण होकर	मिडिल
३. श्रीमती रमादेवी स० अ० प्रा० पा०, गिनाणी चौक, बीकानेर	जुलाई ६२	वि० नि० चुरू से स्थानान्तरण होकर	मिडिल/विद्या विनोदनी
४. श्री हुसनबानो स० अ० प्रा० पा०, कुम्हारों का मोहल्ला, बीकानेर	जुलाई ६३	एस० एम० सैयद वि० नि०, बीकानेर	विद्याविनोदिनी
५. श्रीमती रहमत बीबी स० अ० प्रा० पा०, मलानियों की मस्जिद, बीकानेर	१२-१०-५९	आर० सी० कल्ला० वि० नि०, बीकानेर	,,
६. श्रीमती पुष्पा भटनागर स० अ० प्रा० पा०, रानी बाजार, बीकानेर	३१-८-६२	एस० एम० सैयद वि० नि०, बीकानेर	परिचय

१	२	३	४	५
७. श्रीमती वि०कसुन्दरी स० अ० दाउजी मंदिर, बीकानेर	१५-७-६४	वि० निरीक्षिका, बीकानेर		परिचय/विद्या विनोदिनी
८. श्री बद्रीदास स० अ० रा० नव प्रा० वि०, इन्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर		चूरू जिले से स्थानान्तरण होकर आये हैं।		मिडिल/भाषारत्न
९. श्री गन्नी खां स० अ० रा० नव प्रा० वि०, इन्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर	१-६-६३	एस० एम० सईद वि० नि०, बीकानेर		मिडिल/टेलरिंग
१० श्रीमती कमला पुरोहित स० अ० उ० प्रा० वि०, दफतरियों का चौक, बीकानेर	२३-१२-६३	वि० नि० चूरू		मिडिल/विद्याविनोदिनी
११. श्री प्रकाशचन्द खत्री स० अ० उ० प्रा० वि०, रेल्वे वर्कशॉप, बीकानेर	३०-८-६१	आर० सी० कल्ला वि० नि०, बीकानेर		मिडिल

मिडिल व अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की सूची

नाम	योग्यता	नियुक्ति तिथि	नियुक्तिकर्ता	अधिकारी के हस्ताक्षर
१. श्रीमती भंवरीदेवी	मिडिल पास	१३-८-४०	निदेशक	शिक्षा विभाग, बीकानेर स्टेट
२. श्रीमती कंठश्री	लोअर मिडिल	१७-?-४५	,,	,, ,,

Page No 203

परिशिष्ट—७

(अ. प्र. सं० ६०३ की सूची)

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, नागौर (राजस्थान)

क्रम सं०	नाम विद्यालय जो किराये पर चल रहे हैं	दिनांक जब से किराये पर	नाम मकान मालिक	दर किराया प्रति माह	उचित किराया मूल्यांकन कराने का दिनांक	राशि	किराया — बकाया भुगतान अवधि	किराया — राशि प्रति माह	भुगतान नहीं होने का कारण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१.	रा. प्रा, शा. नं. १, नागौर	१-९-४९	कामराज मेहता	४५ रु.	१-९-५९	४५ रु.	१-१०-६०	४५ रु.	मालिक के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।
२.	रा. प्रा. पा. नं. ३, नागौर	२६-७-६०	श्री पारीक पंचायत, नागौर	८० रु.	२६-७-६९	८० रु.	१-३-६९	८० रु.	एफ. आर. सी. प्राप्त नहीं हुई है।
३.	रा. प्रा. वि. नं. ४, नागौर	८-७-६१	श्री खत्री पंचायत, नागौर	७५ रु.	८-७-६१	७५ रु.	१-३-६९	७५ रु.	,,
४.	रा. प्रा. वि. नं. ५, डीडवाना	१-७-६३	श्री मूलचन्द, मो. डीडवाना	३० रु.	१-७-६३	३० रु.	१-२-६९	३० रु.	,,

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५.	रा. प्रा. शा. नं. १, मकराना	१-७-४४	हरीराम हनुमान बक्श, तोपनीवाल, मकराना	३० रु.	१-७-४४	३० रु.	१-३-६६	३० रु.	”
६.	रा. प्रा. शा. नं. २, मकराना	१९४६	हनुमानदास, मकराना	१७ रु.	१९४६	१७ रु.	१-३-६३	१७ रु.	मकान मालिक की तरफ से किराये का बिल प्राप्त नहीं हो रहा है।
७.	रा. प्रा. शा. नं. १, कुचामन-सिटी	१-५-४६	श्रीमती केशरदेवी, साबू	३५ रु.	१-५-४६	३५ रु.	१-३-६६	३५ रु.	एफ. आर. सी. पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है।
८.	रा. प्रा. शा. नं. १, नावां	२२-८-३३	जैन पंचायत, अजमेरी गेट, नावां	४० रु.	२२-८-३३	४० रु.	१-३-६६	४० रु.	”
९.	रा. प्रा. नं. २, नावां	२८-२-६८	छितरमल भूत	६१ रु.	२८-२-६३	६१ रु.	१-३-६६	६१ रु.	”
१०.	रा. प्रा. वि. नं. ३, नावां	१५-४-६६	कमलादेवी बिकानी, नावां	६० रु.	१५-४-६६	६० रु.	१-३-६६	६० रु.	”
११.	रा. प्रा. शा. नं. ३, मेड़तासिटी	११-८-६५	श्री चतुरभुज	५० रु.	११-८-६५	५० रु.	१-३-६६	५० रु.	एफ. आर. सी. प्राप्त नहीं हुआ।
१२.	रा. उ. प्रा. शाला नं. २, नागौर	१८-७-६५	श्री मुकुन्दलाल दवे	६६ रु.	१८-७-६५	६६ रु.	१-३-६६	६६ रु.	”

१३.	रा. प्रा. शा. नं. ५, कुचामनसिटी	१-१२-६६	चांदमल प्रेमप्रकाश छाबड़ा, कुचामनसिटी	—	१-१२-६६	—	—	—	पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा किराया तय नहीं हुआ है।
१ .	रा. प्रा. शा. नं. २, कुचामनसिटी	१-४-६१	सत्यनारायण ठाकुर, बाड़ी ट्रस्ट, कुचामनसिटी	—	२७-३-६८	—	१-४-६१	—	,,
१५.	रा. प्रा. शा. नं. ४, नागौर	इस भवन का किराया म्युनिसिपल कमेटी, नागौर द्वारा चुकाया जाता है।							
१६.	रा. प्रा. शा. नं. २, मेड़ता	इस भवन का किराया म्युनिसिपल कमेटी, मेड़ता सिटी द्वारा चुकाया जाता है।							

परिशिष्ट—८

(अ० प्र० सं० ६०७ की सूची)

सूची 'अ'

पंचायत समिति, सांगोद में उजाड़ व परवन नदियों पर लगाये गये पम्पिंग सैट्स

नाम पम्प	हार्स पावर	तादाद	सिंचाई क्षमता	सिंचाई आंकड़े ६५–६६	६६–६७	६७–६८	६८–६९
१. हिंगी	२०–२७	२ सैट्स	२४६ एकड़	२१ एकड़	८७ एकड़	७४ एकड़	३० एकड़
२. कुन्दनपुर	५४ व २०	१ सैट १ ,,	२०० ,,	३९ ,,	१०२ ,,	१४३ ,,	४६ ,,
३. अतरालिया	२७–२७	२ सैट्स	३१० ,,	—	३५ ,,	७० ,,	४३ ,,
४. उपरदा	५४ स्टैन्ड बाई ५४ प्रस्तावित	१ सैट १ ,,	४६० ,,	—	६५ ,,	२४ ,,	—

सूची 'अ'

लिफ्ट सिचाई की पुरानी व नई दरें

पहले की दरें	संशोधित दरें उठान का अनुमान	डीजल पम्पों के लिए		बिजली के पम्पों के लिए	
		दर प्रति पाए	कुल एकड़	दर प्रति पाए	कुल प्रति एकड़
प्रति पाए हिंगी ८००० कुन्दनपुर	३०–६०	३८–००	१५२–००	१८–००	७२–००
प्रति एकड़ १०–७० अतरालिया न्यूनतम दर उपरदा	६०–१००	४०–००	१६०–००	२३–००	९२–००

परिशिष्ट-९

(अ० प्र० सं० ६८० की सूची)

नाम परियोजना	सम्वत २०२४		सम्वत २०२५	
	कुल पाच तरीफ एकड़ों में ।	धानका रकबा एकड़ों में	कुल पांच तारीफ एकड़ों में	धानका रकबा एकड़ों में
१. परवन	—	—	१६७१–८६	२८–१०
२. काली सिन्ध	—	—	११७८–८२	—
३. सालनियां	२०१–३४	१३७–५२	३५२२–९६	७६–३०

परिशिष्ट-१०

(अ० प्र० सं० ६१० की सूची)

चालू सिंचाई योजनाओं पर धनराशि का सन् १९६९-७० में आवंटन

जिला—चित्तौड़गढ़

क्र० सं०	योजनाओं का नाम	आवंटित धनराशि (लाख रु० में)
	(अ) मध्यम योजनाएं	
	बड़गांव सिंचाई योजना	१–७५
२.	ओराई सिंचाई योजना	३–६०
	योग (अ)....	५–३५
	(ब) लघु सिंचाई योजनाएं	
१.	भूपालसागर फीडर	२.००
२.	बेही खेड़ा टैंक	१.००
३.	एडिया प्रोजेक्ट	०.५०
४.	धमानिया कपासन फीडर	०.५०
५.	शादी टैंक	०.४०
६.	बनाकिया टैंक	०.१०
७.	करनिया प्रोजेक्ट	०.१०
८.	मुरलिया प्रोजेक्ट	०.३०
९.	पारसोली टैंक	०.५०
१०.	कांकरिया टैंक	०.३०
	योग... (ब)	५.७०

परिशिष्ट–११

(अ० प्र० सं० ११३ की सूचना)

Jaipur, January, 1969.

Sub:—Use of Pool Vehicles on Cash Payment by Government Servants for private work.

No. D. 10630/F,/20 (82) GA/B/58:—It has been brought to notice that occasions arise when the Vehicles of the Central and District Pools remain idle because there is no demand for the vehicles from the eligible officers for Government work or from other Government Departments. Government are pleased to order that on sueh occasions Pool Vehicles of the Central and District Pools may be given to Government Servants of this State on payment of normal propulsion and haltage charges fixed from time to time (at present 69 N. P. for Jeeps and 62 N- P. for Station Wagons) for private use subject to the following restrictions:—

(1) All controllers will ensure that vehicles are not given if there is any likely-hood of the vehicles being needed for Government work during the period the vehicles may be out for private use.

(2) Vehicles shall never be given for private use for being taken to Cinemas, Marriage functions or Festivals.

(3) The charges for the use of the vehicle including propulsion and haltage charges will be recovered in advance in cash on the basis of the estimated mileage, the vehiele is expected to run during the trip in question, the balance being adjusted and amount refunded of run deposited in cash immediately on the completions of the trip. In case a Government servant does not clear off his dues on completion of the trip, the controller will immediately bring the fact to the notice of the Government will in the General Administration Department who will take action to effect recovery of such dues from the first pay bill of the official concerned.

(4) Vehicles shall not be given to persons or parties who have previously mis-used the same or who have not cleared off their previous dues in toto.

(5) Use of uehicles for private purposes will be purely at the discretion of the controller, and cannot be claimed as of right.

परिशिष्ट-१२

(अ. प्र. सं. ६१४ की सूची)

अध्यापकगण एवं प्रोफेसर जिनको लम्ब्रेटा/वैस्पा स्कूटर्स आवंटन किया गया की सूची।

लम्ब्रेटा स्कूटर

मार्च-मई, ६७	१.	श्री शिवप्रसाद चतुर्वेदी, सीनियर टीचर-गवर्नमेन्ट मल्टी-परपज स्कूल, जयपुर।
	२.	श्री भगवत स्वरूप, सीनियर गवर्नमेन्ट एम० पी० ए० एस० स्कूल, जयपुर।
जून-अगस्त, ६८	३.	श्री शिवप्रकाश भार्गव, लेक्चरार, टीचर गवर्नमेन्ट कॉलेज, अजमेर।
दिसम्बर-फरवरी, ६९	४.	श्री मदनमोहन अग्रवाल हैड मास्टर, ओसवाल जैन एम० पी० एच० एस० स्कूल, जयपुर।
मार्च-मई, ६९	५.	श्री त्रिलोक चन्द शर्मा, सीनियर टीचर, जसवन्त एच०एस० स्कूल, अलवर।
,, ,,	६.	श्री राम किशन बजाज, लैक्चरार, कामर्स कॉलेज, जयपुर।
,, ,,	७.	श्री के० डी० गुप्ता लैक्चरार, हिस्ट्री, युनिवर्सिटी, उदयपुर।
जून-अगस्त, ६९	८.	श्री नटवर लाल सोलंकी, सीनियर टीचर, गवर्नमेन्ट पोद्दार मल्टी परपज हायर सैकेण्डरी स्कूल, जयपुर।
,, ,,	९.	श्री ए० के० सिंह, लैक्चरार कामर्स कॉलेज, उदयपुर।
,, ,,	१०.	श्री सुरेन्द्र मोहन डाण्डीया, हैडमास्टर, गवर्नमेन्ट स्कूल, आदर्श-नगर जयपुर।
,, ,,	११.	श्री ब्रह्मस्वरूप श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य, गवर्नमेन्ट कॉलेज, राजगढ़, अलवर।

वैस्पास्कूटर

सितम्बर-नवम्बर, ६३	१.	श्री गुलाब सिंह पंवार, मास्टर, महात्मा गांधी स्कूल जोधपुर।
दिसम्बर-फरवरी, ६६	२.	श्री वी० के० गुप्ता, सीनियर टीचर, गवर्नमेन्ट पोद्दार एम० पी० एच० एस० स्कूल, जयपुर।

परिशिष्ट--२६ अगस्त, १६६६--परिशिष्ट

दिसम्बर-फरवरी, ६६	३.	श्रीमती रामजानी, लैक्चरार, इकोनोमिक्स महारानी कॉलिज, जयपुर ।
मार्च-मई	४.	श्री एस० एम० गांधी, बोटेनीस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज, दुर्गापुरा, जयपुर, ।
सितम्बर-नवम्बर, ६६	५.	श्री कृष्ण चन्द्र, लैक्चरार
जून-अगस्त, ६७	६.	श्रीमती लीला जैन, वरिष्ठ अध्यापिका
सितम्बर-नवम्बर, ६७	७.	श्रीमती मिथिलेश कुमारी, सीनियर टीचर, महारानी गर्ल्स कॉलेज, जयपुर ।
जून-अगस्त, ६८	८.	श्री रतन वटपारा, टीचर होस्टल युनिवर्सिटी केम्पस, जयपुर ।
जून-अगस्त, ६६	६.	श्री कमस्त लाल, कामर्स लेक्चरार, युनीवर्सिटी ऑफ, जयपुर ।
" "	१०.	श्री महेश चन्द, रीडर इन मैथेमेटिक्स, युनिवर्सिटी ऑफ राज०, जयपुर
" "	११.	कुमारी रश्मा अग्रवाल, लैक्चरार इन जियाग्राफी, मीरां गवर्नमेन्ट कॉलेज, उदयपुर ।
" "	१२.	श्री जगदीश देवपुरा, ट्यूटर, मैडिकज कॉलेज, उदयपुर ।
" "	१३.	श्री बी० के० शर्मा, लैक्चरार, डी०ए०बी० कॉलेज, जयपुर ।
" "	१४.	श्री राजेश जोशी, लैक्चरार, युनिर्वसिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर ।
" "	१५.	श्री एन० दास० लैक्चरार इन कामर्स, युनिर्वसिटी ऑफ उदयपुर ।
" "	१६.	श्री के० एल० कमल, लैक्चरार, युनिर्वसिटी, राजस्थान ऑफ जयपुर ।

परिशिष्ट—१३

(अ. प्र. सं. ६१७ की सूची)

राष्ट्रीय मार्गों की सूची मय राष्ट्रीयकरण तिथि के निम्न प्रकार हैः—

क्रम सं०	मार्ग का नाम	राष्ट्रीयकरण की दिनांक
१	२	३
१.	जयपुर-अलवर	२९-१-६१
२.	जयपुर-मेड़	”
३.	जयपुर-शाहपुरा	”
४.	थानागाजी-अलवर	”
५.	जयपुर-भरतपुर	”
६.	जयपुर-दौसा	”
७.	जयपुर-महुवा	”
८.	महुआ-भरतपुर	”
९.	सिरोही-आबूरोड	१५-२-६१
१०.	सिरोही-सिरोही रोड	”
११.	सिरोही.सुमेरपुर	”
१२.	स्वरूपगंज-वासा	”
१३.	आबूरोड-माउन्ट आबू-देलवाड़ा	”
१४.	देलवाड़ा-अचलगढ़	”
१५.	अजमेर-कोटा	”
१६.	अजमेर-नसीराबाद	”
१७.	अजमेर-देवली	”
१८.	अजमेर-केकड़ी	”
१९.	कोटा-देवली	”
२०.	कोटा-बूंदी	”
२१.	जयपुर-अजमेर	१-३-६२
२२.	जयपुर-किशनगढ़	”
२३.	किशनगढ़-अजमेर	”
२४.	अजमेर-किशनगढ़-हरमाड़ा	”
२५.	जयपुर-कोटा	१५-५-६१

१	२	३
२६.	जयपुर-टोंक	१५-५-६२
२७.	जयपुर-देवली	,,
२८.	टोंक-निवाई	,,
२९.	जयपुर-निवाई-वनस्थली	,,
३०.	आबूरोड़-पालड़ी-भण्डार	११-९-६२
३१.	आबूरोड़-पालड़ी-अनादरा	,,
३२.	अलवर-देहली	१-८-६२
३३.	अलवर-मुबारिकपुर	,,
३४.	अजमेर-बिलाड़ा-जोधपुर	१५-१०-६२
३५.	अजमेर-ब्यावर	,,
३६.	अजमेर-जैतारण	,,
३७.	ब्यावर-जोधपुर	,,
३८.	जोधपुर-पाली-सुमेरपुर	,,
३९.	जोधपुर-पाली-ब्यावर	१-९-६४
४०.	जोधपुर-पाली	,,
४१.	जोधपुर-सोजत	,,
४२.	पाली-ब्यावर-अजमेर	,,
४३.	कोटा-झालावाड़-इकलेरा	७-९-६६
४४.	रायसिंहनगर-रावतसर	१-७-६८
४५.	रायसिंहनगर-पदमपुर	,,
४६.	पदमपुर-गंगानगर	,,
४७.	गंगानगर-हनुमानगढ़	,,
४८.	हनुमानगढ़-रावतसर	,,

परिशिष्ट—१४

(श्रा. प्र. स, ६२२ की सूची)

तहसील सांचोर में खोले गये चारा डिपोज एवं उन पर चारा पहुंचने की सूची

नाम डिपो	चारा पहुंचने की तारीख नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रेल	मई	जून	जुलाई
१. सांचोर	१९-११-६८ से ३०-११-६८	१५-१२-६८ से ३१-१२-६८	३-१-६९ से १०-१-६९	२२-२-६९ से २८-२-६९	१-३-६९ से ९-३-६९	१-४-६९ से ९-४-६९	१-५-६९ से ३१-५-६९	२७-६-६९	७-७-६९ से २०-७-६९
२. साकड	१९-११-६८ से २१-११-६८	—	८-१-६९ से १५-१-६९	—	५-३-६९ से ३१-३-६९	८-४-६९ से ३०-४-६९	२-५-६९ से १९-५-६९	—	—
३. डूंगरी	—	—	—	—	—	—	—	—	१०, ११, २५, २७-७-६९
४. अरनाथ	—	—	—	—	—	—	२५-५-६९	—	—
५. सहनाऊ	—	—	—	—	—	२४-४-६९ से ३०-४-६९	१-५-६९ से २९-५-६९	—	७, १०, २२, २३-७-६९
६. छोगपुरा	—	—	—	२८-२-६९	१-३-६९ से ३१-३-६९	१-४-६९ से २-४-६९	—	—	९-७-६९ से ११-७-६९
७. भाव	—	—	—	—	२२-३-६९ से ३१-३-६९	१-४-६९ से १०-४-६९	२-५-६९ से २५-५-६९	—	—
८. चितलवाना	१९-११-६९	—	—	—	१२-३-६९ से १८-३-६९	२४-४-६९ से २५-४-६९	१०-५-६९ से २५-५-६९	—	२७-७-६९

परिशिष्ट—१५

(अ.प्र. सं. ६२३ की सूची)

जिला खाद्य सलाहकार समिति के सस्दयों की सूची

(१)	जिलाधीश	चेयरमैन
(२)	परगना अधिकारी मुख्यालय	सदस्य
(३)	प्रमुख जिला परिषद	,,
(४)	जिले के लोक सभा व विधान सभा के सदस्य	,,
(५)	सहायक पंजीयक सहकारी समितियां	,,
(६)	जिला कृषि अधिकारी	,,
(७)	प्रादेशिक यातायात अधिकारी या सहायक प्रादेशिक यातायात अधिकारी	,,
(८)	रेल्वे का एक प्रतिनिधि	,,
(९)	तहसीलदार (मुख्यालय)	
(१०)	भारत सेवक समाज का एक प्रतिनिधि	,,
(११)	जिला परिषद के दो प्रतिनिधि	,,
(१२)	उप जिला विकास अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद	,,
(१३)	जिला गोदाम निगम का एक प्रतिनिधि	,,
(१४)	चैयरमैन उपभोक्ता भण्डार	,,
(१५)	जिला रसद अधिकारी या सहायक जिला रसद अधिकारी	मैम्बर-सचिव

परिशिष्ट–१६

(अ. प्र. सं. ६२६ की सूची)

सूची जिला झालावाड़ व कोटा में प्राप्त दान स्वरूप चारे की

जिला कोटा—

नाम	संग्रहित धन राशि	दान स्वरूप चारा
१. तहसील लाडपुरा	२३५–००	८६८–४१
२. तहसील अटरू	३६८–००	८६३–००
३. मा. तहसील अन्ता	—	२,८०६–१६
४. तहसील दीगोद	६१८–००	३,१६१–२०
५. किशनगंज	५,७६०–२२	३०८–८३ ६४–०४ (राजकीय बोर्ड से)
६. तहसील बारां	१,५११–७१	१,१६७–६५
७. तहसील शहाबाद	१,३७७–००	१,८०४–००
८. तहसील रामगंज-मण्डी	११,३६४–००	१,२६०–००
६. तहसील छबड़ा	१,२३७–००	१,१५६–००
१०. छींपा बड़ौद तहसील	५,८३८–००	१,२८७–००
११. तहसील पीपलदा	५,८२६–००	१,३१०–००
१२. तहसील सांगोद	१३,५५५–०५	७७५–२५
१३. तहसील मांगरोल	५,५८०–४५	५७६–३६
१४. कोटा जिला कार्यालय स्तर पर	६०,५५८–५६	—
१५. प० स० छींपा बड़ौद	३५१–००	—
१६. प० स० अटरू	५०१–००	—

जिला झालावाड़—

२	३	४
१. तहसील झालरा पाटन	३७,६३६—८३	२० ट्रक
२. तहसील पिडावा	२,६४६—७१	२० ट्रक
३. तहसील अकलेरा	६,३०१—४६	४६ ट्रक
४. तहसील खानपुर	२,७५४—५०	४५ ट्रक
५. तहसील पंचपहाड़	६२७३—७५	६ ट्रक
६. तहसील गंगधार	१५,१८४—८२	१० ट्रक

परिशिष्ट—१७

(अ० प्र० सं० ६३१ की सूची)

भ्रष्टाचार आदि के मामले पकड़े गये तत्सम्बन्धी सूची

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	शिकायत की तिथि	धनराशि	रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का नाम	निलम्बित किया या नहीं	मामले की स्थिति
	२	३	४	५	६	७
१.	श्री हरिचन्द्र ओवरसियर	२९-४-६९	५७१६.१९	एस० डी० एम०, नागौर	हां	मुकदमा पुलिस में तफ्तीश में है।
२.	श्री गोवरधनलाल ओवरसियर	२-५-६९	४२२२.००		हां	,,
३.	श्री ओमप्रकाश ओवरसियर	२९-५-६९	२१७२.४२		हां	,,
४.	श्री भंवरसिंह ओवरसियर	२२-७-६९	ज्ञात नहीं	श्री सुधीरकुमार शर्मा	हां	,,
५.	श्री खलील अहमद ओवरसियर	८-८-६९	५३७२.६५	एम० एम० सिंघल, अ० मि०	हां	,,
६.	श्री डी० सी० बढवा ओवरसियर		विभागीय जांच जारी है		हां	,,
७.	श्री गिल, सहायक अभियन्ता		,,		हां	,,
८.	श्री आर० पी० ढल्ले ओवरसियर		,,		हां	,,

परिशिष्ट— १८

(अ० प्र० सं० ६३३ की सूची)

झालावाड़ जिले की पंचायत समिति, पिड़ावा क्षेत्र में खोले गये राहत कार्यों की सूची

क्रम संख्या	नाम राहत कार्य मय गांव के नाम	३१-७-६९ तक जो रकम खर्च हुई	विशेष विवरण
१.	कोटड़ी-पिड़ावा रोड	५२२२७-४८	
२.	सालरी-रायपुर एप्रोच रोड	८१६४०-८०	
३.	सुलिया-सुनेल पिड़ावा, सोयत रोड केवल पिड़ावा से दौलतपुरा तक	३५४४०-३६	
४.	झालरापाटन सेनेल रोड	२०५००९-५५	
	कुल योग...	३७५४१८-१९	
५.	शेरपुर तालाब	३०००-००	
६.	दौलतपुरा एनिकट	कार्य नहीं हुआ क्योंकि मौके पर कार्य पोसिबल नहीं था।	
७.	पालखंडा एनिकट	१९८८७-२२	
८.	पिड़ावा एनिकट	—	
९.	ढावता एनिकट	कार्य चालू नहीं हुआ क्योंकि पंचायत समिति को पहले से ही ठेका दे रखा था।	
१०.	मुन्डलिया खेड़ी एनिकट	२७६३९-००	
११.	भटखेड़ा उठान सिंचाई योजना एवं केवल नहरों का कार्य	कार्य चालू नहीं हुआ।	
	योग कुल सिंचाई कार्यों का...	५२५२६-२२	
	कुल महा योग...	४२७९४४-४१	

परिशिष्ट—१९

(अ० प्र० सं० ६३४ की सूची)

वर्ष १९६३ में दो वर्षीय उच्च प्रशिक्षण में भेजे गये व्यक्तियों पर वेतन व स्टाइपेन्ड के रूप में हुए खर्चे का विवरण

क्रम संख्या	नाम	वेतन व स्टाइपेन्ड का कुल खर्चा
(१)	श्री विजयसिंह	४,१११.७७
(२)	श्री मुसद्दीलाल	४,०६१.८६
(३)	श्री किशनसिंह ग्रामसेवक	३,४२४.३३

परिशिष्ट—२०

(अ. प्र. सं. ६३७ की सूची)

पंचायत समिति, केकड़ी में सन् १९६० से अब तक पम्पिगसैट, कुए खुदवाने व पक्की नालियां बनाने हेतु दी गई तकावी

वर्ष	पम्पिग सेट	कुआ खुदवाने हेतु	पक्की नालियां
रु०	रु०	रु०	
१९६०–६१	२६००८–००	२०५३५०–००	—
१९६१–६२	१७००००–००	४५६५०–००	—
१९६२–६३	५०००–००	२९२००–००	—
१९६३–६४	२५००–००	२८०००–००	—
१९६४–६५	१२५००–००	५८०००–००	८००–००
१९६५–६६	३८०००–००	१२४५००–००	१५००–००
१९६६–६७	६०००–००	७४००–००	—
१९६७–६८	१९५०००–००	६१३०००–००	४५००–००
१९६८–६९	२००००	१५२५७–००	३०००–००

पंचायत समिति, केकड़ी के प्रधान व उनके खानदान के व्यक्तियों को दी गई तकावी की सूची

क्र० सं०	प्रधान स्वयं को दी गई तकावी की रकम	प्रधान के खानदान के व्यक्तियों को दी गई तकावी की रकम	कार्य जिसके लिये तकावी दी गई
	रु०	रु०	
(१)	३०००–००	—	पम्पिग सैट
(२)	३०००–००	—	पक्की नालियां
(३)	—	३०००–०० (पुत्र)	कुआ बनाने
(४)	—	४०००–०० (पुत्र)	पम्पिग सैट
(५)	—	१०००–०० (पुत्र)	भेड़पालन
(६)	—	४०००–०० (पत्नी)	पम्पिग सेट
(७)	—	३०००–०० (पुत्रवधु)	,,

परिशिष्ट—२१

(अ० प्र० सं० ६३९ की सूची)

पंचायत लालगढ़, पंचायत समिति, सुजानगढ़ जिला चूरू द्वारा विक्रय की गई भूमि का विवरण

वर्ष जिसमें भूमि विक्रय की गई	भूमि का विवरण	भूमि लेने वाले का नाम व आयु	भूमि किस दर से व कितनी विक्रय की गई	भूमि लेने वाले से सरपंच का रिश्ता
१९६६	पट्टा नं० ३१	श्री मांगीलाल पुत्र झूमरमल उम्र १५ वर्ष	१०० वर्गगज २ पै० प्रति वर्गगज	पुत्र
१९६७	पट्टा नं० २२	श्री टीकुराम पुत्र झूमरमल उम्र १२ वर्ष	६०० वर्गगज ११ रु० में	पुत्र
	व नं० ४१	श्री माखचन्द्र पुत्र किशनलाल लोहिया	७२१ वर्गगज ८-६४ पैसे	सरपंच का रिश्तेदार नहीं है।
१९६८	पट्टा नं० ४४	श्री मांगीलाल पुत्र झूमरमल उम्र १५ वर्ष	८७ वर्गगज ५ पै० प्रति वर्गगज से	पुत्र
	पट्टा नं० ४६	बंसीदास पुत्र सीताराम	१८०० वर्गगज २३ रु० में	पंचायत में सचिव है।

नोट:—जिलाधीश ने प्रारंभिक जांच के पश्चात् सरपंच द्वारा अनियमितता नहीं को जाना अंकित किया है।

Page No 224

परिशिष्ट—२२

(अ. प्र. सं. ६४० की सूची)

राजस्थान व. श्र. सं. संघ को ६८-६९ में दिये गये कूपों की दिनांक ३१-७-६९ की बकाया की सूची

क्र. सं.	नाम रेंज	डिवीजन	नाम कूप	किस्म	राशि जिसमें आवंटित किया गया	बकाया राशि दिनांक ३१-७-६९
१	२	३	४	५	६	७
१.	कनवास	कोटा	मशालपुरा बी क. नं. १९ से २१, ३६, ४० से ४४, ४६ से ४७ ५१, ५२, ५४ पूरे व ४६, ५०, ५३, ५५, ५६ के हिस्से	कत्था	५३,०००/—	५३०००/— ३,१८०/— सेल. टैक्स ७,०४०/— पैनल्टी ——— ६३,२२०/—
२.	शाहबाद	बारां	नाउदेह बसई लोट नं० २	,,	नव पद्धति दि. से ६-६-६८ बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप	राशि निर्धारित नहीं हुई है।
३.	देवगढ़	चित्तौड़गढ़	माल १ से १८, २० से २६	,,	३६,३००/—	३६,३००/—

परिशिष्ट—२३

(अ. प्र. सं. ६४४ की सूची)

राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ

आश्रम स्कूल व छात्रावास

क्रमांक	नाम प्रवृत्ति		जिला	छात्र सं.
१	२		३	४
१.	आश्रम स्कूल, शाहबाद		कोटा	२५
२.	आश्रम स्कूल, ऋषभदेव		उदयपुर	२५
३.	आदिवासी छात्रावास, शाहबाद		कोटा	२५
४.	आदिवासी छात्रावास, नाहरगढ़		कोटा	२५
५.	,,		झालावाड़	२५
६.	,,	लाखेरी	बूंदी	२५
७.	,,	जहाजपुर	भीलवाड़ा	२५
८.	,,	कस्बाथाना	कोटा	३८
९.	,,	बूंदी	बूंदी	२५
१०.	,,	मांडलगढ़	भीलवाड़ा	२५
११.	,,	बोराव	चित्तौड़गढ़	२५
१२.	,,	अरनोद	,,	२५
१३.	,,	बड़ी सादड़ी	,,	२५
१४.	,,	सलूम्बर	उदयपुर	२५
१५.	,,	चावंड	,,	२५
१६.	,,	सेमारी	,,	२५
१७.	,,	ऋषभदेव	,,	२५
१८.	,,	कानोड़	,,	२५
१९.	,,	कुम्भलगढ़	,,	२५
२०.	,,	कमोल	,,	२५

१		२	३	४
२१.	आदिवासी छात्रावास	नाना	पाली	२५
२२.	,,	पिन्डवाडा	सिरोही	२५
२३.	,,	भीनमाल	जालौर	२५
२४.	,,	जमवारामगढ़	जयपुर	३०
२५.	,,	दौसा	,,	२५
२६.	,,	लालसोट	,,	२५
२७.	,,	गंगापुरसिटी	सवाई माधोपुर	२५
२८.	,,	हिन्डौन	,,	२५
२९.	,,	टोडाभीम	,,	२५

पुनर्वास केन्द्र व खादी ग्रामोद्योग उत्पादन एवं बिक्री केन्द्र

	पुनर्वास केन्द्र	तादाद कार्यकर्ता
१.	सेहरिया क्षेत्र, जिला कोटा	२
२.	भील तथा भील-मीणा क्षेत्र, जिला चित्तौड़गढ़	२
३.	,, ,,	२
४.	मीणा तथा गरासिया क्षेत्र, जिला जयपुर	२
	योग	८

खादी ग्रामोद्योग उत्पादन एवं बिक्री केन्द्र

१.	प्रखण्ड सराडा	उदयपुर	१
२.	,, शाहबाद	कोटा	१
		योग	२

परिशिष्ट—२४

(अ० प्र० सं० ६४६ की सूची)

जिला अजमेर व भीलवाड़ा में चल रहे छात्रावासों की सूची अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के परिशिष्ट संख्या "अ"

क्रम संख्या	नाम जिला	नाम योजना	स्थान जहां छात्रावास चल रहा है	स्वीकृत छात्र संख्या	कबसे चालू है	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७
	राजकीय छात्रावास					
(अ)	अजमेर	अनुसूचित जाति	अजमेर	६०	१९५८	
		,,	गंगवाल	४०	१९६२	
		अनुसूचित जन जाति	मसूदा	३०	१९५९	
		,,	विजयनगर	२५	१९६७	
	भीलवाड़ा	अनुसूचित जाति	भीलवाड़ा	५०	१५-८-५९	
		,,	फूलीया	२५	२-१०-६८	
	अनुदानित छात्रावास					
(आ)	अजमेर	अनुसूचित जाति	हरिजन छात्रावास पिसांगन	२५	१९५४-५५	राजकीय प्रधानाध्यापक पीसांगन

Page No 228

१	२	३	४	५	६	७
		अनुसूचित जन जाति	महिला शिक्षा सदन, हट्टून्डी	५०	१९५४-५५	महिला शिक्षा, सदन हट्टून्डी
		,,	लालबहादुर शास्त्री छात्रावास भीलम	२५	१९६८-६९	दलित वर्ग संघ शाखा भीलम
	भीलवाड़ा	,,	नूतन छात्रावास, गुलाबपुरा	२५	१९६१-६२	ग्रामोद्योग संघ, भीलवाड़ा
		,,	आदिम छात्रावास, माडलगढ़	२५	१९५४-५५	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर
		,,	,, ,, जहाजपुर	२५	१०६०-६१	,,

परिशिष्ट–२५

(अ. प्र. अ. २७९ की सूची)

तहसील सांचोर

सहायता कैम्पों पर अनाज वितरण की सूचीः—

गोदाम से अनाज प्राप्त करने का दिनांक	नाम कैम्प
२२-२-६६ २४-२-६६ २७-२-६६ ८-५-६६ २१-५-६६ ७-६-६६ १४-६-६६	सांचोर
२२-२-६६ १७-३-६६	रड़का
२७-२-६६ ८-४-६६	धमलवोढ़ा
१५-३-६६ १०-४-६६	होतीगांव
८-४-६६ २५-५-६६	चीरोल
१०-४-६६ २५-५-६६ २६-५-६६	चेड़िया
१२-४-६६ २१-५-६६	खारा
२१-२-६६ १४-४-६६	मवातड़ा बीड व बन्धा

परिशिष्ट—२६

(अ. प्र. सं. ३११ की सूची)

पंचायत समिति, शाहपुरा (भीलवाड़ा) के ग्राम डिकोला में ग्रामीण गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा उपयोग की गई राशि की सूची

क्रमांक	नाम व्यक्ति मय पिता का नाम	उपयोग की गई राशि
१.	श्री गंगाराम पुत्र श्री घीसा नायक	२००० रु०
२.	,, मदनलाल पुत्र श्री मांगीलाल शर्मा	२००० रु०
३.	,, हरलाल पुत्र श्री सांवल नायक	२००० रु०
४.	,, भुवाना पुत्र श्री भूरा बावरी	२००० रु०
५.	,, मूलचन्द पुत्र श्री मोड़ीराम छीपा	२००० रु०
६.	,, बन्शीलाल पुत्र श्री रामरतन ब्राह्मण	२००० रु०
७.	,, नगजीराम पुत्र श्री गोपीलाल	२००० रु०
८.	,, छीतरमल पुत्र श्री मांगीलाल जागोडिया	२००० रु०
९.	,, मोहनलाल पुत्र श्री रामचन्द्र	२००० रु०
१०.	,, भैंरूलाल पुत्र श्री मांगीलाल शर्मा	२००० रु०
११.	,, रामगोपाल पुत्र श्री देवीलाल शक्तावत	२००० रु०

ग्राम डिकोला में एक वर्ष से अधिक रहने वाले व्यक्तियों की सूची

१. श्री भैंरू पिता भूरा बावरी
२. ,, लालू पिता रामा बावरी
३. ,, लाडू बगतावर चमार
४. ,, भैरू पिता रूपा चमार
५. ,, रामा पिता उदा बलाई
६. ,, नन्दा पिता छीतर
७. ,, भैंरू पिता भूरा बावरी, मकान मालिक
८. ,, बालू पिता मेगम बावरी

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक २६ अगस्त, १९६९)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
३	२	तथ पानी आ गया है वेवल	तथा पानी आ गया है केवल
,,	७	ह ने	होने
,,	९	वार्य	कार्य
५	१२	एव	एवं
८	अन्तिम से १०	करन	करने
११	५	डेथ आफ कौज	कॉज आॅफ डेथ
१७	१	महारावल श्री लक्ष्मणहि	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
२४	१५ व १६	क्वाटर	क्वार्टर
३७	२	एजए	एज ए
३८	अन्तिम से ४	वह ले ये	वह ले लिये
३९	६	——	स्थगित प्रश्न १८-८-६९
४०	अन्तिम से ८	——	स्थगित प्रश्न १८-८-६९
५९	६	काम रहा है	काम कर रहा है
१२३	अन्तिम से १५	जा डीलर्स	जो डीलर्स
१२४	अन्तिम से ८	रघुनाथ विश्नोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
१४५	१२	कटान	काटने
१५४	अन्तिम से ४	कुड़की	कुड़की
१७०	अन्तिम से २	एब्स्टेक्ट्स	एक्सट्रेक्ट्स
१८२	१२	रिप ट्स	रिपोर्ट्स

१	२	३	४
१८७	१	श्री लादूर म सुलानिया	श्री लादूराम सुलानिया
२०१	१२	मंत्रा	मंत्री
२०२	१५	नह	नहीं
२३०	अन्तिम से १०	ह्वास	ह्रास
२३४	२	प्रत्यन	प्रयत्न
२४१	३	तयार	तैयार
२४२	१४	निाश्चत	निश्चित
२४४	अन्तिम से १४	के	में
२७१	शीर्षक	मागो	मांगों
२८५	अन्तिम से ४	उपाध्क्ष	उपाध्यक्ष
२५७	५	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
२६१	१२	जयपु	जयपुर
२६४	अन्तिम से ७	किसा	किसी
३०२	२०	Cognisance	Cognizance
३०३	१३	महेदय	महोदय
३०६	१०	शोरगुल-अ व्य	शोरगुल-अश्रव्य
३१०	१	वक्चे	बच्चे
३२२	अन्तिम से ७	कितती	कितनी
३४१	३	चेक	चैक
,,	६	टक्स	टैक्स
३६७	३	लम्ब्रे टा	लैम्ब्रटा
३६६	३	मांगों	मार्गों
३७१	३	साकड	साकड़
,,	४	डूगरी	डूंगरी
३७५	१	श्री हरिचन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र
३८३	१	अजमर	अजमेर